



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**



**लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा**  
**Dedicated to Truth in Public Interest**

**संघ सरकार (सिविल)**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ**  
**2020 की सं. 6**



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार (सिविल)  
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ  
2020 की सं. 6**



## विषय-सूची

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xvi
<b>अध्याय I : प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
सीएजी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के प्रकार	1.2	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन	1.4	2
संघ सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों का प्रालेख तथा लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार	1.5	3
संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा (यूटी)	1.6	4
स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा	1.7	6
उपयोग प्रमाण-पत्र	1.8	6
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.9	7
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	9
लंबित एटीएन की स्थिति	1.11	10
छः मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत	1.12	11
लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	1.13	12
<b>अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</b>		
<b>तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई</b>		
तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय जल कृषि हेतु विनियामक एवं प्रशासनिक तंत्र की स्थापना	2.1	15
<b>केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर</b>		
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का कार्य	2.2	33

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय: III संस्कृति मंत्रालय</b>		
<b>भारतीय संग्रहालय, कोलकाता</b>		
भारतीय संग्रहालय, कोलकाता का आधुनिकीकरण	3.1	61
<b>अध्याय IV : परमाणु ऊर्जा विभाग</b>		
मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की स्थापना	4.1	88
आयन ट्रैप सिस्टम की स्थापना	4.2	92
मेडिकल स्टॉक की कम कवरेज के कारण हानि	4.3	95
अल्प अवधि के अनुबंधों में लागत में बढ़ोत्तरी	4.4	96
<b>अध्याय V : अंतरिक्ष विभाग</b>		
अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का अनुदान	5.1	99
सिलिकन कार्बाइड दर्पण विकास सुविधा	5.2	101
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पदों का सृजन	5.3	103
पदोन्नति हेतु रेजिडेंसी अवधि का निर्धारित स्तर से कम पर नियतन	5.4	106
निर्माण कार्यों का प्रबंधन	5.5	108
<b>अध्याय VI: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>		
सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वित्तीय लाभ प्रदान करना	6.1	131
<b>अध्याय VII: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>		
आवासीय प्रयोजन के लिए खपत की गई विद्युत पर अतिरिक्त खर्च	7.1	134
<b>अध्याय VIII : विदेश मंत्रालय</b>		
सार्क संग्रहालय की स्थापना	8.1	137
विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण राजस्व की हानि	8.2	140
द्रुत डाक सेवाओं पर अधिक व्यय - ₹4.11 करोड़	8.3	142
<b>नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर</b>		
दरों को गलत तरीके से अपनाने का परिणाम अतिरिक्त लागत में हुआ	8.4	143

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय IX: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
जिपमेर के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान ₹4.56 करोड़	9.1	145
<b>अध्याय X : गृह मंत्रालय</b>		
राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता	10.1	147
<b>अध्याय XI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय</b>		
लोक लेखा समिति को तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण	11.1	149
सेवा-कर का अनियमित भुगतान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित)	11.2	150
<b>उच्चतर शिक्षा विभाग</b>		
संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का आहरण तथा निपटान करने पर आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन	11.3	152
मेसर्स ईडीसीआईएल से अग्रिम की वसूली/समायोजन ₹4.32 करोड़	11.4	154
<b>अध्याय XII : विधि एवं न्याय मंत्रालय</b>		
<b>विधि कार्य विभाग</b>		
जनवरी 2000 से सभागार के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग नहीं किया गया	12.1	159
<b>अध्याय XIII : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>		
<b>कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड</b>		
इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का समय पर लाभ न उठाना	13.1	161
भूमि मालिकों की ओर से स्रोत पर काटे गये कर का भुगतान	13.2	164
<b>अध्याय XIV: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>		
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता	14.1	167

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>जैव प्रौद्योगिकी विभाग</b>		
कर्मचारियों को भत्तों को प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय	14.2	188
<b>अध्याय XV : संघ शासित क्षेत्र</b>		
<b>संघ शासित क्षेत्र - अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन</b>		
संग्रहित अग्रिम के प्रदान करने में संहिता प्रावधानों का उल्लंघन	15.1	192
संरक्षात्मक समुद्री दीवार का निर्माण	15.2	193
<b>संघ शासित क्षेत्र - चंडीगढ़ प्रशासन</b>		
मूल्य वर्धित कर का कम उदग्रहण	15.3	196
यूटी चण्डीगढ़ में तृतीयक उपचारित जल का उपयोग	15.4	197
पट्टा किरायों का निर्धारण	15.5	209
सेवा कर का अनियमित भुगतान	15.6	211
<b>चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड</b>		
संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सचिवालय कैंटीन, चंडीगढ़ और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली का संचालन और प्रबंधन	15.7	212
<b>संघ शासित क्षेत्र - दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन</b>		
विवरणी फाईल करने में विलम्ब	15.8	214
ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट के गैर/कम वापसी के कारण अधिक वापसी	15.9	215
इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी	15.10	217
<b>संघ शासित क्षेत्र - लक्षद्वीप प्रशासन</b>		
सरकारी धन को बचत बैंक खाते में रखना	15.11	218
<b>अनुलग्नक</b>	221 - 246	
<b>परिशिष्ट</b>	247 - 314	

## प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों सहित संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य एवं सामाजिक सेवाएं के अधीन उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। इस प्रतिवेदन में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय लोक सेवा उद्यमों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है, से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जोकि 2017-18 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे तथा वे जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी जहां कहीं आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक सेवाएं क्षेत्रों के अंतर्गत विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 62 सिविल अनुदानों के अंतर्गत तथा राजस्व, रेलवे, रक्षा, दूरसंचार, इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी और डाक मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वायत्त वित्तीय/निकायों/निगमों के वित्तीय संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं।

इन 37 सिविल मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय 2016-17 में ₹7,38,280 करोड़ से 18.01 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹8,71,297 करोड़ हो गया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कोडल प्रावधानों तथा लागू नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन, परियोजना प्रबंधन में कमियों, खराब आंतरिक नियंत्रणों, वेतन और कार्मिक हकदारियों के निर्गम में अनियमितताएं तथा खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण देय राशियों की गैर-वसूली अथवा गैर कर राजस्वों की हानि के साथ-साथ परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय के मामलों को उजागर किया जाता रहा है। लेखापरीक्षा ने मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार की अनियमितताएं पायी गई हैं जो इन तैयार किए गए पैराग्राफों पर आंतरिक नियंत्रणों तथा बजट प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली को आगे और मजबूत करने की आवश्यकता के साथ-साथ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर तत्कालिक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सूचक था। कुछ मामलों में, संबंधित मंत्रालय ने उत्तर दिया है जिसे उपयुक्त खंडन के साथ उचित प्रकार से शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 13 मंत्रालयों/विभागों तथा विधायिका रहित पाँच संघ शासित क्षेत्रों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/निगमों को समाविष्ट करते हुए ऐसी अनियमितताओं के ₹1361.54 करोड़ के 40 उदाहरणात्मक मामलें<sup>1</sup> अंतर्विष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ मुख्य मामलों के श्रेणीवार सार निम्नलिखित है-

<sup>1</sup> मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियों/वसूलियों के आठ मामले पैरा 1.13 के अधीन शामिल हैं।

I. गैर कर राजस्व की हानि

विदेश मंत्रालय

भारतीय उच्चायोग (एचसीआई) द्वारा विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण भारतीय नागरिकता के त्याग शुल्कों और पासपोर्ट के दुरुपयोग पर जुर्माना के परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ के राजस्व का कम संग्रह हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.2)

II. वित्तीय प्रबंधन में कमियां

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय “वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु पुलिस स्टेशनों आउटपोस्टों के निर्माण” की योजना के अंतर्गत राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की निधियों को प्रभावी रूप से निगरानी करने में विफल रहा जिसका परिणाम योजना के समापन के तीन वर्षों के पश्चात् भी आठ राज्यों के पास व्यर्थ पड़ी कुल ₹52.18 करोड़ की बचतों (उस पर ब्याज सहित) में हुआ जबकि मध्य प्रदेश में, राज्य ने ₹3.79 करोड़ की बचतों का दो अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण में उपयोग किया था जो संस्वीकृति के अभाव में, अनियमित था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, गृह मंत्रालय ने ₹22.69 करोड़ की वसूली की है जबकि ₹33.28 करोड़ अभी भी वसूल किए जाने हैं।

(पैराग्राफ सं. 10.1)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ठीक से प्रबंधन नहीं किया। इसके फलस्वरूप सात चयनित परियोजनाओं में ₹66.05 करोड़ के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक हुई।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

संघ शासित क्षेत्र - लक्षद्वीप प्रशासन

बंदरगाह, नौपरिवहन एवं विमानन निदेशालय, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) ने प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹29.18 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में प्रेषित किए बिना इसको अपने एसबी खाते में रखा था जिससे इष्टतम निराशाजनक नकद प्रबंधन हुआ।

(पैराग्राफ सं. 15.11)

### III. योजना दिशानिर्देशों/अधिनियमों/नियमों तथा विनियमों की कमी/गैर अनुपालन

लेखापरीक्षा ने तीन मामले पाये जहाँ दिशानिर्देशों अथवा नियमों तथा विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम तीन मंत्रालयों से संबंधित ₹5.34 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

#### कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

##### तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई

जल कृषि हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त भूमि का वर्णन करने हेतु तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया था। जल कृषि फार्मों के निर्माण, प्रचालन, निरीक्षण तथा निगरानी के लिए पर्याप्त विनियम तैयार नहीं किए गए थे। जल कृषि में उपयोग किए गए इनपुट हेतु मानकों, व्यर्थ जल नमूनों की जांच करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा डीएलसी/एसएलसी बैठकों की आवश्यकता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्यावरण संरक्षण निधि सृजित नहीं की गई थी तथा शिकायत निवारण तंत्र अपर्याप्त था।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

#### मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्रालय

शिक्षण संस्थानों ने बाहरी ठेका (आउटसोर्स) सेवाओं (गृह व्यवस्था एवं सुरक्षा) पर कुल ₹5.34 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया, जबकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

### IV. परियोजना प्रबंधन में कमी

#### कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

सीएजेडआरआई (काजरी) द्वारा अपनी स्थापना के बाद से विकसित 21 वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों में से 13 प्रौद्योगिकियों को मार्च 2019 तक वाणिज्यीकरण किया जाना बाकी था तथा आठ प्रौद्योगिकियाँ, जबकि वाणिज्यीकृत थी, फिर भी अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकी थी। 14 बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समर्थित प्रौद्योगिकियों में से केवल छः प्रौद्योगिकियों को ही मार्च 2019 तक काजरी द्वारा पेटेंट प्राप्त किया जा सका था। संस्थान, 2005 से नई खाद्यान्न फसल की किस्म जारी करने में सफल नहीं रहा था। सभी अनुसंधान परियोजनाओं के उद्देश्य का मूल्यांकन करने हेतु,

मूल्यांकन समिति गठित नहीं की गई थी। 35 नमूना जांच किए गए मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि काजरी अनुसंधान परियोजना के चयन हेतु प्राथमिक रूप से वैज्ञानिकों पर निर्भर था तथा अनुसंधान विषय चयन में हितधारकों तथा किसानों की भागीदारी दर्शाने हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। वैज्ञानिक स्टाफ में 35 प्रतिशत औसतन की कमी थी। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में शोधपत्रों का औसतन प्रकाशन 2012-18 के दौरान केवल 68 प्रति वर्ष था। वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित कुल 405 शोधपत्रों में से केवल 149 शोधपत्र राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा छः तथा अधिक की रेटिंग वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था। शोधपत्र के उद्धरण सूचकांक ने प्रकट किया कि 405 में से 252 शोधपत्रों का कभी उद्धरण नहीं दिया गया था। 2015 तक काजरी इससे अवगत नहीं था कि संस्थान के पास 16.43 एकड़ की भूमि का कम कब्जा था। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा सीमावर्ती प्रदर्शनों, ऑन-फार्म ट्रायल्स तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धियों के अंतर्गत ब्लॉकों के समावेशन में कमियां पाई गई थी।

(पैराग्राफ सं. 2.2)

## संस्कृति मंत्रालय

### भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता ने नामांकन आधार पर आधुनिकीकरण कार्य सौंपा तथा किसी संरक्षण योजना अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा उपयुक्त योजना के बिना कार्य निष्पादन किया। आधुनिक भण्डारण प्रणाली, अग्निशमन, अग्नि संसूचन एवं रोकथाम से संबंधित मुख्य निर्माणकार्यों को एचवीएसी ने प्रारम्भ नहीं किया था, जबकि संस्वीकृत थे। उसने वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया था तथा प्रारम्भिक चरणों पर कार्य की गुणवत्ता की निगरानी में भी विफल था। ₹83.66 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत निर्माण कार्यों को ₹105.70 करोड़ में निष्पादित किया गया था, जिसमें ₹25.76 करोड़ की लागत के उन निर्माण कार्यों जिन्हें कभी सौंपा ही नहीं गया था, सम्मिलित थे। नवीनीकरण के दौरान उचित संरक्षण प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई जिसके कारण अमूल्य कलाकृतियों को नुकसान पहुंचा।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

## अंतरिक्ष विभाग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलुरु तथा इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी, हैदराबाद ने दर्पण विकास हेतु प्रौद्योगिकी को सिद्ध या मान्य सुनिश्चित किये बिना सिलिकन कार्बाइड दर्पण विकास सुविधा को

स्थापित किया। निर्मित सुविधा की स्थापना एवं रखरखाव पर ₹47.12 करोड़ का व्यय होने के बावजूद भी वह अपने 10 वर्षों की संपूर्ण परिचालन काल के दौरान अपेक्षित गुणवत्ता के दर्पण का उत्पादन नहीं कर पाई।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

अंतरिक्ष विभाग के पांच केंद्रों में निर्माण कार्यों का प्रबंधन अधूरा था जिसके कारण 109 से 1,142 दिनों का समय लंघन तथा ₹37.62 करोड़ का लागत लंघन हुआ। इसके अलावा, लागत में वृद्धि के भुगतान में अनियमितता, ठेकेदारों द्वारा काम में की गई देरी के लिए कम मुआवजे की उगाही, वैधानिक वसूलियों की कम उगाही संग्रहण तथा अतिरिक्त भुगतान इत्यादि के मामले थे, जिसका वित्तीय निहितार्थ ₹12.08 करोड़ था।

(पैराग्राफ सं. 5.5)

### विदेश मंत्रालय

वस्त्र एवं हस्तशिल्प के सार्क संग्रहालय को 10 वर्षों के बीत जाने तथा ₹18.47 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अभी भी चालू किया जाना है (दिसम्बर 2019)।

(पैराग्राफ सं. 8.1)

### संघ शासित क्षेत्र - अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन

अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग ने निर्माण संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपेक्षित सभी सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जिसे आखिरकार मामले पर फिलप फ्लोप के पश्चात् रोक दिया गया था।

इससे समुद्री दीवार के निर्माण में देरी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में किनारे की सुरक्षा की लागत को बढ़ाया तथा इसका परिणाम ₹1.18 करोड़ के व्यर्थ व्यय में भी हुआ क्योंकि अपूर्ण निर्माण बह गए। कार्य को ₹30.36 करोड़ की बढ़ी हुई लागत के साथ फिर से संस्वीकृत किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के निवास सुनामी के 15 वर्षों के पश्चात् भी असुरक्षित बने रहे।

(पैराग्राफ सं. 15.2)

## संघ शासित प्रदेश - चंडीगढ़

नगर निगम चण्डीगढ़ (एमसीसी) ने बागवानी के लिए पेय जल, जिसका उपयोग अन्यथा किया जा रहा था, के स्थान पर उपचारित जल आपूर्ति के लिए इसके सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) से बहाव का उपचार करने हेतु एक मौजूदा 10 मिलियम गैलन प्रति दिन (एमजीडी) के तृतीयक उपचार संयंत्र के अतिरिक्त 10 एमजीडी की क्षमता वाले एक तृतीयक उपचार संयंत्र तथा संबंधित सुविधाओं के डिजाईन एवं निर्माण के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

डिजाईन में गलत तरीके से सीवेज के पानी की पर्याप्त उपलब्धता की कल्पना की गई, एक भूमिगत जलाशय को पम्पों, जिन्हें दोनों संयंत्रों में लगाया गया था, की अपेक्षित बहाव क्षमता से कम वाले पुराने नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया गया था तथा पुराने एसटीपी का तकनीकी रूप से उन्नत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमसीसी ने टीटीपी को आउटपुट में अपेक्षित बीओडी स्तर अर्थात् 5 एमजी/ली. से कम को सुनिश्चित नहीं किया था जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं में उपचारित जल को ग्रहण न करने का कारण बना।

इसके अतिरिक्त, एमसीसी योजनागत परियोजना के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत के 43 प्रतिशत की वसूली नहीं कर सका। उपचारित जल की एमसीसी बागवानी स्कंध द्वारा रख-रखाव किए जा रहे हरित स्थानों को निःशुल्क आपूर्ति की गई थी। एमसीसी ने तृतीयक जल कनेक्शनों के बिल भी नहीं भेजे थे। लेखापरीक्षा में पाया कि परियोजना के समापन के पश्चात 6-7 वर्षों के बाद भी प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके थे तथा लेखापरीक्षा स्वयं परियोजना की व्यवहार्यता से आश्वस्त नहीं था।

*(पैराग्राफ सं. 15.4)*

चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईटीसीओ) ने चंडीगढ़ और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली में संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सचिवालय कैंटीन को बिना किसी समझौते या परिचालन व्यवस्था के संचालित किया और क्रमशः ₹8.27 करोड़ और ₹1.52 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा।

*(पैराग्राफ सं. 15.7)*

### V. उपकरण/इमारतों/अवसंरचना का व्यर्थ रहना

गतिविधियों की अप्रयुक्त योजना तथा अनिवार्य समकालीकरण की कमी का परिणाम निष्फल व्यय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित के मामलों में ₹84.25 करोड़ की कीमत की परिसम्पत्तियों के व्यर्थ रहने/उप-ईष्टतम उपयोग में हुआ जैसा नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

### परमाणु ऊर्जा विभाग

वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता (वी.ई.सी.सी.) ने प्रस्तावित मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसिलिटी में यंत्रों की स्थापना के लिए समय पर साईट तैयार नहीं की जिसके कारण ₹82.12 करोड़ के यंत्र आठ वर्ष से अधिक समय तक अनुपयोगी रूप से पड़े रहे तथा परियोजना भी ₹219.50 करोड़ के खर्च तथा स्वीकृति के 15 साल बाद तक भी अधूरी रही।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के लिए खरीद एवं भंडार निदेशालय, मुंबई द्वारा ₹2.13 करोड़ खर्च करके एक आयन ट्रेप सिस्टम खरीदा गया था, जिसे खराब पुर्जों के चलते सात साल से ज्यादा होने के बाद भी स्थापित नहीं किया जा सका। इस क्रय की सुरक्षा के लिए उक्त संगठनों ने आवश्यक वित्तीय सुरक्षा उपाय हासिल नहीं किए।

(पैराग्राफ सं. 4.2)

### VI. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों की कमी बकायों की कम वसूली, परिहार्य भुगतान तथा दोहरे भुगतान के साथ-साथ सात मामलों में कुल ₹18.17 करोड़ के प्रापण पर संदेहपूर्ण व्यय का कारण बनी जैसा नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

### परमाणु ऊर्जा विभाग

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई ने इन्वेंट्री स्तरों की वास्तविक प्रवृत्ति के आधार पर अपने मेडिकल स्टॉक के लिए बीमित राशि का मध्यावधि संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कम कवरेज हुई तथा अग्नि हादसे के बाद बीमा दावे से ₹1.64 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.3)

### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली ने 2013-18 के दौरान आवासीय क्वार्टरों में विद्युत के मीटरों की स्थापना न होने के कारण एक गैर-घरेलू उच्च तनाव कनेक्शन से घरेलू उपयोग हेतु विद्युत का उपयोग किया तथा उर्जा प्रभार के लिए ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

## विदेश मंत्रालय

नमूना जांच की गई पच्चीस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपेक्षित पता डाटा प्रदान करने में असमर्थता के कारण केवल तेरह कार्यालय ही द्रुत डाक सेवाओं के थोक ग्राहकों हेतु उपलब्ध छूट के आधे का ही लाभ उठा सके। एक अन्य आरपीओ ने छूट का लाभ नहीं उठाया क्योंकि उसने अन्य कार्यालयों की तरह डाक अधिकारी के साथ अनुबंध नहीं किया था। इस प्रकार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा छूट का लाभ न उठाना ₹4.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना।

(पैराग्राफ सं. 8.3)

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर ₹1.86 करोड़ आहरित अग्रिम का निपटान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.3)

## विधि कार्य विभाग

सर्वोच्च न्यायालय बार संघ को जनवरी 2000 में स्वर्ण जयंती सभागार के निर्माण के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत ₹ एक करोड़ के अनुदान को, अनुदान नियंत्रित करने वाले जीएफआर के उल्लंघन में, 19 वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी, न तो उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और न ही ब्याज सहित इसे वापिस किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 12.1)

## नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

### कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

भूमि मालिकों को भूमि के पट्टे के प्रभार में से टीडीएस नहीं लिया गया था। यह भूमि मालिकों की ओर से कंपनी द्वारा वहन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.25 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.2)

## यूटी चंडीगढ़

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चण्डीगढ़ ने सेवा कर के कारण सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन समिति चण्डीगढ़ को ₹64.83 लाख का अनियमित भुगतान किया जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् वसूला गया था।

(पैराग्राफ सं. 15.6)

## VII. वेतन तथा स्टाफ पात्रताओं में अनियमितताएं

कार्मिकों के वेतन एवं पात्रताओं के भुगतान से संबंधित नियमों तथा दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का परिणाम चार मंत्रालयों में छः मामलों में कुल ₹500 करोड़ के अनियमित भुगतान/प्रतिपूर्ति में हुआ जैसा नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

### अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग ने वित्त मंत्रालय की उसके वैज्ञानिकों/अभियंताओं को दिए गए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को वापिस लेने की सलाह पर पांच साल से ज्यादा समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण से विभाग के अंतर्गत आने वाले 15 परीक्षण किए गए केंद्रों तथा स्वायत्त संस्थाओं में दिसंबर 2013 से मार्च 2019 के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के रूप में ₹251.32 करोड़ का भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

अंतरिक्ष विभाग ने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रशासनिक कैडर में 955 पदों का सृजन किया और निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति दे कर इन पदों को भरा गया। उच्च पदों में कर्मचारियों के वेतन पर ₹235.05 करोड़ का व्यय हुआ जिसका एक हिस्से का भुगतान विभाग की जमा परियोजनाओं में से किया गया जो कि सरकारी नियम एवं प्रक्रिया के विरुद्ध था।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

अंतरिक्ष विभाग ने अपने समूह 'ए' अधिकारियों की निर्धारित स्तर से कम स्तर पर पदोन्नति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि को नियत करने हेतु अनुमोदन नहीं लिया जिससे 13 जाँच परीक्षित मामलों में उच्च स्तर में समय पूर्व पदोन्नति तथा ₹1.29 करोड़ की सीमा तक वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

### पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने पांच स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने वैज्ञानिकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने की अनुमति दी और परिणामस्वरूप 2002-18 की अवधि के दौरान ₹2.63 करोड़ का व्यय हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मामले को पूर्वव्यापी अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसने मंत्रालय को वित्तीय लाभ वापस लेने की सलाह दी थी।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए जिपमेर के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय से आदेशों को प्राप्त किए बिना अदा किए गए तदर्थ बोनस के परिणामस्वरूप ₹4.56 करोड़ के तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 9.1)

### जैव प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर द्वारा मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, गैर-अभ्यास भत्ता, परिवहन भत्ता और परियोजना भत्ता के भुगतान पर ₹5.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

(पैराग्राफ सं. 14.2)

## VIII. स्वायत्त निकायों/विभागों/निगमों द्वारा परिहार्य भुगतान

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने मैसर्स ईडीसीआईएल को ₹4.32 करोड़ की राशि का अग्रिम प्रदान किया तथा ₹3.98 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 11.4)

## अध्याय I : प्रस्तावना

### 1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं तथा पर्यावरण क्षेत्रों के अधीन उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन को निम्नानुसार 15 अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया है:

- अध्याय 1, प्राधिकार, लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र, लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा सीमा को स्पष्ट करने के साथ सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं तथा पर्यावरण क्षेत्रों के अधीन संघ के मंत्रालयों/विभागों के भी पिछले तीन वर्षों के व्यय, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण में विलंब, ड्राफ्ट पैराओं के प्रति सरकार का उत्तर तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।
- अध्याय 2 से 14 में सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक सेवाएं एवं पर्यावरण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों/निगमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं, जिसमें 2017-18 तक लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणाम से उत्पन्न 57 सिविल अनुदानें सम्मिलित हैं।
- अध्याय 15 में 2017-18 तक पाँच अनुदानों को सम्मिलित करते हुए लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

### 1.2 सीएजी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा अर्थात् वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा करता है। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के सेट पर लेखापरीक्षा राय की एक अभिव्यक्ति है जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करना चाहती है कि कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता

के संबंध में कैसे कार्यान्वित किया गया था। लेखापरीक्षित इकाई के, भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों के अनुपालन की जांच करके तथा उन पर रिपोर्ट करके व्यय, प्राप्तियों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच को अनुपालन लेखापरीक्षा संदर्भित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों एवं अनुदेशों की उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा व्यवहारकुशलता की जांच भी शामिल है।

सीएजी के अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षाएं की जाती हैं। ये मानक मानदण्डों को निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा करने में अनुपालन करना अपेक्षित है तथा उन्हें गैर-अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन कमजोरियों पर रिपोर्ट करना अपेक्षित है जो लेखापरीक्षित इकाईयों के वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वे कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां व प्रक्रियाएं तैयार करने में समर्थ बनाएगा जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जाएगा तथा बेहतर शासन में सहयोग देगा।

### 1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त किया गया है। सीएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 13 तथा 17 के अधीन संचालित करता है। संसद द्वारा अथवा तैयार की गई विधि के अधीन स्थापित निकायों तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने वाले को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में सीएजी को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी), जो भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है।

### 1.4 योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अतिरिक्त जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाता है। जोखिम निर्धारण में इकाईयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का

मूल्यांकन, धोखा, दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के पिछले उदाहरणों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल है। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात इकाईयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अनुपालन सलाह, जहां कहीं आवश्यक, की कार्रवाई के साथ निपटान किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव से प्रत्युत्तरों की मांग के पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

### 1.5 संघ सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों का प्रालेख तथा लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार

2017-18 में 96<sup>1</sup> सिविल अनुदानों तथा 2016-17 में 95 सिविल अनुदानों को शामिल करके मार्च 2018 को सभी संघ मंत्रालयों/विभागों के सकल प्रावधान तथा व्यय तालिका सं. 1 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संवितरण की प्रवृत्ति	2016-17			2017-18		
	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचतें (-) आधिक्य (+)	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचतें (-) आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	6,14,699	6,05,198	(-) 9,501	6,52,480	6,41,217	(-)11,263
राजस्व (दत्तमत)	12,60,178	11,36,498	(-) 1,23,680	14,80,913	13,22,124	(-)1,58,789
पूंजीगत (प्रभारित)	55,10,602	56,97,040	(+) 1,86,438	57,99,508	58,90,670	(+)91,162
पूंजीगत (दत्तमत)	2,61,720	2,07,390	(-) 54,330	3,53,322	3,26,541	(-)26,781
<b>कुल</b>	<b>76,47,199</b>	<b>76,46,126</b>	<b>(-) 1,073</b>	<b>82,86,223</b>	<b>81,80,552</b>	<b>(-) 1,05,671</b>

\*2016-17 में ₹1,073 करोड़ की कुल बचत ₹1,90,227 करोड़ की सकल बचत तथा ₹1,87,511 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। 2017-18, में, ₹1,05,671 करोड़ की कुल बचत ₹1,96,834 करोड़ की सकल बचत तथा ₹91,162 करोड़ के आधिक्य के कारण थी।

<sup>1</sup> इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), दिल्ली तथा पुदुचेरी को अंतरण (2), वैज्ञानिक विभाग (9), तथा केन्द्रीय प्राप्तियां (3) शामिल है।

2017-18 में कर तथा गैर-कर राजस्वों के विवरण तालिका सं. 2 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 2: कर तथा गैर-कर राजस्वों के विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		
	2016-17	2017-18
कर राजस्व	11,07,968	12,46,178
गैर-कर राजस्व	5,06,720	4,41,383

इसमें विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

39 मंत्रालयों/विभागों (सिविल एवं वैज्ञानिक) द्वारा 2015-16 से 2017-18 के दौरान किया गया सकल व्यय को तालिका सं. 3 में दर्शाया गया है तथा ब्यौरे अनुलग्नक-1.1 में दिये गये हैं।

तालिका सं. 3: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	राशि
2015-16	9,44,264.84
2016-17	7,38,280.02
2017-18	8,71,296.68

1.6 संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा (यूटी)

भारत के संविधान की पहली अनुसूची के भाग-1। के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र<sup>2</sup> (यूटी) हैं जैसे अण्डमान एवं निकोबार द्वीप-समूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी के सिवाए, इन यूटी में विधानमण्डल नहीं हैं।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत, यूटी के कानूनी मामलों, वित्त एवं बजट एवं सेवाओं के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए), नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक यूटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन कार्य करता है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप-समूहों में उपराज्यपाल प्रशासक के रूप में पदनामित है जबकि पंजाब का राज्यपाल, चण्डीगढ़ का प्रशासक है। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप के लिए भी प्रशासकों की पृथक रूप से

<sup>2</sup> अब आठ संघ शासित प्रदेश हैं यानी अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली-दमन एवं दीव, जम्मू व कश्मीर (9 अगस्त 2019 से प्रभावी) लद्दाख (9 अगस्त 2019 से प्रभावी), लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी।

नियुक्ति की जाती हैं। इन यूटी में प्रशासक के सलाहकार परिषद प्रशासकों को सलाह देता है। इन यूटी में गृह मंत्री की 'सलाहकार समितियां', यूटी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास से संबंधित सामान्य मुद्दों का समाधान करती है। द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप यूटी से संबंधित उच्च स्तरीय निर्णयों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है। संघ शासित प्रदेशों के संबंध में बजट प्रावधान एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संसद के अनुमोदनार्थ इन यूटी से संबंधित अनुदान मांग एवं विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) एमएचए तैयार करता है। जबकि इन यूटी का सामान्य प्रशासन का उत्तरदायित्व एमएचए का है फिर भी संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग, जब तक वह इन क्षेत्रों के संबंध में मौजूद है, भारत के सविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । तथा ।। में उल्लिखित विषय के तहत इन्हें निधि देते हैं। इस प्रकार, डीडीजी में इन मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित गतिविधियों पर, इन यूटी पर व्यय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के प्रस्ताव भी शामिल है। यूटी के प्रशासकों को योजनागत योजनाओं की संस्वीकृति हेतु एमएचए द्वारा एक निश्चित सीमा तक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

### 1.6.1 यूटी में प्रावधान तथा व्यय

वर्ष 2017-18 में पाँच यूटी में बजट आबंटन तथा व्यय के ब्यौरे तालिका सं. 4 में दिए गए हैं:-

#### तालिका सं. 4 बजट आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल अनुदान /विनियोग		वास्तविक व्यय		बचत (प्रतिशत)			
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व		पूँजीगत	
					राशि	प्रतिशत		
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3890.86	942.72	3884.49	906.56	6.37	0.16	36.16	3.84
चण्डीगढ़	3865.14	459.73	3802.85	459.73	62.29	1.61	0.00	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	761.25	389.16	760.11	256.43	1.14	0.15	132.73	34.11
दमन एवं दीव	1288.15	345.36	1234.37	344.97	53.78	4.17	0.39	0.11
लक्षद्वीप	1083.28	165.76	1074.44	136.31	8.84	0.81	29.45	17.77
<b>कुल</b>	<b>10888.68</b>	<b>2302.73</b>	<b>10756.26</b>	<b>2104.00</b>	<b>132.42</b>	<b>6.90</b>	<b>198.73</b>	<b>55.83</b>

स्रोत: संघ सरकार-विनियोग लेख (सिविल) 2017-18

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में जहाजों की खरीद में विलम्ब, निर्माण कार्यों में विलम्ब आदि के कारण पूँजीगत वर्ग के अंतर्गत बचतें हुई।

चण्डीगढ़ में योजनाओं को कार्यान्वित न करने, पदों को न भरने, पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने तथा नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव न कराने के कारण बचतें हुई।

दमन एवं दीव में राजस्व वर्ग के अंतर्गत बड़ी बचतें मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, किए गए कम दौरों तथा ई-शासन परियोजना के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

दादरा एवं नगर हवेली में मुख्यतः सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप न देने, विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना के कार्य के प्रारम्भ में विलम्ब, पुल के निर्माण, आदिवासी संग्रहालय एवं सिलवासा हाट के डिजाईन हेतु निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण पूंजीगत वर्ग में बड़ी बचतें हुई।

लक्षद्वीप में मुख्यतः जहाजों/नौकाओं के अधिग्रहण हेतु निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, अग्नि शमन उपकरण, चिकित्सा उपकरण, द्रुतगामी नौकाओं/नौका जलयानों आदि के प्रापण हेतु निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा महाद्वीप के बंदरगाहों में जहाजों/जलयानों हेतु समर्पित गोदी के निर्माण में विलम्ब के कारण पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत बचतें हुई।

### 1.7 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14, 19 (2) तथा 20(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार किये जाते हैं। 2017-18 के दौरान इन एबी को कुल ₹27106.64 करोड़ की कुल अनुदान जारी किये गए जिसमें पिछले वर्ष की अव्ययित अनुदान शामिल है। विवरण **परिशिष्ट-I** में दिए गए हैं।

### 1.8 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 16 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2017 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹27,175.75 करोड़ की राशि के कुल 89,104 उपयोग प्रमाण-पत्र थे जो वित्तीय वर्ष के 12 माह पश्चात जिसके लिए अनुदान जारी किए गए थे, लंबित थे जैसा ब्यौरा **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।

उपयोग प्रमाण पत्रों की लम्बित अवधि को **तालिका सं. 5** में दर्शाया गया है:

## तालिका सं. 5: यूसी की लम्बिता की अवधि

(₹ करोड़ में)

अवधि	यूसी की सं.	राशि
मार्च 2011 तक	30083	5106.36
2011-16	43919	13239.18
2016-17	15102	8830.21
<b>कुल</b>	<b>89104</b>	<b>27175.75</b>

इतनी लम्बी अवधि के लिए उपयोग प्रमाण पत्रों को लम्बित रखना प्रमाणपत्रों के मुख्य उद्देश्य को विफल करती है। जीएफआर नियम 238 में निर्धारित प्रक्रिया कि पूर्व अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति से पहले संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए, का सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

11 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2018 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे तालिका सं. 5ए में दी गई है:

## तालिका सं. 5ए: 31 मार्च 2018 तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2017 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	39409	7981.45
2.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	26136	6815.41
3.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	1198	2739.00
4.	कृषि एवं किसान कल्याण	923	1758.54
5.	संस्कृति	5070	843.68
6.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2116	618.70
7.	महिला एवं बाल विकास	4941	578.80
8.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	352	531.32
9.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	4200	529.08
10.	गृह	165	340.77
11.	पेय जल एवं स्वच्छता	34	315.88
	<b>कुल</b>	<b>84544</b>	<b>23052.63</b>

1.9 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय को लेखा वर्ष की


## 2020 की प्रतिवेदन सं. 6

समाप्ति के पश्चात्, तीन माह की अवधि के अंदर अपने लेखों को पूर्ण कर लेना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 237 में भी निर्धारित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

### ए) लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष 2016-17 के लिए, 464 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा की जानी थी। इनमें से, 191 सीएबी के लेखे देय तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये थे, जैसा कि चार्ट सं. 1 में दर्शाया गया है:

चार्ट सं. 1: लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब



सीएबी, जिनके लेखे दिसम्बर 2017 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे, के विवरण परिशिष्ट-III में दिये गये हैं।

### बी) संसद को लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

31 दिसम्बर 2019 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति नीचे तालिका सं. 6 में दी गई है:

## तालिका सं. 6: संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति की स्थिति

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद को प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2012-13	02	-
2013-14	02	-
2014-15	04	-
2015-16	07	-
2016-17	21	40

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-IV** तथा **परिशिष्ट-V** में दिए गए हैं।

**1.10 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित सीएबी का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2017-18 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण कमियां निम्नानुसार हैं:

- (ए) **143** सीएबी की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VII**);
- (बी) **123** सीएबी की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VIII**);
- (सी) **119** सीएबी की वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-IX**);
- (डी) **51** सीएबी प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों हेतु लेखांकन कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रपत्र के साथ संगतपूर्ण नहीं था (**परिशिष्ट-X**);
- (ई) **158** सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया था (**परिशिष्ट-XI**);
- (एफ) **11** सीएबी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्य-हास प्रदान नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-XII**); तथा


(जी) 26 सीएबी ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (परिशिष्ट-XIII)। संशोधन का प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं में ₹18.59 करोड़ तक की निवल कमी तथा अधिशेष में ₹10.97 करोड़ तक की निवल कमी तथा घाटे में ₹919.98 करोड़ तक की निवल वृद्धि में हुआ।

### 1.11 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं पर उपचारी कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी सेल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

मार्च 2017 को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल), में शामिल पैराओं पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में दिसम्बर 2019 तक की स्थिति को चार्ट सं. 2 में प्रकट किया गया।

चार्ट सं. 2: एटीएन की संक्षिप्त स्थिति



49 पैराग्राफ में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, छः पैराग्राफों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 43 विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे परिशिष्ट-XIV में दर्शाये गये हैं।

संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसम्बर 2019 तक की अवधि के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित चार एटीएन लम्बित थे जैसा परिशिष्ट-XV में दिया गया है।

### 1.12 छः मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1996-97 से संबंधित 17वें प्रतिवेदन के पैरा 14 में पाया है कि “सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान लगभग एक आवर्ती रूप बन गई है तथा स्थिति को अभी भी सुधारा जाना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रभावी सुधारात्मक उपाय लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं।” इस प्रकार, इस संबंध में पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सभी वित्तीय सलाहकारों से उन मामलों/योजनाओं, जिनमें बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान है, का एक पूर्ण अध्ययन करने तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिससे कि अनुदानों हेतु उनकी संबंधित मांगों में बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधानों की आवृत्ति से बचा जा सके।

2017-18 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित छः मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें हुईं जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक हैं जैसा तालिका सं. 7 में ब्योरा दिया गया है। बड़ी बचतें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की सूचक हैं। ऐसी बचतें न केवल खराब बजट को दर्शाती हैं बल्कि यह करों आदि के माध्यम से संसाधनों का अनावश्यक प्रावधान करने को भी सूचित करती हैं तथा अर्थव्यस्था के अन्य योग्य क्षेत्रों को संसाधनों से वंचित करती हैं।

**तालिका सं. 7: ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक हैं**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय	योजना	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	(-) बचतें	प्रतिशतता में बचतें
1.	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण	राष्ट्रीय गंगा योजना तथा घाट निर्माण कार्य	2,300.00	700	-1,600.00	69.57
2.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	सोलर पावर-ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय शक्ति	2,661.00	1,001.34	-1,659.66	62.37
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1,000.00	455.98	-544.02	54.40

क्र.सं.	मंत्रालय	योजना	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	(-) बचतें	प्रतिशतता में बचतें
4.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2,924.26	2,149.95	-774.31	26.48
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)	3,975.00	3,162.27	-812.73	20.45
6.	कृषि	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमएसकेवाई)	3,400.00	2,819.24	-580.76	17.08

### 1.13 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निदेश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनसे निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजें।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय-II से XV में प्रस्तुत 41 पैराग्राफों (दिसम्बर 2019 तक) में से 6 के उत्तर प्रेषित नहीं किए थे। 35 पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

कुल ₹145.21 करोड़ की राशि की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूली की गई है जिसका तालिका सं. 8 में ब्यौरा दिया गया है:

#### तालिका सं. 8: वसूली के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली गई राशि
1.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने नाबार्ड को वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के बीच कुल ₹2.79 करोड़ के अधिक निधि सरणीयन प्रभार का भुगतान किया जिसके प्रति ₹2.76 करोड़ की वसूली की गई है।	2.76
2.	विदेश	लेखापरीक्षा द्वारा विदेश में मिशन/पोस्टों की निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफलता, जो वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान, अन्य विविध भुगतानों, विक्रेताओं के साथ संविदा विचलनों के कारण जुर्माना न लगाये जाने आदि का कारण बनी,	1.70

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली गई राशि
		को इंगित करने के परिणामस्वरूप विदेश में 43 मिशनों/पोस्टों ने अप्रैल 2015 से मई 2019 के बीच की अवधि के दौरान 92 मामलों में ₹1.70 करोड़ की वसूली की है।	
3.	विदेश	विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अदा किए गए सेवा प्रभारों पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने में, ऐसी छूट प्राप्त करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पहले इन प्रभारों को अदा करने के बावजूद भी, विफल रहा। इसका परिणाम एनडीएमसी द्वारा 2012-13 से 2017-18 की अवधि के दौरान प्रस्तुत गये सेवा प्रभार बिलों ₹69.41 लाख के परिहार्य भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर एमईए ने मामले को एनडीएमसी के साथ उठाया। परिणामस्वरूप ₹ 62.06 लाख की छूट का अनुवर्ती बिल में समायोजन किया गया है। ₹7.35 लाख की छूट को अभी भी समायोजित किया जाना है।	0.62
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सफदरजंग अस्पताल यथोचित सचेतना रखने में विफल रहा तथा सफदरजंग पुनर्विकास परियोजना में निर्माण गतिविधियों, जो सेवा कर से छूट प्राप्त थी, पर एचएससीसी (इंडिया) लि. को कुल ₹6.28 करोड़ के सेवा कर का अनियमित भुगतान किया। मामले को इंगित किए जाने के पश्चात्, एसजेएच ने एचएससीसी के साथ मामले को उठाया जिसने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग से ₹6.28 करोड़ का दावा किया था तथा वापसी प्राप्त की थी। इसको बाद में जुलाई 2019 में परियोजना से संबंधित व्यय विवरणी में समायोजित किया गया था।	6.28
5.	गृह	गृह मंत्रालय ने अनुवृत्ति प्राप्त हेलीकॉप्टर सेवाओं के अंतर्गत उड़ान के दौरान खाली रही सीटों के लिए जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों को कुल ₹4.42 करोड़ के अनुवृत्ति दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति की। जब इंगित किया गया तो एमएचए ने हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर की सरकारों के प्रतिपूर्ति दावा बिलों में से क्रमशः ₹59.81 लाख तथा ₹1.05 करोड़ का यह बताते हुए	1.65

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली गई राशि
		समायोजन किया कि शेष आधिक्य अनुवृत्ति का राज्यों के भविष्य के दावों में समायोजन किया जाएगा।	
6.	गृह	उत्तर-पूर्वी राज्यों में 'हेलीकॉप्टर अनुवृत्ति योजना' के अंतर्गत नागालैण्ड सरकार तथा तृतीय दल अभिकरण मैसर्स ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड के बीच किए गए अनुबंध के उल्लंघन में गृह मंत्रालय द्वारा कुल ₹41.34 लाख के वस्तु एवं सेवा कर की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मेघालय सरकार के वीआईपी द्वारा उपयोग की गई हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए कुल ₹53.12 लाख के अनुवृत्ति दावों की प्रतिपूर्ति की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने इन भुगतानों का अनुवर्ती प्रतिपूर्तियों में समायोजन किया है।	0.94
7.	गृह	उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी, शिलांग, गृह मंत्रालय ने ₹36.64 करोड़ की लागत पर 'उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी (एनइपीए), शिलांग की अवसंरचना का सुदृढीकरण (चरण-11)' से संबंधित चार निर्माण कार्यों के निर्माण हेतु वैपकोस के साथ एक अनुबंध किया तथा 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज वहन करने वाली कुल ₹3.36 करोड़ की संघटन अग्रिम जारी की। फिर भी वह वैपकोस से संघटन अग्रिम के निर्गम हेतु अनुमोदित शर्तों के अनुसार कुल ₹69.30 लाख का ब्याज वसूलने में विफल रहा।	0.69
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	पीएसयू/सांविधिक निगमों/सीएबी के मामले में वसूली गई राशि। <b>परिशिष्ट-XVI</b>	130.57
		<b>कुल</b>	<b>145.21</b>

## अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई

2.1 तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय जल कृषि हेतु विनियामक एवं प्रशासनिक तंत्र की स्थापना

जल कृषि हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त भूमि का वर्णन करने हेतु तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया था। जल कृषि फार्मों के निर्माण, प्रचालन, निरीक्षण तथा निगरानी के लिए पर्याप्त विनियम तैयार नहीं किए गए थे। जल कृषि में उपयोग किए गए इनपुट हेतु मानकों, व्यर्थ जल नमूनों की जांच करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा डीएलसी/एसएलसी बैठकों की आवश्यकता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्यावरण संरक्षण निधि सृजित नहीं की गई थी तथा शिकायत निवारण तंत्र अपर्याप्त था।

2.1.1 प्रस्तावना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओइएफ), नई दिल्ली ने जन हित याचिका<sup>1</sup> के प्रत्युत्तर में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (दिसम्बर 1996) पर एक प्राधिकरण नामतः 'जल कृषि प्राधिकरण'(एए) की स्थापना की (फरवरी 1997)। एए पारिस्थितिक रूप से नाजुक तटीय क्षेत्र, समुद्र तट, बंदरगाह तथा अन्य तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य सभी शक्तियों से परिपूर्ण था तथा इससे विशेष रूप से तटीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) में झींगा पालन उद्योग द्वारा उत्पन्न परिस्थिति से निपटना अपेक्षित था। बाद में, संसद ने 'तटीय जल कृषि प्राधिकरण(सीएए) अधिनियम, 2005' (अधिनियम) अधिनियमित किया (जून 2005) जिसके तहत तटीय जल कृषि प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना की गई थी। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना तटीय क्षेत्रों<sup>2</sup> में तटीय जल कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देना

<sup>1</sup> उच्चतम न्यायालय में अनियंत्रित तीव्र झींगा पालन से पर्यावरण को उत्पन्न गंभीर खतरे को उजागर करने वाली, 1994 की डब्ल्यूपी (सिविल) सं.561

<sup>2</sup> देश में समुद्रों, नदियों, क्रीक तथा बैक वाटर्स की उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) से 2 किलोमीटर के भीतर भूमि क्षेत्र।

तथा यह सुनिश्चित करना है कि उत्तरदायी तटीय जल कृषि की अवधारणा का अनुपालन किया गया है।

अधिनियम की धारा 3 केन्द्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि तटीय जल कृषि तटीय पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाती है तथा तैयार किए गए दिशानिर्देशों में शामिल उत्तरदायी तटीय जल कृषि की अवधारणा का तटीय क्षेत्रों में रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों की जीविका को सुरक्षित रखने हेतु अनुपालन किया गया है।

प्राधिकरण की शक्तियों तथा कार्यों में तटीय क्षेत्रों के भीतर जल कृषि फार्मों के निर्माण एवं प्रचालन के लिए विनियम तैयार करना, तटीय जल कृषि फार्मों के पर्यावरण पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उनका निरीक्षण करना, तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण करना तथा फार्म के मालिक से सुनवाई के पश्चात प्रदूषण करने वाले किसी भी तटीय जल कृषि फार्म को हटाने अथवा समाप्त करने का आदेश देना शामिल है। भारत सरकार (भा.स.), कृषि मंत्रालय द्वारा सीएए नियमावली, 2005 को अधिसूचित (दिसम्बर 2005) किया गया था, जिसमें प्राधिकरण की प्रशासनिक शक्तियों एवं प्रक्रियाओं तथा तटीय जल कृषि के विनियमन हेतु दिशानिर्देश हैं जिन्हें यहाँ 'दिशानिर्देश' संदर्भित किया गया है। इसके बाद में, भारत सरकार ने तटीय जल कृषि विनियम, 2008 को अधिसूचित (मार्च 2008) किया जिसमें मुख्य रूप से प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन करना, प्राधिकरण के कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति आदि के लिए मानदंड शामिल है। तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन संसाधित करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी)<sup>3</sup> तथा जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी)<sup>4</sup> का गठन किया गया था। देश के 12 तटीय राज्यों/यूटी में प्राधिकरण द्वारा मार्च 2018 तक कुल 35,670 जल कृषि फार्मों तथा 302 हैचरियों को पंजीकृत किया गया था।

---

<sup>3</sup> तटीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) में अध्यक्ष के रूप में राज्य/यूटी सरकार के मत्स्य पालन विभाग के प्रभारी सचिव तथा सदस्यों के रूप में राज्य/यूटी सरकारों के राजस्व, पर्यावरण विभागों के सचिवों एवं समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए) के एक प्रतिनिधि तथा सदस्य-संयोजक के रूप में राज्य/यूटी सरकार के मत्स्य पालन विभाग के प्रभारी आयुक्त/निदेशक वाली 12 एसएलसी

<sup>4</sup> जिला स्तर पर, अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर तथा सदस्य के रूप में राजस्व, कृषि पर्यावरण विभागों एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों तथा सदस्य संयोजक के रूप में राज्य/यूटी मत्स्य पालन विभाग के जिला स्तरीय मत्स्य पालन अधिकारी से बनी 68 डीएलसी हैं।

### 2.1.2 उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी कि क्या तटीय जल कृषि को नियंत्रित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक प्रभावी विनियामक एवं प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया था जैसे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा सीएए अधिनियम 2005 में अभिकल्पना की गई थी। तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई, तमिलनाडु एसएलसी, चेन्नई तथा तमिलनाडु की चार<sup>5</sup> डीएलसी में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को शामिल करने वाले अभिलेखों की जांच की गई थी।

### 2.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यद्यपि तटीय जल कृषि प्राधिकरण काफी समय पहले 2005 में अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि अब तक (जुलाई 2019), विनियामक एवं प्रशासनिक तंत्र में कमियां थी। तटीय जल कृषि को नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त विनियमों को अभी भी तैयार किया जाना है, मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं तथा पर्यावरण संरक्षण निधि को अब तक (जुलाई 2019) सृजित नहीं किया गया था। ब्यौरों की चर्चा नीचे की गई है:-

#### 2.1.3.1 जल कृषि फार्मों के निर्माण एवं प्रचालन हेतु विनियम

अधिनियम की धारा 11(1)(ए) बताती है कि तटीय क्षेत्र के अंतर्गत फार्मों के निर्माण एवं प्रचालन हेतु विनियम तैयार करना प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। मौजूदा विनियम/दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि उसमें यह अनुबंध नहीं किया गया था कि तटीय जलकृषि केवल प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के साथ ही किया जाना है। पंजीकरण प्रदान करने से पहले मानदंडों का अनुपालन पता लगाने की प्रक्रिया का निर्धारण भी उसमें नहीं था, न ही उसमें प्राधिकरण के पास मौजूदा जल कृषि फार्मों के पंजीकरण के बारे में विनियम निर्धारित किये गए थे।

यद्यपि प्राधिकरण का 2005 में सृजन किया गया फिर भी इसने तटीय जल कृषि गतिविधियों से संबंधित सुविधाओं के निर्माण एवं प्रचालन हेतु विनियम

---

<sup>5</sup> कड़डालोर, नागापट्टिनम, तंजावर, तथा थिरुवरूर में डीएलसी का तमिलनाडु में पंजीकृत फार्मों की जिलावार अधिकतम संख्या के आधार पर चयन किया गया था।

तैयार करने के लिए केवल मई 2014 में जाकर ही विशेषज्ञ समूह<sup>6</sup> का गठन किया। यह कृषि भूमियों से सटे झींगा फार्मों जिनमें से खारे पानी के रिसाव तथा बहिः स्राव के कारण प्रदूषण हो रहा था, के संबंध में शिकायतों पर आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (एचसी) द्वारा तीन रिट याचिकाओं<sup>7</sup> को स्वीकार करने के प्रत्युत्तर में था। विशेषज्ञ समूह की संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में तटीय जल कृषि सुविधाओं से जुड़ी निर्माण गतिविधियों के लिए विनियम तैयार करना तथा तटीय पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जल कृषि के लिए अपेक्षित सुविधाओं के लिए स्थल चयन, खुदाई/निर्माण/संस्थापन संबंधी अपेक्षित मानदंडों का सुझाव देना शामिल है जिससे कि उत्तरदायी तटीय जल कृषि की अवधारणा का अनुपालन किया जा सके। विशेषज्ञ समूह, जिसे 90 दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, ने दो बार बैठकें कीं (अगस्त 2014 तथा दिसम्बर 2014) तथा उसके द्वारा अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है (जुलाई 2019)।

प्राधिकरण ने बताया (मई 2019) कि विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट को तैयार करने में विलम्ब हुआ था क्योंकि प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद 2015 से रिक्त पड़ा था तथा विशेषज्ञ समूह ने प्रशासनिक कारणों से बाद में बैठक नहीं की थी।

इस प्रकार, अधिनियम के अधिनियमित होने के 14 वर्षों के पश्चात भी प्राधिकरण ने तटीय क्षेत्रों के भीतर मत्स्यपालन फार्मों के निर्माण तथा प्रचालन हेतु पर्याप्त विनियम अभी भी तैयार नहीं किये थे। प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समूह की अपनी टीओआर के शासनादेश के अनुसार कार्य करने में असमर्थता के बावजूद इसको जबावदेह नहीं ठहराया था।

### 2.1.3.2 पर्यावरण संरक्षण निधि

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश (दिसम्बर 1996) दिया था कि मत्स्यपालक प्रदूषकों से प्राप्त क्षतिपूर्ति की प्राप्तियों से एक “पर्यावरण संरक्षण निधि” का सृजन किया जाना चाहिए। निधि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा चिन्हित प्रभावित व्यक्तियों, को क्षतिपूर्ति करने के लिए तथा क्षतिग्रस्त पर्यावरण के

<sup>6</sup> विशेषज्ञ समूह में अध्यक्ष के रूप में सदस्य सचिव, सीएए, सदस्य के रूप में वैज्ञानिक ‘एफ’, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई एवं सदस्य सीएए; सदस्य के रूप में; जल कृषि अभियांत्रिकी की पृष्ठभूमि के साथ केन्द्रीय खारा पानी जल कृषि संस्थान (सीआईबीए) से एक प्रतिनिधि; सदस्य के रूप में संघ के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से एक प्रतिनिधि; तथा सदस्य-संयोजक के रूप में सहायक निदेशक (तकनीकी) सीएए।

<sup>7</sup> 2012 की सं. 33146, 2013 की सं. 8164 तथा 2013 की सं. 21174

पुनरुद्धार हेतु भी किया जाना था। तथापि, अधिनियम/नियमावली/विनियमों में ऐसी किसी निधि के सृजन का कोई प्रावधान नहीं था तथा प्राधिकरण द्वारा अब तक किसी “पर्यावरण संरक्षण निधि” का सृजन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार के मामलों में जहां पर्यावरण प्रभावित है, जीओआई ने, 2002 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की थी जिसका वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र के पुनः सृजन, वन्य जीव सुरक्षा तथा अवसंरचना विकास के लिए उपयोग किया जाना है। इसी प्रकार, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) संशोधन अधिनियम, (एमएमडीआरए) 2015 के अधिदेश के अनुसार देश में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफ) की स्थापना की गई थी। डीएमएफ को खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित तथा लाभ के लिए कार्य करना था तथा यह खनिकों से अंशदान, जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है, के माध्यम से वित्तपोषित है।

प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि पर्यावरण संरक्षण निधि के सृजन के लिए अगली बैठक में प्रस्ताव किया जाएगा तथा अनुमोदन हेतु मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा यह भी बताया कि अब तक, प्रभावित दलों को कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई थी।

### 2.1.3.3 जल मग्न क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) हेतु मानदंड

दिशानिर्देश का पैरा 4.9 अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध करता है कि एक फार्म का डब्ल्यूएसए कुल फार्म भूमि क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, प्राधिकरण ने निर्णय लिया था (फरवरी 2007) कि दो हैक्टेयर (हैक्टे.) से कम वाले फार्मों के संबंध में उपरोक्त अनिवार्य शर्त पर जोर नहीं दिया जाएगा, परंतु बड़े फार्मों के मामले में निर्धारित प्रतिशतता का सख्ती से अनुपालन किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत 35,670 फार्मों में से 24,417 फार्मों का डब्ल्यूएसए कुल फार्म क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक था जैसा तालिका सं. 1 में ब्योरा दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्राधिकरण बड़े फार्मों (2 हैक्टे. से अधिक) के मामले में भी अनुपात को बनाए रखने में विफल था।

## तालिका सं. 1 जल मग्न क्षेत्र का विवरण

श्रेणी	पंजीकृत फार्मों की सं.	उन फार्मों की सं. जहां डब्ल्यूएसए कुल फार्म क्षेत्र के 60% से अधिक है	उन फार्मों की सं. जहां डब्ल्यूएसए फार्म क्षेत्र के 90% से अधिक
2.00 हेक्टेयर तक के फार्म क्षेत्र	29,579	20,339 (69%)	983
2.00 से 5.00 हेक्टेयर के बीच के फार्म क्षेत्र	5,312	3,621 (68%)	162
5.00 हेक्टेयर से अधिक के फार्म क्षेत्र	779	457 (59%)	12
<b>कुल</b>	<b>35,670 (100%)</b>	<b>24,417 (68%)</b>	<b>1,157 (3%)</b>

प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों में छूट को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था जैसा अधिनियम की धारा 25 में निर्धारित है जो बताता है कि प्राधिकरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम एवं विनियम तैयार कर सकता है।

प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि उसने डब्ल्यूएसए की तुलना में कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) का विश्लेषण किया था तथा पाया कि अधिकांश राज्यों में 24 प्रतिशत फार्मों में से 60:40 (डब्ल्यूएसए:टीएफए) का अनुपात अभी बना रखा है। चूंकि अधिकांश आवेदन दो हेक्टे. से कम के छोटे फार्मों से संबंधित है इसलिए टीएफए तथा डब्ल्यूएसए के बीच के संबंध में नम्यता प्रदान की गई थी क्योंकि भूमि क्षेत्र का प्रावधान किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित नहीं है। तथापि, वर्तमान मत्स्यपालन परिस्थिति के अंतर्गत डब्ल्यूएसए:टीएफए के अनुपात में संशोधन करने के प्रयास किए गए थे।

उत्तर हमारी समझ से भिन्न है कि 68 प्रतिशत फार्मों, जैसा उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, में टीएफए के 60 प्रतिशत से अधिक का डब्ल्यूएसए है जिसमें 174 फार्म शामिल थे जो दो हेक्टे. के मानदंडों से छूट प्राप्त से अधिक थे, जिन्हें अभी भी अधिसूचित नहीं किया था। बड़े फार्मों (दो हेक्टे. से अधिक) के मामले में भी अनुपात को बनाए रखने में प्राधिकरण विफल रहा। इसके अतिरिक्त, बैठक (28 फरवरी 2007), के कार्यवृत्त जिसमें प्राधिकरण ने निर्णय लिया था, डब्ल्यूएसए पर आवरण की छूट के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए किए गए किसी भी अध्ययन/विश्लेषण का उल्लेख नहीं करता है। इस अनिवार्य प्रावधान की छूट सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के हित में नहीं थी क्योंकि छोटे फार्मों (पाँच हेक्टे. तक) को दिशानिर्देशों के पैरा 13.4 के अधीन बड़े फार्मों से अलग अनिवार्य प्रवाह उपचार प्रणालियों के प्रावधान से पहले ही छूट प्रदान की गई थी जिसके परिणामस्वरूप झींगा फार्मों से दूषित जल का प्रवाह हुआ जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कार्बन कम्पाउंड,

आर्गेनिक तत्व आदि अधिक है जो मृदा में मिल रहा है तथा भूजल/सिंचाई नहरों एवं मृदा गुणवत्ता को भी प्रदूषित कर रहा है।

#### 2.1.3.4 बड़े फार्मों का पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण संचालित करने के लिए प्रक्रिया

दिशानिर्देशों के पैरा 15.1 के अनुसार, 40 हैक्टे. से अधिक डब्ल्यूएसए के सभी मत्स्यपालन इकाइयों द्वारा योजना स्तर पर ही एक पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) तैयार किया जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा स्थापित डीएलसी/एसएलसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकरण को अपनी संस्तुति सहित पंजीकरण के लिए भेजने से पहले मत्स्यपालन इकाइयों का ईआईए किया गया है। इसी प्रकार, दिशानिर्देशों के पैरा 16.1 के अनुसार, 40 हैक्टे. अथवा अधिक के कुल जल क्षेत्र वाली झींगा पालन इकाइयां एक पर्यावरण निगरानी योजना तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमएमपी) शामिल करेंगी जिसमें नजदीकी जलमार्ग पर, भूजल गुणवत्ता पर, पेय जल स्रोतों पर, कृषि गतिविधियों पर, मृदा एवं मृदा लवणता, व्यर्थ जल उपचार तथा ग्रीन बेल्ट विकास (स्थानीय प्राधिकरणों की विशिष्टताओं के अनुसार) पर प्रभाव शामिल है।

ईआईए पर एमओइएफ द्वारा जारी (सितम्बर 2006 एवं मई 2012) दिशानिर्देशों के अनुसार, ईआईए मौजूदा वातावरण में प्रदूषण स्तरों की तुलना में प्रस्तावित संयंत्र से प्रदूषकों के योगदान के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा यह कुछ मूल घटकों जैसे- मौसम विज्ञान एवं वायु गुणवत्ता; जल विज्ञान और पानी की गुणवत्ता, कार्य स्थल एवं इसके आस-पास के क्षेत्र; व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य; प्रवाह (तरल, वायु एवं ठोस) के उपचार एवं निपटान तथा वैकल्पिक उपयोगों की पद्धतियां; नियंत्रण उपकरण तथा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर चर्चा करेगा। परियोजनाओं की शुरुआत के बाद और कार्यकाल के दौरान पर्यावरणीय संरक्षण उपायों को तैयार करने, कार्यान्वित और निगरानी करने हेतु ईएमपी की तैयारी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एमओइएफ ने निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान करने और ईआईए के आवेदनों को जांचने हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण गठित किया। तथापि, यद्यपि सीए के दिशानिर्देशों में ईआईए तथा ईएमएमपी तैयार करने का अधिदेश है फिर भी दिशानिर्देश ईआईए एवं ईएमएमपी तैयार करने की प्रक्रिया तथा ऐसा निर्धारण तैयार करने हेतु सक्षम पर्यावरणीय प्राधिकरण के संबंध में मौन है।

प्राधिकरण ने मार्च 2018 तक प्रत्येक 40 हैक्टे. अथवा अधिक के डब्ल्यूएसए वाले 16 फार्मों को पंजीकृत किया था। उपलब्ध कराये गये 13 फार्मों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि :

- (ए) 13 फार्मों<sup>8</sup> में से आठ ने इस प्रभाव में केवल एक स्वयं-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था कि उन्होंने ईआईए तैयार किया परंतु ईआईए के ब्यौरों को सम्मिलित करके कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। तीन फार्मों ने निजी फर्मों द्वारा तैयार ईआईए प्रस्तुत किया था तथा एक फार्म ने इस संबंध में कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी।
- (बी) 11 फार्मों ने बिना किसी समर्थन दस्तावेज के केवल ईएमएमपी का एक स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।



प्राधिकरण ने उत्तर दिया (सितम्बर 2018) कि संबंधित मत्स्यपालन इकाईयों द्वारा ईआईए/ईएमएमपी तैयार किया जाना चाहिए तथा प्राधिकरण को फार्मों की सिफारिशें करने से पूर्व डीएलसी/एसएलसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि एसएलसी ने केवल आवेदकों के स्व-प्रमाणनों के आधार पर पंजीकरण हेतु प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें प्रेषित करते समय यह कैसे सुनिश्चित किया कि ईआईए किया गया था तथा 40 हैक्टे. से अधिक की मत्स्यपालन इकाईयों द्वारा ईएमएमपी तैयार किया गया था।

हम सिफारिश करते हैं कि 40 हैक्टे. से अधिक परिमाण वाले फार्मों ने वास्तव में ईआईए किया है जैसे अनिवार्य था, को सुनिश्चित करने के लिए रिमोट

<sup>8</sup> अगस्त 2008 तथा जनवरी 2018 के बीच पंजीकृत।

सेंसिंग एण्ड सेटिलाइट डाटा का उपयोग करके मत्स्यपालन फार्मों का नक्शा बनाया जाए तथा ऐसे ईआईए के लिए दिशानिर्देश बनायें और यह सुनिश्चित करें कि प्राधिकरण को अग्रेषित करने से पहले एसएलसी/डीएलसी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है।

### 2.1.3.5 मत्स्यपालन हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त भूमि का वर्णन करने हेतु तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण

सीएए नियमावली 2005 के नियम 5 (iii) में प्राधिकरण से देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना तथा केन्द्रीय एवं राज्य/यूटी सरकारों को पर्यावरण हितेषी तटीय मत्स्यपालन विकास को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त कार्य नीतियां तैयार करने के लिए सलाह देना अपेक्षित है। दिशानिर्देश यह भी अभिकल्पना करते हैं कि संभावित क्षेत्रों के दीर्घ एवं सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षणों तथा रिमोट सेंसिंग डाटा, वास्तविकता जांच, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का उपयोग करके मत्स्यपालन हेतु उपयुक्त तथा अनुपयुक्त भूमि का वर्णन करने वाले तटीय क्षेत्रों के वर्गीकरण के माध्यम से मत्स्यपालन के विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान पर विचार किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां झींगा तालाबों का डब्ल्यूएसए अथवा तालाब घनत्व पारिस्थितिकी तंत्र की वहन करने की क्षमता (सीसी) से अधिक है वहाँ तालाब घनत्व में कटौती तथा समस्त डब्ल्यूएसए में कटौती की जानी चाहिए। प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के 14 वर्षों के पश्चात भी ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि मत्स्यपालन हेतु उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के लिए तटीय राज्यों का भूमि सर्वेक्षण एक अत्यंत कठिन कार्य होने से, इसमें अधिक श्रमशक्ति तथा निवेश की आवश्यकता है।

अधिकांश राज्यों तथा एमपीईडीए ने विभिन्न मत्स्यपालन फार्मों की भू-टैगिंग पूरी कर ली है। प्राधिकरण इन प्राधिकरणों से डाटा प्राप्त करने का विचार करता है तथा उपयुक्त/अनुपयुक्त मत्स्यपालन क्षेत्रों के विवरण का अध्ययन करेगा।

चूंकि राज्य प्राधिकरणों/एमपीईडीए द्वारा भू-टैगिंग किये गये फार्मों का डाटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था इसलिए लेखापरीक्षा प्रासंगिकता तथा यथार्थता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है कि डाटा कैसे प्राधिकरण के उद्देश्य को पूरा करेगा तथा किस समय तक, प्राधिकरण मत्स्यपालन गतिविधियों के लिए तटीय क्षेत्रों के परिसीमन के कार्य को पूरा करेगा।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बहाना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मत्स्यपालन विनियमन करने के लिए प्राधिकरण गठित किया गया है।

### 2.1.3.6 तटीय मत्स्यपालन इनपुटों के लिए मानक

प्राधिकरण के कार्य में जल निकायों एवं उनमें पले हुए जीवों तथा अन्य जलीय जीवन के अनुरक्षण हेतु तटीय मत्स्यपालन में उपयोग किए गए सभी इनपुट<sup>9</sup> के लिए मानकों का निर्धारण करना शामिल है। तटीय मत्स्यपालन में उपयोग किए गए इनपुट संधारणीय मत्स्यपालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (दूषित पदार्थ, विषाक्त पदार्थ एवं अवशेष) विनियम, 2011 जारी किए जो झींगा उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग की गई एंटीबायोटिक्स/ड्रग्स के संबंध में अनुमेय मर्दों तथा उनकी सहिष्णुता सीमा का उल्लेख करते हैं। सीएए द्वारा प्रोबायोटिक्स के लिए मानक निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तीन महीने की समयसीमा के साथ एक उप-समिति गठित (मई 2008) की गई थी, जिसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। प्रोबायोटिक्स तथा अन्य इनपुटों के मानकों को निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2018) कि इनपुटों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे क्योंकि उनके पास कुशल श्रमशक्ति, अवसंरचना सुविधा तथा वित्तीय समर्थन नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्राधिकरण को अपर्याप्त संसाधनों के मामले को मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए था तथा विषय से जुड़े संस्थान और ज्ञान रखने वाले कार्मिकों की भर्ती करने का प्रयास करना था क्योंकि संस्था के लिए यह कोई अज्ञात वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है। प्राधिकरण ने आगे बताया (मार्च 2019) कि उप-समिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी थी क्योंकि समिति-सदस्यों द्वारा कोई स्वीकार्य निर्णय नहीं लिया जा सका था। एक नई समिति का विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स के उपयोग के कारण हुए निर्यात अस्वीकार के मद्देनजर गठन किया गया है तथा इनपुटों के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु जल्द ही अंतिम समिति बैठक की जाएगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था जिससे मत्स्यपालन फार्म के सुरक्षा और वाणिज्यिक पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

---

<sup>9</sup> आहार, आहार योज्य, कीटाणुनाशक, प्रतिरक्षा-उत्तेजक, प्रोबायोटिक्स, औषधि तथा अन्य संवृद्धि पूरक

### 2.1.3.7 दूषित जल नमूनों की जांच करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

झींगा फार्मों से दूषित जल में अप्रयुक्त चारे, मल संबंधी पदार्थ एवं प्लवक<sup>10</sup> तथा विलीन पोषक जैसे कि अमोनिया, नाईट्राइट, फोस्फोरस, कार्बन-डाई-आक्साईड, हाईड्रोजन सल्फाईड शामिल है। दूषित जल में पोषकों तथा जैविक पदार्थों में विलीन एवं जैविक पदार्थ कण तथा अन्य व्यर्थ सामग्रियों के विघटन के कारण प्राप्त जल में विलीन ऑक्सीजन में कटौती करने की क्षमता है।

दिशानिर्देश के पैरा 13.5 के साथ पठित पैरा 13.4 अनुबंध करता है कि किसी भी हेचरी/फार्म/फीड मिल्स/प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा पर्यावरण में कोई भी दूषित जल छोड़ने से पूर्व दूषित जल का अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएस) में उचित प्रकार से उपचार किया जाना है तथा अवशिष्ट निलंबन ठोसों/जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी)/रसायन ऑक्सीजन मांग (सीओडी) विलीन पोषकों का अनुमेय स्तरों,<sup>11</sup> जैसे प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए हैं, के भीतर होना सुनिश्चित किया जाना है। तथापि, प्राधिकरण ने प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच करने के लिए किसी एसओपी को अधिसूचित नहीं किया था। निलंबित ठोसों/बीओडी/सीओडी तथा विलीन पोषकों के संबंध में छोड़े जाने वाले जल की गुणवत्ता को पारिभाषित नहीं किया गया था।

प्राधिकरण ने फार्मों से एकत्रित दूषित जल नमूनों की जांच करने के लिए 2011 में ₹82.12 लाख की लागत पर अपनी स्वयं की प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगशाला किसी भी प्रत्यायन प्राधिकरण अर्थात् एनएबीएल, आईएसओ आदि द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। प्राधिकरण ने एकत्रित किए जाने वाले दूषित जल नमूने और उनके परीक्षण की संख्या के लिए कोई वार्षिक कार्रवाई योजना नहीं बनाई थी। मार्च 2011 से अप्रैल 2016 तक की अवधि के दौरान केवल 275 दूषित जल नमूनों को एकत्रित किया गया था तथा उनकी जांच की गई थी। 275 में से 85 नमूनों में जांच परिणाम सूचित करता है कि निलंबित कण मामला अनुमेय सीमा से परे थे। उन फार्म स्वामियों, जिनके नमूनों ने

<sup>10</sup> समुद्र अथवा शुद्ध जल में बहते अथवा तैरते छोटे एवं सूक्ष्म जीव, जिसमें मुख्य रूप से डायटम, प्रोटोजोन्स, छोटे क्रस्टेशियन तथा बड़े जानवरों के अण्डे एवं लार्वा चरण शामिल है।

<sup>11</sup> निलंबित ठोस (अधिकतम मिलीग्राम प्रतिलीटर (एमजी/एल) - 100 (तटीय समुद्री जल) एवं 100 (खाड़ी अथवा मुहाना मार्ग जब तक ही अंतः स्थलीय मार्गों का जल स्रोतों एवं निकास बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है); बीओडी (अधिकतम एमजी/एल) - क्रमशः 50 एवं 20; सीओडी (अधिकतम एमजी/एल) - क्रमशः 100 एवं 75

अनियमितता प्रकट की थी, उनको प्राधिकरण ने चेतावनी दी थी और सुधारक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। इसके पश्चात प्राधिकरण द्वारा कोई नमूना एकत्रित नहीं किए गए थे, यद्यपि उन मामलों में भी जहां अनियमितता पायी गई थी।

इस प्रकार प्राधिकरण का एक मुख्य कार्य अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि तटीय मत्स्यपालन इकाइयों से दूषित जल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचे, यह भी प्राधिकरण द्वारा प्रभावी रूप से नहीं किया गया था। दूषित जल नमूना की जांच हेतु ₹82.12 लाख की लागत पर स्थापित प्रयोगशाला को भी मई 2016 से निष्क्रिय रखा गया था।

प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि जल नमूनों को यादृच्छिक रूप से एकत्रित किए जाने पर प्रयोगशाला का उपयोग किया गया था। विभिन्न प्रशासनिक कारणों, श्रमशक्ति तथा निधि की कमी के कारण प्रयोगशाला को बाद के तीन वर्षों में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था। प्राधिकरण एक क्रियाशील प्रयोगशाला की स्थापना तथा उपकरण को पूर्ण रूप से उपयोग करने पर विचार करेगा तथा अपेक्षित प्रमाणन की मांग करेगा।

जबकि प्रयोगशाला के लिए कोई पृथक संस्वीकृत कार्यबल नहीं है फिर भी प्राधिकरण के संस्वीकृत कार्य बल में दो वरिष्ठ तकनीकी सहायक, एक सहायक निदेशक (तकनीकी) तथा एक निदेशक शामिल है। सहायक निदेशक (तकनीकी) का पद जून 2016 से रिक्त है तथा यह पाया गया कि स्टाफ की भर्ती तथा प्रयोगशाला को क्रियाशील बनाने हेतु प्राधिकरण ने कोई प्रयास नहीं किया।

#### **2.1.3.8 डीएलसी/एसएलसी की बैठकों का आयोजन करने की आवश्यकता के विनियम**

सीएए विनियम 2008, आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से डीएलसी तथा एसएलसी द्वारा आवेदन के निपटान के लिए क्रमशः चार तथा दो सप्ताहों की समय सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु प्राधिकरण ने डीएलसी/एसएलसी की बैठकों की आवश्यकता तथा स्थानों के संबंध में कोई विनियम तथा कोरम सहित नियमावली, जिनका व्यवसाय के लेने देन के दौरान इनकी बैठकों में अनुपालन किया जाना है, तैयार नहीं की थी। चूंकि बैठकों का संचालन अनियमित था इसलिए 31 मार्च 2018 को पंजीकरण/नवीकरण हेतु 319 आवेदन चार समितियों<sup>12</sup> के पास मई 2007 से अगस्त 2017 तक के बीच की अवधि के

<sup>12</sup> तमिलनाडु में एसएलसी तथा नागापट्टीनम, थन्जावूर एवं थिरुवरूर में डीएलसी

लिए लंबित थे। एसएलसी, तमिलनाडु के मामले में नवम्बर 2012 के पश्चात कोई बैठक संचालित नहीं की गई थी।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि संसाधन में विलम्ब डीएलसी/एसएलसी के अध्यक्ष की गैर-उपलब्धता अथवा अति व्यस्तता के कारण था तथा विनियम तैयार करना प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से परे था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 25 तटीय मत्स्यपालन की बेहतर निगरानी के लिए विनियम तैयार करने हेतु प्राधिकरण को समर्थ बनाती है और आवेदनों का सामयिक व शीघ्र निपटान एक प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए।

### 2.1.3.9 पंजीकरण से पूर्व छोटे फार्मों का सत्यापन

अधिनियम की धारा 13(7) के साथ पठित सीएए नियमावली 2005 का नियम 10(1) (बी) के प्रावधान के अनुसार 2.0 हैक्टे. डब्ल्यूएसए से ऊपर के झींगा फार्मों के आवेदन के मामले में डीएलसी एसएलसी के माध्यम से प्राधिकरण को सिफारिश करने से पूर्व तटीय मत्स्यपालन फार्मों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगा कि फार्म दिशानिर्देशों में तटीय मत्स्यपालन फार्मों से विशेष रूप से स्थान के संदर्भ में दिये गए मानकों को पूरा करता है।

तथापि, उपरोक्त पूछताछ तथा निरीक्षण 2.0 हैक्टे. डब्ल्यूएसए तक के झींगा फार्मों के लिए पूर्व-अपेक्षित नहीं है, क्योंकि सीएए नियमावली 2005 के नियम 10(1) (ए) का प्रावधान डीएलसी को, आवेदन में प्रस्तुत सूचना की संतुष्टि पर, प्राधिकरण को सीधे आवेदनों की सिफारिश करने की शक्ति प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने करीबी कृषीय फार्मों से अपेक्षित दूरी बनाए रखने में विफलता के संबंध में शिकायतों की नमूना जांच में पाया कि यह शिकायतें 2.0 हैक्टे. (प्रत्येक) से कम अथवा बराबर डब्ल्यूएसए वाले कुछ फार्मों के विरुद्ध प्राप्त की गई थीं जिन्हें डीएलसी की सिफारिशों पर प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया गया था (तमिलनाडु के कुड्डालोर में 4 फार्म तथा आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 5 फार्म)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत 83 प्रतिशत फार्म (अर्थात् 35,670 पंजीकृत फार्मों में से 29,579) प्रत्येक 2.0 अथवा कम के डब्ल्यूएसए वाले छोटे फार्म थे। इस प्रकार, फार्म के आकार का ध्यान किए बिना फार्म का पूर्व निरीक्षण का पर्यावरणीय मुद्दों की सुरक्षा के लिए अनुबंध किया जाना चाहिए था जिसके उल्लंघन से कृषीय मैदान तथा पेय जल संसाधन प्रभावित होंगे।



प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि श्रमशक्ति की कमी के कारण आवेदनों को ऑनसाइट सत्यापन के पश्चात भी संसाधित नहीं किया जा सका था। यद्यपि हितधारकों द्वारा उठाये गये स्पष्टीकरण अथवा प्रश्नों के मामले में राज्यों से संपर्क किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह कैसे मदद प्रदान करेगा जब फार्मों स्थापित किए जा चुके थे और कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किए गए कि कौन से हितधारक की सुनवाई हुई और क्या विचार किया गया था।

### 2.1.3.10 पंजीकरण की एकल खिड़की प्रणाली

तटीय मत्स्यपालन फार्म, हैचरी तथा तटीय मत्स्यपालन में उपयोग किए गए इनपुट प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत हैं। प्रसंस्करण केन्द्र तथा निर्यात अभिकरण एमपीईडीए द्वारा पंजीकृत है जो भारत से सभी समुद्री उत्पादनों के निर्यात का कार्य करने वाला वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। झींगा गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं तथा पूर्व फसल जांच हेतु ईएलआईएसए स्क्रीनिंग केन्द्र भी एमपीईडीए द्वारा ही प्रचालित किए जाते हैं। तथापि, चारा मिलों, इनपुट उत्पादकों तथा पोलिमेरेज चैन रिएक्शन (पीसीआर)<sup>13</sup> प्रयोगशालाओं को किसी भी प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत तथा निगरानी नहीं की जा रही है। इसलिए, झींगा उत्पादन में सभी हितधारकों के पंजीकरण हेतु कोई एकल-खिड़की प्रणाली नहीं है। झींगा पालन हेतु देश में एकल खिड़की प्रणाली की

<sup>13</sup> पोलिमेरेज चैन रिएक्शन (पीसीआर) आनुवंशिक सामग्री के एक बहुत ही छोटे नमूने से डीएनए के छोटे भागों की काफी बड़ी संख्या में प्रतिकृतियां तैयार करने हेतु उपयोग किए जाने वाली एक प्रयोगशाला पद्धति है। इस प्रक्रिया को डीएनए का “बढ़ाना” कहा जाता है तथा यह पता लगाए अथवा मापे जाने वाले लाभ के विशिष्ट जीन को समर्थ बनाती है।

कमी पर यूरोपीय संघ (इयू) के दलों (भारत से झींगा आयातक) द्वारा देश में फार्मों के उनके दौरे के दौरान भी टिप्पणी (नवम्बर 2017) की गई थी।

प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि पंजीकरण प्रक्रिया को “एकल खिड़की” प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए उसने एमपीईडीए को उनके पास पंजीकृत फार्मों के विवरण के स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने पीसीआर उपकरण पंजीकरण को अपने कार्य क्षेत्र के अधीन लाने तथा इनपुट पंजीकरण हेतु अधिसूचना लाने पर भी विचार किया था। यह प्रावधान शीघ्र शुरू करने और अनुपालन हेतु एक विनिर्दिष्ट समय सीमा की आवश्यकता है।

### 2.1.3.11 पंजीकरण का नवीकरण

अधिनियम की धारा 13 (3) (ए) अनुबंध करती है कि पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(10) अनुबंध करती है कि ऐसे पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी भी आवेदन को एक फार्म के ऐसे पंजीकरण की समाप्ति से पूर्व दो महीनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ फाईल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2018 की समाप्ति तक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत 35,670 फार्मों में से 22,216 फार्मों (62.28 प्रतिशत) के पंजीकरण की वैधता 2012 तथा 2017 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई थी तथा उनका अभी तक नवीकरण नहीं किया गया था। पंजीकरण के गैर-नवीकरण का परिणाम ₹1.27 करोड़ की सीमा तक के पंजीकरण शुल्क की गैर-वसूली में हुआ। लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने दर्शाया कि नागापट्टिनाम जिले में 725 फार्मों ने उनके पंजीकरण की समाप्ति के पश्चात भी मत्स्यपालन गतिविधियों को जारी रखा हुआ है।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि पंजीकरण का नवीकरण एक आसन्न कारक रहा है क्योंकि प्राधिकरण को डीएलसी/एसएलसी की सिफारिशों पर निर्भर रहना था। पिछले वर्ष (2018) के दौरान प्रोत्साहन के माध्यम से प्राधिकरण कई राज्यों से पंजीकरण हेतु नवीकरण आवेदन प्राप्त कर सका था परंतु समय सीमा समाप्त पंजीकरणों पर विचार करते हुए अपेक्षित संख्या के प्रति प्राप्त ऐसे नवीकरण अनुरोधों हेतु कोई विशिष्ट संख्याओं को उद्घृत नहीं किया गया था।

यद्यपि प्राधिकरण समय-समय पर पंजीकरणों की समाप्ति से अवगत था फिर भी उसके पास डीएलसी/एसएलसी को समय पर पंजीकरण के नवीकरण तथा

उन फार्मों, जिन्होंने पंजीकरण का नवीकरण नहीं कराया था, द्वारा प्रचालन को रोकने को सुनिश्चित करने, स्मरण कराने वाला स्थापित कोई तंत्र नहीं था जैसे डिजिटल डाटाबेस/प्रणाली के माध्यम से चेतावनी देना।

### 2.1.3.12 मत्स्यपालन इकाईयों का निरीक्षण तथा निगरानी

अधिनियम की धारा 11(बी) अनुबंध करती है कि तटीय मत्स्यपालन द्वारा पर्यावरण पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु प्राधिकरण मत्स्यपालन फार्मों का निरीक्षण करेगा। प्राधिकरण के मूल कर्तव्यों जैसे तटीय मत्स्यपालन द्वारा पर्यावरण पर हुए प्रभाव का आकलन तथा प्रदूषण करने वाले फार्मों को हटाने तथा खत्म करने के आदेश देने के लिए तटीय मत्स्यपालन इकाईयों का पर्याप्त निरीक्षण तथा निगरानी की आवश्यकता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्रों की 17 श्रेणियों का उनके अनुपालन की जांच करने हेतु तथा जनता की शिकायतों पर यादृच्छिक औचक निरीक्षण करता है। चूंकि जल कृषि फार्म/हैचरी उद्योगों की इन 17 श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं इसलिए सीपीसीबी द्वारा उनकी आवधिक निगरानी नहीं की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा भी इस प्रकार की निगरानी अधिदेशाधीन नहीं है तथा संबंधित एसपीसीबी ऐसी प्रत्येक इकाई की प्रदूषण क्षमता तथा वर्गीकरण के आधार पर ऐसी निगरानी की बारंबारता का निर्णय लेता है।

सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निगरानी के अभाव के बावजूद, सीएए नियमावली 2005 के माध्यम से, प्राधिकरण देश में मत्स्यपालन फार्मों का विनियामक होने के नाते मत्स्यपालन फार्मों के निरीक्षण की किसी आवधिकता का प्रावधान नहीं करता। प्राधिकरण के पास फार्म के आकार अथवा एक वर्ष में निरीक्षण किए जाने वाले फार्मों/हैचरी की संख्या के लिए लक्ष्य के आधार पर कोई निरीक्षण योजना नहीं है। देश के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र तथा नदियों और खाड़ियों के आस पास के क्षेत्रों में फैले हजारों फार्मों के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण में चार तकनीकी पद संस्वीकृत हैं और आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों में भी कोई क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय नहीं है जहाँ फार्मों का घनत्व कुल पंजीकृत फार्मों के 54 प्रतिशत से भी अधिक था। अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के दौरान प्राधिकरण ने केवल 246 फार्मों तथा 213 हैचरीयों का निरीक्षण किया।

प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि श्रमशक्ति की कमी के कारण सीमित निरीक्षण किया गया था।

### 2.1.3.13 शिकायत निवारण तंत्र

प्राधिकरण द्वारा कोई दिशानिर्देश इस संबंध में तैयार नहीं किये गये थे कि शिकायत पर कैसे ध्यान देने की प्रक्रिया तथा समय सीमा हो, अर्थात् (i) शिकायत प्राप्त होने के पश्चात कितने समय के भीतर प्रथम उत्तर दिया जाना है, (ii) यदि सत्यापन हेतु डीएलसी को अग्रेषित की गई है तो उन्हें कितने समय के भीतर उत्तर देना है, (iii) यदि डीएलसी से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या तथा कब मामले को उच्च प्राधिकारी (एसएलसी) को बढ़ाया जाना है, (iv) यदि एसएलसी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो फिर कितने समय के भीतर इसे प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाना है तथा आगे उनके निर्देश प्राप्त किए जाने हैं, आदि। प्राधिकरण द्वारा शिकायतों का निपटान करने हेतु कोई नागरिक चार्टर तैयार नहीं किया गया था जैसा उनके पोर्टल से देखा गया है। अधिकांश मामलों में शिकायत को केवल डीएलसी को अग्रेषित किया गया था।

उपलब्ध फाइलों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा ने देखा कि गंभीर प्रकृति की शिकायतें थीं जैसे कि वनस्पति वाली तटीय भूमि के बड़े भाग को गैर-कानूनी झींगा फार्मिंग के निर्माण हेतु लिया गया, चावल के खेतों के नजदीक तालाबों का निर्माण, आवासों के पास भू-जल को प्रदूषित करना, आदि। कई मामलों में प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों को संबंधित जिले के डीएलसी को अग्रेषित किया गया था तथा प्राधिकरण ने उनको शिकायत के तथ्यों की पूछताछ करने को कहा था तथा उनके उत्तर की मांग की थी परंतु इसके पश्चात, कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई, उन मामलों में भी जहां आस-पास में भू-जल के प्रदूषण को रिपोर्ट किया गया था।

प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2019) कि शिकायतों को एक रजिस्टर में अभिलेखित किया गया है तथा शिकायतों को सत्यापन, पुष्टि एवं रिपोर्ट करने हेतु डीएलसी/एसएलसी को भेजा गया है परंतु डीएलसी/एसएलसी से आगे कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है।

2018 से, प्राधिकरण ने एक दल के साथ स्थल निरीक्षण किया तथा शिकायतों के प्रति कार्रवाई की गई, बताया है। तथापि शिकायतों के प्रत्युत्तर में किए गए स्थल निरीक्षण के कोई विवरण प्रदान नहीं किए गए थे तथा लेखापरीक्षा को कोई शिकायत रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

#### 2.1.4 निष्कर्ष

प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उत्तरदायी तटीय जल कृषि की अवधारणा का अनुपालन किया गया है। प्राधिकरण ने जल कृषि फार्मों के निर्माण एवं प्रचालन तथा एसएलसी/डीएलसी द्वारा आवधिक बैठकों का आयोजन करने हेतु पर्याप्त विनियम तैयार नहीं किए थे। प्रभावित व्यक्तियों, जिनकी प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई है, को क्षतिपूर्ति करने तथा क्षतिग्रस्त पर्यावरण के पुनरुद्धार हेतु भी उच्चतम न्यायलय के आदेश द्वारा अभिकल्पित “पर्यावरण सुरक्षा निधि” का सृजन नहीं किया गया था।

प्राधिकरण ने अभिलेख पर बिना किसी विश्लेषण तथा सरकारी राजपत्र में संशोधन को अधिसूचित करने की उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना टीएफए: डब्ल्यूएसए मानदण्डों में छूट दी। दिशानिर्देशों ने ईआईए एवं ईएमएएमपी तैयार करने की प्रक्रिया तथा ऐसे मूल्यांकन करने हेतु सक्षम पर्यावरण प्राधिकारी का निर्धारण नहीं किया। प्राधिकरण ने जल कृषि हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त भूमि का वर्णन करने हेतु तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया था। प्राधिकरण ने जल कृषि इनपुट जैसे आहार, पूरक आहार, दवाओं आदि हेतु मानक निर्धारित नहीं किए हैं।

प्राधिकरण द्वारा दूषित जल नमूनों की जांच हेतु एसओपी को निर्धारित नहीं किया गया है। प्रयोगशाला गैर-क्रियाशील होने के कारण पिछले तीन वर्षों से कोई नमूना एकत्रित नहीं किया गया था तथा न ही जांच की गई थी। पंजीकरण से पूर्व छोटे फार्मों के सत्यापन के लिए प्रावधान पर्याप्त नहीं था। तटीय जल कृषि गतिविधि में सभी दलों के लिए पंजीकरण की कोई एकल खिड़की प्रणाली नहीं थी।

प्राधिकरण ने पांच वर्षों की वैधता अवधि के पश्चात फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को सुनिश्चित नहीं किया था तथा फार्मों ने वैध पंजीकरण के बिना प्रचालन जारी रखा। प्राधिकरण ने जल कृषि इकाइयों के निरीक्षण एवं निगरानी हेतु एक उचित योजना तैयार नहीं की थी। तटीय जल कृषि से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए उचित शिकायत निवारण तंत्र प्राधिकरण द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। प्राधिकरण के पास पर्यावरण को हुई क्षति प्रमात्रा की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया, निरीक्षण तथा निगरानी के दौरान उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कि फार्मों की पहचान हेतु भू-स्थानिक सूचना प्रणाली पर विश्वास को बढ़ाने की तत्कालिक आवश्यकता है।

## अनुशासन

प्राधिकरण को अतिशीघ्र अपने सृजन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु एक कार्रवाई योजना की तैयारी करने की आवश्यकता है।

जल कृषि फार्मों के संघटन, पंजीकरण एवं फैलाव का नक्शा बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा और डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए।

श्रमशक्ति के संबंध में, जहाँ संबंधित विषयों को पढ़ाया जाता है वहाँ के परिसरों से प्रत्यक्ष रूप से अधिमानतः नियमित या संविदात्मक प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती में तेजी लाने की आवश्यकता है।

इन अभ्युक्तियों को नवम्बर 2018 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को जारी किया गया था तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2019)।

## 2.2 केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का कार्य

सीएजेडआरआई (काजरी) द्वारा अपनी स्थापना के बाद से विकसित 21 वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों में से 13 प्रौद्योगिकियों का मार्च 2019 तक वाणिज्यीकरण किया जाना बाकी था तथा आठ प्रौद्योगिकियाँ, जबकि वाणिज्यीकृत थी, फिर भी अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सकी थी। 14 बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समर्थित प्रौद्योगिकियों में से केवल छः प्रौद्योगिकियों को ही मार्च 2019 तक काजरी द्वारा पेटेंट प्राप्त किया जा सका था। संस्थान, 2005 से नई खाद्यान्न फसल की किस्म जारी करने में सफल नहीं रहा था। सभी अनुसंधान परियोजनाओं के उद्देश्य का मूल्यांकन करने हेतु, मूल्यांकन समिति गठित नहीं की गई थी। 35 नमूना जांच किए गए मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि काजरी अनुसंधान परियोजना के चयन हेतु प्राथमिक रूप से वैज्ञानिकों पर निर्भर था तथा अनुसंधान विषय चयन में हितधारकों तथा किसानों की भागीदारी दर्शाने हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। वैज्ञानिक स्टाफ में 35 प्रतिशत औसतन की कमी थी। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में शोध पत्रों का औसतन प्रकाशन 2012-18 के दौरान केवल 68 प्रति वर्ष था। वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित कुल 405 शोध पत्रों में से केवल 149 शोध पत्र राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा छः तथा अधिक की रेटिंग वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था। शोध पत्रों के उद्धरण सूचकांक ने प्रकट किया कि 405 में से 252 शोध पत्रों का कभी उद्धरण नहीं दिया गया था। 2015 तक काजरी इससे अवगत नहीं था कि संस्थान के पास 16.43 एकड़ की भूमि का कम कब्जा था। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा

सीमावर्ती प्रदर्शनों, खेत पर परीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धियों के अंतर्गत ब्लॉकों के समावेशन में कमियां पाई गई थीं।

### 2.2.1 प्रस्तावना

भारत के शुष्क क्षेत्र में देश का लगभग 12 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र शामिल है जो 38.7<sup>14</sup> मिलियन हेक्टे. में फैला है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर की स्थापना (1952) मरूस्थलीय वनारोपण केन्द्र के रूप में की गई थी जिसका बाद में मरूस्थलीय वनारोपण एवं मृदा संरक्षण केन्द्र में विस्तार (1957) किया गया तथा इसके बाद इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, के एक बहु-विषयक अनुसंधान संस्थान (1959) में उन्नत किया गया।

काजरी, जोधपुर स्थित मुख्यालय से छः प्रभागों<sup>15</sup> तथा विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में स्थित पांच क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों (आरआरएस), जो स्थान विशिष्ट मामलों पर कार्य करते हैं, के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करता है। काजरी कृषि विस्तार गतिविधियों<sup>16</sup> अर्थात् 'खेत पर परीक्षण'<sup>17</sup> (ओएफटी) तथा 'सीमावर्ती प्रदर्शनों'<sup>18</sup> को करने के लिए जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज में

<sup>14</sup> गर्म रेगिस्तान का 31.7 मिलियन हेक्टेयर तथा ठण्डे रेगिस्तान का लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर

<sup>15</sup> काजरी के छः प्रभाग हैं (i) प्राकृतिक संसाधन (ii) समेकित खेती प्रणालियाँ (iii) पौधा सुधार एवं कीट प्रबंधन, (iv) पशुधन उत्पादन तथा रेंज प्रबंधन, (v) कृषि अभियांत्रिकी एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा (vi) प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण का स्थानांतरण।

<sup>16</sup> कृषि विस्तार गतिविधियों को कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु की जाती हैं।

<sup>17</sup> खेत पर परीक्षण (ओएफटी) किसानों के खेतों में उनके प्रबंधन तथा सक्रिय भागीदारी के अधीन उनके खेती के नजरिये से अनुसंधान केन्द्रों पर विकसित सिद्ध प्रौद्योगिकी का इस उद्देश्य से परीक्षण किया जाता है जिससे कि उन्हें नई प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता तथा व्यवहार्यता को समझाया जा सके।

<sup>18</sup> सीमावर्ती प्रदर्शन (एफएलडी) वैज्ञानिकों द्वारा राज्य लाईन कृषि विभागों की मुख्य विस्तार प्रणाली में डाले जाने पूर्व विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों तथा खेती परिस्थितियों के अंतर्गत किसानों के खेत में नई जारी फसल उत्पादन एवं सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तथा इसकी प्रबंधन प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के उद्देश्य से किया जाता है। किसान के खेत में प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करते समय वैज्ञानिकों को उच्च फसल उत्पादन में सहयोग देने वाले घटकों, उत्पादन के खेत की कमी का अध्ययन करना अपेक्षित है तथा जिससे उत्पादन डाटा तथा प्रतिपुष्टि सूचना को तैयार किया जाए।

तीन कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की मेजबानी करता है। निदेशक, काजरी का प्रमुख, अनुसंधान परियोजनाओं तथा प्रशासनिक मामलों का पर्यवेक्षण करता है तथा वह संस्थान अनुसंधान समिति<sup>19</sup> (आईआरसी) का अध्यक्ष भी है।

काजरी का अधिदेश, जैसे डीएआरई द्वारा अनुमोदित है, निम्नानुसार है:

- शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में सतत् खेती प्रणालियों पर मूल एवं व्यावहारिक अनुसंधान प्रारम्भ करना,
- प्राकृतिक संसाधनों तथा मरूस्थलीकरण प्रक्रियाओं की स्थिति पर सूचना भंडार के रूप में कार्य करना,
- लम्बे समय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन आधारित खेती प्रणालियों तथा रेंज प्रबंधन प्रक्रियाओं को विकसित करना, तथा
- स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को उत्पन्न करना तथा स्थानांतरण करना।

काजरी ने अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए 2012-18 के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारम्भ करने हेतु दस विषयों की पहचान की थी (अनुलग्नक-2.1)।

### 2.2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2012-18 की अवधि को शामिल करके काजरी मुख्यालय के साथ-साथ इसके प्रभागों, तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों (आरआरएस-जैसलमेर, कुकमा-भुज तथा लेह-लद्दाख)<sup>20</sup> तथा जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज स्थित तीन केवीके में संस्थागत अभिलेखों की जांच करने के साथ संबंधित अभिकरणों/संस्थानों/विभागों<sup>21</sup> से सूचना एकत्रित करने हेतु (i) आउटपुट/आउटकम सहित अनुसंधान परियोजनाएं (ii) विस्तार गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा (iii) संसाधनों के उपयोग का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी। काजरी द्वारा 2012-18 के दौरान समाप्त की गई 137 अनुसंधान परियोजनाओं में 35 अनुसंधान परियोजनाओं (25 प्रतिशत) से संबंधित अभिलेखों को काजरी की अन्य गतिविधियों के अलावा विस्तृत संवीक्षा हेतु

<sup>19</sup> संस्थान अनुसंधान समिति (आईआरसी, पहले स्टाफ अनुसंधान परिषद) सर्वोच्च निकाय है जहाँ अनुसंधान परियोजनाओं को प्रस्तुत तथा अनुमोदित किया जाता है।

<sup>20</sup> बीकानेर, पाली, जैसलमेर (राजस्थान), कुकमा भुज (गुजरात) तथा लेह-लद्दाख (जम्मू व कश्मीर) स्थित 5 आरआरएस में से लेखापरीक्षा ने प्रत्येक राज्य से 1 आरआरएस का चयन किया।

<sup>21</sup> आईसीएआर, कृषि/बागबानी/पशुपालन विभाग, राजस्थान गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर

यादृच्छिक आधार पर चयन किया गया था। 22 फरवरी 2018 को काजरी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ लेखापरीक्षा प्रारम्भ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली संस्थान को स्पष्ट किया गया था। 18 जून 2019 को निर्गम सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। काजरी/आईसीएआर द्वारा लेखापरीक्षा तथा निकास गोष्ठी के दौरान प्रस्तुत उत्तरों को उचित रूप से शामिल किया गया है।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.2.3.1 अनुसंधान गतिविधियों हेतु बजट आबंटन

काजरी ने अनुसंधान तथा प्रचालन गतिविधियों के लिए (उपकरण सहित) ₹20.90 करोड़ (₹18.65 करोड़ 2012-17 के एसएफसी ज्ञापन के माध्यम से + 2017-18 हेतु ₹2.25 करोड़ बजट अनुमानों के माध्यम से) का बजट प्रस्ताव किया जिसके प्रति आईसीएआर ने कथित अवधि हेतु ₹10.29 करोड़ का आबंटन किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-18 के दौरान आईसीएआर ने काजरी को योजनागत (₹15.61 करोड़) तथा गैर-योजनागत (₹444.93 करोड़) व्यय हेतु ₹460.54 करोड़ जारी किए। ₹460.54 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति 2012-18 की अवधि के दौरान काजरी का वास्तविक व्यय ₹458.77 करोड़ (अनुलग्नक 2.2) था। ₹460.54 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹408.82 करोड़ (88.77 प्रतिशत) के अनुदानों का बड़ा भाग स्थापना व्यय (₹225.60 करोड़ अर्थात् 48.99 प्रतिशत) तथा पेंशन व्ययों (₹183.22 करोड़ अर्थात् 39.78 प्रतिशत)<sup>22</sup> को पूरा करने, अन्य व्ययों हेतु ₹41.43 करोड़ (नौ प्रतिशत) आबंटित किया गया था तथा काजरी द्वारा अनुसंधान तथा प्रचालन गतिविधियों के संचालन हेतु प्रक्षेपित ₹20.90 करोड़ के प्रति केवल ₹10.29 करोड़ (2.23 प्रतिशत) का अनुसंधान तथा प्रचालन गतिविधियाँ (उपकरण सहित) हेतु आबंटन किया गया था।

---

<sup>22</sup> 2012-18 के दौरान ₹183.22 करोड़ के पेंशन व्यय का राजस्थान तथा गुजरात स्थित आईसीएआर संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित पेंशन को पूरा करने के लिए काजरी के नाम पर आबंटन किया गया था।

2012-18 के दौरान काजरी में 92 वैज्ञानिकों का औसतन कार्य बल था। छः वर्ष की अवधि के लिए अनुसंधान तथा प्रचालन गतिविधियों पर ₹20.90 करोड़ के बजट प्रस्ताव के प्रति जब देखा जाए तो ₹10.29 करोड़ का आबंटन राष्ट्रीय महत्व के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान जिसे भारत के संपूर्ण शुष्क क्षेत्र में इन गतिविधियों को करना अनिवार्य है, हेतु अपर्याप्त प्रस्तुत होता है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिकों की संख्या तथा 2012-18 के दौरान वैज्ञानिकों तथा सहायक स्टाफ के स्थापना व्यय पर ₹225.60 करोड़ के भारी व्यय को देखते हुए आबंटन भी अल्प था।

काजरी ने आंकड़ों को स्वीकार तथा सत्यापित किया (जून 2019)। आईसीएआर द्वारा पर्याप्त रूप से कम किए गए आबंटन के संबंध में, आईसीएआर ने बताया (नवम्बर 2019) कि यह आईसीएआर के एसएमडी (एनआरएम-विषय वस्तु प्रभाग) में बजट की सीमित उपलब्धता के कारण था तथा निधि की कमी को देखते हुए एनआरएम प्रभाग के अन्य संस्थानों/योजनाओं के लिए भी आबंटन को आनुपातिक रूप से कम किया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा तर्क को प्रमाणित करता है कि अनुसंधान गतिविधियों, जो काजरी के अधिदेश का एक मुख्य संघटक है, के लिए संसाधनों का आबंटन अल्प था।

## 2.2.4 अनुसंधान गतिविधियां तथा प्रौद्योगिकियों का प्रसार

### 2.2.4.1 अनुसंधान प्रक्रिया

आईसीएआर का प्रोफार्मा तथा अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव, निगरानी तथा मूल्यांकन (दिशानिर्देश) पैरा 10 के तहत से अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव, प्रस्तुतीकरण, अनुमोदन, कार्यान्वयन तथा समापन की गतिविधियों का कालानुक्रम निर्धारित करता है। अनुसंधान प्रक्रिया में वह चरण शामिल है जैसा नीचे प्रवाह चार्ट में दिया गया है:

## अनुसंधान प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट



**डीआरसी:** प्रभागीय अनुसंधान समिति<sup>23</sup>

**आरपीपी :** अनुसंधान परियोजना प्रोफार्मा

**पीएमई सेल:** प्राथमिकता स्थापना, निगरानी एवं मूल्यांकन सेल<sup>24</sup>

**आईआरसी:** संस्थान अनुसंधान समिति<sup>25</sup>

**डीडीजी :** उप महानिदेशक

**आईसीएआर:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

<sup>23</sup> प्रभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी) में संबंधित पीआई के प्रभाग का प्रमुख तथा प्रभाग के अन्य वैज्ञानिक

<sup>24</sup> पीएमई सेल काजरी में अनुसंधान परियोजनाओं के पुनरीक्षण तथा निगरानी हेतु गठित एक सेल है।

<sup>25</sup> संस्थान अनुसंधान समिति (पहले स्टाफ अनुसंधान परिषद), जैसा आईसीएआर के नियमों एवं उप-नियमों में परिभाषित है, अध्यक्ष के रूप में संस्थान का निदेशक, तथा सदस्यों अर्थात् संयुक्त निदेशक अनुसंधान, प्रभागों के प्रमुख, सभी परियोजनाओं के पीआई, काजरी से संबंधित आईसीएआर के उप महानिदेशक/अपर महानिदेशक तथा अनुसंधान प्रबंधन इकाई के प्रभारी वैज्ञानिक (सदस्य सचिव) से मिलकर बनी है।

अनुसंधान सहित संस्थान की गतिविधियों का आईसीएआर द्वारा गठित पंचवार्षिकी समीक्षा दल<sup>26</sup> (क्यूआरटी) द्वारा समीक्षा तथा मार्गदर्शन किया जाता है, जो पांच वर्षों के अंतराल पर सभी अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा करता है।

### (ए) अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति

काजरी ने तालिका-2 में दिए गए विवरणों के अनुसार 2012-18 के दौरान 10 विषयों के अंतर्गत 137<sup>27</sup> अनुसंधान परियोजनाओं (संस्थागत: 92 तथा बाहर से वित्तपोषित: 45) को पूरा किया है। 2012-18 के दौरान पूर्ण की गई विषय-वार परियोजनाओं का अनुलग्नक-2.1 में ब्यौरा दिया गया है।

### तालिका संख्या-2: पूर्ण हुई अनुसंधान परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(इकाईयाँ संख्या में)

वर्ष	संस्थागत परियोजनाएं				बाहर से वित्तपोषित परियोजनाएं			
	वर्ष के प्रारम्भ में चालू रही	नई शुरुआत की गई	समाप्त परियोजनाएं	वर्ष के अंत में चल रही	वर्ष के प्रारम्भ में चालू रही	नई शुरुआत की गई	समाप्त परियोजनाएं	वर्ष के अंत में चालू रही
2012-13	70	14	26	58	31	04	15	20
2013-14	58	13	06	65	20	05	05	20
2014-15	65	19	14	70	20	07	04	23
2015-16	70	17	16	71	23	05	07	21
2016-17	71	15	20*	66	21	06	08	19
2017-18	66	06	14**	58	19	03	06	16
कुल		84	96 <sup>#</sup>			30	45	

\* बाहर से वित्तपोषित परियोजनाओं के साथ विलीन दो परियोजनाओं तथा एक समाप्त की गई परियोजना सहित

\*\* एक समाप्त परियोजना सहित

# 96 - 4 परियोजनाएं समाप्त/विलीन = 92 परियोजनाएं

उपरोक्त में से, लेखापरीक्षा ने 35 अनुसंधान परियोजनाओं (संस्थागत: 24 तथा बाहर से वित्तपोषित: 11) का चयन किया जो 2012-18 के दौरान कुल समाप्त

<sup>26</sup> पंचवार्षिकी समीक्षा दल (क्यूआरटी) में पांच/छः प्रख्यात वैज्ञानिक शामिल हैं, जिसे आईसीएआर द्वारा यह निर्धारित करने कि अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम आईसीएआर तथा राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुरूप हैं, के लिए संस्थान तथा इसकी गतिविधियों की जांच करने हेतु गठित किया गया है। आईसीएआर द्वारा अनुमोदित क्यूआरटी की सिफारिशों को संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा जब कभी अपेक्षित हो तो ऐसी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

<sup>27</sup> दो समाप्त की गई परियोजनाओं तथा बाहर से वित्तपोषित परियोजनाओं के साथ विलीन दो परियोजनाओं को हटाकर।

परियोजनाओं का 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाए गए निष्कर्ष पर की गई चर्चा नीचे दी गई है:

**(बी) अनुसंधान विषयों के चयन में हितधारकों की गैर-भागीदारी**

दिशानिर्देशों का पैरा 6.1 निर्धारित करता है कि किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को प्रारम्भिक परियोजना निरूपण तथा सीधे किसानों को संबोधित करने वाले क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है। दिशानिर्देशों की सिफारिश 14(4) भी बताती है कि हितधारकों की पहचान/भागीदारी प्रत्येक परियोजना निरूपण के लिए पूर्व-अपेक्षित होना चाहिए।

35 नमूना जांच की गई अनुसंधान परियोजनाओं में लेखापरीक्षा ने पाया कि काजरी अनुसंधान परियोजना विषय का चयन करने हेतु प्राथमिक रूप से वैज्ञानिकों पर निर्भर था तथा विषय चयन में हितधारकों तथा किसानों की भागीदारी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी।

काजरी ने बताया (मई 2019) कि केवल हितधारकों तथा किसानों को शामिल करके ही अनुसंधान परियोजनाओं के विषयों का चयन करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, हितधारक/किसान द्वारा वैज्ञानिकों के साथ किसान गोष्ठी/बातचीत के दौरान उजागर मामलों, जिन्हें *कृषक समुदाय* हेतु महत्वपूर्ण पाया गया, का अनुसंधान प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह दिशानिर्देशों (पैरा 6.1) के उल्लंघन में है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि *‘इस तथ्य के विचार में कि आईसीएआर के अधीन अनुसंधान को कृषक समुदाय, किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को संबोधित करना है, जिससे प्रारम्भिक परियोजना निरूपण में तथा परियोजना में स्वयं उपभोक्ताओं को शामिल करके सीधे किसानों को संबोधित करने वाले क्षेत्रों में हितधारकों को शामिल करने को स्थाई रूप से अनिवार्य किया गया है।’* किसान गोष्ठियों आदि की कार्यवाहियों को प्रलेखित नहीं किया गया था, इसलिए संस्थान की वास्तविक गतिविधियों से उनको संबंधित करना संभव नहीं था। यह भी देखा गया कि काजरी द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान परियोजनाओं, जिन्हें किसानों/हितधारकों से इनपुट के आधार पर प्रारम्भ किए जाने का दावा किया गया था, उसकी सूची में केवल मार्च 2018 को चल रही परियोजनाएं शामिल थीं जो लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई अनुसंधान परियोजनाओं से भिन्न थीं।

### (सी) मूल्यांकन समिति द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन

दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9.2.2(ii) ने निर्धारित किया (जनवरी 2012) कि एक समिति<sup>28</sup>, अध्यक्ष, आईआरसी को प्रस्तुतीकरण से पूर्व सभी परियोजनाओं का उद्देश्य मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2019 तक काजरी में मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया गया था।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि सुझाव को नोट कर लिया गया है तथा यह उल्लेख किया कि प्रयोगों की निदेशक तथा प्रभाग के प्रमुख द्वारा खरीफ तथा रबी मौसम के दौरान निगरानी की गई थी तथा अनुसंधान परियोजनाओं का डीआरसी द्वारा मूल्यांकन भी किया गया था।

डीआरसी द्वारा मूल्यांकन के संबंध में आईसीएआर का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रभाग स्तर पर किए गए मूल्यांकन उन संबंधित प्रभाग द्वारा किए गए हैं जहां परियोजना सूचीबद्ध है जबकि मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में संबंधित अनुशासनों के दो और एचओडी द्वारा रेटिंग शामिल है, इसलिए डीआरसी द्वारा मूल्यांकन को संस्थान स्तर पर मूल्यांकन समिति द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन, जो आईसीएआर दिशानिर्देशों की एक अनिवार्य आवश्यकता है, से बदला नहीं जा सकता।

### (डी) परियोजना रिपोर्टों को पूरा करने में विलम्ब

एक अनुसंधान परियोजना के समापन तथा आईआरसी में इसके प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रधान अनुसंधान अन्वेषक परियोजना रिपोर्ट पर आईआरसी की सिफारिशों को शामिल करने के बाद अंतिम परियोजना रिपोर्ट (आरपीपी-III) तैयार करता है तथा अंतिम अनुमोदन हेतु इसे निदेशक काजरी को प्रस्तुत करता है।

नमूना जांच किए गए 35 मामलों में से यह पाया गया कि यद्यपि 12 अनुसंधान परियोजनाओं में अनुसंधान को समय पर पूरा किया गया था परंतु अनुसंधान समापन रिपोर्टों को समापन की तिथि के बाद हुई आईआरसी बैठक<sup>29</sup> में प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि इन्हें दो से 23 महीनों के विलम्ब से अगली आईआरसी में प्रस्तुत किया गया था। इन 12 मामलों में से पांच में

<sup>28</sup> (i) अध्यक्ष, पीएमई सेल, (ii) विभागाध्यक्ष (एचओडी) जहां परियोजना सूचीबद्ध है तथा संबंधित विषय क्षेत्रों के दो अन्य एचओडी तथा (iii) सदस्य सचिव, पीएमई सेल को शामिल कर

<sup>29</sup> आईआरसी बैठक आमतौर पर फसल के मौसम अप्रैल-जुलाई तथा अक्टूबर-नवम्बर की अवधि के दौरान वर्ष में दो बार की जाती है।

अंतिम रिपोर्टों (आरपीपी-III) को आईआरसी में उनके प्रस्तुतीकरण की तिथि से 8-12 महीनों के विलम्ब से निदेशक काजरी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। अनुसंधान परियोजनाओं की समापन रिपोर्टों (आरपीपी III) के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का परिणाम अनुसंधान परियोजनाओं के आउटकम के विलम्बित विस्तार में हुआ।

काजरी ने बताया (जून 2019) कि अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट की औपचारिकताओं को पूरा करने में लिया गया समय अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार था, इसलिए अपेक्षित अतिरिक्त समय विलम्ब नहीं था बल्कि आईआरसी द्वारा परिणामों के अनुमोदन के संदर्भ में प्रक्रिया का भाग था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि (i) उन 12 मामलों में जहां अनुसंधान पूरा किया गया था, आईआरसी में वास्तविक परिणामों/रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु अपेक्षित आगे की कोई कार्यविधिक औपचारिकताएं नहीं थीं तथा (ii) केवल उन्हीं पांच मामलों को इंगित किया गया है जिनमें परिणामों को कार्यविधिक औपचारिकताओं हेतु छः महीनों के उचित विचार-विमर्श के साथ आईआरसी में प्रस्तुतीकरण से छः महीनों के बीत जाने के पश्चात भी निदेशक को प्रस्तुत नहीं किया गया था। किसी भी मामले में यह मान लिया जाता है कि कार्यविधिक औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समय सीमा निर्धारित की गई है तथा संस्थान को सामयिक समीक्षा के लिए अपनी स्वयं की अनुसूची को पालन करने की आवश्यकता है।

### (ई) प्रौद्योगिकी का विकास, पेटेंटिंग तथा स्थानांतरण

काजरी को शुष्क क्षेत्रों के लिए स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को उत्पन्न करना तथा स्थानांतरण करना अनिवार्य है। विभिन्न विषयों के अधीन संचालित की गई विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, काजरी ने अपने प्रारम्भ से 58<sup>30</sup> प्रौद्योगिकियां (21 वाणिज्यीकरण योग्य/बिक्री योग्य प्रौद्योगिकियां<sup>31</sup> सहित - अनुलग्नक 2.3) विकसित की थीं। विकसित 21 वाणिज्यीकरण योग्य/बिक्री योग्य प्रौद्योगिकियों में से केवल आठ प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण किया गया था तथा 13 प्रौद्योगिकियों का अभी भी वाणिज्यीकरण किया जाना बाकी था (मार्च 2019)।

<sup>30</sup> वाणिज्यीकरण योग्य/गैर-वाणिज्यीकरण प्रौद्योगिकियों, किस्मों तथा क्रियाओं के पैकेज सहित,

<sup>31</sup> इन 21 प्रौद्योगिकियों में से पाँच प्रौद्योगिकियों को 2012-14 के दौरान विकसित तथा पूर्ण किया गया था।

इसके अतिरिक्त, काजरी द्वारा विकसित 21 वाणिज्यीकरण योग्य/बिक्री योग्य प्रौद्योगिकियों में से 14 बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपी) समर्थित प्रौद्योगिकियां<sup>32</sup> थीं। तथापि, इन 14 प्रौद्योगिकियों में से काजरी छः प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट प्राप्त कर सका जबकि तीन पेटेंट आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था तथा पांच पेटेंट आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय के पास मार्च 2019 तक प्रक्रियाधीन थे।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि काजरी ने आठ प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक अधिकारों के स्थानांतरण हेतु सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2016 के बीच चार अभिकरणों के साथ नौ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए थे फिर भी यह पाया गया था कि केवल एक अभिकरण ने काजरी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादन प्रारम्भ किया था जिससे काजरी ने रायल्टी के रूप में ₹274 की नाममात्र राशि प्राप्त की। इसलिए अंतिम उपभोक्ताओं तक इन प्रौद्योगिकियों का प्रसार भी हासिल किया जाना था।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि भारतीय पेटेंट कानून 1970 से अस्तित्व में आया परंतु आईसीएआर ने 2006 से ही विभिन्न संस्थानों में संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई की स्थापना द्वारा बौद्धिक संपदा के वाणिज्यीकरण तथा प्रबंधन पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। आईपी समर्थित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रारम्भ करने के संबंध में आईसीएआर ने बताया कि यह प्रत्याशित है कि निकट भविष्य में अभिकरणों द्वारा जिन्होंने पहले काजरी की प्रौद्योगिकियां ली हैं, सहित इसका आगे और सुधार किया जाएगा।

आईसीएआर के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है कि काजरी द्वारा विकसित वाणिज्यीकरण योग्य/बिक्री योग्य प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने में उत्पादन हेतु आकर्षण/उपयोगिता की कमी थी जैसा इसके प्रारम्भ से अब तक प्राप्त ₹274 की रायल्टी की नगण्य राशि से स्पष्ट था। यह दर्शाता है कि वाणिज्यीकरण योग्य/बिक्री प्रौद्योगिकियों के विकास पर लगभग ₹18.36

---

<sup>32</sup> आईपी समर्थित तथा सात गैर-आईपी समर्थित (आईपी संरक्षित प्रौद्योगिकियाँ वह हैं जो 'आविष्कार' की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं तथा जिनका भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट किया जा सकता है। अन्य सभी गैर-संरक्षित प्रौद्योगिकियाँ हैं)।

लाख<sup>33</sup> के व्यय के बावजूद इन प्रौद्योगिकियों के आउटकम अंतिम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर है। संस्थान जिसके मुख्य उद्देश्यों में अन्तिम उपभोक्ता तक प्रौद्योगिकियों के प्रभावशाली हस्तांतरण के लिए उनका वाणिज्यीकरण सुनिश्चित करना शामिल है, ने वाणिज्यीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से 2006 में संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई की स्थापना के बावजूद पिछले 13 वर्षों से इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले 10 वर्षों में संस्थान का बजट ₹28.13 करोड़ से ₹112.17 करोड़ तक है तथा 2008-09 से संचयी व्यय ₹597.25 करोड़ है।

### (एफ) खाद्यान्न की फसल किस्म का विमोचन

काजरी ने 2005 में अंतिम खाद्यान्न फसल किस्म (मोठ-3) जारी की थी। 2012-18 के दौरान खाद्यान्न फसल किस्मों से संबंधित पांच अनुसंधान परियोजनाओं सहित विषय 'जैव विविधता संरक्षण तथा वार्षिक एवं बारहमासी का सुधार' के अंतर्गत अधिकतम अनुसंधान परियोजनाओं (32) को पूरा करने के बावजूद काजरी 2005 से खाद्यान्न की कोई नई फसल किस्म का विमोचन करने में सफल नहीं हो सका था।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि उन्नत किस्म की पैदावार एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप काजरी द्वारा विकसित घास की तीन किस्मों<sup>34</sup> को केन्द्रीय किस्म विमोचन समिति द्वारा 2018 में देश में विमोचन किया गया था। इसी प्रकार, संस्थान द्वारा विकसित तरबूज की किस्म<sup>35</sup> का देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में विमोचन किया गया है। लासोरा (काजरी जी 2005 मरू समृद्धि) तथा करोंदा (सीजेडके-2011 मरू गौरव) प्रत्येक की एक एक किस्म राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा राज्य में जारी करने हेतु पहचान की गई है जहां न्यूनतम मानकों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण उनका औपचारिक विमोचन अभी भी प्रतीक्षित है। निर्गम सम्मेलन (जून 2019)

<sup>33</sup> काजरी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, 21 वाणिज्यीकरण योग्य प्रौद्योगिकियों में से संस्थान ने 15 प्रौद्योगिकियों के विकास पर ₹18.36 लाख का व्यय वहन किया। ₹18.36 लाख की राशि में, दो प्रौद्योगिकियों को छोड़कर जिनमें अन्वेषक, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ के वेतन को विकास लागत में शामिल किया गया था, वैज्ञानिकों, तकनीकी स्टाफ के वेतन तथा संस्थानिक व्यय को हटाकर कच्चे माल की लागत शामिल थी। शेष छः प्रौद्योगिकियों (21-15) के संबंध में संस्थान के पास कोई विकास व्यय उपलब्ध नहीं था।

<sup>34</sup> सेनकूसिलियरिस की दो किस्में (काजरी 358 तथा काजरी 2178) तथा लेसिरूसीन्डिकस की एक किस्म (काजरी सेवन-1)

<sup>35</sup> काजिक-13-2

के दौरान काजरी ने बताया कि बाजरा (26) की नई हाईब्रेड तथा गवार फली (14) की किस्मों का अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) परीक्षणों<sup>36</sup> को योगदान दिया था। इन कृषिजोप जाति में से, कई उन्नत किस्म को परीक्षणों<sup>37</sup> एवीटी-। तथा एवीटी-।। में आगे बढ़ाया गया था। विमोचन प्रस्ताव भी एआईसीआरपी कार्यशाला को प्रस्तुत किए गए थे तथा खेती फसलों में किस्मों को जारी करने हेतु और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

तथापि तथ्य यह रहता है कि 2005 से 12 वर्षों के लम्बे अंतराल के पश्चात ही 2017-18 में घास तथा तरबूज की किस्म जारी की गई थी परंतु काजरी द्वारा कोई नई खाद्यान्न फसल किस्म जारी नहीं की जा सकी। यद्यपि काजरी ने किस्म परीक्षणों में भाग लिया है परंतु किसी खाद्यान्न किस्म का अंतिम विमोचन पिछले 13 वर्षों से प्रतीक्षित है।

#### 2.2.4.2 अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों का प्रसार

##### (ए) अनुसंधान प्रकाशन

‘आंतरिक मूल्यांकन तथा वैज्ञानिक जर्नलों में शोध पत्रों को प्रेषित करने तथा आईसीएआर संस्थानों में डाटा प्रबंधन’ हेतु आईसीएआर दिशानिर्देश (2014) निर्धारित करते हैं (पैरा 1.2.1) कि अनुसंधान से लाभों को बढ़ाने के लिए अनुसंधान गतिविधियों से उत्पन्न प्रकाशनों को सबसे प्रभावी प्रकार से तथा जल्द से जल्द अवसर पर प्रसारित किया जाना चाहिए तथा अनुसंधान से उत्पन्न प्रकाशनों के सर्वोत्तम साधन पर लेखक द्वारा प्रतिष्ठित जर्नल अथवा प्रकाशक की स्थिति के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए (पैरा 1.2.3)।

इसके अतिरिक्त, काजरी की विज्ञान 2025 (2007 से प्रभावी) संस्थान के लिए औसतन 180 से 200 प्रकाशन (शोध पत्र सहित) प्रति वर्ष हेतु निर्धारित करता है। कृषि से संबंधित एक जर्नल की प्रतिष्ठा का इसकी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) रेटिंग द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा छः एवं अधिक की एनएएएस रेटिंग भी अपेक्षित है (आरएफडी 2017-18 के अनुसार)। यह पाया गया कि आईसीएआर द्वारा अपने वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिष्ठित जर्नलों में

<sup>36</sup> अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) एक कार्यक्रम है जिसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य कृषि विभाग राष्ट्रीय स्तर पर फसल की अनुसंधान समस्याओं का समाधान करने के लिए एक दल के रूप में एक साथ कार्य करते हैं।

<sup>37</sup> उन्नत किस्म परीक्षणों के अंतर्गत एक किस्म का तीन वर्षों के लिए मूल्यांकन किया जाता है, एक वर्ष प्रारम्भिक किस्म परीक्षणों (आईवीटी) तथा उन्नत किस्म परीक्षणों एवीटी-। एवीटी-।। के अंतर्गत दो वर्षों के लिए।

शोध पत्र को प्रकाशित करने पर जोर देने के बावजूद काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा शोध पत्रों का प्रकाशन महत्वपूर्ण नहीं था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा शोध पत्र सहित कुल प्रकाशन विज्ञान 2025 में अपेक्षित 180-200 प्रकाशनों के प्रति 110 (2012-13), 100 (2013-14), 135 (2014-15), 194 (2015-16) थे। यद्यपि कुल प्रकाशन बाद में 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः 278 तथा 272 तक बढ़े थे जो विज्ञान 2025 में अपेक्षित प्रकाशनों से अधिक थे, फिर भी 2012-15 के दौरान कुल प्रकाशन अभी भी विज्ञान 2025 में अपेक्षित प्रकाशनों से कम थे।
- शोध पत्र के प्रकाशन के संबंध में, 2012-18 के दौरान, काजरी के वैज्ञानिकों ने 68 शोध पत्र प्रकाशन प्रतिवर्ष की औसत से भारतीय तथा विदेशी जर्नलों में 405 शोध पत्र प्रकाशित किये थे।
- काजरी के आरएफडी 2017-18 में एक सफलता संकेतक नामतः 'प्रकाशित शोध लेख' है जिसमें 6 एवं अधिक की एनएएस रेटिंग वाले जर्नलों में शोध लेख का प्रकाशन अपेक्षित है। 405 शोध पत्रों में से 149 (37 प्रतिशत) को छः एवं अधिक की एनएएस रेटिंग वाले जर्नलों में प्रकाशित किया है जबकि 174 पत्रों (43 प्रतिशत) को 1 से 5.90 के बीच की एनएएस रेटिंग वाले जर्नलों में प्रकाशित किया गया था तथा 82 पत्रों को बिना एनएएस रेटिंग वाले जर्नलों में प्रकाशित किया गया था। यह अनुसंधान की गुणवत्ता और उसी को प्रलेखित करने के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है।
- 2012-18 के दौरान काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित 405 शोध पत्र के उद्धरण सूचकांक<sup>38</sup> की समीक्षा ने प्रकट किया कि 252 शोध पत्रों (62 प्रतिशत) का कभी अन्य प्रकाशित अनुसंधानों में उद्धरण नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान उद्धरण दिए गए शेष 153 शोध पत्रों (38 प्रतिशत) में से केवल चार शोध पत्र का 39 से 135 बार के बीच अत्यधिक उद्धरण दिया गया था, 39 शोध पत्रों का 6 से 38 बार के बीच उद्धरण दिया गया था तथा 110 शोध पत्रों का एक से पांच बार के बीच उद्धरण दिया गया था।

---

<sup>38</sup> एक प्रकार का गृथ सूची सूचकांक, प्रकाशनों के बीच उद्धरणों का एक सूचकांक जो उपभोक्ता को दस्तावेजों में पूर्व और बाद में आने वाले उद्धरण को आसानी से स्थापित करता है।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि (i) प्रकाशन मापदण्ड को आरएफडी 2014 में जोड़ा गया था तथा यह वैज्ञानिकों की उत्पादकता का निर्णय लेने हेतु एकमात्र मापदण्ड नहीं है तथा (ii) संस्थान अब उच्च प्रभाव वाले जर्नलों में अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु वैज्ञानिकों को बढ़ावा दे रहा है। परिणामस्वरूप, प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की संख्या बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दर्शा रही है जो 2012-13 में 42 से 2016-17 के दौरान 105 तक बढ़ी है। शोध पत्रों का उद्धरण भी समय लेता है तथा इसका एक समय अवधि से बढ़ना संभावित है।

हमारी टिप्पणी में, हालांकि, प्रकाशन विज्ञान 2025 तथा आरएफडी 2017-18 के निर्धारित स्तरों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रकाशनों के उद्धरण की उच्चतर आवृत्ति शोध पत्रों की प्रासंगिकता/महत्व पर निर्भर करती है। यह प्रासंगिकता चार शोध पत्रों<sup>39</sup> के मामले में देखी गई जोकि 2013, 2015 तथा 2017 में प्रकाशित हुए परंतु 39 से 135 बार उद्धृत किए गए।

#### (बी) राज्य लाइन विभागों के साथ काजरी का समन्वय

काजरी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ समान क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ ज्ञान साझा करने तथा कौशल के सुधार हेतु सहयोग शामिल है तथा इसलिए, काजरी को राजस्थान, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर के राज्य सरकारी विभागों (कृषि एवं पशुपालन), जो शुष्क क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित करने के कार्य में लगे थे, के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना प्रत्याशित है। काजरी द्वारा विकसित बेहतर प्रक्रियाओं, जिनको किसानों द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जा सकेगा, सहित अनुसंधान परिणाम को, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा एक समिति नामतः क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति (जेडआरईएसी), जो अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ विस्तार गतिविधियों हेतु उत्तरदायी राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों से बनी है, को प्रस्तुत किए जाते हैं।

<sup>39</sup> (i) चना नवांकुरो की ऑक्सीकरण रोधी प्रणाली तथा वृद्धि पर जिक ऑक्साइड नेनोपार्टिकल्स का प्रभाव (2013), (ii) जिक ऑक्साइड नेनोपार्टिकल जैव संश्लेषण तथा फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग एंजाइम स्त्रावण और ग्वारफली में गोंद अवयवों पर इसका प्रभाव, (2013), (iii) चरण परिवर्तन के उष्मीय ऊर्जा संचरण के साथ अप्रत्यक्ष माध्यम से प्राकृतिक संवहनी सौर फसल ड्रायर का निष्पादन (2015) तथा (iv) शुष्क पर्यावरणों में बाजरा जीनोम अनुक्रम कृषि विज्ञान विशिष्टताओं के सुधार हेतु संसाधन प्रदान करता है, पर शोध पत्र (2017)।

यह पाया गया कि यद्यपि काजरी ने विभिन्न मूल एवं व्यावहारिक अनुसंधान किए थे तथा अनुसंधान के परिणामों को प्रणालीगत रूप से प्रलेखित किया फिर भी राज्य स्तर पर काजरी के कार्य का प्रभाव अभी भी राज्य लाईन विभागों के साथ खराब संपर्क के कारण कम था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- राजस्थान तथा तत्पश्चात जम्मू एवं कश्मीर के पशुपालन विभाग के साथ लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2018) ने प्रकट किया कि एक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर पर इसके वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान देने के सिवाय विभिन्न पहलुओं अर्थात् काजरी के अनुसंधान के उपयोग, लाईन विभागों को तकनीकी समर्थन, कार्यशालाओं/सेमिनारों में काजरी की सहभागिता तथा समन्वय समिति का गठन आदि के संदर्भ में काजरी के साथ उनका समन्वय 'शून्य' था।
- राजस्थान सरकार का कृषि विभाग क्षेत्र स्तरीय कृषि अधिकारियों तथा किसानों में संवितरण हेतु जेडआरईएसी द्वारा सिफारिश की गई किस्मों/प्रौद्योगिकियों को शामिल करके प्रति वर्ष क्षेत्र-वार पुस्तिकाएं अर्थात् प्रक्रियाओं का पैकेज (पीओपी) प्रकाशित करता है। कृषि विभाग, राजस्थान ने बताया (जुलाई 2018) कि जोधपुर तथा बीकानेर में हुई जेडआरईएसी बैठकों में काजरी की भागीदारी सहभागिता तक सीमित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि काजरी ने 2012-18 के दौरान जेडआरईएसी बैठकों में केवल 19 अनुसंधान/प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत की तथा इनमें से सात को पीओपी में शामिल किया गया था। यह देखा गया था कि काजरी द्वारा क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन का निर्धारण करने हेतु इन स्वीकृत अनुसंधान/प्रौद्योगिकियों का कोई अनुपालन नहीं किया गया था।
- क्यूआरटी 2010-16 ने भी राज्य सरकार/लाईन विभागों के साथ संपर्क को सुधारने हेतु काजरी को सिफारिश की थी। यह दर्शाता है कि राज्य लाईन विभागों के साथ अधिक समन्वय विकसित करने की गुंजाईश थी क्योंकि इन विभागों के अधिकारी काजरी की गतिविधियों से अधिक परिचित नहीं थे।
- इसके सिवाय कि बागबानी निदेशक काजरी, जोधपुर की प्रबंधन समिति का एक सदस्य है, गुजरात सरकार के कृषि विभाग के साथ काजरी के समन्वय का सत्यापन करने हेतु कोई अभिलेख लेखापरीक्षा नहीं खोज सका।

इस प्रकार, राज्य स्तर पर काजरी के अनुसंधान/प्रौद्योगिकियों का विस्तार राज्य लाईन विभागों के साथ अपर्याप्त समन्वय तथा सहभागी दृष्टिकोण की कमी के कारण प्रभावित हुआ।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि एक बार प्रौद्योगिकियों को जेडआरईएसी में स्वीकृति तथा पीओपी में शामिल किया जाता है तो आमतौर पर राज्य लाईन विभागों द्वारा अनुवर्तन किया जाता है। तथापि, आईसीएआर सहमत हुआ कि राज्य लाईन विभागों के साथ अधिक समन्वय हेतु गुंजाइश थी तथा संस्थान उस दिशा में प्रयास करेगा।

आईसीएआर के उत्तर को काजरी के मुख्य कार्य, जैसा कि आरएफडी 2017-18 में निर्धारित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है जिसमें प्रौद्योगिकी प्रसार, सामाजिक-आर्थिक निर्धारण तथा हितधारकों का क्षमता-निर्माण शामिल है।

#### 2.2.4.3 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र

काजरी, जोधपुर में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटीआईसी) की स्थापना (जनवरी 2000) किसानों तथा अन्य इच्छुक समूहों को प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीनता की एक प्रक्रिया के रूप में, प्रौद्योगिकी प्रसार हानि को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी, सलाह, प्रौद्योगिकी उत्पादन जैसे बीज, पौधा, छोटे उपकरण, मूल्य वृद्धि उत्पाद आदि के रूप में उपलब्ध संस्थागत संसाधनों तक किसानों को सीधी पहुंच प्रदान करने हेतु तथा संस्थान को उपभोक्ताओं से प्रतिपुष्टि हेतु एक तंत्र प्रदान करने हेतु संस्थान के उत्पादनों तथा सेवाओं के लिए एक एकल खिड़की सुपुदगी प्रणाली प्रदान करने के लिए की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एटीआईसी ने एक किसान हेल्पलाइन सुविधा की स्थापना की थी तथा 2012-18 के दौरान 1,768 टेलीफोन कॉल आई थी जिसका औसत 295 कॉल प्रति वर्ष है। तथापि, इस उद्देश्य हेतु कोई समर्पित टोल फ्री नम्बर नहीं था परंतु बिना किसी एक्सटेंशन सुविधा के एटीआईसी के एक सामान्य टेलीफोन नम्बर का संबंधित वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ, जिससे टेली कॉलर किसान अपनी कृषि से संबंधित समस्या पर चर्चा कर सकता था, से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान एटीआईसी में आगतुकों की संख्या में 2012-13 में 12,456 व्यक्तियों से 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान क्रमशः 11,699, 5,825, 8,398, 8,964 तथा 8,194 तक की प्रगतिशील गिरावट थी। यह संख्या केवल 2018-19 के दौरान 15,295 तक बढ़ी थी।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि सभी आगंतुक अपने स्वयं के कार्यक्रम, बजट तथा सुविधा के अनुसार एटीआईसी में आते हैं। हालांकि लेखापरीक्षा आपत्ति को आगे की कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया था।

किसानों तथा अन्य हितधारकों को अपने मामलों को सुलझाने के लिए मुफ्त एवं सुलभ संयोजकता प्रदान करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन सुविधा प्रदान करने हेतु एटीआईसी को सक्रिय प्रयास करने चाहिए। लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाने (जून 2018) के पश्चात, एटीआईसी ने दो *किसान मेलों* का आयोजन किया जिसमें 8000 से अधिक किसान (2018-19 में एटीआईसी आगंतुक सहित) उपस्थित थे।



चित्र 1 : काजरी द्वारा आयोजित किसान मेला 2018 के दौरान गुणवत्ता अंकुरित पौधे हितधारकों को काजरी के स्टाफ द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा



चित्र 2: काजरी द्वारा आयोजित किसान मेला 2018 के दौरान काजरी के कृषि विज्ञान केन्द्र गेटवे द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

#### 2.2.4.4 काजरी द्वारा सूचना के भण्डार के रूप में तैयार मानचित्रों/सूचना का डिजिटलीकरण

प्राकृतिक संसाधनों तथा मरूस्थलीकरण प्रक्रिया की स्थिति पर सूचना के भण्डार के रूप में काजरी के निष्पादन पर पंचवार्षिक समीक्षा दल (क्यूआरटी) 2010-16 द्वारा यह बताते हुए सकारात्मक रूप से टिप्पणी की गई थी कि संस्थान के प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण प्रभाग ने महत्वपूर्ण डाटा तथा मानचित्रों को तैयार किया है तथा सिफारिश की कि सभी डिजिटल डाटाबेस तथा 1960 से प्रस्तुत मानचित्रों को संरक्षित किया जाना है। क्यूआरटी ने भी सिफारिश की कि एक वेबसाइट तैयार की जाए तथा उपभोक्ताओं को एक पासवर्ड के साथ पहुंच प्रदान की जाए। आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि सभी मानचित्रों का डिजिटलीकरण कर दिया गया था तथा काजरी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1974 से तैयार किए गए मानचित्रों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था (फरवरी 2019), जो एक सकारात्मक विकास है।

#### 2.2.5 कृषि विज्ञान केन्द्र (विस्तार गतिविधि)

केवीके, काजरी की विस्तार गतिविधि हेतु काजरी का एक अंग, किसानों के खेत पर नई किस्मों/प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का प्रदर्शन करने हेतु सीमावर्ती प्रदर्शनों (एफएलडी) का आयोजन करता है तथा परम्परागत प्रक्रियाओं पर नई किस्म/प्रौद्योगिकी के लाभों से परिचित कराता है। केवीके स्थान विशिष्ट धारणीय भूमि उपयोग प्रणालियों के अनुसार प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए ऑन फार्म ट्रायलस (ओएफटी) का भी उपयोग करता है। जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज स्थित काजरी के तीनों केवीके को लेखापरीक्षा में शामिल किया। इन केवीके द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में पाए गए निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

##### 2.2.5.1 सीमावर्ती प्रदर्शनों में सभी ब्लॉकों का समावेश नहीं किया गया

आईसीएआर, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान-एटीएआरआई (पहले आंचलिक परियोजना निदेशालय) के माध्यम से विभिन्न आंचलिक कार्यालयों द्वारा केवीके प्रणाली की निगरानी, समीक्षा तथा समन्वय करता है। जोधपुर तथा पाली (राजस्थान) में काजरी के केवीके का एटीएआरआई मण्डल II, जोधपुर द्वारा निगरानी की जाती है। कुकमा-भुज पर केवीके की भी, 2017-18 से एटीएआरआई मण्डल VIII, पुणे पर स्थानांतरण किए जाने से पूर्व एटीएआरआई जोधपुर द्वारा ही निगरानी की गई थी।

आंचलिक परियोजना निदेशालय, मण्डल VI, जोधपुर (अब एटीएआरआई जोधपुर) ने 2014-15 के दौरान केवीके द्वारा आयोजित किए जाने वाले एफएलडी के आबंटन के समय केवीके (मण्डल VI, राजस्थान तथा गुजरात) के सभी कार्यक्रम समन्वयकों को अनुदेश दिया (जून 2014) कि 'संबंधित केवीके पूर्ण जिले/ब्लॉकों को शामिल करें तथा सुझाव दिया कि प्राथमिकता उन ब्लॉकों/गाँव को दी जानी चाहिए जिन्हें अभी तक एफएलडी, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।'

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवीके, जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज द्वारा 2012-17 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार के अधीन एफएलडी के अंतर्गत ब्लॉकों का समावेश 7,10 तथा 5 ब्लॉकों के प्रति केवल क्रमशः 3, 5-6 तथा 3-5 ब्लॉक था जिसका परिणाम शामिल न किए गए ब्लॉकों के किसानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई किस्मों/प्रौद्योगिकियों को अपनाने/लाभों से वंचित रहने में हुआ। तथापि, 2017-18 के दौरान केवीके ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी ब्लॉकों को एफएलडी हेतु शामिल किया।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि प्रत्येक वर्ष एफएलडी ने सभी ब्लॉकों को शामिल करना श्रमशक्ति तथा गतिशीलता की सीमा के कारण संभव नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दु का उपयुक्त रूप से समाधान किया जाएगा।

तथ्य है कि आंचलिक परियोजना निदेशक से उन ब्लॉकों जिन्हें एफएलडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था, को प्राथमिकता देने के स्पष्ट अनुदेश के बावजूद, वर्ष 2012-17 के दौरान कुछ ब्लॉकों (नौ) को एफएलडी का संचालन करने हेतु तीनों केवीके द्वारा बार-बार छोड़ा गया था।

#### 2.2.5.2 ओएफटी के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

केवीके (जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज) द्वारा 2012-18 की अवधि के लिए निर्धारित ओएफटी के लक्ष्यों की प्रति उपलब्धियों का विवरण तालिका संख्या 3 के अनुसार था:

**तालिका संख्या 3: 2012-18 के दौरान ओएफटी के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियां**

(इकाईयां संख्या में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित ओएफटी के लक्ष्य (संख्या में)			वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संचालित ओएफटी (संख्या में)			ओएफटी में कमी (संख्या एवं प्रतिशतता में)		
	केवीके जोधपुर	केवीके पाली	केवीके कुकमा-भुज	केवीके जोधपुर	केवीके पाली	केवीके कुकमा-भुज	केवीके जोधपुर	केवीके पाली	केवीके कुकमा-भुज
2012-13	5	7	4	3	5	3	2 (40)	2 (29)	1 (25)
2013-14	5	7	3	4	5	3	1 (20)	2 (29)	0 (0)
2014-15	5	10	10	5	8	4	0 (0)	2 (20)	6 (60)
2015-16	7	10	7	7	7	4	0 (0)	3 (30)	3 (43)
2016-17	8	10	9	9	10	6	0 (0)	0 (0)	3 (33)
2017-18	11	8	8	9	8	6	2 (18)	0 (0)	2 (25)

तालिका दर्शाती है कि केवीके जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज द्वारा ओएफटी का आयोजन करने में कमी 2012-18 के दौरान क्रमशः 18 से 40 प्रतिशत, 20 से 30 प्रतिशत तथा 25 से 60 प्रतिशत के बीच थी।

आईसीएआर ने बताया (जनवरी 2019) कि लक्ष्यों में कमी स्टाफ की छुट्टी, निधियों की सीमा तथा रिक्त पदों के कारण थी तथा भविष्य में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

ओएफटी लक्ष्यों को पूरा करने में कमी से बचने के लिए केवीके में छुट्टी/रिक्तता के कारण स्टाफ की कमी तथा निधि व्यवस्था से संबंधित मामलों की कल्पना की जानी चाहिए थी तथा केवीके के अध्यक्ष/संबंधित एटीएआरआई अंचल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रबंधन किया जाना चाहिए।

### 2.2.5.3 केवीके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआर दिशानिर्देशों के अनुसार, केवीके को अधिक उत्पादकता तथा स्व-रोजगार के जनन हेतु किसानों, खेती करने वाली महिलाओं, ग्रामीण युवा के लिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में ऑन-कैम्पस एवं ऑफ कैम्पस, लघु एवं दीर्घ अवधि व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना अपेक्षित था। उन्हें कृषि अनुसंधान में उभरती उन्नतियों से विस्तार कर्मियों के ज्ञान को अद्यतन करने हेतु उनके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना भी अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, काजरी के आरएफडी ने आयोजित प्रशिक्षणों के संबंध में उपलब्धियों की उच्च प्रतिशतता दर्शाई है।

लेखापरीक्षा ने काजरी के केवीके कुकमा-भुज तथा केवीके जोधपुर की वार्षिक कार्य योजनाओं तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की संवीक्षा के दौरान उनके द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन करने में निम्नलिखित कमियां पाईं:

- **प्रशिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण न करना:** केवीके कुकमा-भुज ने ग्रामीण युवा के संबंध में 2012-13, 2016-17 एवं 2017-18 तथा 2012-13, 2014-15, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रमशः 'ऑन कैम्पस' तथा 'ऑफ कैम्पस' प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे (अनुलग्नक-2.4)। इसी प्रकार, केवीके, जोधपुर में विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण के लक्ष्य वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के लिए निर्धारित नहीं किए गए थे तथा इसलिए इस अवधि के दौरान इस प्रकार के किसी प्रशिक्षणों का संचालन नहीं किया गया था।
- **ऑन कैम्पस प्रशिक्षण:** केवीके कुकमा-भुज में 2013-14 से 2015-16 के दौरान विस्तार कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण युवाओं हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत की कमी थी जहाँ लक्ष्य निर्धारित किये गए थे (अनुलग्नक 2.4)।
- **ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण:** केवीके कुकमा-भुज में 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 60.86 प्रतिशत की कमी थी जहाँ लक्ष्य निर्धारित किये गए थे (अनुलग्नक-2.4)।
- **व्यवसायिक प्रशिक्षण:** केवीके कुकमा-भुज में 2012-18 के दौरान किसानों, खेती करने वाली महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं हेतु किसी व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था।
- **पूर्व-प्रशिक्षु सम्मेलन:** केवीके को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आगे सुधार करने तथा उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उनका मूल्यांकन करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना अपेक्षित था। इसे प्रतिभागियों के साथ प्रश्नावली, साक्षात्कारों एवं बातचीत तथा पूर्व-प्रशिक्षु बैठकों के माध्यम से किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवीके, जोधपुर ने 2014-15 के दौरान एक पूर्व-प्रशिक्षु सम्मेलन का आयोजन किया तथा 2012-13, 2013-14 तथा 2015-16 से 2017-18 के दौरान कोई पूर्व-प्रशिक्षु सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था। केवीके, कुकमा-भुज में भी 2012-18 के दौरान किसी पूर्व-प्रशिक्षु सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था।

आईसीएआर ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2019) कि केवीके द्वारा प्रशिक्षणों में कमी, केवीके कुकमा-भुज में विषय विशेषज्ञ (एसएमएस)/अध्यक्ष के रिक्त पदों, छात्रावास इमारत तथा प्रदर्शन इकाई की कमी के कारण थी। आईसीएआर ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति को नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। केवीके जोधपुर के संबंध में आईसीएआर ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि केवीके जोधपुर द्वारा विस्तार कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण प्रारम्भ किए जाएंगे। पूर्व-प्रशिक्षु सम्मेलनों के संबंध में भी आईसीएआर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में कार्रवाई हेतु नोट किया।

#### 2.2.5.4 केवीके के पास अवसंरचना सुविधाओं की गैर-उपलब्धता

आईसीएआर दिशानिर्देशों<sup>40</sup> के अनुसार, प्रत्येक केवीके को अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करना अपेक्षित था जैसा नीचे तालिका में उल्लेख किया गया है। केवीके जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज में अवसंरचना सुविधाओं के संबंध में लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों का उनके प्रति उल्लेख तालिका संख्या 4 में किया गया है:

तालिका संख्या 4: अवसंरचना सुविधाओं में कमियों का विवरण

केवीके हेतु निर्धारित अवसंरचना सुविधाओं हेतु मापदण्ड	केवीके में अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति		
	केवीके जोधपुर	केवीके पाली	केवीके कुकमा-भुज
550 व.मी. के प्लिंथ क्षेत्र वाली प्रशासनिक सह प्रयोगशाला इमारत	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
305 व.मी. के प्लिंथ क्षेत्र वाला एक प्रशिक्षु छात्रावास	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
छ: स्टाफ के लिए कुल 400 व.मी. के प्लिंथ क्षेत्र वाला आवासीय अपार्टमेंट	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
ईटों की दीवार, ट्यूबलर संरचना तथा जीआई/एसबेस्टॉस शीट वाली 160 व.मी. प्रत्येक की दो प्रदर्शन इकाई	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
कम से कम पीने के लिए जल आपूर्ति का स्थायी स्रोत तथा केवीके में सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र का भाग	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

<sup>40</sup> केवीके प्रबंधकों हेतु एक मार्गदर्शिका

इस प्रकार कुछ अवसंरचना सुविधाएं, जैसा दिशानिर्देशों में निर्धारित है, केवीके जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज में उपलब्ध नहीं थी जैसा ऊपर दर्शाया गया है जिसने केवीके की गतिविधियों को प्रभावित किया। आईसीएआर द्वारा केवीके को मार्च 2018 तक निधियां प्रदान न किए जाने के कारण अवसंरचना सुविधाओं को विकसित नहीं किया गया था।

आईसीएआर ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2019) कि अवसंरचना सुविधाओं को निधियों के उपलब्ध कराए जाने पर विकसित किया जाएगा।

#### 2.2.5.5 केवीके की गतिविधियों की निगरानी

प्रत्येक केवीके में एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) है जिसकी अध्यक्षता मेजबान संस्थान (काजरी) द्वारा की जाती है तथा इसमें सदस्य सचिव के रूप में केवीके के प्रशिक्षण आयोजनकर्ताओं सहित विभिन्न कृषि संस्थानों/लाईन विभागों से सदस्य शामिल हैं। एसएसी विभिन्न मुद्दों पर केवीके को मार्गदर्शन प्रदान करती है, वार्षिक योजनाओं पर विचार करती है, उनकी गतिविधियों की प्रगति तथा उपलब्धियों की समीक्षा करती है तथा केवीके के कार्य को सुधारने हेतु सलाह देती है।

केवीके जोधपुर की एसएसी ने सिफारिश (फरवरी 2014) की कि केवीके जोधपुर बल दिए जाने वाले क्षेत्रों को पुनः परिभाषित करने हेतु तथा सौर उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी शुष्क क्षेत्रों को शामिल करके केवीके अंतरापृष्ठ कार्यशाला का आयोजन करें। हालांकि केवीके जोधपुर द्वारा अंतरापृष्ठ कार्यशाला, जैसी एसएसी द्वारा सिफारिश की गई थी, आयोजित नहीं की गयी थी।

केवीके जोधपुर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2018) कि अंतरापृष्ठ कार्यशाला का अपर्याप्त निधियों के कारण आयोजन नहीं किया जा सका था। आईसीएआर ने तथ्यों को स्वीकार (जनवरी 2019) किया तथा बताया कि अंतरापृष्ठ कार्यशाला का आयोजन करने के लिए निधियों के आबंटन हेतु केवीके द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए थे।

#### 2.2.6 संसाधनों का उपयोग

##### 2.2.6.1 वैज्ञानिक स्टाफ के रिक्त पदों की स्थिति

2012-18 के दौरान, काजरी में वैज्ञानिक स्टाफ के औसतन संस्वीकृत पद 141 थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि वैज्ञानिक स्टाफ के औसतन भरे हुए पद 92 थे

जिसका परिणाम इस अवधि के दौरान 49 पदों की औसतन कमी में हुआ जो संस्वीकृत पदों का 35 प्रतिशत था। आरआरएस, जैसलमेर में वैज्ञानिकों की औसतन कमी 65 प्रतिशत, आरआरएस, कुकमा-भुज 56 प्रतिशत थी तथा आरआरएस लेह-लद्दाख में यह 74 प्रतिशत थी जो पूर्ण के रूप में संस्थान की औसतन कमी से अधिक थी। वैज्ञानिक स्टाफ की पद-वार कमी को **अनुलग्नक-2.5** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2018 को वैज्ञानिकों के संवर्ग में 22 कार्मिक, वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संवर्ग में 16 तथा प्रधान वैज्ञानिकों के संवर्ग में सात की कमी थी। आगे यह पाया गया कि कृषि कीटविज्ञान में प्रधान वैज्ञानिक, कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि सांख्यिकी, कृषि मौसम विज्ञान एवं भौतिकी के विषयों में वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा कृषि सांख्यिकी एवं पशु आहार के विषयों में वैज्ञानिकों के पद 2012-18 की पूर्ण अवधि के दौरान रिक्त रहे जिसने इन विषयों में अनुसंधानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आईसीएआर को प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरने हेतु क्यूआरटी (2010-2016) की सिफारिश के बावजूद काजरी में कई पद रिक्त रहे।

आईसीएआर ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2019) कि रिक्त पद भर्ती की प्रक्रिया में थे तथा कुछ आरआरएस पदों को काजरी मुख्यालय से वैज्ञानिकों का स्थानांतरण करके भरा जाएगा। आईसीएआर ने आगे बताया (मई 2019) कि महत्वपूर्ण पदों पर गैर-नियुक्त कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में चल रही पुनर्गठन प्रक्रिया के कारण थी। निर्गम सम्मेलन (जून 2019) के दौरान काजरी ने आगे उत्तर दिया कि पांच वैज्ञानिकों का मुख्यालय से आरआरएस में स्थानांतरण किया गया है।

### 2.2.6.2 परिसम्पत्ति प्रबंधन

काजरी द्वारा परिसम्पत्तियों के प्रबंधन पर निष्कर्षों का अनुवर्ती पैराग्राफ में वर्णन किया गया है:

#### ➤ काजरी के अधिकार के अधीन भूमि के क्षेत्र में कमी

जोधपुर विकास प्राधिकरण<sup>41</sup> (जेडीए) ने मई 1957 से अक्टूबर 1960 के बीच

<sup>41</sup> पहले 'शहर सुधार समिति' के रूप में जाना जाता था

काजरी को 695.55 एकड़ भूमि<sup>42</sup> आबंटित की। तथापि, काजरी द्वारा आबंटन के समय पट्टानामा प्राप्त नहीं किया गया था। बाद में, आईसीएआर के निर्णय के अनुपालन में काजरी द्वारा 100 एकड़ भूमि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स जोधपुर को काजरी के पास उपलब्ध शेष भूमि को मापे बिना ही सुपुर्द की गई थी (2006)।

2015 में, पट्टानामा (जेडीए पट्टा) जारी करने के लिए एक शर्त के रूप में एक अभिकरण के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण संचालित करवाया गया था जिसने प्रकट किया कि काजरी के अधिकार में कुल भूमि 595.55 एकड़ (695.55-100) के बजाए 579.12 एकड़ थी। जीओआई के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राजस्थान सरकार के निदेशों के अनुपालन में 67 एकड़ भूमि काजरी द्वारा फिर से एम्स को सुपुर्द (2016) की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टानामा (जेडीए पट्टा) जारी किया जाना निम्नानुसार भूमि के अधिकार में विसंगतियों के कारण जेडीए के पास लम्बित था जैसा तालिका संख्या 5 में दिया गया है:

**तालिका संख्या 5: भूमि के अधिकार में विसंगतियाँ**

क्र.सं.	विवरण	एकड़ में भूमि का क्षेत्रफल
1.	1957 से 1960 के दौरान जेडीए द्वारा काजरी को आबंटित भूमि	695.55
2.	2006 तथा 2016 में काजरी द्वारा एम्स, जोधपुर को स्थानांतरित कुल भूमि (100 एकड़+67 एकड़)	167.00
3.	भूमि का कुल क्षेत्र जो काजरी के अधिकार में होना चाहिए	528.55
4.	काजरी के अधिकार में भूमि का वास्तविक क्षेत्र (2015 में भूमि सर्वेक्षण के दौरान निर्धारित)	512.12
5.	कम अधिकृत पाए गए भूमि का क्षेत्र	16.43

इसलिए, काजरी के पास 528.55 एकड़ के स्थान पर 512.12 एकड़ का अधिकार जिसका परिणाम 16.43 एकड़ की कमी में हुआ। काजरी ने जेडीए (नवम्बर 2016) को आबंटित भूमि के खसरा-वार विवरण प्रदान करने तथा सही खसरा का पता लगाने के लिए लिखा जो कम अधिकृत भूमि के अनुरूप होगा। जेडीए ने सूचित (दिसम्बर 2016) किया कि उनके पास उपलब्ध इस भूमि का राजस्व मानचित्र फटी हुई हालत में था तथा विवादित भूमि की खसरा संख्या

<sup>42</sup> 6 मई 1957 को 162.95 एकड़, 6 मार्च 1960 को 95.80 एकड़ तथा 6 अक्टूबर 1960 को 436.80 एकड़

का पता नहीं लगाया जा सकता था। बाद में, तहसीलदार (भूमि अभिलेख), जोधपुर की रिपोर्ट (नवम्बर 2019) के आधार पर जेडीए ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि काजरी को भूमि के आबंटन के समय (1957 से 1960) काजरी के उत्तरी तथा पूर्वी ओर की तरफ कच्ची सड़क थी तथा वर्तमान सड़कों को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा कर दिया गया है जो काजरी भूमि के साथ लगी हद्दी मील कालोनी भूमि का हिस्सा थी। इसलिए हद्दी मील कालोनी तथा कच्ची सड़कों को चौड़ा करने के कारण काजरी की भूमि 16.43 एकड़ तक कम हुई है।

काजरी ने प्रारम्भिक स्वामित्व के दौरान तथा विभिन्न चरणों में सीमा दीवार के निर्माण के दौरान भी भूमि को नहीं मापा था। काजरी के पास उपलब्ध शेष भूमि का एम्स, जोधपुर को सुपुर्दगी के समय भी कोई माप नहीं लिया गया था। 16.43 एकड़ की भूमि जो बहुत मूल्यवान<sup>43</sup> है, संस्थान के अधिकार में नहीं है।

आईसीएआर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2019) कि संस्थान मामले को आगे जिला प्रशासन के साथ उठाएगा।

## 2.2.7 निष्कर्ष

संस्थान ने प्रारम्भ से 21 वाणिज्यीकरण योग्य/बिक्री योग्य प्रौद्योगिकियाँ विकसित की परंतु इसको बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रसारित नहीं किया गया था। 2005 से काजरी ने किसी भी नई खाद्यान्न फसल किस्म का बीज जारी नहीं किया। नमूना जांच किए गए 35 मामलों में यह पाया गया था कि काजरी, अनुसंधान परियोजना के चयन हेतु प्राथमिक रूप से वैज्ञानिकों पर निर्भर था तथा अनुसंधान विषय चयन में हितधारकों एवं किसानों की भागीदारी को दर्शाने हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। काजरी द्वारा 2012-18 के दौरान प्रकाशित औसतन शोध पत्र 68 प्रतिवर्ष थे; शोध पत्रों को एनएएस द्वारा कम रेटिंग वाले जर्नलों में प्रकाशित किया गया था तथा शोध पत्रों का उद्धरण सूचकांक अधिकतम शोध पत्रों के लिए कम था। अनुसंधान और परिचालन गतिविधियों को पूरा करने के लिए, काजरी ने 2012-

<sup>43</sup> 16.43 एकड़ भूमि की कीमत ₹71.56 करोड़ आंकी गई थी। उद्योग नगर कालोनी के निकटवर्ती ₹1000 प्रति व.फुट की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) दर के आधार पर परिकल्पित क्योंकि खसरा-वार मानचित्र उपलब्ध नहीं है इसलिए काजरी तथा उद्योग नगर कालोनी की एक ही खसरा संख्या वाली भूमि के डीएलसी दर पर कम कब्जेवाली भूमि की कीमत हेतु विचार किया गया है।

18 के दौरान आईसीएआर से ₹20.90 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति ₹10.29 करोड़ का अल्प अनुदान जो काजरी को कुल आबंटन का 2.23 प्रतिशत था, प्राप्त किया। इसलिए काजरी के 97 प्रतिशत से अधिक का अनुदान वेतन तथा संबंधित व्यय के लिए उपयोग किया गया था।

विस्तार गतिविधियों अर्थात् एफएलडी के अंतर्गत ब्लॉकों को शामिल करना, ओएफटी के लक्ष्य प्राप्त करने में तथा केवीके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन आदि में कमियां पाई गई थी। अवसंरचना सुविधाएं, जैसा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया, केवीके जोधपुर, पाली तथा कुकमा-भुज में उपलब्ध नहीं थे। वैज्ञानिक स्टाफ के संबंध में 35 प्रतिशत की औसत कमी थी। काजरी 2015 तक इससे अवगत नहीं था कि संस्थान के पास ₹71.56 करोड़ की कीमत की 16.43 एकड़ भूमि का कम अधिकार है।

इन बिन्दुओं को अक्टूबर 2018 तथा जून 2019 में मंत्रालय को भेजा गया था तथा दिसम्बर 2019 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

## अध्याय: III संस्कृति मंत्रालय

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

### 3.1 भारतीय संग्रहालय, कोलकाता का आधुनिकीकरण

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता ने नामांकन आधार पर आधुनिकीकरण कार्य सौंपा तथा किसी संरक्षण योजना अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा उपयुक्त योजना के बिना कार्य निष्पादन किया। आधुनिक भण्डारण प्रणाली, अग्निशमन, अग्नि संसूचन एवं रोकथाम से संबंधित मुख्य निर्माणकार्यों को एचवीएसी ने प्रारम्भ नहीं किया था, जबकि संस्वीकृत थे। उसने वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया था तथा प्रारम्भिक चरणों पर कार्य की गुणवत्ता की निगरानी में भी विफल था। ₹83.66 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत निर्माण कार्यों को ₹105.70 करोड़ में निष्पादित किया गया था। जिसमें ₹25.76 करोड़ की लागत के उन निर्माण कार्यों जिन्हें कभी सौंपा ही नहीं गया था, सम्मिलित थे। नवीनीकरण के दौरान उचित संरक्षण प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई जिसके कारण अमूल्य कलाकृतियों को नुकसान पहुंचा।

#### 3.1.1 पृष्ठभूमि तथा आधुनिकीकरण का विहंगावलोकन

1814 में 'द एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम' के रूप में स्थापित भारतीय संग्रहालय (आईएम), कोलकाता को एशियाटिक सोसाइटी से वर्तमान बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया था तथा 1878 में 'इम्पीरियल संग्रहालय' के रूप में जनता के लिए खोला गया था और बाद में उसका 'भारतीय संग्रहालय' के रूप में नाम परिवर्तन किया गया था। आईएम भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जिसमें न्यासी मंडल (बीओटी) इसका शीर्ष निकाय है।

बीओटी ने 2014 में द्विशती समारोह को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2008 में भारतीय संग्रहालय द्विशती विज्ञान धारणा एवं विकास समिति (आईएमबीवीसीडीसी) का गठन करके संग्रहालय के नवीनीकरण, उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की। तदनुसार, आईएम ने बीओटी के अनुमोदन से, विभिन्न बिल्डिंगों की पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण के लिए अगस्त 2011 में मैसर्स एनबीसीसी (इण्डिया) लि. (एनबीसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। तत्पश्चात, आईएम ने निम्नलिखित को प्रारम्भ करने के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2013):

- (ए) सिविल इंजीनियरिंग तथा संरक्षण वास्तुकार में उपलब्ध श्रेष्ठ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के अधीन धरोहर बिल्डिंग का पुनरुद्धार, मरम्मत तथा रंगाई;
- (बी) संग्रहालय की गैलरियों का आधुनिकीकरण; तथा
- (सी) नई आगंतुक सुविधाएं जैसे शौचालय, कैफेटेरिया, स्मारिका स्थलों की वृद्धि आदि।

पूर्ण आधुनिकीकरण कार्य को तीन स्रोतों द्वारा वित्तपोषित/अनुमोदित किया गया-

- (i) आईएम ने अग्निरोधी प्रवृत्ति (एफपीएस) बिल्डिंग के बाहरी भाग की पुनरुद्धार तथा नवीनीकरण हेतु अपनी निधियों/सामान्य अनुदान में से ₹0.66 करोड़ संस्वीकृत किए (2011);
- (ii) आईएम ने 'महानगरों में संग्रहालयों के आधुनिकीकरण की योजना' के अंतर्गत एमओसी से ₹ नौ करोड़ प्राप्त किए (मार्च 2013); तथा
- (iii) एमओसी ने एसएफसी के अनुमोदन (जून 2013) के पश्चात ₹99.76 करोड़ संस्वीकृत किए।

इस प्रकार, आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध पूर्ण राशि ₹109.42 करोड़ थी तथा प्रत्येक निर्माण कार्य को भुगतान की प्राप्ति की तिथि से दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था।

एनबीसीसी ने पूर्ण कार्य को 23 पैकेजों (अनुलग्नक-3.1) में विभाजित किया तथा इन पैकेजों को उप-ठेकेदारों को सौंपा (अक्टूबर 2011 से जून 2016 तक), उप-ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलों की संवीक्षा के पश्चात भुगतान जारी किए तथा समायोजन/प्रतिपूर्ति हेतु आईएम को व्यय विवरणी प्रस्तुत की। सौंपे गए पैकेजों को ₹105.70 करोड़ की लागत पर पूरा<sup>1</sup> किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूरा किए गए निर्माण कार्यों को सुपुर्द करने/लेने का कोई उचित अभिलेख नहीं था।

---

<sup>1</sup> एफपीएस बिल्डिंग-नवम्बर 2011 में एनबीसीसी को निधि अदा की गई तथा कार्य को मार्च 2013 में समाप्त किया गया दर्ज किया; मेट्रो संग्रहालय- जून 2012 में एनबीसीसी को निधि अदा की गई तथा कार्य को मई 2014 में समाप्त किया गया दर्ज किया; आधुनिकीकरण- अगस्त 2013 में एनबीसीसी को निधि अदा की गई तथा कार्य को अप्रैल 2015 में समाप्त किया गया दर्ज किया;

### 3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, विषय क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

आईएम के आधुनिकीकरण पर लेखापरीक्षा मूल्यांकन करने के लिए प्रारम्भ की गई थी कि क्या-

- (ए) आधुनिकीकरण संबंधित सरकारी नियमों एवं विनियमों के अनुरूप तथा निर्धारित समय सीमा एवं लागत के भीतर किया गया था;
- (बी) आईएम ने उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण एवं दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी निगरानी क्रियाविधि का पालन किया; तथा
- (सी) अमूल्य कलाकृतियों को बिना नुकसान पहुँचाए आधुनिकीकरण के अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था।

आईएम तथा एनबीसीसी के बीच एमओयू के प्रावधानों, फाइलों, दस्तावेजों तथा अन्य संबंधित सूचना लेखापरीक्षित इकाई से मांग की गई थी। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों/सूचना का लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संबंध में विश्लेषण किया।

आईएम ने जाँच परिणामों पर अपनी टिप्पणियां नहीं दी थी परंतु आईएम के प्रबंधन के साथ 29 जुलाई 2019 को एक समापन सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा जाँच परिणामों पर उनके विचारों को दर्ज किया गया था। मामला एमओसी को सूचित (सितम्बर 2018) किया गया था तथा उनका उत्तर मार्च 2020 तक प्रतीक्षित था।

### 3.1.3 अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण

आईएम की आधुनिकीकरण परियोजना की लेखापरीक्षा अप्रैल 2018 से प्रारम्भ की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान आधुनिकीकरण परियोजना, जो 2008 से प्रारम्भ की गई थी तथा अप्रैल 2015 तक समाप्त की गई थी, से संबंधित अभिलेखों की मांग आईएम के प्राधिकारियों से की गई थी। मांगे गए अभिलेखों में आईएम को कार्य सौंपने से संबंधित फाइलें, न्यासी मंडल, वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, मंत्रालय का पत्राचार, परियोजना कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति, परियोजना के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति से संबंधित फाइलें, सभी कार्य से संबंधित/पैकेज से संबंधित फाइलें आदि शामिल थीं।

उत्तर में, आईएम ने सुरक्षा अधिकारी, आईएम द्वारा मांग किए गए अधिकांश दस्तावेजों/फाइलों की हानि के संबंध में न्यू मार्केट पुलिस थाना, कोलकता में 24 जुलाई 2018 को दर्ज शिकायत की एक प्रति प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त,

यह दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि (i) अवधि जब से अभिलेख अनुपलब्ध थे/पता नहीं लग रहा था; (ii) संबंधित अभिलेखों का पता लगाने हेतु आईएम प्राधिकारियों द्वारा प्रयासों; (iii) क्या मामले को एमओसी को सूचित किया गया था/उठाया गया था; तथा (iv) क्या अभिलेखों का अनुरक्षण करने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी। मंत्रालय के पास उपलब्ध संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इसलिए, लेखापरीक्षा निष्कर्ष आईएम तथा एनबीसीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमित दस्तावेजों पर आधारित है।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की संवीक्षा पर निम्नलिखित जाँच अभ्युक्तियाँ वर्णित हैं:

#### 3.1.4.1 विषय क्षेत्र में कमी तथा इसके प्रभाव


एमओसी (₹108.76 करोड़) से प्राप्त निधियों तथा ₹0.66 करोड़ की सीमा तक आईएम द्वारा सामान्य अनुदान से संस्वीकृत निधियों के साथ आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक तीन संस्वीकृतियों/स्रोतों के अंतर्गत प्रत्याशित क्षेत्र की तुलना में वास्तव में निष्पादित कार्य का क्षेत्र तालिका सं.-1 में दिया गया है:

तालिका सं.-1: प्रत्याशित क्षेत्र की तुलना में वास्तव में निष्पादित कार्य का क्षेत्र

संस्वीकृति/स्रोत	क्षेत्र तथा अनुमानित लागत	निष्पादित वास्तविक क्षेत्र तथा व्यय
सामान्य अनुदान से आईएम	अग्निसह प्रवृत्ति (एफपीएस) की बिल्डिंग के बाहरी अग्रभाग का पुनरुद्धार तथा नवीनीकरण (₹0.66 करोड़)	संपूर्ण कार्य ₹0.49 करोड़ के व्यय के साथ मार्च 2013 तक समाप्त किया गया था।
एमओसी के अंतर्गत 'महानगरों में संग्रहालय के आधुनिकीकरण की योजना'	(i) मुख्य संग्रहालय बिल्डिंग के बाहरी अग्रभाग का पुनःस्थापन पुनरुद्धार तथा नवीनीकरण (₹6.75 करोड़); (ii) शौचालयों का निर्माण	₹9.34 करोड़ के व्यय के पश्चात केवल मुख्य संग्रहालय बिल्डिंग के बाहरी अग्रभाग के पुनरुद्धार, मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा शौचालयों

	लिफ्टों का प्रतिस्थापन (₹2.22 करोड़); तथा (iii) मुख्य संग्रहालय बिल्डिंग में ग्रेविटी फॉल सिस्टम (अग्नि सुरक्षा) (₹0.03 करोड़)	का निर्माण पूरा हुआ था। लिफ्ट बदलने में संबंधित निर्माण कार्य को अभी भी पूरा किया जाना है तथा मुख्य संग्रहालय बिल्डिंग में ग्रेविटी फॉल सिस्टम (अग्नि सुरक्षा) से संबंधित निर्माण कार्य को अभी सौंपा जाना है।
एमओसी एसएफसी के अनुमोदन के सहित	आईएम का पुनःस्थापन नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (₹99.76 करोड़)	निर्माण कार्य को ₹95.87 करोड़ के व्यय पर निष्पादित तथा समाप्त किया गया था। कार्य का मुख्य भाग अर्थात् रिज़र्व स्टोर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण, अग्नि शमन, अग्नि संसूचन एवं बचाव प्रणाली तथा हीटिंग वेंटिलेशन एवं वातानुकूलन (एचवीएसी) प्रणाली स्थापित करना जो ₹25.73 करोड़ पर अनुमानित थी, को अभी तक सौंपा ही नहीं गया था।

इसके अतिरिक्त, निष्पादित एवं समाप्त किए गए 23 पैकेजों के लिए भी लेखापरीक्षा ने प्रारम्भिक अनुमानों के संदर्भ में ठेके देने तथा निष्पादन में बड़ी विविधता देखी जो दर्शाती है कि पैकेजवार बीओक्यू तैयार करते समय यथोचित परिश्रम नहीं किया गया तथा इसलिए अतिरिक्त/अधिक व्यय हुआ था।



विस्तृत अनुमानों तथा गैर-अनुसूचित मदों के लिए दर विश्लेषण से संबंधित अभिलेखों के अभाव में लागतों में विविधता के कारणों का विश्लेषण करने में लेखापरीक्षा असमर्थ थी। ठेके की लागत के साथ अनुमानित लागत का सहसंबंध भी लेखापरीक्षा स्थापित नहीं कर सकी थी क्योंकि 'एसएफसी संस्वीकृति के अनुसार अनुमानित लागत' तथा 'कार्य सौंपने' के अनुसार अनुमानित लागत में निर्माण कार्यों के वर्णन/नामावली में अंतर था। इसके अतिरिक्त, निष्पादित किए 23 पैकेजों में कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को शामिल न करने तथा बाद में न सौंपे जाने के प्रभाव की नीचे चर्चा की गई है:-

#### (ए) आरक्षित कलाकृतियों का भण्डारण

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरक्षित कलाकृतियों के भण्डारण तथा रखरखाव की परियोजना निष्पादन के दौरान पूरी तरह से अवहेलना की गई थी जबकि कलाकृतियों हेतु ₹15.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर आधुनिक भण्डारण प्रणाली प्रदान करने के प्रावधान को एसएफसी प्रस्ताव में शामिल किया था। रिजर्व, जो संग्रहालय के संग्रहण के लगभग 94 प्रतिशत है तथा अकार्बनिक वस्तुओं से बने हैं जो ताप एवं नमी से अति संवेदनशील हैं, अब अत्यधिक तापमान एवं नमी प्रसरण, ढहती दीवारें, धूल, नमी, पानी का सीलन, खुली लटकती बिजली की तारों तथा अवैज्ञानिक भण्डारण प्रणालियों में पड़े हैं। रिजर्व भण्डारण में अग्नि पहचान प्रणाली, एचवीएसी तथा सीसीटीवी चौकसी भी प्रदान नहीं की गई थी जबकि इसे अनुमोदित लागत में शामिल किया गया था।



रिज़र्व भण्डार- जंग तथा दीमक वाली छत, जमीन पर कलाकृतियाँ, कपड़े के बंडल तथा ढेर।




### (बी) अग्नि संसूचन, अग्निशमन तथा रोकथाम प्रणाली

आग से खतरे तथा जीवन एवं संपत्ति की हानि को कम करने की दृष्टि से दिशानिर्देश<sup>2</sup> एक संग्रहालय में आग का पता लगाने के लिए आग/धुआं संसूचक, हस्तचालित अलार्म एवं सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, अग्निशामक, सार्वभौमिक रूप से समझे जाने वाले आपातकाल संकेतकों वाले स्पष्ट रूप से चिन्हित निकास मार्ग, आपातकालीन प्रकाश, जन उद्घोषणा प्रणाली इंटरकॉम आदि होना निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित एसएफसी प्रस्ताव (जून 2013) में ₹4.08 करोड़ के अनुमानित व्यय के 'अग्नि संसूचन, अग्निशमन एवं रोकथाम प्रणाली' से संबंधित निर्माण कार्य शामिल थे। यद्यपि इन निर्माण कार्यों को निष्पादित पैकेजों में शामिल नहीं किया गया था। बाद में, एनबीसीसी (जून 2016) ने

<sup>2</sup> राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता 2005 के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा पर दिशानिर्देशों; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी संग्रहालय हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों; तथा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा जारी संग्रहालयों में आपदा तैयारियों हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार।

अग्नि शमन प्रणाली, संकेतकों तथा अन्य स्थापित करने के लिए कुल ₹1.84 करोड़ का एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फिर भी आईएम द्वारा इन प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तथा संग्रहालय मौजूदा पुरानी अग्नि शमन प्रणाली के साथ चल रहा है (सितम्बर 2019)। इसके अतिरिक्त, आईएम ने स्वीकार किया कि उन्होंने दमकल विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं किया था तथा यह भी बताया कि एनबीसीसी ने, आधुनिकीकरण प्रक्रिया के दौरान, मौजूदा फायर हाईड्रेंट हटा दिए थे जिन्हें बाद में नहीं लगाया गया था।



विघटित अग्निशमन उपकरण के चित्र

एनबीसीसी ने बताया (मई 2019) कि वर्कफ्रंट की टुकड़ों में उपलब्धता के कारण अग्निशमन प्रणाली को लगाया नहीं जा सका था।

उपयुक्त अग्नि संसूचन एवं अग्निशमन प्रणाली के अभाव में वह भी इस स्थिति में जब मौजूदा प्रणाली को हटा दिया गया है, स्टाफ, आगंतुकों तथा अमूल्य कलाकृतियों के बचाव एवं सुरक्षा को खतरे में डालता है।

#### (सी) लिफ्ट का संस्थापन

आशय पत्र (एलओआई) सं. 1017, जिसमें मुख्य संग्रहालय बिल्डिंग में लिफ्ट का प्रतिस्थापन शामिल था, अगस्त 2013 में एनबीसीसी द्वारा सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹0.21 करोड़ के मूल्य के लिफ्ट घटकों का प्रापण किया गया था तथा संस्थापन के स्थान को अंतिम रूप देने से पहले उसे कार्य स्थल पर रखा गया था (मई 2014)। लिफ्ट को, उपयुक्त जगह/स्थान

उपलब्ध कराने में आईएम की विफलता के कारण अब तक (सितम्बर 2019) स्थापित नहीं किया जा सका था। निकास बैठक में आईएम द्वारा इसकी पुष्टि की गयी थी।



आईएम परिसर में ढेर लगे हुए लिफ्ट के घटक

मुख्य संग्रहालय बिल्डिंग में तीन तल है तथा लिफ्ट के अभाव से वृद्ध एवं दिव्यांगजन दर्शकों को सभी गैलरियों में जाने में बाधा डालता है तथा इस प्रकार नवीनीकरण परियोजना प्रारम्भ करने के उद्देश्य को आंशिक रूप से विफल करता है।

#### (डी) हीटिंग, वेंटिलेशन तथा वातानुकूलन (एचवीएसी) प्रणाली

एचवीएसी प्रणाली का प्रस्थापन एसएफसी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में शामिल किया गया था परंतु कार्य को निष्पादित 23 पैकेजों में शामिल नहीं किया गया था। गैलरियों तथा रिजर्व भण्डार में एचवीएसी का प्रस्थापन केवल दर्शकों की सुविधा के रूप में ही नहीं बल्कि एक नियंत्रित वातावरण बनाए रखने तथा जैविक वस्तुओं की तापमान एवं नमी परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, ₹25.76 करोड़ पर अनुमानित निर्माण कार्यों के क्षेत्र की कटौती से अलग इजीप्टियन गैलरी जैसी महत्वपूर्ण गैलरी, यद्यपि योजना के बावजूद भी नवीनीकरण नहीं किया गया था, कुछ गैलरियों को आंशिक रूप से पुर्ननिर्मित किया गया था (पूर्व व प्रोटो इतिहास गैलरी एवं मुखौटा गैलरी) और कुछ निर्माण कार्यों को आंशिक रूप से समाप्त (प्रशासनिक बिल्डिंग का नवीनीकरण तथा लिफ्ट का प्रस्थापन) किया गया था तथा ₹109.42 करोड़ में से ₹105.70 करोड़ की लगभग पूर्ण निधि का व्यय किया गया था।

### 3.1.4.2 निष्पादित निर्माण कार्यों की योजना

#### (ए) नीति, दिशानिर्देशों की पर्याप्तता

स्मारकों के संरक्षण तथा पुनरुद्धार में सभी विज्ञानों तथा तकनीकों का सहारा लिया जाना चाहिए जो वास्तुशिल्पीय धरोहर<sup>3</sup> के अध्ययन एवं सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संग्रहालयों के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु एमओसी द्वारा जारी कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों/निर्धारित मापदण्ड नहीं थे। एक व्यापक संरक्षण नीति/योजना तथा बेंचमार्क के अभाव में पूर्ण कार्य कार्यकारी अभिकरण के डिजाईनों एवं स्वनिर्णय के अनुसार निष्पादित किया गया था जिनकी धरोहर इमारत के संरक्षण में कोई विशेषज्ञता नहीं थी।

वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु उचित संरक्षण योजना और अनुमान तैयार किए जाने हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम के आधुनिकीकरण गतिविधियों के दौरान उपरोक्त प्रक्रियाओं से विचलन थे जैसा नीचे दिया गया है:

- (i) एनबीसीसी द्वारा किए जाने वाले आधुनिकीकरण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु आईएम द्वारा संरक्षण वास्तुकार नियुक्त नहीं किया गया था। यहाँ तक कि आधुनिकीकरण कार्य में आईएम के क्यूरेटोरियल सदस्य भी शामिल नहीं थे।
- (ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले आईएम द्वारा कोई गैलरी-वार कथानक तैयार नहीं की गई थी तथा ना ही एनबीसीसी को प्रदान की गई थी।
- (iii) निर्धारण रिपोर्ट, कार्यप्रणाली तथा पुनरुद्धार कार्य हेतु उपयोग की गई सामग्री के मात्रा बिल (बीओक्यू) का आईएम के विशेषज्ञ निकाय द्वारा परीक्षण तथा पुनरीक्षण नहीं किया गया था।
- (iv) आधुनिकीकरण कार्य के दौरान कलाकृतियों को संभालने के लिए आईएम द्वारा कोई दिशानिर्देश/निदेश तैयार/जारी नहीं किए गए थे।

इन पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

---

<sup>3</sup> स्मारकों एवं स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय परिषद (आईसीओएमओएस) का स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए अंतरराष्ट्रीय चार्टर।

### (बी) अवधारणा योजना की तैयारी

आईएमबीवीसीडीसी का गठन (जुलाई 2008) करने के पश्चात आईएम ने सितम्बर 2008 में विज्ञापनों के माध्यम से आईएम के 'नवीनीकरण, उन्नयन तथा आधुनिकीकरण' के लिए रुचि अभिव्यक्ति की मांग की। आईएम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/परियोजना अनुमान तैयार करने का कार्य सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 के नियम 204 (v) के उल्लंघन में बिना किसी औपचारिक अनुबंध के एक निजी एजेन्सी को सौंपा (दिसम्बर 2008)। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम ने जनवरी 2009 में बीओटी के प्राधिकार देने के पश्चात, अवधारणा योजना तैयार करने के लिए मैसर्स डीबीए पार्टनर्स को ₹16.50 लाख अदा किए।

आईएम ने बाद में मैसर्स डीबीए पार्टनर्स द्वारा नगरपालिका उपनियमों के अनुपालन तथा धरोहर के दृष्टिकोण सहित संरचनात्मक तथा निर्माण सहायता के पहलू से तैयार की गई अवधारणा योजना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को नियुक्त किया (मई 2010) तथा 2014 में आईएम के द्विशती समारोह के संबंध में आईएम परिसर का विस्तृत सर्वेक्षण के प्रति ₹22.93 लाख अदा किए (सितम्बर 2013)। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार की गई विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट अभिलेख में नहीं पाई गई। इस बीच एनबीसीसी द्वारा जादवपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से फिर से "भारतीय संग्रहालय मुख्य बिल्डिंग का स्थिति सर्वेक्षण" कराया गया (अप्रैल 2012) जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए, यदि किया गया, सर्वेक्षण को भी व्यर्थ प्रस्तुत करता है। मैसर्स डीबीए पार्टनर्स द्वारा तैयार योजना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

आईएम ने बताया (समापन बैठक) कि बीओटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई बीओटी की बैठक (जुलाई 2010) में आईएम, सीपीडब्ल्यूडी तथा मैसर्स डीबीए पार्टनर्स के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध को रोकने का निर्णय लिया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि बल बाहरी वृद्धि/विस्तार हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध करने के बजाए संग्रहालय की गैलरियों के आंतरिक भाग पर कार्य करने पर होना चाहिए। तथापि, इस निर्णय ने ₹0.39 करोड़ (मैसर्स डीबीए पार्टनर्स तथा सीपीडब्ल्यूडी को अदा किए क्रमशः ₹16.50 लाख + ₹22.93 लाख) को निष्फल प्रस्तुत किया।

### (सी) एनबीसीसी को कार्य सौंपना

आईएम ने एमओसी के सुझाव तथा बीओटी की बैठक (जनवरी 2011) में विचार विमर्श के आधार पर आईएम के 'मरम्मत एवं नवीनीकरण' कार्य को

धरोहर इमारत के संरक्षण कार्य के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता का निर्धारण किए बिना नामांकन आधार पर एनबीसीसी को सौंपा (अगस्त 2011)। सीपीडब्ल्यूडी की व्यस्तता तथा अन्य परियोजनाओं में भागीदारी के कारण एनबीसीसी को प्राथमिकता दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने आधुनिकीकरण कार्य निष्पादित करने में अपनी इच्छा प्रकट की थी (मई 2010) तथा इसे किसी भी विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण के बिना किया जाना था क्योंकि यह एक केन्द्रीय सरकार से वित्तपोषित परियोजना है। आईएम ने आधुनिकीकरण कार्य पर अभिकरण प्रभारों के प्रति एनबीसीसी को ₹6.89<sup>4</sup> करोड़ अदा किए (मार्च 2018 तक) तथा यदि इस कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी को नियुक्त किया गया होता तो यह परिहार्य था।

**(डी) एनबीसीसी के साथ हस्ताक्षर किया गया समझौता ज्ञापन (एमओयू)**

जीएफआर 2005 का नियम 204 संविदा करने के सामान्य सिद्धांतों का अनुबंध करता है, उनके अनुसार संविदा के निबंधन सटीक, निश्चित तथा बिना किसी अस्पष्टता के होने चाहिए। निबंधनों में संदिग्ध तथा अनिश्चित देयता शामिल नहीं होने चाहिए। एमओयू में अशक्तता तथा प्रावधानों के गैर अनुपालन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- (i) एमओयू के खंड 4.4 के अनुसार एनबीसीसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी थी जो नहीं की गई।
- (ii) एमओयू के खण्ड 4.8 ने एनबीसीसी को किसी भी क्षति, हानि टूट-फूट आदि जो किसी भी कारण अथवा कर्मचारी की गलती के कारण हुई हो, के प्रति किसी भी देयता से मुक्त किया।
- (iii) खंड 8 (भुगतान का प्रकार) के अनुसार, अनुमोदित डीपीआर के आधार पर आईएम को ब्याज मुक्त प्रारम्भिक अग्रिम के रूप में एनबीसीसी को अनुमोदित लागत का 40 प्रतिशत जमा करना था। हालांकि, एनबीसीसी द्वारा कोई डीपीआर तैयार नहीं की गयी थी फिर भी आईएम ने एनबीसीसी को ब्याज मुक्त अग्रिम दिया। आईएम ने इसे स्वीकार किया।
- (IV) एनबीसीसी की ओर से चूक के लिए एमओयू में परिनिर्धारित हानियों अथवा त्रुटि देयता अवधि हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

---

<sup>4</sup> परियोजना प्रबंधन कंसलटेंसी के माध्यम से किए गए कार्य के कुल मूल्य का सात प्रतिशत (₹98.38 करोड़)

उपर्युक्त (i) से (ii) तक एमओयू की शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामों पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है:

### (ई) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

एमओयू की धारा 4.4 ने विनिर्दिष्ट किया कि एनबीसीसी को आईएम द्वारा संकल्पनात्मक परियोजना रिपोर्ट (सीपीआर) के अनुमोदन के पश्चात विस्तृत योजनाएं, डिजाइनों तथा डीपीआर तैयार करने थे। एनबीसीसी ने केवल सीपीआर (अक्टूबर 2012) तैयार किया था तथा कोई डीपीआर तैयार नहीं किया गया था। सीपीआर को किए जाने वाले आधुनिकीकरण निर्माण कार्यों के आधार पर तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीआर में निम्नलिखित सूचना की कमी थी जिसे तैयार किये जाने वाले डीपीआर में शामिल किया जाना चाहिए था-

- (i) विस्तृत वास्तुशिल्पीय, संरचनात्मक एवं फ्लोचार्ट चित्र तथा अनुमोदित लेआउट योजनाएं;
- (ii) प्रत्येक कार्य/मद की विस्तृत विशिष्टताएं;
- (iii) योजना के सभी संघटकों हेतु संरचनात्मक चित्र/डिजाइन परिकलन;
- (iv) योजना के सभी संघटकों हेतु संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने सहित विस्तृत इलेक्ट्रिकल/मैकनिकल चित्र/डिजाइन परिकलन;
- (v) योजना में प्रस्तावित सभी गैर-अनुसूचित मदों हेतु विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं;
- (vi) निविदा दस्तावेज, निविदा ड्राइंग, अनुमानों एवं विशिष्टताओं आदि की अपेक्षित प्रति;
- (vii) टेक ऑफ शीट सहित उचित प्रकार से मूल निर्धारित मात्रा बिल; तथा
- (viii) गैर-अनुसूचित मदों के लिए कोटेशन से समर्थित बाजार दर विश्लेषण।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम ने, डीपीआर तथा विस्तृत अनुमानों को तैयार करने पर जोर दिए बिना, उपर्युक्त कमियों के साथ केवल सीपीआर के आधार पर एनबीसीसी को कार्य निष्पादित करने को अनुमत किया तथा मार्च 2018 तक ₹105.70 करोड़ जारी किये।

एनबीसीसी ने बताया (मई 2019) कि चूंकि प्रदर्शन के ब्यौरे आदि सहित आधुनिकीकरण योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा कार्य को चरणों में किया जाना था इसलिए डीपीआर तैयार नहीं किया जा सका था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्थल सहित कार्य क्षेत्र एनबीसीसी को उपलब्ध था। डीपीआर तथा विस्तृत अनुमानों के अभाव में निष्पादित किए जाने हेतु योजना की गई मदों को वास्तव में निष्पादित कार्य के साथ तुलना नहीं की जा सकी थी। कथित विशिष्टताओं के अभाव ने गुणवत्ता नियंत्रण में भी बाधा डाली। प्रमाणीकरण का कोई मापदण्ड नहीं था जो निष्पादित मात्राओं में बड़े विचलन का कारण बना जैसा 3.1.4.3(ए)(i) पर अनुवर्ती पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

### 3.1.4.3 निर्माण कार्यों का निष्पादन

एनबीसीसी ने आधुनिकीकरण कार्य को 23 पैकेजों में विभाजित किया तथा अक्टूबर 2011 से जून 2016 के बीच इन्हें उप-ठेकेदारों को सौंपा। लेखापरीक्षा ने परियोजना के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे पाए:-

#### (ए) अनुमान की तैयारी

लेखापरीक्षा ने अनुमानों की विस्तृत जांच हेतु पांच करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए वास्तविक लागत वाले पांच पैकेजों का चयन किया। तथापि, ₹86.82 करोड़ के वास्तविक व्यय वाले केवल चार पैकेजों<sup>5</sup> से संबंधित मात्रा बिल (बीओक्यूएस) तथा अंतिम बिल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे।

#### (i) विचलन

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि व्यय में ₹51.10 करोड़<sup>6</sup> का पूर्ण विचलन शामिल था जो बीओक्यू में कुल 545 मदों में से 503 मदों की प्रमात्रा में पैकेजों के सौंपे गए मूल्य के 62 से 88 प्रतिशत के बीच था। ऐसे विचलन के लिए आरोप्य गलत अनुमान का प्राथमिक कारण डीपीआर का अभाव तथा

---

<sup>5</sup> (i) आईएम में गैलरियों का नवीनीकरण तथा उन्नयन (एलओआई सं.338)- ₹54.05 करोड़ (अंतिम भुगतान); (ii) आईएम की मरम्मत तथा नवीनीकरण (भाग-II, मुख्य इमारत) (एलओआई सं. 519) ₹10.08 करोड़ (अंतिम भुगतान); (iii) आईएम में पुरातत्व, पालियो तथा नृविज्ञान आदि गैलरियों का उन्नयन (एलओआई सं. 890) ₹17.80 करोड़ (अंतिम भुगतान); तथा आईएम का बाह्य इलेक्ट्रिकल प्रस्थापन (एलओआई 381) ₹4.89 करोड़(अंतिम भुगतान)। आईएम इमारत की मरम्मत तथा पुनरुद्धार से संबंधित अभिलेख (बाह्य) (एलओआई सं. 07)- ₹7.40 करोड़ (अंतिम भुगतान)।

<sup>6</sup> सभी विशिष्ट मदों की विचलित राशियों के पूर्ण मूल्य का जोड़ ₹37.71 करोड़ का सकारात्मक विचलन (204 मदों की प्रमात्रा में वृद्धि) तथा ₹13.39 करोड़ का नकारात्मक विचलन (299 मदों की प्रमात्रा में कटौती)।

विस्तृत अनुमानों को स्थायी करना था जैसे पहले ही पैराग्राफ 3.1.4.2 (ई) में दर्शाया गया है।

सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका 2012 के खण्ड 24.1.2 के अनुसार कार्य स्थल  $\pm 10$  प्रतिशत की सीमा से परे विशिष्ट मदों की प्रमात्रा में परिवर्तन बिना सैद्धांतिक तकनीकी संस्वीकृति प्राधिकारों के नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि बीओक्यू में कुल 545 मदों में से 465 मदों की प्रमात्रा में  $\pm 10$  प्रतिशत से अधिक में अंतर था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ऐसा कोई अनुमोदन अभिलेख में नहीं पाया गया था, जो अनियमित है। आईएम ने ₹24.32 करोड़ (निवल सकारात्मक विचलन) का अतिरिक्त व्यय भी किया था।

## (ii) गैर-अनुसूचित मदें

सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका 2012, खंड 4.3(3) के अनुसार अनुमानों में ली गई दरें आमतौर पर अनुसूचित दरों के अनुसार होनी चाहिए परंतु जब किसी भी कारण से अनुसूचित दरें उपलब्ध नहीं हो तो बाजार दरों पर विचार किया जा सकता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹86.82 करोड़ के कुल भुगतान में से आईएम ने ₹81.15 करोड़ की गैर-अनुसूचित मदों के निष्पादन के प्रति भुगतान किया जो कुल लागत का 93.46 प्रतिशत है। गैर-अनुसूचित मदों की दर की सत्यता को लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका था क्योंकि न तो आईएम और न ही एनबीसीसी ने दर विश्लेषण पर अभिलेख प्रस्तुत किये थे।

आईएम ने उल्लेख किया (समापन बैठक) कि एनबीसीसी द्वारा उप-ठेकेदारों को चालू खाता (आरए) बिलों का भुगतान इनका अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया था तथा एनबीसीसी ने इनको केवल व्यय विवरणी प्रस्तुत की थी। एनबीसीसी ने की गई अभ्युक्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

आईएम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एनबीसीसी के साथ एमओयू के खंड 8 के अनुसार आईएम किए गए भुगतानों में विसंगतियों से अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि एनबीसीसी को परियोजना हेतु इसके द्वारा नियुक्त उप-ठेकेदारों/अभिकरणों को किए गए अंतिम भुगतानों की विवरणी प्रस्तुत करनी थी जो प्रमाणित दस्तावेजों अर्थात् अंतिम बिल आदि द्वारा समर्थित होगी जिसे आईएम अधिकारियों द्वारा बकाया अग्रिम, यदि कोई एनबीसीसी के पास पड़ा है, उसके साथ इसका समायोजन करने से पूर्व सत्यापित किए जाने की आवश्यकता थी।

### (बी) उप-ठेकेदारों को भुगतान

एनबीसीसी उप-ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उप-ठेकेदारों के बिलों की संवीक्षा तथा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम के नवीनीकरण एवं उन्नयन के कार्य के दौरान ठेकेदारों को या तो सहमत दरों से अधिक दर को अनुमत करके या फिर दिल्ली की अनुसूचित दरें (डीएसआर) के गलत अनुप्रयोग से अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

#### (i) बीओक्यू दरों को अपनाना

एनबीसीसी ने “पुरातत्व, पुरालेख एवं सांस्कृतिक नृविज्ञान गैलरी का उन्नयन” का कार्य ₹12.47 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (अगस्त 2013) जिसे ₹17.80 करोड़ का व्यय करने के पश्चात पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बीओक्यू की पांच मदों में ठेकेदार को सहमत दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया था जिसका परिणाम ₹2.75 करोड़ की सीमा तक के अधिक भुगतान में हुआ।

एनबीसीसी ने अपने उत्तर (मई 2019) में बताया कि मदों की दर को बोली-पूर्व बैठक (जुलाई 2013) में संशोधित कर दिया गया था तथा इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। आगे यह बताया गया कि असंशोधित बीओक्यू अनुबंध के साथ भूल से संलग्न था।

तथापि, लेखापरीक्षा सहायक दस्तावेजों जैसे कि बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त आदि के अभाव में एनबीसीसी के तर्क को सत्यापित नहीं कर सकी।

#### (ii) डीएसआर दरों का प्रयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम में तीन मुख्य पैकेजों<sup>7</sup> के संबंध में एनबीसीसी ने डीएसआर 2012 की दरों के आधार पर बीओक्यू तैयार किया। तथापि, बीओक्यू तैयार करते समय एनबीसीसी ने एक कार्य मद<sup>8</sup> के प्रति ₹77.90 के स्थान पर ₹93.30 की गलत दर का प्रयोग किया जिससे ‘निविदा में दी गई अनुमानित लागत’ के मूल्य में वृद्धि हुई थी। निविदा को प्रतिशतता दर आधार

<sup>7</sup> (i) ₹6.79 करोड़ हेतु एलओआई सं.519 दिनांक 18 जुलाई 2013 (ii) ₹12.48 करोड़ हेतु एलओआई सं. 890 दिनांक 16 अगस्त 2013 तथा (iii) ₹34.93 करोड़ हेतु एलओआई सं.338 दिनांक 21.03.2014।

<sup>8</sup> डीएसआर 2012 की मद सं. 10.25.2-ग्रेटिंग, फ्रेम, गार्ड बार, लेडर, रैलिंग, ब्रेकेट, गेट तथा समान निर्माण कार्यों में।

पर स्वीकृत किया गया और गलत दर को लागू करने के कारण उच्च दर पर निविदा की स्वीकृति हुई तथा परिणामस्वरूप कार्य को उच्चतर दर पर निष्पादित किया गया था। अगर कथित मद हेतु बीओक्यू में सही दर का प्रयोग किया होता तो आईएम ₹0.44 करोड़ के साथ नवीनीकरण कार्य के प्रति एनबीसीसी को अदा किए गए लागू अभिकरण प्रभारों को बचा सकता था।


एनबीसीसी ने टिप्पणी को स्वीकार (मई 2019) किया और बताया कि आवश्यक वसूली की जाएगी।

### (सी) कलाकृतियों की सुरक्षा

2005 के नियम 204 के अधीन खंड (xii) (ए) के अनुसार, उन संविदाओं में जहां सरकारी सम्पत्ति एक ठेकेदार को उस सम्पत्ति पर आगे का कार्य करने हेतु सौंपा गया है, तो संविदाओं में सरकारी सम्पत्तियों की सुरक्षा का एक विशिष्ट प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

आधुनिकीकरण कार्य के दौरान कलाकृतियों को संभालने हेतु आईएम द्वारा न तो कोई दिशानिर्देश तैयार/जारी किए गए थे और न ही किसी संरक्षण वास्तुकार/विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। यह देखा गया था कि किसी भी विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में कार्यकारी अभिकरण द्वारा कुछ दुर्लभ एवं अमूल्य कलाकृतियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था।

- (i) गंधार गैलरी के मध्य में स्थित स्तूप प्रदर्शनी एनबीसीसी द्वारा संभालकर न रखने के कारण टूट गई थी।



क्षतिग्रस्त गंधार स्तूप

- (ii) आईएम के प्रवेश पर लॉयन कैपिटल (2000 वर्षों से अधिक पुराना) आधुनिकीकरण कार्य के दौरान संभालकर न रखने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था।



नवीनीकरण से पहले लॉयन कैपिटल



नवीनीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त

इसके अतिरिक्त, एमओयू के खंड 4.8 के अनुसार एनबीसीसी को किसी भी क्षति, हानि, टूट-फूट आदि जो किसी भी कारण अथवा इसके कर्मचारी की गलती के कारण हुई हो, उसके प्रति किसी भी देयता से पूर्ण छूट थी। आधुनिकीकरण कार्य के दौरान हुई टूट-फूट के लिए पूर्णता आईएम को उत्तरदायी बताया तथा इसलिए इसे कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना था।

आईएम द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गई थी।

#### 3.1.4.4 गैलरियों का नवीनीकरण

एनबीसीसी द्वारा गैलरियों का आधुनिकीकरण करने हेतु किए गए उपायों ने वास्तव में, तस्वीरों की सुरक्षा तथा दीर्घ आयु को जोखिम में डाला है। यद्यपि एनबीसीसी द्वारा प्रदर्शन इकाइयों/शोकेसों के डिजाइनों को आईएम से सलाह के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था फिर भी कई कमियां पाई गई थी जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है:

##### (ए) पीठिकाएं

आधुनिकीकरण परियोजना के दौरान प्रतिस्थापित पीठिकाएं नॉन-पोरस 'कोरियन' सतह की बनी हैं, जिनके अंदर लोहे की संरचना तथा रेत की भराई प्लाईवुड से ढका है, जिसके ऊपर वस्तुओं को रखा गया है। कुछ अवसरों में यह पाया गया था कि वस्तुएं झुकी हुई थी तथा पीठिकाओं में धंस रही थी और पीठिकाओं के अंदर से लोहे की संरचना जंग लगने के कारण रेत बाहर निकल रही थी। प्लाईवुड संरचना को भी नमी के अवशोषण के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पाया गया था।



टूटी हुई पीठिकाओं की तस्वीरें

उपरोक्त अवसर दर्शाते हैं कि आधुनिकीकरण परियोजना के दौरान संस्थापित पीठिकाएं न तो टिकाऊ हैं और न ही उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए इन्हें सृजित किया गया था। पीठिकाओं को मुख्य समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था परंतु ऐसी पीठिकाओं की उपयुक्तता के मूल्यांकन को पूर्ण नहीं किया गया था।

आईएम प्राधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि की।

### (बी) शोकेस

शोकेस के निर्माण हेतु उपयोग किए गए प्लाईवुड की गुणवत्ता खराब थी तथा शोकेस यूजर फ्रेंडली भी नहीं है। इसे सफाई तथा अन्य रखरखाव निर्माण कार्यो हेतु खोलना कठिन है। शोकेस के अंदर पहुंच की सरलता की कमी, जैसा संग्रहालय के स्टाफ द्वारा सूचित किया गया, खराब रखरखाव का मुख्य कारण है। अभिगम्यता की समस्या के कारण संग्रहालय के प्राधिकारी काँइन गैलरी में तीन महीनों से अधिक समय से शोकेस के अंदर वस्तु सूचना पर्ची को हटाने की समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं। यद्यपि शोकेस को मुख्य समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, अभिगम्यता के मुद्दों का कार्यान्वयन एवं निगरानी चरण पर निपटान नहीं किया गया था।



भूतल कोरिडोर के एक शोकेस में मकड़जाल की तस्वीर



काँइन गैलरी के शोकेस में हटे पड़े लेबल की तस्वीर



आम आगंतुकों की लंबाई से अधिक ऊंचे रखे वस्तुओं की तस्वीर



गैलरी की लाइटिंग तथा शीशे के शोकेस में दर्शक को अपना स्वयं का प्रतिबिंब दिखता है

आईएम ने चर्चा के दौरान तथ्य की पुष्टि की।

(सी) शोकेसों तथा गैलरी में रोशनी

लेखापरीक्षा ने पाया कि शोकेसों में रोशनी उपयुक्त नहीं थी। कुछ मामलों में शोकेसों के अंदर अत्यधिक रोशनी की गई थी तथा कुछ मामलों में रोशनी उचित रूप से नहीं की गई थी। कई गैलरियों में लगाई गई ट्रेक माउंटेड एलईडी प्रोजेक्टर लाइट आवश्यकता से अधिक है जिनकी 3.1.4.4 (डी) पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।



रेपटाइल गैलरी बर्ड गैलरी तथा इनवर्टेब्रेट गैलरी में खराब लाइट

आईएम प्राधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि की।

**(डी) ट्रेक माउटेड एलईडी प्रोजेक्टर लाइटें लगाना**

संग्रहालय इमारत के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ संग्रहालय बिल्डिंग की दीर्घाओं तथा गलियारों में नई सीलिंग स्पॉट लाइटें (ट्रेक माउटेड एलईडी प्रोजेक्टर्स) लगाना शामिल था।

जून 2018 के दौरान एलईडी प्रोजेक्टर्स लाइटें लगाने की आईएम प्राधिकारी के साथ संयुक्त नमूना जांच ने प्रकट किया कि 11 दीर्घाओं में 1247 एलईडी प्रोजेक्टर्स लाइटें ₹3.32 करोड़ की लागत पर लगाई गई थी। आईएम ने बताया कि इनमें से 50-60 प्रतिशत व्यर्थ थी तथा सभी लाइटों को चालू रखने का परिणाम ताप उत्पन्न करने तथा दर्शकों को असुविधा में हुआ। इस तथ्य को निकास बैठक के दौरान आईएम द्वारा भी पुष्टि की गयी थी। तथापि विस्तृत इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एवं डिजाइन परिकलन के अभाव में लेखापरीक्षा इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है कि कितनी लाइटें पर्याप्त थीं तथा कितनी लाइटें व्यर्थ हैं।

एनबीसीसी ने उत्तर दिया (मई 2019) कि आवश्यकता का परामर्शदाता के परामर्श से निर्धारण किया गया था तथा वह आईएम की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित भी थी। एनबीसीसी के उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऐसी तकनीकी समिति की बैठक के कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तथ्य है कि लगाई गई अधिकांश एलईडी प्रोजेक्टर लाइटें बिना उपयोग के रहीं।

**(ई) चौकसी रखरखाव प्रणाली तथा पावर बैकअप**

आधुनिकीकरण के दौरान संस्थापित 445 सीसीटीवी कैमरों के साथ चौकसी रखरखाव प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि 94 प्रतिशत कलाकृतियों को संभालने वाले रिजर्व स्टोर में कोई सीसीटीवी कैमरा प्रदान नहीं किया गया था। संग्रहालय के प्राधिकारियों के अनुसार, विभिन्न गैलरियों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी अपर्याप्त थे।

एसएफसी ने ₹2.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया जिसमें ट्रांसफॉर्मर एवं एयर सर्किट ब्रेकर वाले सब-स्टेशन जैसे सहायक इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य शामिल थे। यद्यपि एक निजी पार्टी को सौंपा गया ₹3.87 करोड़ के 'बाह्य इलेक्ट्रिकल संस्थापन' के लिए एलओआई सं. 381 दिनांक 6 दिसम्बर 2013 में एक 11 केवी सब-स्टेशन तथा 440 केडब्ल्यू/500 केवीए डीजल जनरेटिंग सेट की आपूर्ति तथा संस्थापन

शामिल था, फिर भी इन मदों की आपूर्ति नहीं की गई थी तथा कार्य आदेश को बंद कर दिया गया था। प्रत्याशित मदों की गैर-आपूर्ति के लिए अभिलेख पर कोई कारण नहीं थे।

चूंकि आईएम के पास अप्रत्याशित घटना अथवा वोल्टेज उतार-चढ़ाव अथवा आपदा के दौरान पावर विफलता की स्थिति में कोई आपातकालीन पावर बैकअप नहीं है इसलिए यह दर्शकों के लिए असुविधा उत्पन्न कर सकता है तथा कलाकृतियों की सुरक्षा भी जोखिम में है।

**(एफ) नाम-पत्र/विवरण के बिना प्रदर्शित कलाकृतियां**

कलाकृतियों को किसी भी विवरण/नाम-पत्र के बिना प्रदर्शित किया गया था इसलिए दर्शक प्रदर्शित कलाकृतियों के सटीक विवरण/ब्यौरे से वंचित थे।



**3.1.4.5 निगरानी तथा समन्वय**

आधुनिकीकरण निर्माण कार्यों का एक 'मुख्य समिति' द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तथापि, इसके गठन, संदर्भ की शर्तों, बैठकों की आवधिकता आदि का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। मुख्य समिति से संबंधित बैठकों के उपलब्ध कराए गए कार्यवृत्त से लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य समिति 2013 में सक्रिय थी तथा पीठिकाओं, शोकेसों, लिफ्ट, गैलरी, लाइटिंग, स्मारिक दुकान आदि के डिजाइन एवं विशिष्टताओं से संबंधित तकनीकी मामलों सहित कार्य की प्रगति पर चर्चा की थी। तथापि, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही पिछले पैराग्राफों में इंगित किया गया था कि मुख्य समिति द्वारा निगरानी इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि पीठिकाओं एवं शोकेसों के डिजाइन एवं विशिष्टताएं त्रुटिपूर्ण थी; गैलरियों में लाइटिंग उपयुक्त नहीं थी तथा लिफ्ट को अभी भी संस्थापित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, एसएफसी ने आधुनिकीकरण परियोजना की प्रगति का निर्धारण करने तथा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता का निर्धारण करने हेतु एक परियोजना कार्यान्वयन निगरानी समिति (पीआईएमसी) के गठन को अनुमोदित (जून 2013) किया। एमओसी ने निष्पादित कार्य का तकनीकी रूप से निर्धारण करने हेतु एक तकनीकी समिति गठित (जनवरी 2014) की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीआईएमसी तथा टीसी का गठन परियोजना के अंत में किया गया था क्योंकि यह देखा जा सकता है कि पीआईएमसी (नवम्बर 2013 में प्रथम बैठक) तथा टीसी (नवम्बर 2014 में प्रथम बैठक) केवल एनबीसीसी के पर्याप्त प्रगति, दोनों भौतिक एवं वित्तीय, प्राप्त करने के पश्चात ही क्रियात्मक हुई थी जिसका परिणाम कार्य की, विशेष रूप से प्रारम्भिक चरणों के दौरान, गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी की कमी में हुआ।

इस तथ्य की आईएम द्वारा निर्गम बैठक के दौरान भी पुष्टि की गई थी।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी समिति ने 15 नवम्बर 2014 को हुई अपनी बैठक में पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण कार्य के संबंध में निम्नलिखित पाया:

- (i) निर्धारण रिपोर्टों, कार्यप्रणाली तथा बीओक्यू की विशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षण एवं जांच नहीं की गई थी।
- (ii) आईएम ने एक परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग नहीं किया था जो संरक्षण प्रक्रिया एवं तकनीकों, सिविल कार्य के साथ-साथ संग्रहालय के डिजाइन से अवगत हो तथा जिसके साथ एनबीसीसी प्रत्येक चरण पर बातचीत कर सके तथा उत्तम अभ्यास को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया की पुनरीक्षा कर सके।
- (iii) किसी भी समिति अथवा विशेषज्ञ ने एनबीसीसी को कार्य सौंपने से पूर्व संग्रहालय की बिल्डिंग, गैलरियों तथा संग्रहालय के अन्य क्षेत्रों में कार्य की आवश्यक मदों की पहचान नहीं की है। संपूर्ण कार्य एनबीसीसी द्वारा उनके स्वयं के निर्धारण के आधार पर किया गया था।

तथ्य कि एनबीसीसी, टीसी बैठक के दौरान, उत्पन्न कमियों को सुधारने के लिए सहमत हुआ क्योंकि कार्य समय दबाव के अंतर्गत किया गया था तथा परिणामस्वरूप गुणवत्ता मानकों की प्रक्रिया प्रमाणों को पूरा नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा टिप्पणी में उत्तम अभ्यास/मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया, को सिद्ध करता है। अभिलेखों के अभाव में बाद में किए गए किसी भी संबंधित कार्य के प्रति एनबीसीसी के अनुपालन की जांच लेखापरीक्षा नहीं कर सकी थी।

### 3.1.4.6 एनबीसीसी द्वारा परियोजना को सौंपना

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम को गैलरियों तथा एनबीसीसी द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को उचित प्रकार से नहीं सौंपा गया था तथा इसलिए फिर किए गए कार्य के मिलान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा सका था। नमूना जांच के रूप में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आरए बिल<sup>9</sup> ने एनबीसीसी द्वारा 509 सीसीटीवी लगाए जाने को दर्शाया फिर भी आईएम द्वारा अनुवर्ती प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि केवल 445 कैमरे मौजूद थे। इस प्रकार, ₹10.34 लाख के मूल्य के 64 कैमरों की कमी थी।

आईएम ने बताया (मई 2019) कि आगे विवरण हेतु मामले को एनबीसीसी के साथ उठाया जाएगा। आईएम ने आगे उल्लेख किया (निर्गम बैठक) कि कोई औपचारिक सुपुर्दगी नहीं की गई थी तथा केवल शोकेसों की चाबियाँ सौंपी गई थी।

### 3.1.4.7 आधुनिकीकरण के पश्चात संग्रहालय की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

2008 में प्रारंभ आधुनिकीकरण कार्य के समापन (2015) के पश्चात आईएम ने नवीनीकृत गैलरियों/कोरिडोरों के रखरखाव तथा नियमित अनुरक्षण हेतु किसी अभिकरण को नियुक्त नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएम ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2016) कि अनुरक्षण कार्य एनबीसीसी को सौंपा जाएगा तथा आईएम और एनबीसीसी के बीच कार्य की चर्चा की गई थी। तथापि, आधुनिकीकरण कार्य के समापन से चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी आईएम के अनुरक्षण कार्य हेतु किसी अभिकरण को नियुक्त नहीं किया गया था।

आईएम ने बताया (समापन बैठक) कि परिसम्पत्तियों की सुपुर्दगी के पश्चात एमसी की जा सकती है। तथापि, तथ्य है कि धरोहर इमारत अनुरक्षण के बिना चल रही थी।

---

<sup>9</sup> 197 (156+41) सीसीटीवी हेतु एलओआई सं. 890 दिनांक 16 अगस्त 2013 का 5वां एवं अंतिम बिल; तथा 312 (242+70) सीसीटीवी हेतु एलओआई सं. 338 दिनांक 21 मार्च 2014 का अंतिम बिल

### 3.1.4.8 एमओसी का अप्रयुक्त अनुदान

अनुदानों का संस्वीकृति पत्र निर्धारित करता है कि यदि अनुदानग्राही अनुदान का उस उद्देश्य जिसके लिए इन्हें संस्वीकृत किया गया है, हेतु उपयोग करने में विफल होता है तो अनुदानीग्राही द्वारा पूर्ण राशि को उस पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित वापिस करना अपेक्षित होगा तथा अव्ययित शेष, यदि कोई है का, बिना किसी विलम्ब के सरकार को अभ्यर्पण किया जाए।

एमओसी द्वारा आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत विशिष्ट प्रायोजनों हेतु संस्वीकृत ₹108.76 करोड़ के अनुदान में से ₹105.04<sup>10</sup> करोड़ की राशि अब तक अग्रिम के रूप में एनबीसीसी को प्रदान की गई थी। एनबीसीसी ने अप्रैल 2015 में परियोजना को पूर्ण घोषित किया परंतु एनबीसीसी द्वारा आईएम को अंतिम समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुल ₹3.72 करोड़ की शेष निधि अप्रयुक्त पड़ी है तथा जो आईएम के पास पड़ी है। संग्रहालय के प्राधिकारी इसे बिना विलम्ब के मंत्रालय को वापिस करने हेतु उत्तरदायी हैं तथा ब्याज, यदि कोई है, भी आईएम द्वारा भुगतान किया जाना है।

### 3.1.4.9 आधुनिकीकरण के उपरांत आने वाले दर्शकों में वृद्धि

एसएफसी प्रस्ताव के अनुसार, आईएम ने बताया कि आधुनिकीकरण निर्माण कार्यो से संग्रहालय को प्रत्याशित नया रूप देने का परिणाम दर्शकों की वृद्धि में होगा तथा इसलिए राजस्व बढ़ेगा। यह उन्नत सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त व्यय के एक बड़े भाग की पूर्ति करेगा।


लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 में ₹0.90 करोड़ से 2018-19 में ₹1.99 करोड़ तक राजस्व संग्रहण में वृद्धि दिसम्बर 2015<sup>11</sup> तथा मार्च 2019<sup>12</sup> में प्रवेश शुल्क में वृद्धि के कारण थी न कि दर्शकों की वृद्धि के कारण जैसा चार्ट सं. 1 में दर्शाया गया है:

<sup>10</sup> एनबीसीसी को दी गई ₹105.70 करोड़ की कुल अग्रिम -आईएम द्वारा अपने स्वयं के बजट से एफपीएस बिल्डिंग हेतु दी गई ₹0.66 करोड़ की अग्रिम=₹105.04 करोड़

<sup>11</sup> भारतीय दर्शकों के शुल्क की ₹10 से ₹20 तक तथा विदेशी दर्शक हेतु ₹150 से ₹500 तक वृद्धि।

<sup>12</sup> भारतीय दर्शक शुल्क की, 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले दर्शकों हेतु, ₹20 से ₹50 तक वृद्धि

चार्ट सं.-1: 2015-19 के दौरान आईएम में दर्शकों की संख्या



यह दर्शाता है कि आधुनिकीकरण परियोजना दर्शकों की वृद्धि के प्रत्याशित लाभ को प्रदान करने में विफल रही।

### 3.1.5 निष्कर्ष

आधुनिकीकरण निर्माण कार्यों, जैसे योजना की गई थी, को निष्पादित नहीं किया गया था क्योंकि ₹25.76 करोड़ के अनुमानित निर्माण कार्यों को सौंपा नहीं गया था तथा ₹109.42 करोड़ की उपलब्ध निधि में से लगभग ₹105.70 करोड़ की कुल निधि को व्यय कर दिया गया है। आईएम कुछ मुख्य एवं महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे आधुनिक भण्डारण प्रणाली प्रदान करना तथा अग्नि शमन, अग्नि संसूचन एवं बचाव प्रणाली तथा एचवीएसी प्रणाली के साथ-साथ लिफ्ट का प्रतिस्थापन, हालांकि इनका प्रावधान किया गया था, का संस्थापन कराने में विफल रहा। इसने संग्रहालयों का पुनरुद्धार तथा नवीनीकरण प्रारम्भ करने हेतु अपेक्षित विशेषज्ञता का निर्धारण किए बिना नामांकन आधार पर आधुनिकीकरण कार्य को सौंपा तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना एवं उचित योजना के बिना कार्य को निष्पादित किया। इसमें वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया था तथा प्रारंभिक चरणों में कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने में विफल रहा। कलाकृतियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु एमओसी की कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश/निर्धारित मानदंड नहीं है। इन सभी का परिणाम व्यर्थ मदों पर व्यय तथा अमूल्य कलाकृतियों को अपूर्ण क्षति के बावजूद ठेकेदारों को अधिक भुगतान के रूप में हुआ। आधुनिकीकरण के पश्चात एमओसी की कमी भी संरचना तथा अमूल्य कलाकृतियों की भी सुरक्षा को खतरे में डालती है।

मामला संस्कृति मंत्रालय को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2020)।

### अनुशंसाएं:

संग्रहालयों के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण कार्य हेतु निम्नलिखित अनुशंसित हैं:

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि आधुनिकीकरण संबंधी कार्य सहित पुनरुद्धार कार्य, क्षेत्र में उपयुक्त विशेषज्ञ की सहायता से कराया जाए तथा कार्य उन एजेंसियों को दिया जाए जिसकी ऐसे विशेषज्ञों तक पहुंच हो। मानक प्रचालन प्रक्रिया सहित उचित संरक्षण योजनाएं तैयार की जाए तथा आधुनिकीकरण से संबंधी कार्य को देखने के लिए संरक्षण वास्तुकार को शामिल किया जाए।
2. उन्नतिशील सौन्दर्यशास्त्र, चाल, दीर्घजीवन जैसे औसती परिणाम को रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए तथा कार्य शुरू होने से पूर्व सक्षम एजेंसियों/संस्थानों से यथावत पुनरीक्षिता कराई जाए।
3. निष्पादन एजेंसियों के साथ अनुबंध सुस्पष्ट हों तथा कार्य निष्पादन के दौरान भवन तथा शिल्पकृतियों को किसी नुकसान के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किया जाए।
4. निष्पादन एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सभी आंकलनों को उनकी तकनीकी पर्याप्तता तथा वित्तीय प्रामाणिकता के मूल्यांकन हेतु तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा पुनरीक्षित कराया जाए।
5. दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त निरीक्षण को सम्मिलित करते हुए उचित निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु तथा कार्य समापन के उपरांत निष्पादन एजेंसी द्वारा हैंडिंग ओवर हेतु विस्तृत कार्यप्रणाली बनाई जाए।
6. परिणामों की निगरानी को सुनिश्चित करने तथा वार्षिक रखरखाव संविदा की वैधता अवधि के दौरान निर्मित अथवा पुरुद्धरित परिसम्पत्तियों के उचित रखरखाव हेतु प्रणाली बनाई जाए।

## अध्याय IV : परमाणु ऊर्जा विभाग

### 4.1 मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की स्थापना

वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता (वी.ई.सी.सी.) ने प्रस्तावित मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी में यंत्रों की स्थापना के लिए समय पर साइट तैयार नहीं की जिसके कारण ₹82.12 करोड़ के यंत्र आठ वर्ष से अधिक समय तक अनुपयोगी रूप से पड़े रहे तथा परियोजना भी ₹219.50 करोड़ के खर्च तथा स्वीकृति के 15 साल बाद तक भी अधूरी रही।

परमाणु ऊर्जा विभाग की शोध एवं विकास इकाई चर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता (वी.ई.सी.सी.) ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की गई 5.19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, डी.ए.ई. मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट के शीर्षक के तहत मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की स्थापना के लिए किया था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 30 एम.ई.वी. के हाई बीम करंट प्रोटोन साइक्लोट्रॉन की स्थापना करना था, जिसका उपयोग परिष्कृत मटेरियल विज्ञान प्रयोगों का निष्पादन तथा रेडियो आइसोटोप्स का निर्माण करना था। रेडियो आइसोटोप्स का वृहत स्तर पर निर्माण/उत्पादन कुछ महंगी रेडियो फार्मास्यूटिकलज के आयात विकल्प के रूप में किया जाना था, ताकि उन्हें आमजन हेतु सस्ते कम दामों/मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सके इस परियोजना का क्रियान्वयन संयुक्त रूप से वी.ई.सी.सी. तथा डी.ए.ई. की एक इकाई रेडियेशन एवं आइसोटोप बोर्ड तकनीकी बोर्ड द्वारा किया जाना था। वी.ई.सी.सी. का मुख्य कार्य साइक्लोट्रॉन तंत्र की स्थापना उसका परिचालन तथा शोध से संबंधित था। वही बी.आर.आई.टी. को साइक्लोट्रॉन मशीन द्वारा निर्मित फार्मास्यूटिकल के निर्रम एवं वितरण का काम देखना था।

डी.ए.ई. ने उक्त प्रोजेक्ट के लिए जनवरी 2007 तक के पूर्णता समय के साथ-साथ ₹78.01<sup>1</sup> करोड़ की राशि स्वीकृत की थी (जनवरी 2004)। परियोजना के मुख्य उपलब्धियों में से कुछ, जुलाई 2004 तक इंजीनियरिंग डिजाइन का पूर्ण होना, जुलाई 2004 में साइक्लोट्रॉन की खरीदी का शुरु होना एवं मई 2006 तक पूरा होना, निर्माण कार्यों का मई 2006 तक पूरा होना, अगस्त 2006 तक साइक्लोट्रॉन तथा बीम लाइन की स्थापना, नवंबर 2006 तक साइक्लोट्रॉन की कमीशनिंग तथा दिसंबर 2006 तक उसकी उपयोगिता की शुरुआत होना प्रमुख हैं।

<sup>1</sup> जिसमें शामिल है - (ए) ₹58.78 करोड़ की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन की स्थापना; एवं (बी) ₹19.23 करोड़ की लागत से रेडियो आइसोटोप्स तथा रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना।

वी.ई.सी.सी. ने फेसीलिटी के लिए मास्टर प्लान, डिजाइन रिपोर्ट, विस्तृत अनुमान, ड्राइंग एवं निविदा अभिलेखों की तैयारी के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की (अक्टूबर 2005) जो 52 हफ्तों के अंदर पूर्ण करना था। परियोजना के समय के दौरान, वी.ई.सी.सी. ने मूल रूप से नियोजित बीम लाइनों के अलावा पांचवी बीम लाइन के निर्माण का कार्य शुरू किया (फरवरी 2005)। इस अतिरिक्त कार्य के लिए वेंडर के इनपुट की आवश्यकता थी जो कि तब तक निर्धारित नहीं हो पाया था।

वी.ई.सी.सी. ने सामग्री, सेवाओं तथा यंत्रों की कीमत में बढ़ोत्तरी के साथ मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की सेवाओं के लिए इमारत के निर्माण के कार्य में हुई बढ़ोत्तरी का हवाला देते हुए, समय सीमा को बढ़ाने तथा परियोजना की लागत को संशोधित करने के लिए डी.ए.ई. को एक प्रस्ताव दायर किया (दिसंबर 2005)। इसके अनुसार डी.ए.ई. ने परियोजना की लागत को (मई 2006) ₹98.25 करोड़ कर दिया तथा समय सीमा को मार्च 2008 तक बढ़ा दिया था। पहले संशोधन के दौरान, अतिरिक्त बीम लाइन के लिए लेआउट का निर्माण सप्लाइर के सकल इनपुट तथा उपयोग कर्ता की समझ के आधार पर किया गया।

सलाहकार ने मार्च 2008 से वी.ई.सी.सी. को ड्राइंग प्रदान करना शुरू किया। हालांकि, सलाहकार ड्राइंग का पूर्ण सेट वी.ई.सी.सी. को उपलब्ध नहीं करा सका जिसके चलते उसका अनुबंध (जुलाई 2014) समाप्त कर दिया गया तथा निर्माण सेवा तथा सम्पदा प्रबंधन निदेशालय, मुंबई (डी.सी.एस.ई.एम.)<sup>2</sup> को बची हुई ड्राइंग को पूरा करने का काम दिया गया। दिसंबर 2014 तक वी.ई.सी.सी. को क्रमानुसार ड्राइंग प्रस्तुत की गई थी।

इस दौरान निविदा प्रक्रिया के बाद, वी.ई.सी.सी. ने पूर्ण उपकरण फेसीलिटी की मांग के लिए क्रय आदेश स्थापना एवं कमीशनिंग का काम एक विदेशी फर्म<sup>3</sup> को 13,302,500 यूरो की लागत पर दिया (जुलाई 2006) जो कि मई 2008 तक पूर्ण किया जाना था। इसके बाद वी.ई.सी.सी. ने निर्माण कार्यों के लिए ₹ 18.33 करोड़ की लागत से एक फर्म को यह काम दिया (फरवरी 2008) जिसे जून 2009 तक समाप्त होना था। हालांकि, प्रस्तावित सुविधाओं में किए गए बदलावों और ड्राइंग को जारी करने में देरी के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं हो सका। निर्माण फर्म ने (जुलाई 2009) वी.ई.सी.सी. को बताया कि ड्राइंग की उपलब्धता के आधार पर उसने जून 2009 तक लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है तथा इस आधार पर शेष कार्य के लिए एक संशोधित कोटेशन पेश किया। वार्ताओं के पश्चात वी.ई.सी.सी. ने कार्य आदेश में संशोधन कर (दिसंबर 2010) लागत मूल्य को ₹24.50 करोड़ एवं समय सीमा को मई 2012 कर दिया।

<sup>2</sup> डी.ए.ई. की एक संस्था जो कि डी.ए.ई. के निर्माण कार्यों तथा एस्टेट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

<sup>3</sup> मैसर्स न्यू मर्चेंट्स इंटरनेशनल एल.सी.सी. दुबई यू.ए.ई.

## 2020 की प्रतिवेदन सं. 6

इस दौरान साइक्लोट्रॉन एवं अन्य उपकरण वितरण के लिए तैयार किए गए (जनवरी 2008) तथा वी.ई.सी.सी. द्वारा उनका निरीक्षण किया गया (फरवरी 2008)। हालांकि, साइट निर्माण में हुई देरी के कारण वी.ई.सी.सी. ने पूर्तिकार को डिलीवरी देरी से करने का आग्रह किया। इसके अनुसार अक्टूबर 2008 तथा अगस्त 2009 के दौरान, वी.ई.सी.सी. ने ₹82.12 करोड़<sup>4</sup> मूल्य के क्रय आदेश के आधार पर 36 मद प्राप्त किए। स्थापना के लिए साइट की अनुपलब्धता के चलते प्राप्त किए गए उपकरण पैक स्थिति में वी.ई.सी.सी. में रखे गए।

वी.ई.सी.सी. ने (नवंबर 2011) डी.ए.ई. को परियोजना लागत तथा समय सीमा में दूसरे संशोधन को लेकर एक और प्रस्ताव भेजा, जिसका आधार फिर से कार्य क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी एवं कीमतों में हुई वृद्धि को बताया गया। वी.ई.सी.सी. के प्रस्ताव के आधार पर डी.ए.ई. ने (नवंबर 2013) परियोजना लागत को ₹241.34 करोड़ एवं परियोजना की समय सीमा को मार्च 2017 कर दिया। इस प्रकार, दो संशोधनों के कारण, परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹166.33 करोड़<sup>5</sup> बढ़ गई।

निर्माण कार्य पूरे होने के बाद जून 2016 में वी.ई.सी.सी. द्वारा साइट का अधिग्रहण कर लिया गया। काम पूरा होने में हुई देरी के कारण, पूर्तिकार ने मूल लागत पर स्थापना करने से मना कर दिया। चूंकि उनके द्वारा उद्धृत संशोधित लागत काफी ज्यादा थी, इसलिए क्रय आदेश को बंद कर दिया गया और स्थापना का कार्य वी.ई.सी.सी. द्वारा अपने आंतरिक स्ट्रॉन्टों का उपयोग करते हुए नवंबर 2017 से शुरू कर दिया गया। मई 2019 तक, मेडिकल साइक्लोट्रॉन एवं बीम लाईस की कमीशनिंग का काम तो पूरा हो चुका था लेकिन फेसीलिटी के उपयोग हेतु परिचालन की अनुमति अभी भी परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.)<sup>6</sup> से प्राप्त होनी बाकी थी। मई 2019 तक वी.ई.सी.सी. द्वारा परियोजना पर कुल मिलाकर ₹219.50 करोड़ का खर्च किया जा चुका था।

लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि वी.ई.सी.सी. द्वारा उपकरणों के अधिग्रहण, प्रस्तावित फेसीलिटी का निर्धारण, निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन तथा समय सीमा के पालन के समन्वयन तथा योजना में हुई कमी के फलस्वरूप परियोजना के पूरा होने में देरी हुई तथा लागत आधिक्य का सामना करना पड़ा। वी.ई.सी.सी. ने परियोजना के अनुमोदन के एक वर्ष से अधिक समय के बाद मार्च 2005 में परियोजना के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का कार्य किया। वी.ई.सी.सी. कार्य की मध्यावधि में

<sup>4</sup> 1,27,02,000 यूरो \*64.65= ₹82.12 करोड़ (एक यूरो की रूपांतरण दर के आधार पर ₹64.65)

<sup>5</sup> जिसमें से ₹106.92 करोड़ काम के दायरे में वृद्धि की ओर था, ₹44.08 करोड़ मूल्य वृद्धि के कारण था, ₹12 करोड़ विदेशी मुद्रा भिन्नता के कारण था और ₹33 लाख वेतन पर खर्च की ओर था

<sup>6</sup> ए.ई.आर.बी. का गठन नवंबर 1983 में परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियामक और सुरक्षा कार्यों को करने के लिए किया गया था।

हुए प्रस्तावित निर्माण कार्यों में हुए बदलावों के चलते ड्राइंग का अंतिम निर्धारण भी नहीं कर सका, जिसके कारण निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में भी देरी हुई। इसके फलस्वरूप उपकरण की स्थापना के लिए साईट समय पर तैयार नहीं की जा सकी जिसके कारण ₹82.12 करोड़ मूल्य के उपकरण प्राप्ति के बाद से आठ साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे। निर्माण कार्यों में हुई देरी के चलते उपकरण की स्थापना की लागत में पूर्तिकार द्वारा निरंतर वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप योजना में हुए बदलाव के कारण वी.ई.सी.सी. को स्वयं उपकरण की स्थापना करनी पड़ी। इसके फलस्वरूप, यंत्र से संबंधित भविष्य में होने वाली वित्तीय एवं परिचालनात्मक जिम्मेदारियों (देखरेख, कमियां, खराबी) का वहन वी.ई.सी.सी. को स्वतंत्र रूप से करना होगा।

परियोजना के निष्पादन में 10 वर्षों से अधिक की देरी के कारण ₹44.08 करोड़ की कीमत बढ़ गई।

डी.ए.ई. ने नवंबर 2013 में परियोजना के दूसरे पुनरीक्षण के दौरान पांचवी बीम लाईन के जुड़ने की बात को देरी का कारण बताते हुए स्वीकार तो किया (अक्टूबर 2018), लेकिन साथ ही साथ यह भी तर्क दिया कि फेसीलिटी की विशिष्ट प्रकृति के कारण सप्लाइर, सक्षम प्राधिकारियों से बार-बार संपर्क स्थापित करने, ए.ई.आर.बी. के नियमों का पालन करने में हुए बदलावों आदि के कारण यह कार्य वी.ई.सी.सी. के नियंत्रण से बाहर था। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि मेडिकल साइक्लोड्रॉन सुविधा को वी.ई.सी.सी. द्वारा सितंबर 2018 में कमीशन कर दिया गया था। हालांकि, वी.ई.सी.सी. ने कहा (मई 2019) कि मेडिकल साइक्लोड्रॉन फेसीलिटी का उपयोग प्रस्तावित उद्देश्य हेतु ए.ई.आर.बी. से परिचालन की अनुमति मिलने के बाद ही किया जाएगा।

डी.ए.ई. का उत्तर सुविधा की स्थापना के लिए योजना और समन्वय में कमी के आलोक में देखा जाता है। भले ही पांचवी बीम लाईन फरवरी 2005 में प्रायोजित की गई हो, इसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव नवंबर 2011 में किया गया जिसकी समय सीमा मार्च 2015 रखी गई थी, जिसे नवंबर 2013 को प्राप्त स्वीकृति में मार्च 2017 कर दिया गया था। तथ्य यह है कि हालांकि स्थापित है, मेडिकल साइक्लोड्रॉन सुविधा अभी भी चालू नहीं थी क्योंकि यह ए.ई.आर.बी. की मंजूरी के इंतजार में है। इस परियोजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों जैसे कि परमाणु उर्जा संयंत्रों के लिए सामग्री का निर्माण तथा प्रमुख रेडियो फार्मास्युटिकल्स के आयात विकल्प का निर्माण ताकि उन्हें भारत के आमजनों के लिए कम दामों पर उपलब्ध कराया जा सके की प्राप्ति नहीं की जा सकी है।

## 4.2 आयन ट्रैप सिस्टम की स्थापना

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के लिए खरीद एवं भंडार निदेशालय, मुंबई द्वारा ₹2.13 करोड़ खर्च करके एक आयन ट्रैप सिस्टम खरीदा गया था, जिसे खराब पुर्जों के चलते सात साल से ज्यादा होने के बाद भी स्थापित नहीं किया जा सका। इस क्रय की सुरक्षा के लिए उक्त संगठनों ने आवश्यक वित्तीय सुरक्षा उपाय हासिल नहीं किए।

परमाणु उर्जा विभाग, (डी.ए.ई.) के क्रय नियमावली के अनुसार, किसी खराब यंत्र/उपकरण के लिए वारंटी पीरियड के दौरान सुधार या प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने एवं वारंटी कर्तव्यों के निर्वहन एवं खराब यंत्रों/ उपकरणों के पुर्ननिर्यात के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता परफॉरमेंस बॉन्ड के रूप में होती है। सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जी.एफ.आर.) के नियम 158 के अनुसार बोली लगाने वाले से परफॉरमेंस सिक्योरिटी के रूप में अनुबंध के मूल्य का पाँच से 10 प्रतिशत लिया जाना चाहिए जिसकी अवधि वारंटी कर्तव्यों के साथ-साथ अनुबंध की सभी शर्तों के पूरा होने की अवधि से 60 दिन अधिक की होगी।

डी.ए.ई. की एक इकाई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई (बी.ए.आर.सी.) ने (मार्च 2009) में 'एल.सी. (ई.एस.आई.) (आयन ट्रैप सिस्टम) एम.एस./एम.एस.' खरीदने की मांग, XI परियोजना "जीव विज्ञान तंत्र में विकिरण प्रभाव" के तहत की। यह उपकरण बी.ए.आर.सी. की मॉड्यूलर लैबोरेटरीज बिल्डिंग में जैविक अनुसंधान हेतु लगाया जाना था।

खरीद एवं भंडार निदेशालय, मुंबई<sup>7</sup> ने निविदा के बाद, ब्रूकर डाल्टॉनिक जी.एम.बी.एच., जर्मनी को आयन ट्रैप सिस्टम की खरीद के लिए (नवंबर 2010), यूएसडी 3,98,427 का एक क्रय आदेश दिया। खरीद के दायरे में निर्माण, पूर्ती, स्थापना, तथा तंत्र की कमीशनिंग शामिल थी। इसके साथ-साथ प्रशिक्षण तथा वारंटी भी शामिल थी। भुगतान की शर्तों के मुताबिक, कुल खर्च के 90 प्रतिशत का भुगतान अपरिवर्तनीय साख पत्र के रूप में तथा 10 प्रतिशत का भुगतान उपकरण की संतोषजनक स्थापना और कमीशनिंग के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। तंत्र की डिलीवरी साख पत्र प्राप्त होने के 24 हफ्तों के अंदर की जानी थी।

क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, क्रय की गई वस्तुओं पर निर्माण त्रुटियों के तथा दोषपूर्ण कारीगरी के विरुद्ध स्थापना की तारीख से 24 महीने तक या नौवहन की तारीख से 26 महीने तक जो भी पहले हो तक की वारंटी प्रदान की गई थी। यदि इस दौरान उपकरणों में कोई खराबी आती है तो उसे ठीक करने/ बदलने की

<sup>7</sup> डी.ए.ई. की केंद्रीय खरीद संस्था।

जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं के खर्च पर होगी। इसके साथ पूर्तिकार के भारतीय एजेंट को भी उपकरण के कुल मूल्य के 10% का परफॉर्मंस बांड जो कि बैंक गारंटी के रूप में होगा प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसकी अवधि गारंटी पीरियड तक की होगी।

यह सिस्टम बी.ए.आर.सी. को मई 2012<sup>8</sup> में प्राप्त हुआ लेकिन मशीन में लगे दो आवश्यक हिस्सों में खराबी होने के कारण इसे मई 2013 में ही स्थापित किया जा सका। स्थापना के बाद भी सिस्टम सही तरीके से नहीं चल सका और खराब हिस्सों के चलते समय-समय पर समस्याएँ उत्पन्न करता रहा। सप्लायर के निरीक्षण में यह पाया गया की समस्याएँ प्रयोगशाला में आवश्यक तापमान न बनाए रखने के कारण उत्पन्न हो रही हैं। इस संबंध में सप्लायर ने बी.ए.आर.सी. से परिवेश के तापमान तथा धूल की स्थितियों को सुधारने को लेकर अनुरोध किया (अक्टूबर 2014)। हालांकि एक प्रस्तावित सुरक्षा जाँच के दौरान, मॉड्यूलर लैबोरेटरीज बिल्डिंग को एसी यूनिटों के संचालन के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस दौरान, मई 2014 में उपकरण का वारंटी काल भी समाप्त हो गया। उपकरण पर ₹2.13<sup>9</sup> करोड़ का खर्चा किया गया था।

इस तंत्र को अंततः (जुलाई 2016) में नई जगह भेज दिया गया जहां का तापमान प्रस्ताव के मुताबिक था। लेकिन इस बार उपकरण का मापांकन खो गया। सप्लायर ने उपकरण को अपनी जर्मनी स्थित फैक्ट्री में सुधारने के लिए हामी तो भर दी लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी देने से मना कर दिया। लंबे समय अंतराल तक चले संवाद के बाद सप्लायर अंततः खराब उपकरण के बदले एक (सितंबर 2018) नया उपकरण देने को तैयार हुआ। लेकिन अगस्त 2019 तक यह प्रतिस्थापन नहीं हो सका क्योंकि जर्मन सरकार से निर्यात की अनुमति तब तक प्रतिक्षित थी।

लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि बी.ए.आर.सी. तंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियों वाली साईट उपलब्ध नहीं करा सकी जिसके कारण पहली बार में ही इसमें खराबी आयी। आवश्यक तापमान वाली साईट तथा परिवेशात्मक वायु स्थितियाँ उपलब्ध कराने में लगभग तीन साल का विलंब हुआ। लेखापरीक्षण में यह भी सामने आया कि डी.पी.एस. सप्लायर के भारतीय एजेंट से परफॉर्मंस बैंक गारंटी प्राप्त करने में भी असफल रहा, जो कि क्रय आदेश में, सिस्टम के संतोषजनक प्रदर्शन को लेकर आवश्यक था। क्रय आदेश में मौद्रिक गारंटी को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं था जो कि बी.ए.आर.सी. को खराब उपकरण के ना बदले जाने की स्थिति में सुरक्षित रखता।

<sup>8</sup> एल.सी. मार्च 2012 में खोला गया।

<sup>9</sup> भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, निकासी शुल्क तथा सिस्टम के 90 प्रतिशत लागत के साथ।

## 2020 की प्रतिवेदन सं. 6

बी.ए.आर.सी. ने बताया (दिसंबर 2016) कि इस मशीन के द्वारा जो कार्य किया जाना था वह दूसरी संस्थाओं में मौजूद समान संरचना के द्वारा किया जा रहा था और बी.ए.आर.सी. के आयन ट्रेप सिस्टम का उपयोग XII परियोजना के कार्यों के लिए किया जाएगा। डी.ए.ई. ने बताया कि (अगस्त 2019) कि उपकरण को कमीशन कराने में हुए बिलंब का मुख्य कारण स्थापना की जगह में हुआ बदलाव तथा सप्लायर द्वारा निर्यात की अनुमति प्राप्त करने में लगा अत्यधिक समय है। परफॉर्मंस बैंक गारंटी हासिल ना करने को लेकर डी.ए.ई. ने यह स्पष्ट किया कि सप्लायर से पी.बी.जी. सिस्टम की सफल स्थापना एवं कमीशनिंग के बाद लिया जाना था।

यह उत्तर स्वीकार्य इसलिए नहीं है, क्योंकि उपकरण को तब तक कमीशन नहीं किया गया था, जिसके कारण उसका उपयोग उल्लिखित जैविक शोध के लिए XII परियोजना में भी नहीं किया जा सका। निर्यात लाइसेंस प्राप्त ना होने के कारण जो कि एक साल से रूका हुआ था खराब हिस्सों को बदला नहीं जा सका जो कि एक परिचालनात्मक जोखिम है। साथ ही साथ यह भी सही नहीं है कि परफॉर्मंस बैंक गारंटी स्थापना और कमीशनिंग के बाद हासिल किया जाए, जबकि क्रय आदेश में इसे नौवहन के समय देने की बात की गई थी। यह जी.एफ.आर. के उस नियम के विरोधाभास में है, जिसमें यह बताया गया है कि पी.बी.जी. अनुबंधात्मक दायित्वों की पूर्ण पूर्ति के पहले ही अंतिम रूप से हासिल किया जाना चाहिए, जिसकी अवधि सप्लायर की अनुबंधात्मक दायित्वों की पूर्ति के 60 दिन बाद तक का होगा। साथ ही डी.ए.ई. की क्रय नियमावली स्पष्ट रूप से यह व्याख्या करती है, कि प्रणाली में खराबी होने या प्रदर्शन संबंधी शिकायतों के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ ली जाएँ। अतः क्रय आदेश से इस आवश्यकता को छोड़ना क्रय नियमावली के अनुसार नहीं था। खराब उपकरण के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक सिक्योरिटी ना लेने के कारण इस क्रय को वित्तीय जोखिम के रूप में प्रस्तुत किया है।

इस तरह ₹2.13 करोड़ खर्च करने के बाद भी, खराब हिस्सों के ना बदले जाने के कारण यह उपकरण सात साल तक बेकार पड़ा रहा। सिस्टम के लिए साइट की स्थिति प्रदान करने में बी.ए.आर.सी. की अक्षमता के कारण यह खराब हुआ और इसकी स्थापना में और देरी हुई। देरी व खराब हिस्सों के बदले जाने को लेकर जब तक आवश्यक प्रावधान क्रय आदेश में नहीं किए जाते तब तक खराब हिस्सों के बदलाव को लेकर और विलंब होने का भी जोखिम है।

### 4.3 मेडिकल स्टॉक की कम कवरेज के कारण हानि

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई ने इन्वेंट्री स्तरों की वास्तविक प्रवृत्ति के आधार पर अपने मेडिकल स्टॉक के लिए बीमित राशि का मध्यावधि संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कम कवरेज हुई तथा अग्नि हादसे के बाद बीमा दावे से ₹1.64 करोड़ की हानि हुई।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई (टी.एम.एच), टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुम्बई के अंतर्गत कार्य करता है जो कि परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का एक स्वायत्त संस्थान है। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने ₹18.62 करोड़ (31 मार्च 2016 तक स्टॉक मूल्य) के मूल्य के अपने मेडिकल स्टॉक हेतु ₹9.82 लाख के प्रीमियम पर 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2017 तक की अवधि के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक मानक आग और विशेष जोखिम बीमा पॉलिसी ली थी (अप्रैल 2016)।

टी.एम.एच. मे 11 फरवरी 2017 को मुख्य औषधालय इमारत में आग के कारण एक हादसा हुआ था। टी.एम.एच. ने (मई 2017)। उक्त आग में मेडिकल स्टॉक की हानि हेतु ₹6.02 करोड़ के बीमा का दावा किया हानि की तारीख तक दवाई के स्टॉक की कीमत ₹25.60 करोड़ थी। हालांकि, चूंकि बीमित राशि ₹18.62 करोड़ थी, बीमा कंपनी ने दावा की गई राशि से स्टॉक के मूल्य का 27.28<sup>10</sup> प्रतिशत के अनुपात में घटा दिया था तथा स्टॉक की हानि हेतु केवल ₹4.38<sup>11</sup> करोड़ का दावा ही स्वीकृत किया। टी.एम.एच. को दावा की गई राशि में से कटौती योग्य राशि<sup>12</sup>, जो कि पॉलिसी में निर्धारित थी, को समायोजित करने के बाद ₹4.20 करोड़ की कुल दावा राशि प्राप्त हुई। परिणामतः टी.एम.एच. द्वारा रखे गई अबीमित स्टॉक के संदर्भ में ₹1.64 करोड़<sup>13</sup> के बीमे के दावे की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीमा कंपनी के संदर्भ में अग्नि बीमा हेतु सामान्य नियम एवं विनियमों में एक प्रावधान सम्मिलित था जिससे बीमित राशि में मध्यावधि वृद्धि या कमी की अनुमति क्रमशः यथानुपात के आधार अथवा लघु अवधि के पैमाने पर दी गई थी। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 की अवधि हेतु मेडिकल स्टॉक के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा बनाए गए मासिक

<sup>10</sup> हानि की तिथि तक स्टॉक का बीमा नहीं हुआ था: ₹25.59 करोड़ - ₹18.62 करोड़ = ₹6.98 करोड़ अर्थात् 27.28 प्रतिशत

<sup>11</sup> टी.एम.एच. द्वारा दावा की गई राशि ₹6.02 करोड़ - ₹1.64 करोड़ (₹6.98 करोड़ के अबीमित स्टॉक के लिए 27.28 प्रतिशत होने के नाते) = ₹4.38 करोड़

<sup>12</sup> बीमा पॉलिसी में न्यूनतम ₹25,000 तक के दावे की राशि के पाँच प्रतिशत की अनिवार्य कटौती हेतु एक खण्ड सम्मिलित है जो अनुमानतः ₹21.89 लाख था।

<sup>13</sup> टी.एम.एच. द्वारा दावा की गई राशि ₹6.02 करोड़ - बीमा कंपनी द्वारा ₹4.38 करोड़ की स्वीकृत दावा = ₹1.64 करोड़

## 2020 की प्रतिवेदन सं. 6

इन्वेंट्री स्तरों की जाँच की तथा पाया कि इन्वेंट्री का स्तर जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक के सभी महीनों के लिए बीमित राशि से 7.79 से 34.88 प्रतिशत<sup>14</sup> अधिक था। हालाँकि स्टॉक का स्तर लगातार बीमित राशि से अधिक था लेकिन टाटा मेमोरियल अस्पताल ने बीमित राशि के मध्यावधि संशोधन के विकल्प का उपयोग नहीं किया। अतः टाटा मेमोरियल अस्पताल के पास 27.28 प्रतिशत इन्वेंट्री थी जिसका बीमा नहीं हुआ था और इसलिए जब अग्नि हादसा हुआ तो दावे के लिए योग्य नहीं था। वास्तव में, पिछले वर्ष के लिए स्टॉक स्तरों की मासिक जाँच में प्रकट हुआ कि टाटा मेमोरियल अस्पताल ने 10 करोड़<sup>15</sup> की स्टॉक मूल्य के लिए बीमा पॉलिसी ली थी लेकिन अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक के सभी महीनों में ₹14.81 करोड़ से लेकर ₹20.01 करोड़ की इन्वेंट्री रखी गई थी। इस प्रकार टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मेडिकल स्टॉक का लगातार कम बीमा करवाया था। अस्पताल (टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा नियुक्त किये गए बीमा सलाहकार ने भी अस्पताल की ओर से इस चूक को इंगित नहीं किया था।

डी.ए.ई. ने स्वीकार (अगस्त 2019) किया कि स्टॉक मूल्य की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

मेडिकल स्टॉक हेतु बीमा राशि में मध्यावधि संशोधन न करने की विफलता के परिणामस्वरूप स्टॉक की कम कवरेज हुई और बीमा दावे के प्रति ₹ 1.64 करोड़ की हानि हुई। अस्पताल को उसके अधिकार में रखे गए स्टॉक के बीमे से संबंधित प्रक्रियाओं में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इन्वेंट्री स्तरों के आवधिक मूल्यांकन और बीमा को तदानुसार समायोजित किया जा सके।

### 4.4 अल्प अवधि के अनुबंधों में लागत में बढ़ोतरी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम ने सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी कार्य प्रक्रियाओं में लागत वृद्धि प्रदान करने के प्रावधान को संशोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप नमूना जाँच में लिए गए नौ अनुबंधों में लागत वृद्धि हेतु ₹1.10 करोड़ खर्च हुए।

केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग की नियमावली 2012 की धारा 33 के खंड 10(सीसी), के अनुसार ऐसे अनुबंध जिसमें कार्य पूरा होने का समय 18 महीने से अधिक है, उनमें

<sup>14</sup> जुलाई 2016: 7.79 प्रतिशत, अगस्त 2016: 20.06 प्रतिशत, सितंबर 2016: 8.26 प्रतिशत, अक्टूबर 2016: 28.48 प्रतिशत, नवंबर 2016: 34.66 प्रतिशत, दिसंबर 2016: 32.31 प्रतिशत और जनवरी 2017: 34.88 प्रतिशत

<sup>15</sup> टी.एम.एच. ने मेडिकल स्टॉक, जिसका इन्वेंट्री मूल्य ₹10 करोड़ था, के लिए पहली बार 25 अप्रैल 2015 से 24 अप्रैल 2016 तक की अवधि हेतु बीमा लिया था।

अनुबंध की राशि में बदलाव कार्य को निष्पादित करने में लगे मजदूरों की संख्या/सामग्री के मूल्य में बदलाव के कारण हो सकता है। 18 महीने का समय फरवरी 2003 से लागू था। इससे पहले, मूल्य परिवर्तन का यह नियम ऐसे अनुबंधों पर लागू था जिनकी अवधि छह महीने से अधिक थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली 2012 को अगस्त 2013 में संशोधित किया गया तथा कीमतों में परिवर्तन का यह प्रावधान उन अनुबंधों पर भी लागू किया गया जिनमें कार्य के पूरा होने की अवधि 12 महीने से अधिक थी।

परमाणु उर्जा विभाग ने (मई 2006) में अपनी सभी घटक इकाइयों को निर्देश जारी किए कि अब से होने वाले निर्माण कार्यों में सी.पी.डब्ल्यू.डी. की नियमावली का पालन किया जाए। उक्त निर्देशों की शर्त के अनुसार, विभाग द्वारा कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव सी.पी.डब्ल्यू.डी. की नियमावली में हुए बदलावों के अनुसार परमाणु उर्जा समिति (ए.ई.सी.) के वित्तीय सदस्य की अनुमति/सलाह के अनुसार होना चाहिए।

डी.ए.ई. की एक घटक इकाई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम (आई.जी.सी.ए.आर.) की सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन (सी.ई.डी.) ने एक प्रस्ताव रखा (जुलाई 2007) कि, खंड 10(सीसी) के लिए निर्धारित 18 महीने की समय सीमा ज्यादा प्रतीत होने के कारण इसे छह महीने ही रखा जाए। आई.जी.सी.ए.आर. द्वारा नोडल अधिकारी तथा निर्माण सेवाओं और एस्टेट प्रबंधन के निदेशालय (डी.सी.एस.ई.एम.)<sup>16</sup> तथा टेंडर समिति<sup>17</sup> के सदस्यों को सहमति के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी (जुलाई 2007)।

इस अनुसार, आई.जी.सी.ए.आर. ने खंड 10(सीसी) के प्रावधान के तहत ऐसे सभी कार्य, जिनकी अवधि छह महीने से अधिक थी के लिए निविदाएँ दायर की। अभिलेखों के नमूना जाँच में यह सामने आया कि कार्य निष्पादन हेतु किए गए (मार्च 2011 से अप्रैल 2015) नौ अनुबंधों जिनकी कुल कीमत ₹21.80 करोड़ थी तथा जिनकी समय सीमा आठ से 15 महीने थी के लिए छह माह से ज्यादा अवधि के लिए लागत में बढ़ोत्तरी के चलते ₹1.10 करोड़ का खर्च वहन किया गया। इन नमूना जाँच में लिए गए अनुबंधों की सूची **अनुलग्नक 4.1** में दी गई है।

डी.ए.ई. के मौजूदा नियमों/निर्देशों के मुताबिक, आई.जी.सी.ए.आर. को लागत में बढ़ोत्तरी की पात्रता की अवधि घटकर छः महीने करने से पहले डी.ए.ई./ वित्त सदस्य, ए.ई.सी. की स्वीकृती लेनी थी। आई.जी.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित कार्य के प्रावधानों में बदलाव करने के प्रक्रिया को पूरा करने में कमी के कारण नमूना जाँच

<sup>16</sup> डी.ए.ई. के अंतर्गत एक सेवा संगठन जो कि डी.ए.ई. के निर्माण कार्यों तथा उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

<sup>17</sup> एसोसिएट निदेशक, इंजीनियरिंग सर्विसेस ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई तथा संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) आई.जी.सी.ए.आर.

*2020 की प्रतिवेदन सं. 6*

किए गए नौ अनुबंधों में ₹1.10 करोड़ की लागत में बढ़ोत्तरी हुई जिनमें अन्यथा कोई भुगतान नहीं करना था।

डी.ए.ई. ने बताया कि (नवंबर 2018) विशेष रूप से छूट दिए जाने के कारण, विभाग ने कार्य प्रक्रियाओं एवं कार्य को पूरा करने के नियमों तथा अनुबंध की शर्तों में अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक बदलाव किए हैं। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि पात्र अनुबंध समय सीमा को बढ़ाने को लेकर निदेशक, डी.सी.एस.ई.एम. की स्वीकृति ले ली गई थी, जो कि नोडल अधिकारी हैं, जिसे पर्याप्त माना गया था।

निदेशक, डी.सी.एस.ई.एम., डी.ए.ई. के कार्य प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तनों में बदलावों की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। विभाग यह सुनिश्चित करे कि डी.ए.ई. की कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

## अध्याय V : अंतरिक्ष विभाग

### 5.1 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का अनुदान

अंतरिक्ष विभाग ने वित्त मंत्रालय की उसके वैज्ञानिकों/अभियंताओं को दिए गए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को वापिस लेने की सलाह पर पांच साल से ज्यादा समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण से विभाग के अंतर्गत आने वाले 15 परीक्षण किए गए केंद्रों तथा स्वायत्त संस्थाओं में दिसंबर 2013 से मार्च 2019 के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के रूप में ₹251.32 करोड़ का भुगतान किया गया।

भारत सरकार ने (अक्टूबर 1998 में) अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को चार पूर्व संशोधित वेतनमान<sup>1</sup> पर 1 जनवरी 1996 से दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों की मंजूरी दी थी। अंतरिक्ष विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया (अगस्त 1999) जिसके अनुसार दी गई अतिरिक्त वेतन वृद्धियों की गणना विभिन्न भत्तों<sup>2</sup>, पदोन्नति, पेंशन आदि के लिए वेतन के रूप में नहीं की जाएगी।

इस स्पष्टीकरण के विरोध में अंतरिक्ष विभाग के कुछ कर्मचारियों ने मुकदमा दायर किया (2001) तथा केरल (जनवरी 2007) तथा उत्तराखंड (अगस्त 2012) के माननीय उच्च न्यायालयों से इन वेतन वृद्धियों को आगे होने वाले सभी भुगतानों (पेंशन सहित) के रूप में माने जाने को लेकर आदेश प्राप्त किए। अंतरिक्ष विभाग ने भी उक्त न्यायालय आदेशों के खिलाफ अपील दायर की लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने डी.ओ.एस. की विशेष अवकाश याचिका को रद्द कर दिया (अप्रैल/अगस्त 2011 और अक्टूबर 2013)। तत्पश्चात डी.ओ.एस. ने यह मामला न्यायालय के आदेशों की तामील तथा डी.ओ.एस. के समान रूपी कर्मचारियों को इन वृद्धियों के लाभ देने के लिए सलाह हेतु मामले को वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया (नवंबर 2013)।

इस दौरान छठवें केंद्रीय वेतन आयोग (अगस्त 2008) की अनुशंसाओं के आधार पर डी.ओ.एस. के कर्मचारियों के लिए एक नया प्रदर्शन पर आधारित आर्थिक लाभ जिसे प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन योजना (पी.आर.आई.एस.) के रूप में जाना जाता है, को लागू किया गया (सितंबर 2008)। पी.आर.आई.एस. के अंतर्गत निम्न तीन अवयव थे।

- (i) पी.आर.आई.एस.- संगठनात्मक प्रोत्साहन (पी.आर.आई.एस.-ओ.) वेतन के 20 प्रतिशत की दर पर

<sup>1</sup> ₹10,000-325-15,200, ₹12,000-375-16,500 ₹14,300-400-18,300 और ₹16,400-450-20,000

<sup>2</sup> महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, और परिवहन भत्ता।

(ii) पी.आर.आई.एस.- समूह प्रोत्साहन (पी.आर.आई.एस.-जी.) वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर, तथा

(iii) पी.आर.आई.एस.- वैयक्तिक प्रोत्साहन (पी.आर.आई.एस.-I)<sup>3</sup>

वित्त मंत्रालय ने प्रोत्साहनों के अनुदान को परिवर्तनीय वेतन वृद्धियों के रूप में पी.आर.आई.एस. के विवरण को दिखाते हुए एक ओ.एम.<sup>4</sup> जारी किया (जनवरी 2009)। ओ.एम. के अनुसार, पदोन्नति के समय योग्य वैज्ञानिक/अभियंताओं को परिवर्तनीय वेतन वृद्धि के रूप में अधिकतम छह वेतन वृद्धियां ₹10,000 प्रतिमाह की सीमा के अधीन दी जा सकती थी। इस तरह भुगतान किए गए परिवर्तनीय वेतन वृद्धियों को भत्तों, पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण, पेंशन आदि के लिए वेतन के रूप में गणना नहीं की जाएगी।

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को भत्तों, पदोन्नति और पेंशन तथा डी.ओ.एस. के इस संबंध में दिए गए संदर्भ को लेकर वित्त मंत्रालय ने डी.ओ.एस. को न्यायालय के आदेशों को लागू करने की सलाह दी (नवंबर 2013), साथ ही साथ कर्मचारियों को दिए गए दो वेतन वृद्धियों को भावी प्रभाव के साथ, तुरंत वापिस लेने की भी सलाह दी। तर्क यह था कि पी.आर. आई.एस. इन दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को प्रतिस्थापित करेगा।

लेखापरीक्षण जांच में यह सामने आया कि डी.ओ.एस. ने वित्त मंत्रालय की सलाह का पालन नहीं किया तथा उसके वैज्ञानिकों/अभियंताओं - एस.डी. से एस.जी. (जुलाई 2019 तक) को पी.आर.आई.एस. के साथ-साथ दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का भुगतान जारी रखा। दिसंबर 2013 से मार्च 2019 के दौरान डी.ओ.एस. ने दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान के रूप में (15 केंद्रों/ स्वायत्त संस्थाओं<sup>5</sup>) के वैज्ञानिकों/अभियंताओं को पदोन्नति पर ₹251.32 करोड़ का भुगतान किया।

डी.ओ.एस. ने बताया (जुलाई 2019) कि दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के भुगतान को 1 जुलाई 2019 से बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों से अतिरिक्त वेतन की वसूली के लिए कार्रवाई / प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में उत्तर चुप है।

तथ्य यह है कि डी.ओ.एस. ने वित्त मंत्रालय की सलाह पर पांच साल से अधिक तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की जिसके कारण डी.ओ.एस. के वैज्ञानिकों/अभियंताओं को अतिरिक्त

<sup>3</sup> ये पदोन्नति के समय में परिवर्तनीय अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के रूप में देय थे।

<sup>4</sup> कार्यालय ज्ञापन

<sup>5</sup> लेखापरीक्षण ने दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतान के लिए किए गए व्यय का विवरण मुख्यालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला, इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी संस्थान, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो सेटलाईट केंद्र, इसरो नोदन परिसर, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (बैंगलुरु एवं वलीआमाला केन्द्र) और मुख्य नियंत्रण सुविधा से प्राप्त किया।

लाभ के रूप में ₹251.32 करोड़ का भुगतान किया गया। डी.ओ.एस. को अपने कर्मचारियों को किए गए अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भुगतानों को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है।

## 5.2 सिलिकन कार्बाइड दर्पण विकास सुविधा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बंगलुरु तथा इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी, हैदराबाद ने दर्पण विकास हेतु प्रौद्योगिकी को सिद्ध या मान्य सुनिश्चित किये बिना सिलिकन कार्बाइड दर्पण विकास सुविधा को स्थापित किया। निर्मित सुविधा की स्थापना एवं रखरखाव पर ₹47.12 करोड़ का व्यय होने के बावजूद भी वह अपने 10 वर्षों की संपूर्ण परिचालन काल के दौरान अपेक्षित गुणवत्ता के दर्पण का उत्पादन नहीं कर पाई।

प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु वैज्ञानिक विभागों की अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड. डी.) गतिविधियों की सामान्य प्रक्रियाओं में अनुसंधानों व प्रदर्शन प्रयोजन के माध्यम से अवधारणाओं के प्रमाण के विकास के पश्चात क्षेत्र स्तर पर प्रौद्योगिकी की मान्यता तथा वाणिज्यीकरण हेतु औद्योगिकी मोड में अनुपातिक दर से वृद्धि सम्मिलित है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भू प्रेक्षण तथा मौसम विज्ञान संबंधी मिशन के लिए अंतरिक्ष से उच्च कोटि की तस्वीरें लेने हेतु बड़े आकार के कम द्रव्यमान व आयतन के एपर्चर ऑप्टिक्स की आवश्यकता थी। अब तक इसरो अपने अंतरिक्ष मिशन हेतु आयातित शीशा आधारित दर्पण का उपयोग कर रहा था तथा स्वदेशी रूप से दर्पण निर्माण हेतु वैकल्पिक सामग्री प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्रयासरत था। उपलब्ध सामग्रियों में से रासायनिक वाष्प जमा (सी.वी.डी.) सिलिकन कार्बाइड (एस.आई.सी.) को उसके कम भार, भार और कठोरता का उच्च अनुपात तथा कम तापीय विस्तार के कारण प्रतिस्पर्धात्मक माना गया था (मार्च 2002)। इसरो ने 2003-04 तक सिलिकन कार्बाइड दर्पणों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था।

सी.वी.डी. कोटिंग रहित 100 मि.मी तक के आकार के एस.आई.सी. दर्पण ब्लैक्स को विकसित करने हेतु यू.आर. राव उपग्रह केन्द्र, बंगलुरु (यू.आर.एस.सी.)<sup>6</sup> जो कि इसरो की एक इकाई है, ने इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी, हैदराबाद (ए.आर.सी.आई.), जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है तथा एक अन्य संगठन<sup>7</sup> के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य किया। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु सी.वी.डी. कोटिंग सहित 1,000 मि.मी. तक के आकार के दर्पण ब्लैक्स को विकसित करने के लिए ए.आर.सी.आई. में ऐसे ऑप्टिकल दर्पण के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं को स्थापित करने का निर्णय (दिसंबर 2002) लिया।

<sup>6</sup> पूर्व में इसे इसरो उपग्रह केंद्र के रूप में जाना जाता था।

<sup>7</sup> डब्ल्यू.आई.डी.आई.ए., बंगलुरु

यू.आर.एस.सी. ने उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास तथा सितंबर 2006 तक अंतरिक्ष योग्य 10 सिलिकन कार्बाइड ऑप्टिकल दर्पण ब्लैक्स की आपूर्ति हेतु ए.आर.सी.आई. के साथ अनुबंध किया (जनवरी 2003)। यू.आर.एस.सी. को इन दर्पण का उपयोग इसरो के कारटोसैट 2 ए/2 बी मिशन में करना था। प्रस्तावित उत्पादन सुविधाओं में उच्च टन भार की हाइड्रॉलिक प्रैस, उच्च तापमान वैक्यूम सिंटरिंग फर्नेस, सिलिकन कार्बाइड मशीनिंग सुविधा तथा उच्च तापमान सी.वी.डी. फर्नेस/रिएक्टर जैसे पूंजी उपकरण समाविष्ट हैं। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में प्रक्रिया मापदंडों का अनुकूलन तथा सी.वी.डी. कोटिंग प्रक्रिया का विकास सम्मिलित है। परियोजना की कुल लागत ₹28.53 करोड़ थी जिसमें से ए.आर.सी.आई. द्वारा ₹5.88 करोड़ का योगदान दिया जाना था तथा ₹22.65 करोड़ की शेष लागत यू.आर.एस.सी. द्वारा उठाई जानी थी।

ए.आर.सी.आई. में जून 2007 से सिलिकन कार्बाइड दर्पण विकास सुविधा शुरू की गयी जिसकी परिचालन अवधि 10 वर्ष थी। ए.आर.सी.आई. ने मार्च 2010 में यू.आर.एस.सी./इसरो को 10 दर्पण ब्लैक की आपूर्ति की। इसरो ने बताया (जून 2017) कि ए.आर.सी.आई. द्वारा दिए गए दर्पण ब्लैक्स के निर्माण के दौरान यह पाया गया था कि दर्पण ब्लैक्स पर की गई सी.वी.डी. की लेयर कोटिंग खराब थी तथा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, इसरो के अंतरिक्ष मिशन हेतु दर्पण ब्लैक्स की आवश्यकता को आयातित शीशा आधारित दर्पण से पूरा किया गया, जिसे सिलिकन कार्बाइड दर्पण सुविधा के विकास से पहले ही उपयोग किया जा रहा था।

इसरो एवं ए.आर.सी.आई. ने सिलिकन कार्बाइड दर्पण ब्लैक्स पर सी.वी.डी. कोटिंग की समस्या से निपटने के लिए प्रयास जारी रखे। इस समय के दौरान ए.आर.सी.आई. में उत्पादन सुविधाओं का उपयोग मुख्य रूप से आर.एंड.डी. हेतु किया गया था। सी.वी.डी. संयंत्र की परिचालन अवधि जून 2017 में समाप्त हो गयी और उसी समय यू.आर.एस.सी. ने बताया कि सी.वी.डी. रिएक्टर तथा फर्नेस संयंत्र, चैंबर व संबंधित भागों के गंभीर क्षरण के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थे। क्षतिग्रस्त संयंत्र की लागत ₹6.11 करोड़ थी।

मई 2019 तक, अंतरिक्ष विभाग तथा ए.आर.सी.आई. ने सुविधा के विकास के लिए क्रमशः ₹27.80 करोड़ तथा ₹14.10 करोड़ का व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष विभाग ने ए.आर.सी.आई. में सिलिकन कार्बाइड सुविधा के रखरखाव की ओर ₹5.22 करोड़ (मार्च 2018<sup>8</sup> तक) का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिलिकन कार्बाइड दर्पण ब्लैक पर सी.वी.डी. लेयर के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की संकल्पना का कोई प्रारंभिक प्रमाण नहीं किया गया था न ही अनुसंधान एवं प्रदर्शन स्तर पर प्रौद्योगिकी मान्य की गई थी। ए.आर.सी.आई. में पूर्ण पैमाने

<sup>8</sup> अंतरिक्ष विभाग ने मार्च 2018 के पश्चात सुविधा के रखरखाव पर व्यय नहीं किया।

पर उत्पादन सुविधा में निवेश करने से पहले सिलिकन कार्बाइड दर्पण ब्लैक्स पर सी.वी.डी. कोटिंग हेतु कम पैमाने पर भी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन एक अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता। अंतरिक्ष विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि ए.आर.सी. आई में सी.वी.डी. कोटिंग जो कि विकास के अंतिम चरण में थी, को छोड़कर सिलिकन कार्बाइड मिरर ब्लैक्स का विकास सफल था। अंतरिक्ष विभाग ने आगे कहा कि वह एक वैकल्पिक कोटिंग प्रौद्योगिकी के विकास की प्रक्रिया में था जिसका छोटे दर्पण ब्लैक्स (50 से 210 मि.मी. तक) के कुछ नमूनों पर लगाने का प्रयास किया गया था; तथा परीक्षाओं के पूरे हो जाने के बाद, ए.आर.सी.आई. में उत्पादित सिलिकन कार्बाइड ब्लैक्स का उपयोग किया जा सकता है। मई 2019 तक वैकल्पिक कोटिंग प्रौद्योगिकी पर कार्य प्रगति पर था। क्षतिग्रस्त सी.वी.डी. संयंत्र के संदर्भ में, अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि वैकल्पिक कोटिंग प्रक्रिया को विचार में रखते हुए उसके नवीनीकरण के प्रस्ताव को आस्थगित रखा गया था।

उत्तर इस की पुष्टि करता है कि सिलिकन कार्बाइड मिरर ब्लैक्स पर सी.वी.डी. कोटिंग हेतु प्रौद्योगिकी, उत्पादन सुविधा पर तब लगाई गई जब उस पर अभी भी विकास जारी था। आखिरकार, सी.वी.डी. कोटिंग हेतु प्रौद्योगिकी अनेक प्रयासों के बावजूद भी असफल पायी गई थी तथा सिलिकन कार्बाइड संयंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसकी परिचालन अवधि बीत गई थी और परियोजना के अंतर्गत स्थापित किये गए क्षतिग्रस्त सी.वी.डी. संयंत्र के नवीनीकरण/बदलने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी।

अतः सुविधा, जिस पर ₹47.12 करोड़ का व्यय हुआ था, को इसरो के मिशन के लिए सिलिकन कार्बाइड दर्पण के उत्पादन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि विभाग पूर्ण पैमाने पर उत्पादन करने से पहले प्रौद्योगिकी (जो विश्व में अन्यत्र उपयोग हो रहा था) की अनुमापकता की उपयुक्तता के बारे में संतोषजनक स्तर का आश्वासन प्राप्त करने में असफल रहा था। ऐसे कार्य से प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभ का आंकलन संयंत्र को स्थापित करने से पूर्व नहीं किया गया था और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया था।

### 5.3 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पदों का सृजन

अंतरिक्ष विभाग ने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रशासनिक कैडर में 955 पदों का सृजन किया और निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति दे कर इन पदों को भरा गया। उच्च पदों में कर्मचारियों के वेतन पर ₹235.05 करोड़ का व्यय हुआ जिसका एक हिस्से का भुगतान विभाग की जमा परियोजनाओं में से किया गया जो कि सरकारी नियम एवं प्रक्रिया के विरुद्ध था।

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ), व्यय विभाग ने मंत्रालयों/विभागों द्वारा पदों के निर्माण हेतु प्रक्रिया पर स्पष्टीकरणों को जारी करते हुए (मई 1993) कहा कि सभी समूह ए पद (योजना

एवं गैर-योजना) तथा सभी नॉन-प्लान समूह बी,सी तथा डी पदों का सृजन केवल क्रमशः केंद्रीय मंत्रीमंडल<sup>9</sup>, एवं वित्त मंत्री के अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) अन्य एजेन्सियों की ओर से जमा परियोजनाओं का निष्पादन करता है। जमा परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया<sup>10</sup> के अनुसार, ऐसी एजेन्सियों से निधियाँ अग्रिम में ली जानी चाहिए; सामग्री, घटक, मशीनरी इत्यादि की प्राप्ति से हुए व्यय को जमा परियोजना शीर्ष<sup>11</sup> में सीधे तौर पर डेबिट किया जाना चाहिए; जनशक्ति लागत, ओवरहेड चार्जस इत्यादि पर हुए व्यय को उक्त लेखांकन शीर्ष पर प्रभारित किया जाना चाहिए तथा परियोजना के अंत में, परियोजना से सीधे किए गए वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए शेष राशि, सरकार को जमा की जानी थी। जमा परियोजनाओं से अंतरिक्ष विभाग के नियमित कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

अंतरिक्ष विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2003-17 की अवधि के दौरान, अंतरिक्ष विभाग ने वित्त सदस्य, अंतरिक्ष विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात अंतरिक्ष विभाग के विभिन्न केंद्रों/इकाईयों के विभिन्न प्रशासनिक कैडर में जमा परियोजनाओं के अंतर्गत 955 पदों का सृजन किया। केंद्रीय मंत्रीमंडल/वित्त मंत्री की आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। अंतरिक्ष विभाग में नियमित निम्न पदों पर आसीन कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा पदों को भरा गया था। पदोन्नति की एवज में निम्न पदों को रिक्त रखा गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 तक, भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई)<sup>12</sup> से वेतन व भत्तों का भुगतान करने के स्थान पर पदोन्नत नियमित कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का भुगतान सीधे तौर पर अंतरिक्ष विभाग की जमा परियोजनाओं से किया गया था। 2014-15 से, रिक्त निम्न पदों से संबंधित वेतन का भाग भारत की समेकित निधि से पूरा किया गया तथा पदोन्नति पर उच्च पदों के निर्माण व संचालन के कारण बढ़े हुए वेतन का भुगतान जमा परियोजनाओं से किया गया इस आधार पर कि जमा परियोजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रशासनिक स्टाफ के वेतन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मार्च 2018 तक अंतरिक्ष विभाग द्वारा उच्च पदों पर पदोन्नत कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर ₹235.05 करोड़<sup>13</sup> का व्यय किया गया।

<sup>9</sup> वित्त मंत्री की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात

<sup>10</sup> जून 2001 तथा अक्टूबर 2005 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश

<sup>11</sup> मुख्य शीर्ष 8443-सिविल डिपॉसिट-सार्वजनिक निकायों, स्वायत्त निकायों अथवा निजी व्यक्तियों हेतु लिए गए कार्य के लिए जमा

<sup>12</sup> वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, 1978 के नियम 8 के अनुसार, नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते भारत की समेकित निधि से किया जाना चाहिए तथा विनियोग की प्राथमिक इकाई, 'ऑब्जेक्ट हेड 01-वेतन' के अंतर्गत रखा जाएगा

<sup>13</sup> ₹145.45 करोड़ 2013-14 तक की अवधि से संबंधित है और ₹89.60 करोड़ 2014-15 से आगे का वृद्धिशील वेतन है

केन्द्रीय मंत्रीमंडल/वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रशासनिक कैडर में पदों का निर्माण वित्त मंत्रालय के आदेशों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, ऐसे पदों पर पदोन्नत नियमित कर्मचारियों के वेतन हेतु जमा परियोजनाओं से व्यय करना भी सरकारी नियमों तथा जमा परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अंतरिक्ष विभाग की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था।

अंतरिक्ष विभाग ने कहा (फरवरी 2018) कि वेतन पर कुल व्यय को भारत की समेकित निधि व परियोजना निधि के बीच यह विचार करते हुए बांटा गया कि 955 पदों का सृजन समय बंटवारे आधार पर जमा परियोजनाओं एवं सरकारी परियोजनाओं दोनों में सहायक थी। अंतरिक्ष विभाग ने आगे कहा (नवंबर 2018) कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अंतरिक्ष विभाग/इसरो के कार्मिक की तैनाती, जिसे वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ) द्वारा संस्तुति प्राप्त थी के अतिरिक्त एफ.एस.बी.एस. परियोजना<sup>14</sup> हेतु 1,500 कार्मिक के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि व्यापार नियमों का आवंटन, 1972 के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग को अपने कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना था।

अंतरिक्ष विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जमा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान नियम एवं अंतरिक्ष विभाग की प्रक्रिया जमा परियोजनाओं से अंतरिक्ष विभाग के नियमित कर्मचारियों के वेतन पर व्यय को पूरा करने हेतु स्वीकृति नहीं देते हैं। एफ.एस.बी.एस. हेतु 1,500 कर्मचारियों के लिए केंद्रीय मंत्रीमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए सीमित अभिलेखों में पाया गया कि व्यय विभाग/वित्त मंत्री की अलग से स्वीकृति नहीं ली गई बल्कि केवल एफ.एस.बी.एस. हेतु समग्र प्रस्ताव के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति ली गई थी। समग्र परियोजना प्रस्ताव हेतु वित्त मंत्रालय की सहमति को पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता। इस तरह प्राप्त की गई सहमति उन कर्मचारियों के संदर्भ में भी थी जिनके लिए उपग्रहों का विकास, प्रक्षेपण व संचालन आवश्यक है अर्थात् तकनीकी स्टाफ न कि प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए। अंतरिक्ष विभाग का उत्तर कि व्यवसाय नियम 1972 के आबंटन के तहत, अंतरिक्ष विभाग को अपने कर्मियों से संबंधित सभी मामलों से निपटना था, इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाता है कि 'भारतीय क्षेत्रीय नाविक उपग्रह प्रणाली' नामक जमा परियोजना तथा इसरो/अंतरिक्ष विभाग हेतु जनशक्ति की वृद्धि के लिए अंतरिक्ष विभाग के अन्य प्रस्ताव जैसे दो अन्य मामलों में अतिरिक्त जनशक्ति हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को क्रमशः आर्थिक मामला विभाग, वित्त मंत्रालय तथा सदस्य वित्त, अंतरिक्ष विभाग द्वारा समझाया गया था। इस प्रकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के मई 1993 के निर्देशों की दृष्टि में अंतरिक्ष विभाग को अपनी सभी जनशक्ति आवश्यकताओं हेतु निर्देशों की समान रूप से पालन करने की आवश्यकता है।

<sup>14</sup> 'भविष्य अंतरिक्ष आधारित निगरानी' नामक जमा परियोजना

#### 5.4 पदोन्नति हेतु रेजिडेंसी अवधि का निर्धारित स्तर से कम पर नियतन

अंतरिक्ष विभाग ने अपने समूह 'ए' अधिकारियों की निर्धारित स्तर से कम स्तर पर पदोन्नति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि को नियत करने हेतु अनुमोदन नहीं लिया जिससे 13 जाँच परीक्षित मामलों में उच्च स्तर में समय पूर्व पदोन्नति तथा ₹1.29 करोड़ की सीमा तक वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था।

भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम, 1961 के नियम 3 के अनुसार, उक्त नियमों के अंतर्गत विभाग को आवंटित सभी कार्यों का निपटान प्रभारी मंत्री के सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन किया जाएगा। प्रधान-मंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) ने राजपत्रित अधिकारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों पर अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) को शक्तियां सौंपते हुए (दिसंबर 1990) स्पष्ट किया था कि सचिव, अंतरिक्ष विभाग केवल समूह बी,सी एवं डी कर्मचारियों के संदर्भ में नियुक्ति नियमों को निर्मित एवं संशोधित कर सकता है तथा अन्य सभी मामले प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किये जाने थे।

अंतरिक्ष विभाग ने अपने अधिकारियों के ग्रेड के लिए कैडर समीक्षा की तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों की कैडर संरचना को संशोधित करने के आदेश जारी किये (जनवरी 2004)। इन आदेशों के अंतर्गत विभिन्न ग्रेड पर पदोन्नति हेतु रेजिडेंसी अवधि भी निर्धारित की गई थी। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (एस.सी.पी.सी.) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के पश्चात, सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान के संशोधन हेतु नियुक्ति नियमों में सुधार के मामले को लेते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने पदों के विभिन्न वर्गों पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता अवधि के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को निर्धारित किया (मार्च 2009)।

अंतरिक्ष विभाग के दिसंबर 2011 से फरवरी 2018 तक की अवधि हेतु अभिलेखों की जाँच परीक्षा ने दर्शाया कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के पश्चात, अंतरिक्ष विभाग ने पदोन्नति हेतु संशोधित अर्हता अवधि को नहीं अपनाया तथा अपने समूह ए अधिकारियों की पदोन्नति हेतु अपने विद्यमान तंत्र को जारी रखा। अंतरिक्ष विभाग ने न तो अनुमोदन हेतु पी.एम.ओ. को वर्तमान सरकारी नियमानुसार पदोन्नति के लिए संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और न ही विद्यमान तंत्र को जारी रखने हेतु कोई विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित की गई अर्हता अवधि तथा अंतरिक्ष विभाग द्वारा पालन की गई अर्हता अवधि में अंतर को **तालिका संख्या 1** में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या 1: डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित की गई अर्हता अवधि तथा डी.ओ.एस. द्वारा पालन की गई अर्हता अवधि में अंतर

क्रम संख्या	पदोन्नति से		पदोन्नति तक		निर्धारित न्यूनतम अर्हता अवधि (वर्षों में)	
	पद	ग्रेड वेतन (₹)/स्तर	पद	ग्रेड वेतन (₹)/स्तर	डी.ओ.पी.टी.	डी.ओ.एस.
1.	अधिकारी	5400/10	वरिष्ठ अधिकारी	6600/11	5	4
2.	मुख्य	7600/12	वरिष्ठ मुख्य	8700 <sup>15</sup> /13	5	2

अंतरिक्ष विभाग द्वारा लागू रेजीडेंसी की कम अवधि के कारण समयपूर्व पदोन्नति दी गई तथा इसके परिणामस्वरूप पदोन्नत अधिकारियों को उच्च वेतनमान में वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया।

2011-12 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान, अंतरिक्ष विभाग/इसरो में 33 अधिकारियों को स्तर 12 से स्तर 13 में पदोन्नति दी गई। लेखापरीक्षा ने ऐसे 13 मामलों की जाँच की तथा पाया कि इन अधिकारियों को उच्च वेतनमान में वेतन व भत्ते देने में ₹1.29 करोड़ तक का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अंतरिक्ष विभाग ने कहा (मार्च 2017) कि पी.एम.ओ. का अनुमोदन अंतरिक्ष विभाग के सचिवालय के समूह ए पदों पर लागू है न कि इसरो<sup>16</sup> के प्रशासनिक अधिकारियों हेतु। अंतरिक्ष विभाग ने आगे कहा (दिसंबर 2018) कि अंतरिक्ष विभाग/इसरो के कार्मिकों के कैडर रिव्यू प्रस्तावों को सदस्य (वित्त), अंतरिक्ष विभाग को संदर्भित किया गया है। अंतरिक्ष विभाग ने यह भी कहा कि कथित पदों को नियुक्ति के अन्य तरीकों द्वारा भरा गया होगा तथा उस पर व्यय हुआ होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक संस्थान है और इसलिए अंतरिक्ष विभाग में समूह ए अधिकारियों के लिए जो नियम लागू हैं वही नियम इसरो के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अंतरिक्ष विभाग एवं इसरो में प्रशासनिक कार्मिक के सहज एकीकरण को कार्यान्वित किया है ताकि दोनों कार्यालयों के बीच उनके निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए मामलों में अंतरिक्ष विभाग तथा इसरो दोनों में कार्य कर चुके अधिकारी सम्मिलित थे। अंतरिक्ष आयोग को शक्तियाँ सौंपना, जिसमें वित्त सदस्य सम्मिलित थे, निर्धारित करता है कि विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित प्रस्ताव जिसमें सामान्य सरकारी नियमों से बड़े विचलन सम्मिलित हैं को अंतरिक्ष विभाग के संज्ञान में

<sup>15</sup> ₹10,000/स्तर 15 के प्रशासनिक पद अंतरिक्ष विभाग कैडर से बाहर अर्थात् सिविल सर्विस कैडर के अधिकारियों को दिए गए थे।

<sup>16</sup> भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई

लाया जाए। अंतरिक्ष विभाग ने लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया कि क्या समूह ए अधिकारियों की पदोन्नति हेतु कथित प्रस्तावों को अंतरिक्ष आयोग के संज्ञान में लाया गया था। हालाँकि, अंतरिक्ष विभाग ने स्वीकार किया (सितंबर 2019) कि समूह ए अधिकारियों के संदर्भ में नियुक्ति नियमों के गठन एवं संशोधन हेतु अंतरिक्ष आयोग को शक्तियाँ सौंपने के संदर्भ में पी.एम.ओ. के कोई आदेश उपलब्ध नहीं थे। कथित उच्च पदों पर व्यय को उपयुक्त ठहराता हुआ अंतरिक्ष विभाग का कथन तात्कालिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को झुठलाता है।

## 5.5 निर्माण कार्यों का प्रबंधन

अंतरिक्ष विभाग के पांच केंद्रों में निर्माण कार्यों का प्रबंधन अधूरा था जिसके कारण 109 से 1,142 दिनों का समय लंघन तथा ₹37.62 करोड़ का लागत लंघन हुआ। इसके अलावा, लागत में वृद्धि के भुगतान में अनियमितता, ठेकेदारों द्वारा काम में की गई देरी के लिए कम मुआवजे की उगाही, वैधानिक वसूलियों की कम उगाही संग्रहण तथा अतिरिक्त भुगतान इत्यादि के मामले थे, जिसका वित्तीय निहितार्थ ₹12.08 करोड़ था।

### 5.5.1. प्रस्तावना

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देना है। इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को 12 केंद्रों और इकाइयों<sup>17</sup> से संचालित करता है, जो कि देश के कई भागों में स्थित हैं।

इसरो मुख्यालय, बेंगलूरु (इसरो मुख्यालय) और नौ<sup>18</sup> इसरो केंद्रों/ इकाइयों में स्थापित निर्माण और रखरखाव समूह/प्रभाग (सी.एम.जी./सी.एम.डी.) अंतरिक्ष कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु इन केंद्रों और इकाइयों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए विभिन्न निर्माण गतिविधियां करते हैं। विशिष्ट इसरो केंद्रों/इकाइयों के सी.एम.जी./सी.एम.डी. संबंधित केंद्र/इकाई के निदेशक के अंतर्गत आता है। इसरो केंद्रों/इकाइयों के सी.एम.जी./सी.एम.डी. के क्रियाकलापों का मूल्यांकन और जांच इसरो मुख्यालय स्थित सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफिस (सी.ई.पी.ओ.) करता है। सी.ई.पी.ओ., डी.ओ.एस. के

<sup>17</sup> इसरो केंद्र:- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम (वी.एस.एस.सी.) द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला (एल.पी.एस.सी.) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा (एस.डी.एस.सी.) यू.आर. राव उपग्रह केंद्र, बेंगलुरु, (यू.आर.एस.सी.) अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद (एस.ए.सी.) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद, (एन.आर.एस.सी.) इसरो इकाई:- इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी (आई.पी.आर.सी.) इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, तिरुवनंतपुरम (आई.आई.एस.यू.), मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन (एम.सी.एफ.) इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, बेंगलुरु (इस्ट्रैक) विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला, बेंगलुरु (एल.ई.ओ.एस.) और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (आई.आई.आर.एस.)


<sup>18</sup> इसरो की तीन इकाइयों क्रमशः आई.आई.एस.यू., एल.ई.ओ.एस. और आई.आई.आर.एस. में निर्माण गतिविधियों वी.एस.एस.सी., यू.आर.एस.सी. और एन.आर.एस.सी. के निर्माण एवं देखरेख समूह करते हैं।

समग्र निर्माण कार्यों के बजट को अंतिम रूप देने, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों के निर्माण, सुरक्षा एवं गुणवत्ता के दिशा निर्देशों के निर्माण, भूमि अधिग्रहण, सी.एम.जी./सी.एम.डी. को मार्गदर्शन प्रदान करने, तकनीकी डिजाइन की समीक्षा में भाग लेने, निर्माण कार्य समीक्षा समिति तथा निविदा समिति के साथ काम करने, कार्यों की प्रगति का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करने आदि के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के क्रियान्वयन के प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन से संबंधित प्रक्रिया चार्ट -1 में दी गई है।

निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए डी.ओ.एस./इसरो स्वयं के दिशा निर्देशों<sup>19</sup> का पालन करता है, जो कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के मानदंड/दिशा-निर्देशों पर आधारित है।


### चार्ट:1 कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया

#### इसरो केंद्रों द्वारा किए गए कार्य



<sup>19</sup> ठेकेदारों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश 2005; एक संशोधित संस्करण, निविदा अधिसूचना एवं अनुबंध की शर्तें 2015 में लाया गया।

## इसरो इकाइयों द्वारा किए गए कार्य



2013-18 की अवधि के लिए डी.ओ.एस. में निर्माण कार्यों के प्रबंधन का लेखापरीक्षण हुआ जिसमें इसरो मुख्यालय और डी.ओ.एस./इसरो के चार केंद्र/इकाइयां<sup>20</sup> यानी वी.एस.एस.सी., एस.ए.सी., यू.आर.एस.सी. और आई-एस.टी.आर.ए.सी., शामिल हैं। इस लेखापरीक्षण में इन पांच संस्थाओं द्वारा किए गए 182 कार्यों जिनकी लागत ₹817.16 करोड़ थी में से 25<sup>21</sup> बड़े निर्माण कार्यों जिनकी लागत ₹399.76 करोड़ है को शामिल किया गया। साथ ही एस.डी.एस.सी. में दूसरी व्हीकल एसेंबली बिल्डिंग (एस.वी.ए.बी.) की स्थापना के लिए खरीद मोड<sup>22</sup> के तौर पर किए गए निर्माण कार्य जिनकी लागत ₹310 करोड़ थी, को भी लेखापरीक्षण जांच में शामिल किया गया। ₹709.76 करोड़ (जून 2018 तक) के व्यय वाले कुल 26 बड़े निर्माण कार्यों को लेखापरीक्षण में शामिल किया गया।

निष्कर्षों पर चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

<sup>20</sup> किए गए निर्माण कार्यों की मात्रा के आधार पर चयनित।

<sup>21</sup> वी.एस.एस.सी.-10 -एस.ए.सी.- चार यू.आर.एस.सी.-छ इसरो मुख्यालय -चार और आई.एस.टी.आर.ए.सी.-एक

<sup>22</sup> द्वितीय व्हीकल एसेंबली बिल्डिंग का निर्माण कार्य एस.डी.एस.सी. के सी.एम.जी. द्वारा नहीं किया गया था। सिविल, अधोसंरचनात्मक, इलैक्ट्रीकल, एयर कंडीशनिंग आदि के कार्यों का अनुबंध एस.डी.एस.सी. की क्रय व भंडारण विंग ने एस.वी.ए.बी. की प्रोजेक्ट टीम के साथ सटकार्यता में प्रबंधित किया।

## 5.5.2. लेखापरीक्षण निष्कर्ष

### 5.5.2.1 समय एवं लागत में वृद्धि

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 एवं 2017 के नियम 21 के अनुसार सार्वजनिक धन से व्यय करने या उसकी अनुमति देने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्चतम स्तर का पालन करना चाहिए।

26 में से 20<sup>23</sup> कार्यों में, लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि कार्यों के पूरा होने में तीन माह (109 दिन) से तीन साल (1,142 दिन) तक का विलंब हुआ था। 18 मामलों में विलंब या तो ठेकेदार के कारण (पांच मामले) हुए थे या विभाग द्वारा बेहतर समन्वय (13 मामले) के माध्यम से बचाए जा सकते थे।

लेखापरीक्षण में यह भी सामने आया कि 26 में से 14<sup>24</sup> चयनित कार्यों के कुल खर्च ₹460.66 करोड़ में ₹37.62 करोड़ का लागत लंघन हुआ। सभी मामलों में हुए लागत लंघन का कारण कार्य के अतिरिक्त आइटमों को बताया गया जो अनुमान लगाने में कमजोरियों को इंगित करता है।

नौ<sup>25</sup> मामलों में हालांकि 184 दिनों से 1,142 दिनों का विलंब था परंतु कोई लागत लंघन नहीं पाया गया था। इसी तरह तीन अन्य मामलों<sup>26</sup> में जिनमें ₹16.06 लाख से ₹55.93 लाख का लागत लंघन था, वहीं समय विलंब नहीं पाया गया।

### 5.5.2.2 ठेकेदारों द्वारा किया गया विलंब

इसरो के चार केंद्रों पर चार कार्यों<sup>27</sup> जिनकी लागत ₹93.73 करोड़ थी, में हुए विलंब के कारणों में ठेकेदार द्वारा काम की शुरुआत में देरी करना, भारी बारिश, कार्य समय में प्रतिबंध, भुगतानों की प्राप्ति में विलंब, कार्यस्थल की कड़ी सुरक्षा स्थितियों से परिचित होने में ठेकेदार की असमर्थता आदि हैं जो कि ठेकेदार की जिम्मेदारी हैं और जिन्हें केंद्रों द्वारा लागत वृद्धि के भुगतान के लिए स्वीकार किया गया था।

आगे डी.ओ.एस. की अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के उपबंध 2 ए के अनुसार, कार्य के देरी से पूरा होने की स्थिति में, हर्जाना ठेकेदार से वसूल किया जाएगा जिसकी दर 1.5

<sup>23</sup> यू.आर.एस.सी. -चार, एस.डी.एस.सी. -एक, इसरो मुख्यालय -दो, आई.एस.टी.आर.ए.सी.-एक एस.ए.सी.-चार, तथा वी.एस.एस.सी.-आठ।

<sup>24</sup> यू.आर.एस.सी.-दो, एस.डी.एस.सी.-एक, इसरो मुख्यालय-दो, आई.एस.टी.आर.ए.सी.-एक, एस.ए.सी.-चार और वी.एस.एस.सी.-चार

<sup>25</sup> वी.एस.एस.सी. -पाँच, एस.ए.सी.-दो, यू.आर.एस.सी.-एक और इसरो मुख्यालय-एक

<sup>26</sup> वी.एस.एस.सी.- एक एवं इसरो मुख्यालय-दो

<sup>27</sup> इसरो मुख्यालय एवं आई.एस.टी.आर.ए.सी. का एक-एक काम तथा वी.एस.एस.सी. के दो काम।

प्रतिशत प्रति विलंबित महीना से दैनिक रूप से गणना की जाएगी जो कि अधिकतम टेंडर के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत हो सकेगी।

लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि ऊपर वर्णित चार मामलों में से तीन में ठेकेदारों की ओर से हुए 71 से 167 दिनों के विलंब के चलते, ₹62.18 लाख का कम मुआवजा दायर किया गया। शेष एक मामले में अधिकतम मुआवजा दायर किया गया।

चार कार्य जिनमें ठेकेदार के कारण विलंब पाया गया था जिनमें तीन मामले जिनमें कम मुआवजा दायर किया गया था शामिल है, तालिका संख्या 2 में वर्णित है।

**तालिका सं. 2 : ठेकेदार के कारण हुए विलंब के कारण हुई लागत वृद्धि।**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	केन्द्र	कार्य समाप्ति की तिथि	कुल विलंब (दिनों में)	ठेकेदार द्वारा किए गए विलंब के कारण कीमत में वृद्धि भुगतान के लिए स्वीकृत		लेखापरीक्षण जांच	कीमत में वृद्धि का भुगतान	मुआवजे की कम राशि
				दिन	कारण			
1.	आई.एस.टी.आर.ए.सी.	आई.एल.एफ., लखनऊ में आई.आर.एन.एस.एस. सुविधा के लिए आई.एन.सी.-2 भवन का निर्माण (निर्माण एवं पी.एच. कार्य/ 02.06.2015	455	24	रनिंग अकाउंट बिलों का भुगतान ना किया जाना।	वित्तीय सुदृढता की जांच के बाद यह कार्य ठेकेदार को दिया गया अतः कार्य के निष्पादन में विलंब के कारण बिलों का भुगतान ना करने का हवाला आई.एस.टी.आर.ए.सी. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।	2.92	22.76
				143	मजदूरों के फोटोयुक्त पहचान पत्र ना होने के कारण विस्तृत सुरक्षा प्रक्रियाएं			

2.	वी.एस.एस.सी.	आई.आई.एस.यू. वट्टीयोरकावु तिरुवनंतपुरम में इंटीगेशन तथा टेस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण (सिविल एवं पी.एच. तथा अन्य संबद्ध कार्य/ 19.09.14)	376	71	मिट्टी के मापदंडों और मिट्टी के असली डाटा में आये परिवर्तन के कारण तथा अतिरिक्त पाईलों के एकत्र होने के कारण पाईल कैप क्लीयरेंस ना होना।	ठेकेदार को सितंबर 2012 में कार्य आदेश जारी किया गया था। कार्य के स्कोप के अनुसार, ठेकेदार को स्थापित पाईल आधारों पर समय-समय पर परीक्षण करना था। ठेकेदार ने पाईलिंग का काम नवंबर 2012 में ही शुरू किया तथा पाईल आधार परीक्षण फरवरी 2013 में शुरू किया। इससे पाईल कैप क्लीयरेंस में विलंब हुआ। अतः काम ठेकेदार द्वारा विलंब किया गया।	10.64	9.07
3.	वी.एस.एस.सी.	वी.एस.एस.सी. थुंबा में आर.पी.पी. फेज-II विस्तार के लिए इमारतों का निर्माण (9 नं.) तथा आर.पी.पी. में सेगमेंट लोडिंग और ट्रांजिट स्टोरेज फेसिलिटी के लिए इमारतों का निर्माण (सिविल पी.एच.एवं यांत्रिक कार्य/14.05.14)	870	109	कठोर सुरक्षा नियम	निविदा के दस्तावेजों के साथ लगाई गई अनुबंध की शर्तों द्वारा ठेकेदार को सुरक्षा स्थितियों की जानकारी दे दी गई थी।	20.90	अधिकतम मुआवजा लगाया गया
4.	इसरो मुख्यालय	सादिक नगर, नई दिल्ली में इसरो के लिए एकीकृत कार्यालय भवन का निर्माण। (सिविल, पी.एच., विद्युतीय कार्य/10.10.14).	1,142	59	जुलाई- अगस्त 2012-13 के मानसून में भारी बारिश के चलते खुदाई के काम में हुई परेशानी	भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में, जून 2013 में ही भारी बारिश हुई।	16.52	30.35

				16	प्रतिबंधित कार्य-समय	मुख्य अभियंता ने यह पुष्टि की (दिसंबर 2013) कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम के घंटों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अतः ठेकेदार का काम के घंटे कम होना बताया जाना सही नहीं था।		
कीमत में बढ़ोत्तरी का कुल भुगतान							50.98	62.18

इस प्रकार, डीओएस ने ठेकेदारों द्वारा की गई देरी के लिए लागत वृद्धि के भुगतान पर ₹50.98 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, जब कि इस तरह की देरी पर ₹62.18 लाख का प्रभावी मुआवजा वसूल किया जाना था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मई 2019) कि लागत में वृद्धि का भुगतान उन मामलों में किया गया जहां विलंब ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर था। यह उत्तर इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मजदूरों को जुटाने में असमर्थता, वित्तीय कारण, सुरक्षा स्थितियों आदि को लागत वृद्धि के अनुदान के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है।

मुआवजे की कम रकम के लिए डी.ओ.एस. ने बताया (मई 2019) कि ठेकेदारों के कारण हुए विलंब के सभी मामलों में, मुआवजा अनुबंध की शर्तों के हिसाब से किया गया है। यह उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक तंगी, पाईलिंग ऑपरेशन, विलंब के गलत कारण (बारिश तथा कार्य समय) आदि, के कारण हुए विलंब ठेकेदार की जिम्मेदारी थे।

### 5.5.2.3 विभागीय विलंब

इसरो के पांच केंद्रों/इकाईयों पर ₹284.30 करोड़ की लागत से हुए 13 कार्यों<sup>28</sup> में हुआ विलंब केंद्रों/इकाईयों के ही कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹1.53 करोड़ की लागत वृद्धि का परिहार्य भुगतान हुआ। इन सभी मामलों में, लेखापरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि केंद्रों द्वारा समन्वय की कमी तथा सामयिक निर्णय ना ले पाने के कारण यह विलंब हुए। ऐसे मामलों की जानकारी **तालिका संख्या 3** में दी गई है।

<sup>28</sup> यू.आर.एस.सी. में चार कार्य; वी.एस.एस.सी. में छः कार्य; इसरो एच.क्यू.,आई.एस.टी.आर.ए.सी. और एस.ए.सी. में एक-एक कार्य।

## तालिका संख्या 3: विभाग द्वारा किए गए कार्य जिनमें विलंब को टाला जा सकता था

(₹ लाख में)

क्रम सं.	केंद्र	कार्य/समाप्ति की तिथि	कुल विलंब (दिनों में)	विभाग द्वारा किए गए विलंब जिसके कारण कीमत में वृद्धि का भुगतान किया गया		लेखापरीक्षा अवलोकन	कीमत में हुई वृद्धि का परिहार्य भुगतान
				दिन	कारण		
1.	आई.एस.टी.आर.ए.सी.	आई.एल.एफ.फेसीलिटी लखनऊ में आई.आर.एन.एस.एस. के लिए आई.एन.सी 2 भवन का निर्माण (सिविल पी.एच कार्य)/02.06.15	455	67	मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।	हालांकि मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट मई 2013 में प्राप्त की गई, लेकिन विभाग ने संरचनात्मक ड्राइंग को अंतिम रूप देने में विलंब किया और इसे ठेकेदार को अपैल 2014 में ही जारी किया।	1.17
2.	एस.ए.सी.	न्यू बोपल कैंपस एस.ए.सी. अहमदाबाद में पेलोड एकीकृत तथा निकासी फैसेलिटी भवन के लिए 39 एकड में निर्माण कार्य (सिविल, पीएच तथा अन्य सम्बद्ध कार्य) 04.12.15	321	156	ए.सी. के कार्यों के चलते हुई बाधा	ए.सी. के कार्यों के लिए निविदा तथा कार्य आदेश को जारी करने में एक साल से ज्यादा का समय लगा। सिविल तथा ए.सी. के कार्यों को साथ में नियोजित किया जाना था ताकि भवन को समय से पूरा किया जा सके।	54.76
				123	परमाणु घड़ी प्रयोगशाला के निर्माण के कारण कार्य के ढांचे में बदलाव	परमाणु घड़ी पर शोध आई.आर.एन.एस.एस. का प्रोजेक्ट है जो कि जून 2006 में अनुमोदित हुआ था। जून 2016 में परमाणु घड़ी प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए काम के ढांचे में हुए बदलाव को विलंब का कारण बताया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।	

3.	वी.एस.एस.सी.	टी.ई.आर.एल.एस., वी.एस.एस.सी., थुंबा में नवीन स्ट्रक्चरल टेस्ट फेसिलिटी के लिए भवन का निर्माण (सिविल पी.एच. यांत्रिक कार्य/ 18.02.15	560	21	साईट क्लीयरेंस /पेड़ों की कटाई की वजह से हुआ विलंब	काम के शुरू करने से पहले विभाग ने साईट की तत्परता को सुनिश्चित नहीं किया।	2.80
				44	डिजाइन योजना का संशोधन	चित्रों में भविष्य के संशोधनों और परिणामस्वरूप देरी को कम करने के लिए वास्तु/संरचनात्मक चित्रों को अंतिम रूप देने से पहले उचित आवश्यकता मुल्यांकन की आवश्यकता थी।	
4.	वी.एस.एस.सी.	सी.एस.टी.जी. के लिए सी.एम.एस.ई. वट्टीयूरकाव में ऑप्टिकल स्ट्रक्चर फेसिलिटी बिल्डिंग का निर्माण (सिविल पी.एच एवं यांत्रिक कार्य/23.01.15	373	153	काम के स्कोप में मध्यावधि में हुए अत्याधिक बदलाव और ड्राइंग के अंतिम निर्धारण में हुए विलंब के कारण।	संरचनात्मक ड्राइंग के निर्धारण के पहले सही मूल्यांकन की आवश्यकता थी तथा डिजाईन क्लीयरेंस के लिए भी तत्परता की आवश्यकता थी। काम के स्कोप में बदलाव तथा डिजाईन क्लीयरेंस ना होने का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता।	7.15
5.	वी.एस.एस.सी.	हाउसिंग कॉलोनी वी.एस.एस.सी. थुंबा में 70 बी टाईप तथा 48 सी टाईप क्वार्टरों का निर्माण। (सिविल और पी.एच. कार्य)/30.03.15	184	85	वित्तीय कमी समस्या के चलते आर.ए. बिलों के भुगतान में देरी।	निर्माण कार्य विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हाउसिंग के हेड के अंतर्गत शुरू किया गया था। लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि वास्तव में 2013-14 के दौरान डी.ओ.एस. ने आवास गतिविधियों को पूरा करने में विलंब का कारण देकर ₹ सात करोड़ का अभ्यर्पण किया था।	5.38

6.	वी.एस.एस.सी.	वट्टीयूरकावू में नई जमीन पर सी.एम.एस.ई. फेसिलिटी का निर्माण (सिविल पी.एच. एवं यांत्रिक कार्य) /10.12.15	659	29	गैन्ट्री बैकट लेवल की पुष्टि प्राप्त करने में लगा समय	कार्य के स्कोप के अनुसार, सभी फेसिलिटी के उच्च बे को अलग-अलग आकार व क्षमताओं की ई.ओ.टी. क्रेन प्रदान की जानी थी। हालांकि ई.ओ.टी. क्रेन के वेंडर समय रहते निर्धारित नहीं हो पाए।	1.09
7.	वी.एस.एस.सी.	वी.आर.सी., वी.एस.एस.सी. थुंबा में नई प्रिंटेड फेसिलिटी के लिए नई इमारत का निर्माण (सिविल और पी.एच. कार्य)/17-04-16	501	94	निर्माण ड्राइंग के जारी होने में हुई देरी।	कार्य आदेश जारी होने के पहले निर्माण ड्राइंग का निर्धारण नहीं हो पाया था।	5.49
				13	विभाग द्वारा भराव के काम के लिए क्लीयरेंस प्रदान करने में हुई देरी।	भराव का कार्य, कार्य के मूल स्कोप में शामिल था अतः इस हेतु विभागीय क्लीयरेंस कार्य के शुरू होने के पहले ली जा सकती थी।	
8.	वी.एस.एस.सी.	टी.ई.आर.एल.एस., वी.एस.एस.सी. थुंबा में एम.वी.आई.टी. के लिए एकीकरण चेकआउट तथा भंडारण के लिए अतिरिक्त फेसिलिटी का निर्माण	401	49	पेड़ों की कटाई के लिए मिली क्लीयरेंस में देरी।	कार्य के शुरू होने से पूर्व, विभाग साईट की उपलब्धता नहीं करवा सका।	6.76
9.	यू.आर.एस.सी.	एल.ई.ओ.एस. में सेंसर उत्पादन सुविधा-फेस-1/23.02.13	766	14	साईट उपलब्ध कराने में हुई देरी।	कार्य शुरू होने से पहले, विभाग साईट उपलब्ध नहीं करा पाया	9.62
				71	ए.सी. के कामों के लिए कार्य आदेश मिलने में हुई देरी।	इमारत को समय पर पूरा करने के लिए सिविल व ए.सी. कामों को साथ-साथ किया जाना था।	
				32	ड्राइंग का पुनरीक्षण	चित्रों में भविष्य के संशोधनों और इसलिए आकस्मिक देरी को कम करने के लिए वास्तु तथा स्ट्रक्चरल ड्राइंग के निर्धारण के लिए उचित आवश्यकता मूल्यांकन की जरूरत थी।	

10.	यू.आर.एस.सी.	आई साईट पर असेंबली और एकीकरण जांच फैसिलिटी (सिविल पी.एच. इंटरनल इलेक्ट्रीकल)/28.02.15	915	55	ड्राइंग जारी करने के लिए ए.सी. विभाग द्वारा निर्देश में की गई देरी।	आंतरायिक बाधाओं को कम करने के लिए सिविल तथा ए.सी. कामों का उचित समन्वय किया जाना चाहिए।	41.36
11.	यू.आर.एस.सी.	आई साईट में उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट फैसिलिटी का निर्माण (सिविल, पी.एच., इंटरनल इलेक्ट्रीकल)/24.06.14	646	24	उच्च बे के लिए वैक्यूम डीवाटर्ड फ्लोर उपलब्ध कराने में हुई देरी।	काम के दौरान उपयोगकर्ता ने वैक्यूम डीवाटर्ड फ्लोर की मांग की जिसके कारण पाईपलाइनों को निकाल के फिर से लगाना पड़ा।	4.92
12.	यू.आर.एस.सी.	आई साईट पर उत्पादन करण फैसिलिटी का ऊध्वार्धर विस्तार (सिविल पी.एच., इंटरनल इलेक्ट्रीकल)/19.06.15	408	51	फैसिलिटी के तीसरे तल में संशोधन।	कार्य को शुरू करने से पहले उपयोगकर्ता की आवश्यकता का मूल्यांकन जरूरी है जिससे कि भविष्य में कार्य के स्कोप में पुनरीक्षण तथा विलंब से बचा जा सके।	0.80
13.	इसरो मुख्यालय	सादिकनगर, नई दिल्ली में इसरो के लिए एकीकृत कार्यालय भवन का निर्माण (सिविल, पी.एच., इलेक्ट्रीकल)/10.10.14	1,142	55	तृतीय तथा चतुर्थ तल की ड्राइंग में संशोधन	डी.ओ.एस. की उप समिति ने मूल ड्राइंग में पुनरीक्षण प्रस्तावित किए थे। हालांकि, डी.ओ.एस. द्वारा ये संशोधन वैधानिक आवश्यकता के मद्देनजर अनुमोदित नहीं किए गए थे। आखिरकार ठेकेदार ने पूर्व निर्धारित प्लान के आधार पर कार्य किया।	12.12
<b>कुल मूल्यवृद्धि की अदायगी</b>							<b>153.42</b>

डी.ओ.एस. ने बताया (मई 2019) कि भविष्य की परियोजनाओं में विलंब से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नोट कर लिया है।

#### 5.5.2.4 समय से पहले कार्यों का समापन

लेखापरीक्षण के दौरान वी.एस.एस.सी. द्वारा एक सिविल कार्य अनुमानित समय के पहले ही पूर्ण हुआ पाया गया जिसके कारण उसे ₹19.84 करोड़ की सब्सिडी वेंडर से प्राप्त हुई जो कि सरकारी कोष के लिए फायदेमंद था।

वी.एस.एस.सी. ने, (दिसंबर 2011) 9,140,000<sup>29</sup> यूरो (₹56.68 करोड़) की कुल लागत पर मेसर्स एमोस, बेल्जियम के साथ एडवांस्ड थर्मो वेक्यूम टेस्ट फेसिलिटी की पूर्ति स्थापना, एवं कमीशनिंग के लिए एक अनुबंध किया जो टर्नकी पर आधारित था तथा जिसका समय 24 महीने था। बेल्जियम की सरकार ने एमोस को 3,199,000 यूरो की सब्सिडी प्रदान की थी जो वी.एस.एस.सी. द्वारा देय कीमत को 5,941,000 यूरो तक ही कम कर देगी यदि ए.टी.वी.एफ की स्थापना अनुबंध तय होने के 24 महीने के अंदर हो जाती है।

इस फेसिलिटी के भवन की स्थापना के लिए वी.एस.एस.सी. ने निविदा जारी की (दिसंबर 2011) तथा पांच महीने के अंदर इसे अंतिम रूप भी दे दिया। वी.एस.एस.सी. ने भवन निर्माण का कार्य मेसर्स शिल्पी कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों तिरुवनंतपुरम को (मई 2012) दिया। भले ही शुरुआत में इस परियोजना की समाप्ति के लिए वी.एस.एस.सी. ने 28 महीने (नवंबर 2013 तक) का समय प्रस्तावित किया था, लेकिन ए.टी.वी.एफ. की स्थापना, कमीशनिंग तथा पूर्ति के साथ निर्माण कार्य का समन्वय स्थापित करने हेतु कार्य को 18 महीने में ही पूर्ण कर लिया गया। इस के कारण वी.एस.एस.सी. ने बेल्जियम सरकार से सब्सिडी प्राप्त की जा सकती थी। परिणामस्वरूप, वी.एस.एस.सी. ने ₹19.84 करोड़ (3,199,000 यूरो) की सब्सिडी प्राप्त करते हुए कुल ₹44.35 करोड़ (5,941,000 यूरो) का ही भुगतान किया।

### 5.5.2.5 लघु अवधि अनुबंधों की कीमतों में परिवर्तन का भुगतान

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के निर्माण नियमावली 2012 की धारा 33 के क्लॉज 10 (सी.सी.) के अनुसार अनुबंध की कीमतों में परिवर्तन, सामाग्री की कीमतों और/या कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक मजदूरी की कीमत के आधार पर हो सकता है जब अनुबंध को पूरा करने की समय सीमा 18 महीने<sup>30</sup> से अधिक हो। सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली, 2012 को अगस्त 2013 में संशोधित किया गया तथा कीमत परिवर्तन का क्लॉज उन अनुबंधों पर भी लागू किया गया जिनकी निर्धारित समय सीमा 12 महीने से अधिक थी।

सामान्य वित्तीय नियम 2005<sup>31</sup> के नियम 204 के अनुसार भी कीमत में परिवर्तन का क्लॉज केवल दीर्घकालिक अनुबंधों पर लागू किया जा सकता है जहां वितरण का समय 18 महीने से अधिक हो।

हालांकि डी.ओ.एस. के ठेकेदारों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम तथा दिशानिर्देश, 2005 में कीमत परिवर्तन के भुगतान के लिए अनुबंध के पूरा होने की निर्धारित अवधि के लिए

<sup>29</sup> भवन निर्माण की लागत को छोड़कर

<sup>30</sup> 18 महीने का समय फरवरी 2003 से शुरू हुआ।

<sup>31</sup> जी.एफ.आर. 2017 का नियम 225 (viii)

प्रावधान छह महीने के रूप में दिया गया था, जिसे 2015 में संशोधित कर 12 महीने कर दिया गया था। इस तरह, 2015 के पहले, डी.ओ.एस. की कीमत परिवर्तन का नियम, सी.पी.डब्ल्यू.डी. की कार्य नियमावली के प्रावधानों से विचलन में था।

इसरो मुख्यालय ने आईसाईट बेंगलौर<sup>32</sup> पर सी.आई.एस.एफ. क्वार्टरों के निर्माण (सिविल, पी.एच. तथा विद्युत कार्य) का काम दिसंबर 2011 में एक फर्म को ₹5.99 करोड़ के आदेश मूल्य में 12 महीने की समय सीमा तथा कीमत परिवर्तन क्लॉज़ के साथ दिया।

काम सितंबर 2013 में निर्धारित तिथि के आठ महीने से अधिक के विलंब के बाद पूर्ण हो पाया। विलंब का कारण ड्राइंग के जारी किए जाने में देरी, प्लान और स्कोप में हुए बदलाव, स्थानीय विरोध और भारी बारिश को बताया गया। इस काम के लिए इसरो मुख्यालय ने ₹50.58 लाख की कीमत परिवर्तन का भुगतान किया। केवल 12 महीने के अल्पकालिक अनुबंध में कीमत परिवर्तन क्लॉज़ को शामिल करना सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के प्रावधान के विरुद्ध था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मई 2019) कि छह महीने से अधिक अवधि के काम में वृद्धि का प्रावधान दिशा निर्देशों में ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले काल्पनिक कोट से बचने के लिए किया गया है। डी.ओ.एस. ने आगे (अगस्त 2019) बताया कि उसने अपनी खुद की प्रक्रिया का पालन किया है तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्रावधानों को नहीं अपनाया।

डी.ओ.एस. मुख्यतः कामों को अनुबंधों में निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर सका जिसके चलते लागतवृद्धि के रूप में उसने महत्वपूर्ण अतिरिक्त व्यय किया जैसा कि पैरा 5.5.2.1 में उल्लेख किया गया है। डी.ओ.एस. द्वारा केवल छह महीने से अधिक अवधि के अनुबंध में लागत वृद्धि का प्रावधान करने के लिए दिए गए तर्क को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाता है कि 26 चयनित परियोजनाओं में से 18 में कार्यों को पूरा करने में तीन महीने से लेकर तीन वर्षों का विलंब था। इसके अतिरिक्त डी.ओ.एस. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमों के भी अनुसार नहीं थी।

#### 5.5.2.6 अनुमत्त सीमा से परे विचलन

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियमावली 2012/2014 की धारा 15.1(6) के अनुसार मान्य विचलन<sup>33</sup> सीमा अधिरचना के लिए 30 प्रतिशत तथा बुनियादी कार्य के लिए 100 प्रतिशत है। डी.ओ.एस. के 'अनुबंध की सामान्य शर्तों' की अनुसूची एफ सहित क्लॉज़ 12, अधिरचना कार्य के मामले में 25 प्रतिशत और बुनियादी कार्य के मामले में 50 प्रतिशत की विचलन सीमा प्रदान करता है जिसके परे सामग्री व श्रम के लिए मार्केट दर को अपनाने के द्वारा

<sup>32</sup> इसरो उपग्रह सकेकन और जांच स्थापना, यू.आर.एस.एस.सी. के तहत एक सुविधा।

<sup>33</sup> मर्दों की मात्राओं में विचलन यथा जहां अनुबंध में कार्य के मर्दों की मात्राओं में वृद्धि या कमी हो।

कार्य की लागत का अनुमान लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार, डी.ओ.एस. के प्रावधान सी.पी.डब्ल्यू.डी. के प्रावधानों से भिन्न थे।

चार इसरो केंद्रों (यू.आर.एस.सी., इसरो मुख्यालय, एस.ए.सी. तथा वी.एस.एस.सी.) के 20 कार्यों<sup>34</sup> में कार्य आदेश में अनुमेय सीमा से परे ₹12 करोड़ के समतुल्य मर्दों में विचलन था जो कि विस्तृत अनुमान स्तर में कार्य की मर्दों की मात्राओं के अनुचित आकलन को दर्शाता है।

टेस्ट चेक आधार पर इसरो मुख्यालय एवं वी.एस.एस.सी. के पाँच कार्यों में अनुमेय सीमाओं से परे विचलन को जाँचा गया था। समझौते में दी गई मर्दों में विचलन दो प्रतिशत से 3,904 प्रतिशत के बीच था। इन पाँच कार्यों में ऐसी मर्दों की अनुमेय सीमा से परे विचलन की कुल राशि ₹3.24 करोड़ थी। इन पाँच कार्यों में से चार<sup>35</sup> में, स्वीकृत लागत से अधिक ₹2.39 करोड़ के विचलन की राशि खर्च की गई थी। कार्य-वार विवरण तालिका संख्या 4 में दिया गया है।

#### तालिका सं. 4 अनुबंध में अनुमेय सीमा से परे विचलन

(₹ लाख में)

क्र.सं.	केन्द्र	कार्य	विचलन वाली मर्दों की संख्या	अनुमेय सीमा से परे विचलन की प्रतिशत सीमा	विचलन हेतु भुगतान की गई अतिरिक्त राशि	विचलन हेतु कारण
1.	वी.एस.एस.सी.	सी.एम.एस.ई., वाटीयूरकावू पर जी.एस.टी.जी. हेतु ऑप्टिकल संरचना सुविधा के लिए भवन का निर्माण	55	3 से 1,305	98.54	कार्य विस्तार में परिवर्तन, उपयोगकर्ता द्वारा मध्यक्रम संशोधन, अनुमान, प्रावधान में अपर्याप्तता तथा वास्तविक स्थल आवश्यकता
2.	वी.एस.एस.सी.	टी.ई.आर.एल.एस., वी.एस.एस.सी. पर नई संरचनात्मक जाँच सुविधा का निर्माण	60	2 से 1,071.50	120.70	
3.	वी.एस.एस.सी.	आई.आई.एस.यू., वाटीयूरकावू पर एकीकरण व जाँच कॉम्प्लैक्स हेतु भवन का निर्माण	40	9 से 1,505	84.97	
4.	इसरो मुख्यालय	बेंगलूर के इंदिरानगर में डी.ओ.एस. हाउसिंग कॉलोनी में मल्टी	11	33 से 3,904	15.88	मध्य क्रम संशोधन, स्थल स्थिति

<sup>34</sup> यू.आर.एस.सी.-तीन, इसरो मुख्यालय-तीन, एस.ए.सी.-चार व वी.एस.एस.सी.-10

<sup>35</sup> तालिका 4 की क्रम संख्या 3 के कार्य के अलावा

		यूटिलिटी कॉम्पलैक्स का निर्माण				
5.	इसरो मुख्यालय	एल.पी.एस.सी. कैंपस बेंगलोर पर अंतरिक्ष यान प्रोप्लेशन घटक उत्पादन सुविधा हेतु आई.एस.ए.सी. हीट पाइप निर्माण सुविधा भवन में संशोधन	6	52 से 159	3.66	
<b>कुल</b>					<b>323.75</b>	

विचलन ने दर्शाया कि विस्तृत आकलन में उल्लिखित कार्य की मर्दों की मात्रा क्षेत्र सर्वेक्षण व स्थल की स्थितियों पर आधारित वास्तविक रूप से अनुमानित नहीं थे।

वी.एस.एस.सी. ने विस्तृत अनुमानों में सत्यता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता हेतु लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए कहा (जुलाई 2018) कि अनुमेय सीमाओं से परे मात्राओं में ऐसा विचलन कार्य के विस्तार में मध्य क्रम संशोधन, अनुमान में अपर्याप्तता आदि, के कारण हुआ। डी.ओ.एस. ने मई 2019 में भी कहा था कि मात्राओं में विचलन मध्य क्रम संशोधन, स्थल स्थिति आदि के कारण हुआ था।

इसके अतिरिक्त, इसरो के तीन केन्द्रों (यू.आर.एस.सी., एस.ए.सी. व वी.एस.एस.सी.) पर जांचे गए 10 कार्यों<sup>36</sup> में यद्यपि ठेकेदारों ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संबंधित मूल्य बोली में छूट दी थी लेकिन केंद्र समझौता मर्दों की मात्रा में विचलन जिसकी राशि ₹ 7.25 करोड थी पर, ऐसी छूट जिसकी राशि ₹ 41 लाख थी हेतु दावा नहीं कर सकते थे। तालिका संख्या 5 में विवरण दिया गया है।

#### तालिका संख्या 5: समझौता मर्दों की विचलन मात्राओं पर छूट का दावा नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र.सं.	केन्द्र	कार्य	विचलन मर्दों की राशि	छूट की प्रतिशतता	छोड़ी गई/ दावा नहीं की गई छूट
1.	यू.आर.एस.सी.	आई.एस.आई.टी.ई. पर हाई डेन्सिटी इंटर कनेक्ट सुविधा (सिविल, पी.एच, इंटरनल इलैक्ट्रिकल)	33.54	3.70	1.24
2.	यू.आर.एस.सी.	आई.एस.आई.टी.ई. पर उत्पादन सुविधा का वर्टिकल विस्तार (सिविल, पी.एच., इटर्नल इलैक्ट्रिकल)	12.88	6.10	0.79
3.	यू.आर.एस.सी.	आई.एस.आई.टी.ई. पर एसेंबली व	239.48	3.3	7.90

<sup>36</sup> यू.आर.एस.सी.-तीन, एस.ए.सी.-दो तथा वी.एस.एस.सी.-पाँच

		एकीकरण जाँच सुविधा (ए.आई.टी.एफ-2) (सिविल, पी.एच., इंटरनल इलेक्ट्रिकल)			
4.	एस.ए.सी.	नए बोपल कैम्पस, एस.ए.सी., अहमदाबाद पर विशाल थर्मल वैक्यूम चैम्बर (एल.टी.वी.सी.) व हाई पावर पैसिव कॉम्पोनेन्ट जाँच क्षेत्र भवन का निर्माण (सिविल, पी.एच. व अन्य संबद्ध कार्य)	84.42	10.12	8.54
5.	एस.ए.सी.	भवन नं 37 ए, एस.ए.सी., अहमदाबाद पर एन्टीना एसेंबली इन्टीग्रेशन व जाँच लैब की क्षैतिज विस्तार का निर्माण (सिविल, पी.एच. व संबद्ध कार्य)	59.95	2	1.20
6.	वी.एस.एस.सी.	वी.आर.सी., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर नई प्रिन्टेड सर्किट सुविधा (पी.सी.एफ) हेतु भवन का निर्माण (सिविल एवं पी.एच. कार्य)	92.92	8.65	8.04
7.	वी.एस.एस.सी.	आर.पी.पी. फेज-II के विस्तार हेतु भवनों (9 संख्या) का निर्माण तथा आर.पी.पी., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर ट्रांसिट स्टोरेज सुविधा व सेगमेंट लोडिंग हेतु भवन का निर्माण (सिविल, तथा मकैनिकल कार्य)	13.25	16.5	2.19
8.	वी.एस.एस.सी.	नई भूमि, वाटीयूरकावू पर सी.एम.एस.ई सुविधाओं का निर्माण (सिविल, पी.एच., तथा मकैनिकल कार्य)	95.04	8.17	7.77
9.	वी.एस.एस.सी.	हाउसिंग कॉलिनी, वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर 70 बी टाइप तथा 48 सी टाइप स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (सिविल तथा पी.एच. कार्य)	42.85	6	2.57
10.	वी.एस.एस.सी.	टी.ई.आर.एल.एस., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर एम.वी.आई.टी. के लिए एकीकरण चेकआउट व भंडारण हेतु अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण (सिविल, पी.एच.और यांत्रिक कार्य)	50.46	1.5	0.76
<b>कुल</b>			<b>724.79</b>		<b>41.00</b>

इस प्रकार, छूट को त्यागने से केंद्रों का अतिरिक्त व्यय हुआ और इन 10 कार्यों से ठेकेदारों को ₹41 लाख का समतुल्य लाभ हुआ।

वी.एस.एस.सी. ने कहा (जुलाई 2018) कि ठेकेदारों द्वारा दी गई छूट केवल सहमत मदों पर लागू हैं तथा उसका विचलन की अनुमत मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा पर दावा नहीं किया जा सकता है। डी.ओ.एस. ने आगे कहा (अगस्त 2019) कि अनुमत विचलन से अधिक

विचलित मात्रा हेतु दरों को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तैयार किया गया है और इसलिए ठेकेदार द्वारा उद्धत दर पर छूट विचलित मद हेतु स्वीकार की गई दरों के लिए लागू नहीं है।

तथ्य है कि अनुमत सीमा से परे महत्त्वपूर्ण विचलन थे जिन्हें जाँचने की आवश्यकता है। व्यापक विचलन ने दर्शाया कि विस्तृत आकलन में दर्शाए गए कार्य की मदों की मात्राओं का क्षेत्र सर्वेक्षण व स्थल की स्थितियों के आधार पर वास्तविक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, सहमत मदों के संदर्भ में विचलित मात्राएँ छूट हेतु पात्र होनी चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए बोलीदाता सहमत मदों के उद्धत मूल्य पर छूट देता है तथा छूट को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम बोलीदाता का चयन किया जाता है।

### 5.5.2.7 तदर्थ भुगतान

सी.पी.डब्ल्यू.डी. वर्कस मैनुअल 2012/2014 की धारा 32.2 के अनुसार, ठेकेदारों को अग्रिम प्रायः निषिद्ध हैं तथा ठेकेदारों को भुगतान कार्य को विस्तृत रूप से मापने तथा रिकॉर्ड किये जाने तक नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि वास्तविक आवश्यकता के मामलों में यदि आवश्यक हो तो अग्रिम तदर्थ भुगतान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सी.पी.डब्ल्यू.डी. वर्कस मैनुअल की धारा 32.1 व 32.2 के अनुसार पिछले अग्रिम की वसूली से पहले दूसरा अग्रिम देना अनुमत्त नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन केन्द्रों (यू.आर.एस.सी., एस.ए.सी. तथा वी.एस.एस.सी.) के पाँच कार्यों में ठेकेदारों को 39 बिल में ₹20.87 करोड़ की राशि तक निरंतर तदर्थ अग्रिम का भुगतान किया गया था। भुगतान किए गए कार्यों व अग्रिमों का विवरण तालिका संख्या 6 में दिया गया है।

### तालिका सं. 6: ठेकेदारों को दिए गए तदर्थ भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	केंद्र	कार्य	आर.ए. बिल की संख्या	तदर्थ अग्रिम भुगतान की राशि	पूर्ण होने की निर्धारित दिनांक/वास्तविक दिनांक
1.	यू.आर.एस.सी.	आई.एस.आई.टी.ई पर उत्पात सुविधा के लिए ऊर्ध्वारधर विस्तार (सिविल, पी.एच., इंटरनल इलैक्ट्रिकल)	7	1.42	19.06.2015/31.07.2016
2.	यू.आर.एस.सी.	आई.एस.आई.टी.ई पर उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (पी.सी.बी.)सुविधा (सिविल, पी.एच.)	6	2.77	24.06.2014/31.03.2016

		इंटरनल इलैक्ट्रिकल)			
3.	यू.आर.एस.सी.	आई.एस.आई.टी.ई पर एसेंबली एवं एकीकरण टेस्ट सुविधा (ए.आई.टी.एफ-2) (सिविल, पी.एच., इंटरनल इलैक्ट्रिकल)	12	8.52	28.02.2015/31.08.2017
4.	एस.ए.सी.	39 एकड़ न्यू बोपल कैंपस, एस.ए.सी, अहमदाबाद पर पेलोड एकीकरण एवं चेकआउट सुविधा भवन का निर्माण (सिविल, पी.एच. तथा अन्य संबद्ध कार्य)	8	6.08	04.12.2015/20.10.2016
5.	वी.एस.एस.सी.	टी.ई.आर.एल.एस, वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर थर्मो वैक्यूम सुविधा हेतु भवन का निर्माण (सिविल, पी.एच. तथा मैकेनिकल कार्य)	6	2.08	11.11.2013/09.11.2013
कुल			39	20.87	

इसके अतिरिक्त, यू.आर.एस.सी. ने तीन दृष्टांतों में तदर्थ अग्रिम भुगतान किए, इनमें से दो पूर्व में दिए गए अग्रिम की वसूली से पहले दिए गए दो क्रामिक आर.ए. बिल के बीच में थे जो कि वर्तमान दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, वर्तमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मापे बिना किए गए कार्य के लिए अग्रिम भुगतानों को बार बार देने तथा निर्धारित संख्या से अधिक अग्रिम भुगतान देने से ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

डी.ओ.एस. ने कहा (मई 2019) कि अगस्त 2015 से विभाग ने लगातार अधिकतम दो तदर्थ बिल का भुगतान करने की अनुमति दी थी तथा तीसरा भुगतान केंद्र के निदेशक की अनुमति से आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता था ताकि परियोजना शेड्यूल को स्थापित रखने के लिए ठेकेदारों को नियमित नकद की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

हालाँकि तथ्य रहता है कि जाँच परीक्षित मामलों में डी.ओ.एस. द्वारा दावा किए गए किसी भी सीमाओं का पालन किए बिना छह से 12 अवसर पर तदर्थ अग्रिमों को दिया गया था। ठेकेदारों को नियमित नकद की आपूर्ति के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

मोबिलाइजेशन एडवांस (सभी पाँच मामलों में) तथा सिक्क्यूर्ड एडवांस (चार मामलों में) कार्य को समय से पूरा करने के लिए दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, तदर्थ अग्रिम को निरंतर देने के बावजूद तालिका 6 में दर्शाए गए पाँच में से चार कार्य निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं हुए थे।

#### 5.5.2.8 श्रमिक कल्याण सेस की कटौती

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण सेस अधिनियम, 1996 की धारा 3 (1) के संबंध में, एक सेस का उद्ग्रहण एवं एकत्र उस दर पर करना चाहिए जो कि दो प्रतिशत से अधिक न हो लेकिन जो एक नियोजक द्वारा निर्माण की लागत का एक प्रतिशत से कम भी न हो जैसा कि समय समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है; तथा एकत्र किए गए सेस का लाभ राज्य सरकार द्वारा गठित भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण सेस नियम, 1998 के नियम 4 (3) तथा 5 (1) के अनुसार जहाँ सेस का उद्ग्रहण सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है, सरकार ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किये गए बिलों से अधिसूचित दरों पर ठेकेदारों से देय उपकर को काट कर जमा उपकर आय को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित करेगी।

अधिनियम के कार्यन्वयन हेतु केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के नियमों का पालन किया। केन्द्र सरकार नियम एक नियोजक द्वारा लगाए गई निर्माण की लागत का एक प्रतिशत की दर पर एक सेस को विनिर्दिष्ट करते हैं।

वर्ष 2016 की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 12 में एक पैराग्राफ पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत किया गया था कि वी.एस.एस.सी. ने जनवरी 2011 तथा नवंबर 2014 के बीच निष्पादित सिविल कार्यों हेतु ठेकेदारों को किए गए भुगतान से श्रमिक कल्याण सेस (एल.डब्ल्यू.सी.) की कटौती नहीं की थी।

वी.एस.एस.सी. ने उपरोक्त पैराग्राफ पर की गई कृत कार्यवाही नोट में कहा कि उसने सभी चल रहे कार्यों हेतु मई 2015 से एल.डब्ल्यू.सी. की वसूली करना आरंभ कर दिया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वी.एस.एस.सी. ने सितंबर 2012 से जनवरी 2018 के दौरान निष्पादित आठ कार्यों में मई 2015 के पश्चात भी एल.डब्ल्यू.सी. का उद्ग्रहण नहीं किया था जिससे ₹26.60 लाख तक एल.डब्ल्यू.सी. का उद्ग्रहण नहीं हुआ। तालिका संख्या 7 में विवरण दिया गया है।

## तालिका सं. 7 : श्रमिक कल्याण सेस की कटौती न होना

क्र.सं.	कार्य ऑर्डर की दिनांक	विवरण	ऑर्डर वैल्यू (₹ करोड़)	एल.डब्ल्यू.सी. की वसूली न होना (₹ लाख)
1.	05.09.12	आई.आई.एस.यू. वट्टीयूरकावू, तिरुवनन्तपुरम पर एकीकरण व टेस्ट कॉम्पलैक्स का निर्माण (सिविल एवं पी.एच. कार्य)	17.68	2.49
2.	02.11.12	आर.पी.पी., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर सेगमेंट लोडिंग व ट्रांसिट स्टोरेज सुविधा हेतु भवन का निर्माण तथा आर.पी.पी. फेज-II के विस्तार हेतु भवनों (9 संख्या) का निर्माण (सिविल, पी.एच. व मकैनिकल कार्य)	25.23	3.64
3.	04.02.13	डी.ई.आर.एल.एस., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर नई संरचनात्मक जाँच सुविधा हेतु भवन का निर्माण (सिविल, पी.एच. तथा मेकैनिकल कार्य)	16.71	5.87
4.	09.05.13	सी.एम.एस.ई., वट्टीयूरकावू पर सी.एस.टी.जी हेतु वैकल्पिक संरचना सुविधा के लिए भवन का निर्माण (सिविल, पी.एच तथा मेकैनिकल कार्य)	9.46	0.29
5.	15.05.13	हाउसिंग कालोनी, वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर 70 बी टाइप तथा 48 सी टाइप स्टाफ क्वार्टर का निर्माण (सिविल, और पी.एच. कार्य)	17.55	4.59
6.	20.02.14	नई भूमि वट्टीयूरकावू पर सी.एम.एस.ई. सुविधाओं का निर्माण (सिविल, पी.एच. और मेकैनिकल कार्य)	44.68	5.16
7.	02.04.14	वी.आर.सी., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर न्यू प्रीन्टेड सर्किट सुविधा (पी.सी.एफ.) हेतु भवन का निर्माण (सिविल एवं पी.एच. कार्य)	10.96	1.40
8.	06.06.14	टी.ई.आर.एस.एस., वी.एस.एस.सी., थुम्बा पर एम.वी.आई.टी. हेतु एकीकरण चेकआउट व भंडारण हेतु अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण	24.06	3.16
<b>कुल</b>				<b>26.60</b>

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए डी.ओ.एस. ने कहा (मई 2019) कि इन सभी कार्यों में ठेकेदारों से एल.डब्ल्यू.सी. की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

### 5.5.2.9 अतिरिक्त भुगतान

(i) अंतरिक्ष विभाग के जी.सी.सी. के खंड 36 के संदर्भ में, ठेकेदार निविदा के स्वीकृति पत्र को प्राप्त करने के तुरंत बाद तथा कार्य आरंभ करने से पहले प्रभारी अभियंता (ई.आई.सी.) को लिखित में प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि जो कार्य प्रभारी होगा व अन्य तकनीकी प्रतिनिधि जो कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे, प्रमाणपत्रों सहित उनके नाम, अर्हता, अनुभव, आयु, पता तथा अन्य विवरण को सूचित करेगा। ई.आई.सी. ऐसे संप्रेषण के प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर, ठेकेदार के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का अपने अनुमोदन या अन्यथा को लिखित में सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, जी.सी.सी. का खंड 3 ई.आई.सी. को अधिकार देता है कि यदि ठेकेदार बिना किसी उचित कारण के कार्य को धीमी गति से करता है या निर्धारित तिथि के भीतर कार्य को पूरा करने में असफल रहता है या ई.आई.सी. के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना कार्य अथवा कार्य के किसी हिस्से को सबलेट करता है तो वह अनुबंध को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है।

यू.आर.एस.सी. ने ₹7.50 करोड़ की लागत पर 'उल्लार्थिकावलू व खुदापुरा, चित्रादुर्गा पर इसरो भूमि हेतु बाउंडरी वॉल' के निर्माण के लिए एक अनुबंध (अगस्त 2012) दिया जिसे फरवरी 2014 में पूरा होना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा लगाए गए प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि जो कार्य प्रभारी होंगे तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि जो कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे के प्रमाणपत्रों सहित उनके नाम, अर्हता, अनुभव, आयु, पता तथा अन्य विवरण पर ई.आई.सी. का कोई अनुमोदन नहीं था। यू.आर.एस.सी. को दिसंबर 2013 में ज्ञात हुआ कि ठेकेदार ने कार्य को सबलेट किया था यह सूचना मिलने के बाद कि उप-ठेकेदार ने ठेकेदार के विरुद्ध एक कानूनी वाद दायर किया था। यह ज्ञात होने पर, यू.आर.एस.सी. ने जी.सी.सी. के खंड 3 आह्वान करके अनुबंध को समाप्त (सितंबर 2014) कर दिया था। कार्य पर ₹1.64 करोड़ का व्यय हुआ था। बाद में, यू.आर.एस.सी. ने शेष कार्य के निष्पादन हेतु एक कार्य आदेश अन्य ठेकेदार को दिया (जनवरी 2018) जिसका मूल्य ₹7.49 करोड़ था।

कार्य के आरंभ होने से पूर्व पर्यवेक्षण कर रहे व्यक्तियों पर सूचना प्रस्तुत करने का जोर देने से ठेकेदार द्वारा कार्य को उप-ठेके पर देने से बचा जा सकता था। इस तथ्य के देर से ज्ञात होने से कार्य समाप्त करना पड़ा तथा शेष, कार्य के निष्पादन की ओर ₹1.04 करोड़<sup>37</sup> की लागत वृद्धि हुई।

डी.ओ.एस. ने कहा (मई 2019) कि सबलेटिंग की सूचना मिलते ही तुरंत अनुबंध को समाप्त करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि जीसीसी के

<sup>37</sup> ₹7.49 करोड़ + ₹1.64 करोड़ - ₹7.50 करोड़ - ₹0.59 करोड़ ई.एम.डी., पी.जी. व एस.डी. के प्रति वसूली

उपनियम 36 में अपेक्षित उचित जांच से प्रथम दृष्टांत में निर्माण कार्य के अनाधिकृत उप-ठेके को रोका जा सकता था।

(ii) एस.डी.एस.सी. पर सेकेन्ड वहीकल एसेम्बली बिल्डिंग के निर्माण के लिए अनुबंध हेतु बोली में ठेकेदार ने कार्य की लागत पर दो प्रतिशत का कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यू.सी.टी.) / वेल्थ एडेड टैक्स (वी.ए.टी) उद्धृत किया। एस.डी.एस.सी. ने ठेकेदार को स्पष्ट किया कि करों के प्रतिशत में कोई भी परिवर्तन तथा लागू होने वाला कोई अतिरिक्त कर ठेकेदार के खाते में होगा, जिसे ठेकेदार द्वारा स्वीकार (फरवरी 2015) किया गया था।

तत्पश्चात, ठेकेदार के साथ हुए (मार्च 2015) समझौता बैठकों में ठेकेदार ने स्पष्ट किया कि पूर्व के अनुभव के आधार पर इस कार्य हेतु वैट/डब्ल्यू.सी.टी. देयता किये गए कार्य के मूल्य का दो प्रतिशत होगी लेकिन उसके भुगतान से स्रोत पर 3.5 प्रतिशत वैट की कटौती हेतु एस.डी.एस.सी. से कहा। ठेकेदार कर प्राधिकारी से अनुबंध के अंत पर अतिरिक्त भुगतान किए गए वैट/डब्ल्यू.सी.टी. का रिफंड के रूप में दावा कर सकता था। तदनुसार, एस.डी.एस.सी. ने ठेकेदार से कार्य की लागत पर 3.5 प्रतिशत का वैट/डब्ल्यू.सी.टी. सहित संशोधित मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा फर्म को अनुबंध प्रदान किया। उसके पश्चात, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गए संशोधित मूल्य के आधार पर एस.डी.एस.सी. ने उसे अनुबंध प्रदान किया तथा ठेकेदार द्वारा प्रारंभ में दो प्रतिशत के प्रस्ताव की बजाय वैट/डब्ल्यू.सी.टी. के प्रति प्रत्येक आर.ए. बिल (जून 2017 तक) पर 3.5 प्रतिशत का भुगतान किया। भारत में वस्तु एवं सेवा अधिनियम लागू होने पर इसे हटा (जुलाई 2017) लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.डी.एस.सी. ने मूल्य शर्तों को संशोधित करने के द्वारा ठेकेदार को अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत कर देयता का लाभ दिया बजाय ठेकेदार के खाते में रखने के जैसा कि ठेकेदार द्वारा पूर्व में स्वीकार किया गया था। 3.5 प्रतिशत पर समझौते में कर की दर निर्धारित करने से वैट/डब्ल्यू.सी.टी. के कारण अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत के प्रति ठेकेदार को ₹3.75 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। आंध्रप्रदेश सरकार के कमर्शियल कर विभाग के अनुसार ठेकेदार ने डब्ल्यू.सी.टी. के रिफंड के लिए आवेदन किया था, जिसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित था। यदि यह रिफंड किया जाता है तो यह ठेकेदार के हित में होगा।

डी.ओ.एस. ने कहा (मई 2019) कि ठेकेदार ने 1.5 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता को ग्रहण करना स्वीकार किया था तथा इसलिए विभाग पर कोई अतिरिक्त वित्तीय देयता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार के दो प्रतिशत के प्रारंभिक प्रस्ताव के बजाय ठेकेदार को मूल्य बोली संशोधित करने के लिए कहकर जिसमें कार्य की लागत पर 3.5 प्रतिशत का

वैट/डब्ल्यू.सी.टी. सम्मिलित है, डी.ओ.एस. ने वास्तव में ठेकेदार को 1.5 प्रतिशत का लाभ दिया था।

### 5.5.3 निष्कर्ष

अंतरिक्ष विभाग के पांच केंद्रों में सिविल कार्यों के प्रबंध की लेखापरीक्षा में कमजोर अनुबंध प्रबंध दृष्टिगत हुआ जिससे अनुबंध की पूर्णता में 109 दिन से 1,142 दिनों का समय लगा तथा ₹37.62 करोड़ की लागत वृद्धि लगी। लागत वृद्धि के अनियमित भुगतान, कार्य की मदों की मात्रा में विचलन, सांविधिक वसूलियों का कम उद्ग्रहण/संग्रहण, दावा नहीं की गई छूट के कारण अपरिहार्य भुगतान, अनियमित तदर्थ अग्रिम भुगतान, ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का कम उद्ग्रहण, इत्यादि मामले थे जिसका कुल वित्तीय निहितार्थ ₹12.08 करोड़ था।

## अध्याय VI: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

### 6.1 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वित्तीय लाभ प्रदान करना

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने पांच स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने वैज्ञानिकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने की अनुमति दी और परिणामस्वरूप 2002-18 की अवधि के दौरान ₹2.63 करोड़ का व्यय हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मामले को पूर्वव्यापी अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसने मंत्रालय को वित्तीय लाभ वापस लेने की सलाह दी थी।

सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2005 तथा 2017 के नियम क्रमशः 209(6)(iv)(a) तथा 230(12)(i) के अनुसार, सभी अनुदेयी संस्थाएं या संगठन जो अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त करती हैं, को सामान्यतया अपने कर्मचारियों की सेवा के नियमों व शर्तों को सामान्यतया निरूपित करना चाहिए, जो कि कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों से अधिक न हो। असाधारण मामलों में, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के परामर्श से छूट दी जा सकती है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) ने अपने दो स्वायत्त निकायों नामतः भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) तथा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.) के लिए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा पेशेवर अद्यतन भत्ता (पी.यू.ए.)<sup>1</sup> लेने के नियमों एवं विनियमों को अपनाना स्वीकार (मार्च 2004) किया। उस समय, एम.ओ.ई.एस. ने पहले ही अपने अधीन एक अन्य स्वायत्त निकायों अर्थात् राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा (एन.सी.पी.ओ.आर.) को उसी प्रावधान हेतु स्वीकृति दे दी थी।

तदनुसार, आई.एन.सी.ओ.आई.एस., एन.सी.पी.ओ.आर. एवं एन.आई.ओ.टी. ने अपनी शासन परिषद की स्वीकृति से (i) वैज्ञानिकों सी, डी, ई एवं एफ<sup>2</sup> को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा (ii) सभी नियमित वैज्ञानिकों को 2002-03

<sup>1</sup> पेशेवर अद्यतन भत्ता एक प्रोत्साहन राशि है जो परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत वैज्ञानिकों को दिया जाता है ताकि वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में स्वयं को नवीनतम विकास के समकक्ष रख सकें।

<sup>2</sup> वेतनमान ₹10,000-15,200, ₹12,000-16,500, ₹14,300-18,300 और ₹16,400-20,400 (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से पूर्व लागू वेतनमान)

(आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) व 2003-04 (एन.सी.पी.ओ.आर. एवं एन.आई.ओ.टी.) से पेशेवर अद्यतन भत्ते देना आरंभ कर दिया। स्वायत्त निकायों ने ₹18,400-22,400 के वेतनमान के वैज्ञानिकों को ₹2,000 प्रति माह का विशेष वेतन देना भी आरंभ कर दिया। बाद में, एम.ओ.ई.एस. के शेष दो स्वायत्त निकायों, नामतः भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (आई.आई.टी.एम.) तथा राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम (एन.सी.ई.एस.एस.)<sup>3</sup> ने भी अपने वैज्ञानिकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देना (2010-11 तथा 2014-15 से) आरंभ कर दिया। 2002-18 की अवधि के दौरान, एम.ओ.ई.एस. के पांचों स्वायत्त निकायों द्वारा वित्तीय लाभ के भुगतान के प्रति ₹2.63 करोड़ व्यय किया गया जैसा कि तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या 1: एम.ओ.ई.एस. के स्वायत्त निकायों द्वारा दिए गए अतिरिक्त वित्तीय लाभ**

(₹ लाख में)

संस्थान का नाम	अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने पर व्यय						
	अतिरिक्त वेतन वृद्धि		पेशेवर अद्यतन भत्ते		विशेष वेतन		कुल
	राशि	अवधि	राशि	अवधि	राशि	अवधि	
आई.एन.सी.ओ.आई.एस.	29.52	2002-17	28.02	2002-16	4.76	2002-17	62.30
एन.सी.पी.ओ.आर.	6.47	2003-17	20.29	2003-17	2.02	2003-12	28.78
एन.आई.ओ.टी.	20.48	2003-10	50.40	2003-18*	1.88	2003-10	72.76
आई.आई.टी.एम. <sup>4</sup>	नहीं दिया गया		79.08	2010-18	नहीं दिया गया		79.08
एन.सी.ई.एस.एस.	12.80	2014-18	1.58	2014-18	5.52	2014-18	19.90
<b>कुल</b>	<b>69.27</b>		<b>179.37</b>		<b>14.18</b>		<b>262.82</b>

\*जून 2017 तक

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम.ओ.ई.एस. ने उपरोक्त वित्तीय लाभ देने हेतु वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की जैसा कि मौजूदा सरकारी नियमों के तहत अपेक्षित है। आई.एन.सी.ओ.आई.एस., एन.सी.पी.ओ.आर. एवं एन.आई.ओ.टी. ने अंततः वित्तीय लाभ का भुगतान रोक दिया जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

<sup>3</sup> एन.सी.ई.एस.एस. का कार्यभार जनवरी 2014 से एम.ओ.ई.एस. द्वारा केरल सरकार से ले लिया गया था।

<sup>4</sup> आई.आई.टी.एम. ने अपने वैज्ञानिकों को विशेष भत्ते व अतिरिक्त लाभ नहीं दिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, एम.ओ.ई.एस. ने पूर्वव्यापी अनुमोदन हेतु मामला एम.ओ.एफ. को भेज (दिसम्बर 2018) दिया। प्रतिक्रिया में, एम.ओ.एफ. ने एम.ओ.ई.एस. को वित्तीय लाभ तुरंत वापस लेने की सलाह (फरवरी 2019) दी। एम.ओ.ई.एस. ने कहा (जून 2019) कि स्वायत्त निकायों को वित्तीय लाभ के कारण दिए गए भुगतान की वसूली के निर्देश दे दिए गए थे।

## अध्याय VII: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### 7.1 आवासीय प्रयोजन के लिए खपत की गई विद्युत पर अतिरिक्त खर्च

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली ने 2013-18 के दौरान आवासीय क्वार्टरों में विद्युत के मीटरों की स्थापना न होने के कारण एक गैर-घरेलू उच्च तनाव कनेक्शन से घरेलू उपयोग हेतु विद्युत का उपयोग किया तथा उर्जा प्रभार के लिए ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली (एन.जेड.पी.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) के अंतर्गत काम करता है। एन.जेड.पी. के कार्यालय भवनों, बीट्स तथा आवासीय भवनों के लिए विद्युत की आपूर्ति बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लिमिटेड (बी.एस.ई.एस.) के गैर-घरेलू उच्च तनाव (एच.टी.) विद्युत कनेक्शन के माध्यम से 238 किलोवाट के स्वीकृत भार के साथ पूरी की जाती है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के आंकलन (जनवरी 2010) के मुताबिक, इसमें 57<sup>1</sup> आवासीय क्वार्टरों के लिए 224 किलोवाट का स्थापित भार भी शामिल था।

एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. से उसके आवासीय क्वार्टरों के लिए पृथक विद्युत कनेक्शनों के लिए आग्रह (मई 2010) किया था। बी.एस.ई.एस. ने एन.जेड.पी. को कहा (अक्टूबर 2010) कि इस उद्देश्य के लिए एक विद्युत उप-स्टेशन स्थापित किया जाएगा और इसी से संबंधित एक खाका योजना की भी मांग की। स्थान विनिर्देश को लेकर एन.जेड.पी. और बी.एस.ई.एस. के बीच हुए निरंतर पत्राचार के बाद, एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. को प्रस्तावित उप-स्टेशन की स्थापना के लिए एक मानचित्र भेजा (जून 2016)। उत्तर में, बी.एस.ई.एस. ने एन.जेड.पी. को सूचित किया कि एन.जेड.पी. से बी.एस.ई.एस. द्वारा निर्दिष्ट (मई 2016) कुछ शर्तों<sup>2</sup> को पूरा करने की पुष्टि करने वाले एक उपक्रम प्राप्त होने के बाद ही उप-स्टेशन पर काम शुरू किया जा सकेगा। एन.जेड.पी. ने ऐसा कोई उपक्रम नहीं दिया, बल्कि बी.एस.ई.एस. से कार्य के लिए लागत अनुमान मांगा (अगस्त 2016)। बी.एस.ई.एस. ने एन.जेड.पी. को स्पष्ट किया

<sup>1</sup> टाईप I- 46 क्वार्टर, टाईप-II -चार क्वार्टर, टाईप III- चार क्वार्टर, टाईप IV- दो क्वार्टर तथा टाईप V- एक क्वार्टर

<sup>2</sup> (i) उप-स्टेशन भूखंड के कम से कम दो तरफ 4 मी. चौड़ाई की एक मोटर योग्य सड़क होनी चाहिए और (ii) उस भूखंड से कोई तार/नलिकाएं/पाईप या कोई अन्य उपयोगिता नहीं गुजरनी चाहिए।

(सितंबर 2016) कि लागत अनुमानों को तब तक तैयार नहीं किया जा सकता जब तक कि उप-स्टेशन के लिए स्थान की पुष्टि नहीं की जाती। फिर भी, एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. के साथ लगातार लागत अनुमान के मामले को जारी रखा और मुद्दा पत्राचार के अधीन रहा। अप्रैल 2019 तक, विद्युत उप-स्टेशन की स्थापना का काम शुरू नहीं हुआ था।

इस दौरान, बी.एस.ई.एस. ने (2013-14 से) एन.जेड.पी. के कार्यालय भवनों तथा आवासीय क्वार्टरों सहित कुल उर्जा खपत पर समग्र विद्युत बिल उठाया, जिसका भुगतान एन.जेड.पी. द्वारा किया गया। इसके बदले में, एन.जेड.पी. ने, विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों में घरेलू उपयोग के लिए एन.जेड.पी. द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, अपने कर्मचारियों से उनके आवासीय उपभोग के लिए उर्जा शुल्क वसूला। इन दरों की सीमा विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के लिए ₹ 600 से ₹1,500 प्रति माह (2013-14), ₹720 से ₹1,800 प्रति माह (2014-15), ₹900 से ₹2,250 प्रति माह (2015-16) और ₹1,080 से ₹ 2700 प्रति माह (2016-17 व 2017-18) थी। 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान, एन.जेड.पी. के कर्मचारियों द्वारा 34<sup>3</sup> आवासीय क्वार्टरों को अधिकृत किया गया। एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. को कार्यालय एवं आवासीय क्वार्टरों के विद्युत प्रभार के लिए ₹6.18 करोड़ का भुगतान किया तथा अपने कर्मचारियों से ₹1.99 लाख की वसूली की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.जेड.पी. ने प्रथम दृष्टया सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से आवासीय क्वार्टरों में मीटर स्थापित न करके अपनी आधिकारिक सुविधाओं तथा आवासीय भवनों की विद्युत आवश्यकताओं को अलग नहीं किया। इसके अलावा, एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. द्वारा बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करके आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग विद्युत मीटरों को लगाने के मामले को लगभग नौ वर्षों तक लंबा खींचा। आवासीय क्वार्टरों में विद्युत की वास्तविक खपत दर्ज करने तथा वास्तविक रिडिंग के आधार पर कर्मचारियों से शुल्क वसूलने के लिए विद्युत मीटर नहीं लगाए गए थे। परिणामस्वरूप, बी.एस.ई.एस. को गैर-घरेलू एच.टी. आपूर्ति से घरेलू उपयोग के लिए ली गई विद्युत हेतु किए गए भुगतान तथा ऐसे उपभोग के लिए कर्मचारियों से वसूली गई राशि में व्यापक अंतर था। 2013-18 के दौरान अधिकृत 34 आवासीय क्वार्टरों के लिए, 238 किलोवाट के कुल स्वीकृत भार के अनुपात में 142

<sup>3</sup> कुल 35 क्वार्टरों को अधिकृत किया गया था, हालांकि, टाईप-बी के एक क्वार्टर को गणनाओं में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसे बताए गए समय के दौरान कुछ समय के लिए ही अधिकृत किया गया था।

किलोवाट के निर्धारित भार (59.5 प्रतिशत) जिसके लिए बी.एस.ई.एस. को बिलों का भुगतान किया गया था, को ध्यान में रखते हुए, 34 आवासीय क्वार्टर में बिजली की खपत के अनुरूप, व्यय ₹3.68 करोड़<sup>4</sup> है। हालांकि, एन.जेड.पी. ने इस अवधि के लिए अपने कर्मचारियों से केवल ₹1.99 लाख की वसूली की जिसके कारण ₹3.66 करोड़ की अतिरिक्त राशि खर्च हुई।

इस प्रकार, एन.जेड.पी. की आधिकारिक और घरेलू उर्जा आवश्यकताओं को अलग करने तथा घरेलू उपयोग हेतु अलग मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को पूरा कर पाने में विफलता के कारण 2013-18 के दौरान आवासीय उपयोग के लिए खपत, परंतु गैर-घरेलू एच.टी. कनेक्शन से ली गई विद्युत के लिए ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया।

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने बताया (जुलाई 2019) कि एन.जेड.पी. के निवासियों के लिए विद्युत मीटरों की स्थापना का मामला बी.एस.ई.एस. के साथ चल रहा था। एन.जेड.पी. ने बताया (सितंबर 2019) कि मीटरों की स्थापना की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-स्टेशन की स्थापना के लिए चिन्हित स्थान को अभी तक बी.एस.ई.एस. को सौंपा जाना बाकी था तथा अपेक्षित उपक्रम भी बी.एस.ई.एस. को उपलब्ध कराया जाना बाकी था।

---

<sup>4</sup> ₹6.18 करोड़ के कुल विद्युत प्रभार का 59.5 प्रतिशत

## अध्याय VIII : विदेश मंत्रालय

### 8.1 सार्क संग्रहालय की स्थापना

वस्त्र एवं हस्तशिल्प के सार्क संग्रहालय को 10 वर्षों के बीत जाने तथा ₹18.47 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अभी भी चालू किया जाना है (दिसम्बर 2019)।

भारत ने नवम्बर 2005 में ढाका में हुए XIII दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन में विभिन्न शिल्पों एवं संबंधित परंपराओं में डिजाइन को संरक्षित करने, कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने, फोस्टर डिजाइन कौशल को बढ़ावा देने, प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा अनुसंधान करने हेतु वस्त्र एवं हस्तशिल्प के एक सार्क<sup>1</sup> संग्रहालय (संग्रहालय) की स्थापना का प्रस्ताव किया। सार्क की प्रथम अंतर सरकारी बैठक के दौरान आगे यह निर्णय लिया गया था (फरवरी 2007) कि संग्रहालय की स्थापना भारत में की जाएगी तथा बाद में, इनकी दूसरी बैठक में दिल्ली हाट, पीतमपुरा को संग्रहालय के स्थायी स्थान के रूप में चयन किया गया था (नवम्बर 2008)।

संग्रहालय की स्थापना सार्क क्षेत्रीय केन्द्रों के तर्ज पर की जानी थी जहां पूंजीगत लागत को मेजबान देश द्वारा वहन किया जाता है तथा प्रचालन लागतों को सभी सदस्य राज्यों द्वारा सहभाजीत किया जाता है।

प्रोजेक्ट को गैर-योजनागत व्यय (सीएनई) समिति द्वारा 14 सितम्बर 2009 को इस शर्त पर अनुमोदित किया गया था कि प्रोजेक्ट को किफायती ढंग से निष्पादित किया जाना था तथा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए जिससे कि कोई लागत तथा समय वृद्धि न हो।

संग्रहालय हेतु परिसर को विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से 14 वर्षों के लिए पट्टे पर (नवम्बर 2009) लिया गया था तथा जनवरी 2010 में दो प्रदर्शनी हॉल के लिए ₹15.59<sup>2</sup> करोड़ का अग्रिम किराया एमईए ने अदा किया। अनुरक्षण प्रभारों का

<sup>1</sup> दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में आठ सदस्य देश नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

<sup>2</sup> ₹13.88 करोड़ के अग्रिम प्रभार तथा 12.36 प्रतिशत की दर पर कुल ₹1.71 करोड़ का सेवा कर।

अनुवर्ती 13 वर्षों<sup>3</sup> के लिए भारत का हिस्सा ₹4.74 करोड़ था। प्रोजेक्ट का वित्तीय निहितार्थ ₹25.18 करोड़<sup>4</sup> था।

इसके पश्चात, एमईए ने अप्रैल 2010 में सदस्य राज्यों में रूपरेखा मानचित्र योजना तथा प्रारूप आरेखण परिचालित किया जिसको बाद में सीएनई की अनुमोदित योजना तथा एमसीडी को अनुमेय इमारत योजना के अनुसार बनाने के लिए मई 2011 तथा अप्रैल 2012 में संशोधित किया गया था। संशोधित डिजाइन को सार्क सचिवालय में उनके अनुमोदन हेतु परिचालित (जुलाई 2012) किया गया था। एमईए ने उन डिजाइन एवं आरेखण, जिनका कुछ सदस्य राज्यों<sup>5</sup> से अनुमोदन लम्बित था, के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया (नवम्बर 2012)।

एमईए ने भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) का ₹4.85 करोड़<sup>6</sup> की कुल लागत पर दो हॉल के प्रबंधन एवं रखरखाव सहित उनकी स्थापना तथा विकास के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में चयन किया तथा ₹50 लाख का अग्रिम जारी किया (मार्च 2013) जबकि उसने इसके साथ केवल मार्च 2014 में जाकर ही औपचारिक अनुबंध किया था। एचएचईसी ने बाद में संग्रहालय के सिविल तथा आंतरिक कार्य को निक्षेप कार्य आधार पर दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीडीसी) को सौंपा।

सहमत समय सीमा के अनुसार, प्रथम चरण में शामिल आरेखण, अनुमान तैयार करना तथा निविदा संबंधित कार्य को 30 अप्रैल 2014 तक; सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा वातानाकूलन कार्य को 30 सितम्बर 2014 तक; तथा आंतरिक डिजाइन, कला तथा परिसज्जन कार्य जनवरी 2015 तक पूरा किया जाना था। संग्रहालय को 31 मार्च 2015 से चालू किया जाना प्रत्याशित था।

---

<sup>3</sup> सार्क सदस्य राज्यों में सहभाजीत किए जाने वाले पट्टा अवधि के बाद के 13 वर्षों में अनुरक्षण प्रभार जिसमें दूसरे वर्ष के आगे से भारत का अंशदान लगभग 30 प्रतिशत होना था।

<sup>4</sup> ₹15.59 करोड़ का किराया, ₹3.65 करोड़ के विकास प्रभार, प्रचालन के प्रथम वर्ष के लिए अनुरक्षण प्रभार ₹1.20 करोड़ तथा ₹4.74 करोड़ पर 13 वर्षों के लिए अनुरक्षण प्रभार का अंश

<sup>5</sup> भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका ।

<sup>6</sup> विकास शुल्क ₹365.25 लाख; प्रथम वर्ष के लिए प्रचालन/अनुरक्षण शुल्क ₹120.23 लाख

सितम्बर 2019 तक, एमईए ने ₹18.47 करोड़ (पट्टा किराया हेतु डीटीटीडीसी को ₹13.88 करोड़ तथा संग्रहालय के विकास हेतु एचएचईसी को ₹4.59 करोड़) जारी किए थे।

निम्नलिखित अभ्युक्तियां की जाती हैं:

- एमईए ने डिजाईन एवं आरेखण को अंतिम रूप देने हेतु दो प्रदर्शनी हॉल को किराया पर लेने के लिए डीटीटीडीसी के साथ पट्टा अनुबंध किए जाने में तीन वर्षों से अधिक समय लिया तथा फिर कार्य प्रारम्भ किया (नवम्बर 2012), जिसके लिए कुछ सदस्य राज्यों से अनुमोदन लम्बित है।
- कार्यान्वयन अभिकरण एचएचईसी के साथ अनुबंध, प्रदर्शनी स्टालों को किराए पर लेने (नवम्बर 2009) से चार वर्षों से अधिक के विलम्ब के पश्चात हस्ताक्षरित किया गया था (मार्च 2014)।
- लागत वृद्धि के कारण, आंतरिक, सजावट, परिसज्जन, बाहरी कला कार्य के दायरे आदि मई 2015 से लम्बित रहे। एचएचईसी ने लागत वृद्धि का कार्य में संशोधन करके अर्थात् परिसज्जन सामग्री की कटौती, हटाकर तथा बदलकर, इत्यादि समायोजन किया (दिसम्बर 2015)। डीटीटीडीसी ने आंतरिक कार्य, परिसज्जन, बाहरी कला कार्य के दायरे आदि के लिए अपने विस्तृत अनुमान का ₹1.04 करोड़ से ₹1.99 करोड़ तक का संशोधन किया (अक्टूबर 2017) तथा कार्य को केवल संशोधित अनुमानों के अनुसार निधियों के पूर्ण रूप में प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।
- यद्यपि संग्रहालय प्रोजेक्ट को 30 मार्च 2015 तक पूर्ण तथा 31 मार्च 2015 तक चालू किया जाना था फिर भी प्रोजेक्ट दिसम्बर 2019 तक पूर्ण तथा चालू नहीं किया गया है।

उत्तर में, एमईए ने बताया (दिसम्बर 2019) कि सार्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प संग्रहालय, पीतमपुरा, दिल्ली हाट में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य पूर्ण है। ₹1.41 करोड़ की राशि आंतरिक निर्माण कार्य को करने के लिए जारी (13 मार्च 2019) की गई थी। तथापि, निर्माण कार्यों के लिये निविदा प्रक्रिया को रोक दिया गया है, क्योंकि एचएचईसी ने सूचित किया कि वह आंतरिक निर्माण कार्यों के समापन के पश्चात प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् वस्त्र मंत्रालय जो पीएसयू को बंद करने पर विचार कर रहा है, संग्रहालय के प्रबंधन तथा भविष्य प्रचालन का उत्तरदायित्व लेने की स्थिति में नहीं है। संग्रहालय के भविष्य के

लिए एक स्पष्ट रोडमैप के अभाव में, आंतरिक निर्माण कार्यों के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं समझा गया था। मामला वस्त्र मंत्रालय को कोई वैकल्पिक प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु प्रेषित किया गया था। वस्त्र मंत्रालय ने मामले पर संपूर्ण चर्चा तथा आगे की कार्यवाही हेतु एमईए को आमंत्रित किया है।

इस प्रकार, एमईए द्वारा प्रोजेक्ट की निगरानी में त्रुटिपूर्ण प्रणालीगत पद्धति का परिणाम, ₹18.47 करोड़ का व्यय करने तथा 10 वर्षों से अधिक के विलम्ब के बावजूद भी सार्क संग्रहालय, जिसकी सार्क की जीवित परंपरा को प्रतिबिंबित करने वाले तथा सार्क अधिमान्य व्यापार अनुबंध प्रक्रिया को एक उत्प्रेरक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु एक जीवंत केन्द्र के रूप में अभिकल्पना की गई थी, की स्थापना की परियोजना के गैर-समापन में हुआ।

## 8.2 विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण राजस्व की हानि

भारतीय उच्चायोग (एचसीआई) विलिंग्टन द्वारा विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण भारतीय नागरिकता के त्याग शुल्कों और पासपोर्ट के दुरुपयोग पर जुर्माना के परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

नागरिकता नियमावली 2009 की अनुसूची- IV जो 25 फरवरी 2009 में लागू हुई तथा पासपोर्ट नियम पुस्तिका, 2016 (अध्याय 29 पैरा 8.2) प्रावधान करते हैं कि विदेश में भारतीय नागरिकता के त्याग के लिए ₹7000 का सेवा शुल्क लिया जाना था। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट नियम पुस्तिका, 2016 में जिसका विदेशी पासपोर्ट प्राप्त किए जाने के पश्चात तीन वर्ष तक अभ्यर्ण नहीं किया गया बल्कि यात्रा हेतु एक बार भी उपयोग किया गया हो अथवा पासपोर्ट को तीन वर्षों से अधिक समय के लिए रखा गया हो, उसके लिए ₹10,000 का दंड निर्धारित किया गया है। नियम पुस्तिका आगे प्रावधान करती है कि लागू स्थानीय मुद्रा में जुर्माने की वसूली हेतु विनिमय दर वही होनी चाहिए जिसका वीजा/अन्य कान्सुलर सेवाओं के परिकलन/रूपांतरण हेतु उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रथा के अनुसार, मिशनों द्वारा त्याग शुल्क के लिये अपनाई गई विनिमय दर वही है जो पासपोर्ट के दुरुपयोग के लिए दंड हेतु उपयोग की जाती है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एमईए की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पासपोर्ट शुल्क तथा पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को संशोधित (अक्टूबर 2012) किया था। एमईए ने, संशोधित पासपोर्ट शुल्कों तथा संबंधित शुल्कों का संदर्भ देते समय, यह बताते हुए आगे स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2012/दिसम्बर 2012)

जारी किया कि उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना में केवल पासपोर्ट शुल्क तथा पासपोर्ट संबंधी सेवायें शामिल होंगी जैसा उसमें शामिल किया गया है तथा इसलिए कांसुलर शुल्कों की संरचना अपरिवर्तित रहेगी। एमईए ने मिशन को सलाह (अक्टूबर 2012) भी दी कि स्थानीय मुद्रा के अनुसार शुल्क का संशोधन किया जाए यदि स्थानीय मुद्रा यूएस डॉलर के प्रति 10 प्रतिशत या अधिक तक मूल्य कम होता है। हालांकि, यूएस डॉलर के प्रति स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि की स्थिति में शुल्कों का संशोधन न किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2017) कि भारतीय उच्च आयोग (एचसीआई), वेलिंग्टन, न्यूजीलैंड ने जुर्माना तथा त्याग शुल्क हेतु 1 यूएस \$ = एनजेड \$ 1.3 की दर पर अक्टूबर 2012 में लागू सरकारी विनिमय दर का प्रयोग किया जबकि मिशन द्वारा सितम्बर 2000 से वीजा सेवाओं हेतु उपयोग किया गया विनिमय का दर 1 यूएस \$ = एनजेड \$ 2.2160<sup>7</sup> (1 यूएस \$ = ₹47.50) था। तदनुसार, एचसीआई ने (दिसम्बर 2012) जुर्माने हेतु एनजेड \$ 467<sup>8</sup> तथा त्याग शुल्क हेतु एनजेड \$ 327<sup>9</sup> के बजाए लगाए जाने वाले जुर्माने को एनजेड \$ 245 पर और त्याग शुल्कों को एनजेड \$ 225 पर प्रभारित किया था। यह नीचे की ओर संशोधन एमईए के अनुदेशों के उल्लंघन में था कि स्थानीय मुद्रा के अनुसार शुल्क का संशोधन तभी किए जाएं यदि यूएस डॉलर के प्रति स्थानीय मुद्रा का 10 प्रतिशत या अधिक तक मूल्य कम हो, जैसा नहीं हुआ था।

एचसीआई वेलिंग्टन के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि उसने अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2018 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट त्याग के 14537 मामलों तथा गलत पासपोर्ट के दुरुपयोग/प्रतिधारण शुल्कों के 2328 मामलों के संबंध में फीस लागू की। फलस्वरूप, इसका परिणाम उसी अवधि के दौरान क्रमशः 14537 त्याग मामलों में एनजेड \$ 1502662 (₹3.22 करोड़<sup>10</sup>) तथा 2328 पासपोर्ट दुरुपयोग/प्रतिधारण मामलों में एनजेड \$ 570272 (₹1.22 करोड़) की कम वसूली में हुआ जैसा **अनुलग्नक-8.1** में विवरण दिया गया है।

<sup>7</sup> 1 यूएस \$ = एनजेड \$ 2.2160 अगस्त 2000 में प्रचलित विनिमय दर

<sup>8</sup> एनजेड \$ 467 (₹10000/₹47.50 x एनजेड \$ 2.2160)

<sup>9</sup> एनजेड \$ 327 (₹7000/₹47.50 x एनजेड \$ 2.2160)

<sup>10</sup> 1 एनजेड \$ = ₹21.44 (@ वीजा शुल्क दर 1 यूएस \$ = 2.2160 एनजेड \$, 1 एनजेड \$ = ₹47.50)

इंगित किए जाने (अप्रैल 2018) पर एमईए ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2018) तथा बताया कि अनुदेशों की गलत व्याख्या थी जो मिशन की ओर से विनिमय दर (आरओई) के गलत निर्धारण का कारण बना। उसने यह भी बताया कि मिशन ने तब से शोधक कार्रवाई की थी तथा उसने उसी विनिमय दर, जिसका वीजा शुल्क का निर्धारण करने हेतु उपयोग किया गया था अर्थात् 1 मई 2018 से लागू 1 यूएस डॉलर = एनजेड \$ 2.2160 का उपयोग करके त्याग हेतु शुल्क तथा पासपोर्ट के प्रतिधारण/दुरुपयोग पर जुर्माने का संशोधन किया।

इस प्रकार, दिसम्बर 2012 में भारतीय नागरिकता के परित्याग हेतु सेवा शुल्कों तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग पर जुर्मानों के अनुचित नीचे की ओर संशोधन का परिणाम अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक की अवधि के दौरान कुल ₹4.44 करोड़ की राजस्व हानि में हुआ।

### 8.3 द्रुत डाक सेवाओं पर अधिक व्यय - ₹4.11 करोड़

नमूना जांच किए गए पच्चीस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपेक्षित पता डाटा प्रदान करने में असमर्थता के कारण तेरह कार्यालय द्रुत डाक सेवाओं के थोक ग्राहकों हेतु उपलब्ध छूट के केवल आधे का ही लाभ उठा सके। अन्य आरपीओ ने छूट का लाभ नहीं उठाया क्योंकि उसने अन्य कार्यालयों की तरह डाक प्राधिकारी के साथ अनुबंध नहीं किया था।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग (डीओपी) ने (दिसंबर 2010) एक योजना "नवीन द्रुत डाक छूट संरचना एवं प्रचालन क्रियाविधि" प्रारम्भ की जो मुख्य ग्राहकों के साथ दीर्घावधि व्यवसाय संबंध बनाने के लिए मासिक द्रुत डाक व्यवसाय पर छूट प्रदान करती है। थोक ग्राहकों, जो एक कैलेंडर माह में, ₹50,000 अथवा अधिक का द्रुत पोस्ट व्यवसाय प्रदान करते हैं, को इस योजना<sup>11</sup> के अंतर्गत प्रस्तावित छूट माह के लिए की गई बुकिंग मूल्य पर 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच थी जिसका विवरण **अनुलग्नक-8.2** में दिया गया है।

छूट का लाभ उठाने के लिए थोक ग्राहक को डाक विभाग के साथ एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए एक अनुबंध करना है और तत्पश्चात जिसका प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जा सकता है। पूर्ण छूट की दर उन ग्राहकों के लिए

<sup>11</sup> डाक विभाग, व्यवसाय विकास निदेशालय के ओएम सं.57-02/2010-बीडीएण्डएमडी दिनांक 10 दिसम्बर 2010, 57-03/2012-बीडीएण्डएमडी दिनांक 24 सितम्बर 2012 तथा 10-23/2013-बीडीएण्डएमडी दिनांक 24 जनवरी 2017 के माध्यम से।

उपलब्ध होगी जो डाक विभाग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थोक बुकिंग डाटा प्रदान करेंगे। यदि डाटा केवल पेपर मनीफेस्ट में प्रदान किया गया है तो उपलब्ध छूट को आधा कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पासपोर्टों, पत्रों, आदि के वितरण हेतु डीओपी की द्रुत डाक सेवाओं का लाभ उठाते हैं। देश में विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधीन 37 आरपीओ में से 25 आरपीओ की नमूना जांच ने प्रकट किया कि तेरह आरपीओ ने डीओपी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट (साफ्ट कापी) में डाटा प्रस्तुत नहीं किया था तथा वह केवल आधी छूट का ही लाभ उठा सके जो अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए ₹2.39 करोड़ के डाक प्रभारों के अधिक भुगतान का कारण बना जैसा **संलग्नक-8.3** में ब्यौरा दिया गया है।

आरपीओ, लखनऊ, एक थोक ग्राहक होने से डीओपी के साथ अनुबंध करने में विफल रहा तथा योजना के अंतर्गत किसी भी छूट का लाभ नहीं उठा सका जो डाक प्रभारों पर ₹1.72 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना। आरपीओ लखनऊ ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि मुख्य पोस्टमास्टर (जीपीओ) ने यह अवगत कराया कि अनुबंध के अनुसार अनुमत्य छूट को जनवरी 2019 माह से संसाधित किया जा रहा है।

इस प्रकार आरपीओ द्वारा छूट का लाभ न उठाना ₹4.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना।

पैरा जनवरी 2019 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उत्तर दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित है।

**नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर**

**8.4 दरों को गलत तरीके से अपनाने का परिणाम अतिरिक्त लागत में हुआ**

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर ने गलत ऊपरी दरों तथा उपकर/करों को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जिसमें से ₹1.85 करोड़ पहले ही ठेकेदार को अदा कर दिए गए थे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधीन नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर (विश्वविद्यालय) को नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया था।

विश्वविद्यालय ने अपने स्थायी परिसर (चरण-1) हेतु ₹37.22 करोड़ का आंतरिक सड़कों के निर्माण तथा जलश्रोतों को प्रदान करने के लिए मिट्टी का

कार्य सौंपा (सितम्बर 2016)। यह कार्य अप्रैल 2018 तक पूरा कर लिया गया था; तथा मार्च 2019 तक ₹31.01 करोड़ अदा किए गये थे। कार्यों की लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित तथ्य प्रकट किये:

- ✓ कार्य निविदा में दी गई अनुमानित लागत पर सौंपा गया था जिसमें श्रमिक उपकर, निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यूसीटी) तथा बिहार प्रवेश कर के प्रति दर सारणी (एसओआर)<sup>12</sup> से अधिक अतिरिक्त 6 प्रतिशत का प्रावधान था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसओआर ने केवल श्रमिक उपकर (एक प्रतिशत पर) तथा डब्ल्यूसीटी (चार प्रतिशत तक) के प्रति वृद्धि को अनुमत किया तथा बिहार प्रवेश कर को पहले ही क्रमशः ऊपरी दरों तथा दर विश्लेषण में शामिल कर लिया गया था।
- ✓ बॉक्स पुलिया तथा आरसीसी निकासी नाली जैसी संरचनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय ने ₹50 करोड़ से कम के सड़क निर्माण कार्यों के लिए लागू 10 प्रतिशत के बजाए मुख्य पुलों हेतु लागू 25 प्रतिशत की ऊपरी दर को गलत प्रकार से अपनाया।
- ✓ कार्य का दर विश्लेषण सीमेंट तथा पत्थर संचयों पर बिहार प्रवेश कर के प्रावधान पर आधारित था कि बिहार सरकार ने बिहार में स्टोन चिप्स के खनन को प्रतिबंधित किया था तथा उन्हें डोमचांच, झारखण्ड से प्राप्त करने की योजना की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने वास्तव में सामग्री शेखपुरा, बिहार से प्राप्त की थी।

परिणामस्वरूप, ₹2.34 करोड़ की बढ़ी हुई अतिरिक्त देयता के प्रतिकूल विश्वविद्यालय ने पहले ही 10वें आरए बिल तक ठेकेदार को ₹1.85 करोड़ जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया (मई 2019) कि राशि की वसूली ठेकेदार के अंतिम बिल से की जाएगी। अनुपालना प्रतीक्षित है।

मामला एमईए को सूचित किया गया था (जुलाई 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

---

<sup>12</sup> विश्वविद्यालय ने सड़क निर्माण विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित एसओआर अपनाया जो 1 अप्रैल 2016 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप था।

## अध्याय IX: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

### 9.1 जिपमेर के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान ₹4.56 करोड़

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुचेरी के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय से आदेशों को प्राप्त किए बिना अदा किए गए तदर्थ बोनस के परिणामस्वरूप ₹4.56 करोड़ के तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग केन्द्र सरकार के ग्रुप 'सी', 'डी' तथा ग्रुप 'बी' के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ-बोनस) प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक कार्यालय जापन जारी करता है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए क्रमशः 3 अक्टूबर 2016<sup>1</sup> तथा 19 सितम्बर 2017<sup>2</sup> को जारी किए गए थे। स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस देने हेतु वित्त मंत्रालय से आदेश प्रत्येक वर्ष अलग से जारी किए जाते हैं। यह देखा गया था कि स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस प्रदान करने हेतु ऐसे आदेश वर्ष 2014-15 तक जारी किए गए हैं तथा वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 के लिए आदेश जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए कुल ₹4.56 करोड़ का तदर्थ बोनस जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुचेरी ने कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के आदेशों के बिना अदा किया गया था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए वित्त मंत्रालय से संस्वीकृत आदेश प्राप्त किए बिना तदर्थ बोनस के भुगतान का परिणाम जिपमेर द्वारा ₹4.56 करोड़ के गलत भुगतान में हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैरा को स्वीकार किया तथा सूचित (जुलाई 2018) किया कि जिपमेर ने अपने कर्मचारियों को प्रदान किये अनियमित तदर्थ बोनस की वसूली शुरू कर दी है। बाद में जिपमेर (अगस्त 2018) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कानून और

<sup>1</sup> संदर्भ का.जा.सं. 7/4/2014-ई.।।।(ए) दिनांक 03 अक्टूबर 2016

<sup>2</sup> संदर्भ का.जा.सं.7/4/2014-ई.।।।(ए) दिनांक 19 सितम्बर 2017

*2020 की प्रतिवेदन सं. 6*

न्याय मंत्रालय से कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जिपमेर को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार रकम वसूली के लिए निदेश दिए (मई 2019)।

जिपमेर द्वारा वास्तविक वसूली अभी तक प्रभावित नहीं की गई है (जून 2019)।

## अध्याय X : गृह मंत्रालय

### 10.1 राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता

गृह मंत्रालय “वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों के निर्माण” की योजना के अंतर्गत राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता की निधियों को प्रभावी रूप से निगरानी करने में विफल रहा जिसका परिणाम योजना के समापन के तीन वर्षों के पश्चात् भी आठ राज्यों के पास व्यर्थ पड़ी कुल ₹52.18 करोड़ की बचतों (उस पर ब्याज सहित) में हुआ जबकि मध्य प्रदेश में, राज्य ने ₹3.79 करोड़ की बचतों का दो अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण में उपयोग किया था जो संस्वीकृति के अभाव में, अनियमित था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर गृह मंत्रालय ने ₹22.69 करोड़ की वसूली की है जबकि ₹33.28 करोड़ अभी भी वसूल किए जाने हैं।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के तंत्र जिसमें यह प्रकटन शामिल हो कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह संस्वीकृत की गई थी तथा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रही शेष राशि का सरकार को अभ्यर्पण कर दिया गया है, के माध्यम से अनुदानों के उपयोग की निगरानी की परिकल्पना करती है।

“दृढ़ पुलिस स्टेशन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण” की योजना (2010-2016) ने 10<sup>1</sup> राज्यों<sup>2</sup> में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 83 जिलों में 400 पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों के निर्माण की अभिकल्पना की थी। प्रति पुलिस स्टेशन (पीएस) निर्माण की अनुमानित लागत ₹2.00 करोड़ निर्धारित की गई थी। केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता 80:20 के आधार (80 प्रतिशत लागत, जो ₹1.60 करोड़ से अधिक न हो, को केन्द्र द्वारा पूरा किया जाना है तथा 20 प्रतिशत लागत आधिक्य सहित, यदि कोई हो तो, राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है) पर प्रदान की गई थी। अप्रैल 2016 के बाद से योजना पर अमल करना बन्द कर दिया गया था।

<sup>1</sup> प्रारम्भतः में 9 राज्य; तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात् 10 राज्य

<sup>2</sup> आन्ध्र प्रदेश (17), बिहार (85), छत्तीसगढ़ (75), झारखण्ड (75), मध्य प्रदेश (12), महाराष्ट्र (10), ओडिशा (70), तेलंगाना (23), उत्तर प्रदेश (15) तथा पश्चिम बंगाल (18)।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में राज्यों को कुल ₹623.89 करोड़ की निधियां जारी की। अगस्त 2019 तक, ₹751.33 करोड़ की लागत पर 397 पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया था जबकि बिहार में तीन पीएस का निर्माण अभी भी चल रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएचए, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से योजना की निगरानी करते समय परियोजनाओं के समापन पर, जीएफआर के उल्लंघन में, राज्यों के पास पड़े अप्रयुक्त केन्द्रीय अंश को वसूलने में विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर गृह मंत्रालय ने मई 2018 में राज्य सरकारों से अप्रयुक्त केन्द्रीय अंश पर सूचना की मांग की। सितंबर 2019 तक की स्थिति से प्रकट हुआ कि आठ राज्यों<sup>3</sup> में कुल ₹52.18 करोड़ की बचतें (उस पर ब्याज सहित) थी जबकि मध्य प्रदेश ने ₹3.79 करोड़ की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग दो अतिरिक्त पीएस के निर्माण पर किया गया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में एमएचए ने बताया (अक्टूबर 2018/जून 2019) कि आंबटित निधियों से बचतों में से अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढीकरण का एक प्रस्ताव 2016 में रखा गया था परंतु अंततः मई 2018 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे गिरा दिया गया था जिसके पश्चात् ₹22.69 करोड़ की राशि राज्यों से वसूली की गई थी।

तथापि, ₹33.28 करोड़ की राशि अभी भी राज्यों से वसूल की जानी है (अनुलग्नक-10.1) अथवा अनुवर्ती सहायता के प्रति समायोजित की जानी है।

---

<sup>3</sup> आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

## अध्याय XI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

### 11.1 लोक लेखा समिति को तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में लोक लेखा समिति को गलत सूचना दी कि सत्यवती महाविद्यालय ने भविष्य निधियों पर ब्याज के रूप में अंशदाताओं को किए गए ₹83.31 लाख के अधिक भुगतान की वसूली की थी।

सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं.18 के पैरा 9.3 में सत्यवती महाविद्यालय (महाविद्यालय), नई दिल्ली (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) के अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदान भविष्य निधि शेषों के प्रति 2008 से 2011 तक की अवधि के लिए कुल ₹83.30 लाख का अधिक ब्याज अदा करने के संबंध में उल्लेख किया गया था। उत्तर में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) (मई 2017) में लोक लेखा समिति (पीएसी) को बताया कि महाविद्यालय के स्थानापन्न प्राचार्य ने सूचित<sup>1</sup> किया था कि ₹83.31 लाख<sup>2</sup> की राशि की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की अनुवर्ती जांच में पाया गया कि महाविद्यालय ने भविष्य निधि (पीएफ) शेषों के निवेश से प्राप्त अधिशेष आय से ₹83.31 लाख की वसूली की थी न कि उन कर्मचारियों से जिन्होंने अधिक ब्याज प्राप्त किया था। इस प्रकार, पीएसी को झूठी सूचना दी गई थी कि अधिक ब्याज को कर्मचारियों से वसूला गया था।

महाविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2019)।

मामला एमओएचआरडी को प्रेषित किया गया था (जुलाई 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

<sup>1</sup> पत्र सं. एससी/प्रशा./64/2016 दिनांक 21 दिसम्बर 2016

<sup>2</sup> तथापि, एमओएचआरडी का उत्तर कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित ब्याज पर उनके द्वारा देय अतिरिक्त ब्याज के मुद्दे को संबोधित नहीं करता था।

## 11.2 सेवा-कर का अनियमित भुगतान

शिक्षण संस्थानों ने बाहरी ठेका (आउटसोर्स) सेवाओं (गृह व्यवस्था एवं सुरक्षा) पर कुल ₹5.34 करोड़ के सेवा-कर का भुगतान किया, जबकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने शिक्षण संस्थान को अथवा उनके द्वारा प्रदान की गई कुछ सेवाओं को 1 जुलाई 2012 से सेवा कर से छूट प्रदान की (अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून 2012)। अधिसूचना में स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त सेवाओं में अन्य बातों के साथ कोई भी सेवाएं जो शिक्षण संस्थान आमतौर पर स्वयं ही प्रदान करते हैं परन्तु उसे किसी भी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स की गई सेवा के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, शामिल है। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि नकारात्मक सूची में आने के कारण यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को सेवा कर से छूट प्राप्त है (परिपत्र सं.172/7/2013-एसटी दिनांक 19 सितंबर 2013)। इन सेवाओं में छात्रावास, निर्माण, गृहव्यवस्था, सुरक्षा सेवाएं, कैंटीन आदि भी शामिल है।

बाद में, पूर्व विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा इसके बराबर तक शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली छूट को सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2017 से वापस ले लिया गया था (अधिसूचना सं.10/2017-सेवा कर दिनांक 8 मार्च 2017)।

तीन मंत्रालयों<sup>3</sup> के अधीन शिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 10 संस्थानों<sup>4</sup> ने सुरक्षा एवं गृहव्यवस्था जैसी विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता को जुलाई 2012 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान कुल ₹5.34 करोड़ (अनुलग्नक 11.1) के सेवा-कर का भुगतान

<sup>3</sup> मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय।

<sup>4</sup> (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, (iii) डा.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर (iv) मौलाना आजाद राष्ट्रीय सिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल, (v) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चैन्नई (vi) तामिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर, (vii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू), नई दिल्ली, (viii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, (ix) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलूरू तथा (x) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक सूरथकल।

किया जबकि पूर्वोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत इन सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। इस प्रकार, इन संस्थानों द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं पर ₹5.34 करोड़ के सेवा कर का भुगतान अनियमित था।

इन संस्थानों द्वारा सेवा कर के अनियमित भुगतानों का मामला मई 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू), आयुष मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) एवं संबंधित संस्थानों को सूचित किया गया था।

मई 2019 में, एनआईएचएफडब्ल्यू ने बताया कि सेवा कर की वापसी प्राप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि दावा करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। एमएचएफडब्ल्यू ने आगे बताया (दिसम्बर 2019) कि एनआईएचएफडब्ल्यू के अनुरोध पर ₹12.71 लाख के सेवा-कर को एक आउटसोर्स अभिकरण द्वारा वापस कर दिया गया है।

एमओएचआरडी ने बताया (दिसम्बर 2019) कि एनआईटी, हमीरपुर, एनआईटी, जालंधर तथा एमएएनआईटी, भोपाल ने सेवा कर की वापसी के मामले को भुगतान से एक वर्ष से अधिक समय के अंतराल के पश्चात् सेवा कर विभाग के साथ उठाया था और इस प्रकार यह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार समय वर्जित हो गया। एमओएचआरडी ने आगे बताया कि एनआईटी सूरथकल ने जून 2012 अधिसूचना में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण/अनुदेश की अनुपलब्धता होने के कारण सेवा कर का भुगतान किया था। हालांकि, संशोधन के उपरांत, संस्थान ने ठेकेदार को इसके बिलों में सेवा-कर नहीं लगाने हेतु सूचित किया। तदनुसार, नवंबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक भुगतान किए गए सेवा कर की राशि को सेवा प्रदाता द्वारा लौटाया गया था। जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014 तक की कर राशि को वसूला नहीं जा सका क्योंकि उसे ठेकेदार द्वारा सेवा कर विभाग को प्रेषित किया जा चुका था।

एनआईटी सूरथकल के संदर्भ में एमओएचआरडी मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक कानून/नियमों पर स्पष्टीकरण मात्र से उन कानून/नियमों की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता तथा शैक्षणिक संस्थानों को सहायक शिक्षा सेवाओं पर सेवा कर में छूट जून 2012 से उपलब्ध थी।

एनआईटी कुरुक्षेत्र ने बताया (जून 2019) कि सेवा कर की वापसी हेतु मामले को अम्बाला तथा नई दिल्ली में सेवा कर विभाग के साथ उठाया गया था परंतु दावे को समयवर्जित होने से अस्वीकार कर दिया गया था।

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने बताया (मई 2019) कि उसने मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया है तथा परिणाम से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अन्य स्वायत्त निकायों के संबंध में मंत्रालयों से उत्तर दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

### उच्चतर शिक्षा विभाग

#### 11.3 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का आहरण तथा निपटान करने पर आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर ₹1.86 करोड़ आहरित अग्रिम का निपटान नहीं हुआ।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर (एक केन्द्रीय सरकारी संस्थान) को आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करके सरकारी धन से अग्रिम का आहरण करना था जिसका बाद में वर्तमान नियमों के अनुसार निपटान किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसे अग्रिमों को प्रदान और निपटान करने के विनियमन हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र निम्न प्रकार है:

- (ए) कार्यालय अध्यक्ष एक सरकारी कर्मचारी को कार्यालय के प्रबंधन हेतु आवश्यक माल अथवा सेवाओं की खरीद अथवा अन्य किसी विशेष प्रायोजन के लिए अग्रिम<sup>5</sup> संस्वीकृत करेगा। ऐसी निधियों का निर्धारित अवधि के भीतर, परंतु जो वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद नहीं, विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- (बी) समायोजन बिल<sup>6</sup>, शेष सहित यदि कोई हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम के आहरण के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी विफलता पर अग्रिम अथवा शेष की वसूली उसके अगले वेतनों से की जाएगी।
- (सी) आकस्मिक बिलों के प्रति आहरित अग्रिमों के सामयिक समायोजन का फार्म जीएआर 30 के माध्यम से मॉनीटर किया जाना है, जिसका

<sup>5</sup> जीएफआर 2005, नियम 292 (10(i) एवं (iv))

<sup>6</sup> जीएफआर 2005, नियम 292

कार्यालय द्वारा अनुरक्षण किया जाना है। कार्यालय अध्यक्ष अग्रिम की सामयिक वसूली या समायोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

- (डी) कार्यालय अध्यक्ष<sup>7</sup> को सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, द्वारा देय सरकारी बकायों का पता लगाना तथा आकलन करना है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक बकाया कोई भी राशि उनको देय राशि के प्रति समायोजित की जाएगी।
- (ई) बकाया देयताओं<sup>8</sup> का पता लगाने और आकलन करने का उस समय कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए जब सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व पेंशन दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, क्रमिक निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था कि ये नियंत्रण प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं और आकस्मिक बिलों का लंबे समय तक निपटान नहीं किया जा रहा है (अनुलग्नक 11.2)।

प्रासंगिक अभिलेखों (फरवरी 2017, नवंबर 2017) की लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला है कि 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए निम्नलिखित बिल उन कर्मचारियों के संबंध में अनिश्चित अग्रिमों का हिस्सा थे जो सेवानिवृत्त/मृत हो चुके हैं। इसलिए इन बिलों की वसूली संदिग्ध है। विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है।

### तालिका सं. 1: एसी बिल प्रस्तुतीकरण करने में देरी

(राशि ₹ में)

वर्ष	आहरित एसी बलों की संख्या	आग्रिम राशि	जमा/निपटान किए बिल	निपटान राशि (₹)	लंबित बिल	बकाया राशि (₹)	लम्बित रहने की अवधि
2006-07 से 2007-08	14	1000000	2	150000	12	850000	>10 वर्ष
2008-09 से 2013-14	279	24030476	151	14871476	128	9159000	> 5 वर्ष
2014-15	134	8540734	122	7703734	12	837000	> 4 वर्ष
2015-16	165	20196578	120	13188428	45	7008150	>3 वर्ष
2016-17	80	12239606	78	12064606	2	175000	>2 वर्ष
2017-18	71	11530533	69	10985533	2	545000	>1 वर्ष
<b>कुल</b>	<b>743</b>	<b>77537927</b>	<b>542</b>	<b>58963777</b>	<b>201</b>	<b>18574150</b>	

<sup>7</sup> सीसीएस पेंशन नियम, नियम 71

<sup>8</sup> सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 64 के अधीन, भारत सरकार का निर्णय (2)

सीआईआईएल ने स्वीकार किया कि वित्तीय नियामक उपायों में अक्षमताएं हैं क्योंकि अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपस्थिति में तैनात किया गया था।

मंत्रालय, एसी बिलों के समय पर समायोजन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है और आगे, अन्य अग्रिमों को पिछले बिल के निपटान तक प्रदान नहीं किया जाये।

दिसम्बर 2019 तक मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

#### 11.4 मेसर्स ईडीसीआईएल से अग्रिम की वसूली/समायोजन ₹ 4.32 करोड़

अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने मेसर्स ईडीसीआईएल को ₹4.32 करोड़ की राशि का अग्रिम प्रदान किया तथा ₹3.98 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

(ए) सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका प्रावधान करती है कि विशिष्ट तथा पूंजी-गहन निर्माण कार्यों के संबंध में संग्रहण अग्रिम प्रदान किया जा सकता है। नियम पुस्तिका के नियम 31.6 के अनुसार,

- i. संग्रहण अग्रिम 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर निविदा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर संविदा की शर्तों के अनुसार संस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ii. अग्रिम को दो किशतों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. संग्रहण अग्रिम जारी की गई राशि को कवर करने तथा अग्रिम की वसूली तक की अवधि वाले बैंक गारंटी बाण्ड की प्राप्ति के पश्चात ही जारी किया जाएगा।
- iv. वसूली 10 प्रतिशत कार्य के समाप्त होने के पश्चात ही प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली 80 प्रतिशत कार्य के समाप्त होने के समय तक की जाएगी।

अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (संस्थान), ग्वालियर (म.प्र.) ने चरण-11 निर्माण कार्य<sup>9</sup> हेतु व्यवसायिक सेवाएं

<sup>9</sup> दूसरे एवं तीसरे बाल छात्रावास का निर्माण, स्टाफ क्वार्टरों एवं गेस्ट हाउस का निर्माण।

प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में एजूकेशनल कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल), नई दिल्ली (भारत सरकार का एक उपक्रम) को एक अनुबंध (अक्टूबर 2003) के माध्यम से नियुक्त किया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान किया:

- (i) संस्थान पैरा 5.2.1 के तहत पीएमसी को प्रारम्भिक परियोजना लागत/बजट लागत का 20 प्रतिशत की सीमा तक संग्रहण अग्रिम (एमए) प्रदान करेगा, तथा
- (ii) पैरा 5.2.5 के अनुसार एमए का चालू बिल के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर निर्माण अभिकरण के बिल के भुगतान के प्रति समायोजन किया जाएगा तथा निर्माण अभिकरण के अंतिम बिल में शेष राशि का पूर्ण रूप से समायोजन किया जाएगा।

तदनुसार संस्थान ने एमए के रूप में पीएमसी को ₹4.32 करोड़<sup>10</sup> (₹21.60 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत का 20 प्रतिशत) अदा किया। बाद में, ₹16.88 करोड़ (फरवरी 2005) पर निविदा लागत के निर्धारण के पश्चात एमए की राशि को ₹3.38 करोड़ (₹16.88 करोड़ का 20 प्रतिशत) के रूप में संशोधित किया गया था तथा इसलिए ₹94 लाख (₹4.32 करोड़-₹3.38 करोड़) के अधिक एमए की पीएमसी के आरए बिलों से वसूली की गई थी।

एमए की वसूली 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज सहित ठेकेदार के आरए बिल से की गई थी। ₹3.38 करोड़ में से मार्च 2012 तक ₹2.17 करोड़ (साधारण ब्याज सहित) समायोजित किया गया, उसके बाद कोई वसूली नहीं की गई थी। असमायोजित एमए पर ब्याज बढ़ा तथा ₹3.98 करोड़<sup>11</sup> (ब्याज सहित) की शेष एमए राशि मार्च 2019 तक असमायोजित थी। कार्य को समाप्त तथा बिलिंग को अधिकृत बताया गया था परंतु अंतिम आरए बिल/निर्माण कार्यों का समापन अभी भी प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संग्रहण अग्रिम के भुगतान हेतु ईडीसीआईएल के साथ अनुबंध वर्तमान सीपीडब्ल्यूडी नियमों के उल्लंघन में था जैसा कि नीचे वर्णित है:-

<sup>10</sup> दिसम्बर 2003 में ₹ एक करोड़ तथा अक्टूबर 2004 में ₹3.32 करोड़।

<sup>11</sup> ₹3.98 करोड़=मूल एमए ₹1.43 करोड़ + ₹2.55 करोड़ ब्याज।

- i. एमए उस निकाय अथवा व्यक्ति को प्रदान किया जाना है जो विशिष्ट तथा पूंजी-गहन प्रकृति के निर्माण कार्यों का निष्पादन कर रहा है। एक परियोजना परामर्शदाता को कार्य के निष्पादन हेतु सामग्रियों तथा मशीनों को संग्रहित करना अपेक्षित नहीं था।
- ii. संग्रहण अग्रिम के रूप में 10 प्रतिशत की अदायगी सीमा का अनुपालन नहीं किया गया था तथा निविदा राशि का 20 प्रतिशत अदा किया गया था।
- iii. संवितरित संग्रहण अग्रिम की राशि हेतु कोई बैंक गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।
- iv. वसूली भी विद्यमान नियमों के विपरीत थी। प्रति आरए बिल की 10 प्रतिशत की वसूली का परिणाम भी निविदा राशि की केवल 10 प्रतिशत की वसूली में होगा तथा शेष 10 प्रतिशत एमए कार्य की समाप्ति तक रहेगा और समायोजनों के सिवाए ठेकेदार को बिना किसी भुगतान के इस वसूली के तौर-तरीके स्पष्ट नहीं है।

संस्थान ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि पीएमसी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार एमए प्रदान किया गया था तथा सीपीडब्ल्यूडी मापदण्ड लागू नहीं थे। असमायोजित राशि के संबंध में संस्थान ने बताया कि मामले को मेसर्स ईडीसीआईएल के साथ उठाया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि (i) संग्रहण अग्रिम ठेकेदार को कार्य शुरू करने हेतु अपने संसाधनों को जुटाने के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है तथा पीएमसी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए एमए देय नहीं था, (ii) संविदा की शर्तें शेष 10 प्रतिशत की वसूली के संबंध में स्पष्ट नहीं थी तथा समायोजन धन वापसी की कार्रवाई केवल लेखापरीक्षा (2015) द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही की गई थी परंतु अब तक कोई धन वापसी/वसूली नहीं की गई है, (iii) अनुबंध के पैरा 2.2.8 में उल्लेखित किया गया है कि कार्य के प्रयोजन के लिए प्रलेखन सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों के अनुरूप किया जाएगा। सीपीडब्ल्यूए संहिता भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कार्य कर रहे सभी निकायों पर लागू है जब तक कि वैकल्पिक रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी के मानदण्डों के उल्लंघन में दोषपूर्ण अनुबंध के निष्पादन के माध्यम से पीएमसी को अनुचित लाभ प्रदान किया गया और 31

मार्च 2019 को मैसर्स ईडीसीआईएल से ब्याज सहित ₹3.98 करोड़ की वसूली लम्बित थी।

**(बी)** संस्थान ने मैसर्स ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमि. के साथ (04 सितम्बर 2012) संस्थान के लिए आवश्यक उपकरण/मर्दों<sup>12</sup> के प्रापण हेतु परामर्श के संबंध में तीन वर्षों के लिए (31 मार्च 2015 तक) दूसरी संविदा निष्पादित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में अग्रिम के भुगतान हेतु ऐसी किसी खण्ड के अभाव के बावजूद ₹1.23 करोड़ अग्रिम के रूप में अदा किये गये थे। संविदा के अंत तक ₹1.80 करोड़ (अग्रिम के रूप में ₹1.23 करोड़ की राशि सहित) परामर्शदाता को जारी किए गए थे तथा इस अवधि के दौरान केवल ₹1.46 करोड़ का वास्तविक प्रापण के प्रति समायोजन किया गया था। इस प्रकार, ₹33.69 लाख की शेष राशि मार्च 2015 (अनुबंध की समाप्ति) तक समायोजन हेतु लम्बित थी।

संस्थान ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि ईडीसीआईएल को ₹33.69 लाख की शेष राशि वापिस करने का अनुरोध किया गया है।

तथ्य यह है कि संस्थान ने असमायोजित राशि की वापसी हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी तथा लेखापरीक्षा (जुलाई 2019) द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही मामले को उठाया तथा धन वापसी अभी भी नहीं की गई है।

ऊपर ए तथा बी दर्शाते हैं कि संस्थान के वित्तीय हित की सुरक्षा किए बिना मैसर्स ईडीसीआईएल को अनुचित लाभ प्रदान किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2019 तक क्रमशः ₹3.98 करोड़ तथा ₹0.34 करोड़ की वसूली लम्बित है।

### **बट्टे खाते में डालने के मामले**

जीएफआर 2005 के नियम 12 के अनुसार 'सरकार को देय राशि को बिना पर्याप्त कारणों के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। जहां ऐसी राशियां अवसूलनीय प्रतीत होती हैं, तो उनके समायोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए जाएंगे।' इसके अतिरिक्त, संस्थान के प्रथम कानून (दिसम्बर 2016) का पैरा 16(5) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि निदेशक बोर्ड द्वारा इसी प्रयोजन हेतु नियुक्त स्थायी समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक अवसूलनीय हानियों को बट्टे खाते में डाल सकता है।

₹23.64 लाख (₹19.85 लाख + ₹3.79 लाख) की राशि, जो दो अलग मामलों में वसूलनीय थी जैसा नीचे विवरण दिया गया, को वर्ष 2009-10 से 2014-15

<sup>12</sup> एयर कंडीशनर, कॉन्फ्रेंस टेबल, कुर्सियां आदि।

तक के लेखाओं में वसूली हेतु बकाया दर्शाया गया था। तथापि, इस राशि को, सक्षम प्राधिकारी से बट्टे खाते में डालने के आदेश प्राप्त किए बिना वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं में अनियमित रूप से समायोजन किया गया था:

(i) संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्टाफ विकास कार्यक्रम (एसडीपी) योजना के अंतर्गत अध्यापकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना अपेक्षित था। संस्थान द्वारा जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009 के दौरान प्रदान प्रशिक्षणों के कारण किए गए ₹23.79 लाख के व्यय में से ₹19.85 लाख की राशि बकाया थी जिसकी एआईसीटीई द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी जिसे 2009-10 से 2014-15 तक के वार्षिक लेखाओं में वसूलनीय रूप में दर्शाया जा रहा था।

(ii) शैक्षिक एवं अनुसंधान नेटवर्किंग (ईआरएनईटी) इंडिया, नई दिल्ली (मई 2006 तथा मई 2007) को संस्थान के परिसर में व्यापक नेटवर्क की स्थापना हेतु प्रदान की गई ₹1.56 करोड़ की अग्रिम राशि में से ईआरएनईटी द्वारा ₹1.52 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹3.79 लाख की शेष राशि को 2010-11 से 2014-15 तक के वार्षिक लेखाओं में ईआरएनईटी से वसूलनीय रूप में दर्शाया जा रहा था।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि ₹23.64 लाख का समायोजन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुरूप किया गया था। संस्थान के लेखाओं में समायोजन प्रविष्टियां की गई थी तथा तदनुसार वार्षिक लेखाओं में शामिल की गयी थी जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित तथा बीओजी द्वारा अनुमोदित थी (11 जुलाई 2016)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बट्टे खाते में डालने के लिए बीओजी का विशिष्ट अनुमोदन नहीं लिया गया था तथा वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन को बट्टे खाते में डालने के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त को नवम्बर 2018 तथा मई 2019 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। जवाब अब तक प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

## अध्याय XII : विधि एवं न्याय मंत्रालय

### विधि कार्य विभाग

#### 12.1 जनवरी 2000 से सभागार के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग नहीं किया गया

सर्वोच्च न्यायालय बार संघ को जनवरी 2000 में स्वर्ण जयंती सभागार के निर्माण के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत ₹ एक करोड़ के अनुदान को, अनुदान नियंत्रित करने वाले जीएफआर के उल्लंघन में, 19 वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी, न तो उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और न ही ब्याज सहित इसे वापिस किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह (2010) के अवसर पर विधि कार्य विभाग (डीओएलए) ने सर्वोच्च न्यायालय बार संघ (एससीबीए) को उनके अनुरोध पर स्वर्ण जयंती सभागार के निर्माण हेतु जनवरी 2000 में ₹ एक करोड़ का अनुदान संस्वीकृत किया। अनुदान की शर्तों के अनुसार, अव्ययित अनुदान जिसे उस उद्देश्य के लिए व्यय नहीं किया गया है जिसके लिए अनुदान को 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत किया गया है, उसे वर्ष के अंत में सरकार को वापिस किया जाना था।

राशि को, सभागार के लंबित निर्माण के कारण एससीबीए द्वारा (2000) बैंक के एक आवधिक जमा खाते में रखा गया था। एससीबीए के अनुरोध पर, डीओएलए ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के परामर्श से, वकीलों के अतिरिक्त चैम्बर के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग करने की अनुमति देते (फरवरी 2002) हुए यह निर्धारित किया कि एससीबीए अब तक के अर्जित ब्याज को सरकारी खाते में जमा करें। समापन समय को दिसम्बर 2008 तक बढ़ाते हुए दो विस्तार भी अनुमत किए थे।

डीओएलए ने एससीबीए को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुरोधों को दोहराया (फरवरी 2009 से अक्टूबर 2012 तक) जिसका कोई परिणाम नहीं मिला। इसके पश्चात्, एससीबीए ने ₹ एक करोड़ के अनुदान को उस पर ब्याज सहित वापस करने के विधि एवं न्याय मंत्री (जून 2013) के स्तर पर हुई एक बैठक में सहमत निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। इसके बजाए उसने एमओएलजे को नए अप्पू घर परिसर में एक सभागार के निर्माण हेतु सहायता अनुदान तथा उस ब्याज को उपयोग करने का अनुरोध किया (सितंबर 2017)। बाद में, एससीबीए ने (मई 2019) अनुदान के उपयोग के उद्देश्य को सभागार से सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त बिल्डिंग परिसर में पुस्तकालय के उन्नयन में बदलने हेतु डीओएलए को सिफारिश की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- सामान्य वित्तीय नियमावली<sup>1</sup> (जीएफआर) प्रावधान करती है कि अनुदानग्राही लक्ष्य तिथियों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करने के लिए बंधक पत्र निष्पादित करेगा जिसमें विफल होने पर अनुदान की राशि को ब्याज सहित वापिस किया जाना है। जनवरी 2000 में डीओएलए ने एससीबीए को सहायता अनुदान की शर्तों को पालन करने के बंधक पत्र निष्पादित किए बिना पूरा अनुदान जारी किया जिसकी विफलता में अनुदान की राशि ब्याज सहित नियमावली के तहत लौटानी अपेक्षित थी।
- इसके अतिरिक्त, नियमावली यह भी प्रावधान करती है कि अनुदानग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर अनुदानों की वास्तविक उपयोग का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। डीओएलए ने संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार अव्ययित अनुदान की वसूली करने के स्थान पर एससीबीए को कई विस्तार प्रदान करना जारी रखा जिससे अनुदानों को नियंत्रित करने वाली वित्तीय नियमावली का सख्ती से पालन प्रतीत नहीं होता था।
- एससीबीए ने, अनुदान के उपयोग की अवधि को बढ़ाते समय वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट अनुदेशों के बावजूद, न तो ₹एक करोड़ के अनुदान का उपयोग किया था और न ही अर्जित ब्याज (अप्रैल 2019 तक) के कारण ₹1.28 करोड़ का सरकारी खाते में प्रेषण किया था।

मामला अप्रैल 2018 में डीओएलए को बताया गया था। उत्तर में, डीओएलए ने बताया (अगस्त 2019) कि एससीबीए के अनुदान तथा उस पर प्राप्त ब्याज के उपयोग के अनुरोध को व्यय विभाग (डीओई) को वित्तीय सलाह हेतु भेजा गया है डीओई ने अनुदान के उपयोग की स्थिति तथा उद्देश्य, जिसके लिए एससीबीए अनुदान का उपयोग करना चाहता है, की मांग की थी। डीओई के प्रश्नों को एससीबीए को सूचित कर दिया गया था; उनका उत्तर अगस्त 2019 तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय बार संघ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्देश्य हेतु संस्वीकृत ₹एक करोड़ के अनुदान का न तो उस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था और न ही 19 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी, ब्याज सहित इसे वापिस किया गया था।

---

<sup>1</sup> नियम 149 (I)(ए) के अन्तर्गत जीओआई के निर्णय (5) तथा जीएफआर-1963 के नियम 150 के तहत जीओआई के निर्णय 1 (जो कि उस समय लागू था जब अनुदान स्वीकृत/निर्गमित (जारी) किया गया था अर्थात् जनवरी 2000), जीएफआर-2005 के नियम 209 तथा जीएफआर-2017 के नियम 230 में सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए समान प्रावधानों को सम्मिलित किया है।

## अध्याय XIII : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

### कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

#### 13.1 इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का समय पर लाभ न उठाना

इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का मौजूदा नियमों के अनुसार समय पर लाभ नहीं उठाया गया, कंपनी को ₹1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और खरीदी गई सामग्रियों पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का एक अवसर भी खो दिया।

कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (बाद में, कंपनी के रूप में संदर्भित) कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावागडा तालुका के पांच गांवों में 2000 मेगावाट के सौर पार्क विकसित कर रही है। कंपनी ने एक सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर होने के कारण सौर पार्क के विकास के लिए पट्टे पर जमीन लेने के लिए भूमि मालिकों के साथ समझौता किया। अधिग्रहित ज़मीनों को वार्षिक किराये पर सौर ऊर्जा डेवलपर्स (सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार संस्थाएँ) को आवंटित किया गया था। कंपनी ने सौर ऊर्जा डेवलपर्स के साथ कार्यान्वयन और समर्थन समझौते किए और उन्हें सौर पार्क सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए उनसे शुल्क लिया।

सोलर पार्कों में आम/साझा सुविधाओं के निर्माण हेतु, कंपनी ने विभिन्न निजी फर्मों (बाद में ठेकेदारों के रूप में संदर्भित) के साथ सब-स्टेशनों की स्थापना के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन लाईन, टर्मिनल बे और सड़क प्रकाश तय किये टर्नकी आधार पर कार्यों के लिए अनुबंध किए। अनुबंधों में सभी कर और शुल्क सन्निहित थे। यह नोट किया गया कि दिसंबर 2016 से जून 2017 के दौरान ठेकेदारों द्वारा कंपनी को आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य ₹10.90 करोड़ था जिसमें ₹1.16 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेनवैट क्रेडिट नियम (सीसीआर) 2004 में यह प्रावधान है कि आउटपुट सेवा प्रदाता किसी इनपुट पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क या आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त पूँजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (सेनवैट क्रेडिट) का लाभ उठा सकता है {नियम 3 (1)}। लेखापरीक्षा ने यह भी उल्लेख किया कि सीसीआर 2004 के नियम 3 (4) में कहा गया है कि सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किसी भी अंतिम उत्पाद या सेवा कर पर उत्पाद

शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। नियम 4 (4) में यह भी प्रावधान है कि पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट को पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य के उस हिस्से (उत्पाद शुल्क द्वारा प्रदत्त) के मूल्य के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर आउटपुट सेवा प्रदाता ने अनुच्छेद 32 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल्यहास का लाभ लेने का दावा किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 मार्च 2015 के वित्त मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार आउटपुट सेवा प्रदाता दस्तावेजों के जारी होने की तिथि के एक वर्ष बाद सेनवैट क्रेडिट नहीं ले सकता है।

मार्च 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए कंपनी के सेवा कर विवरणियों की समीक्षा से यह सामने आया है कि इसने ₹25.39 करोड़ (नकद ₹24.91 करोड़ और सेनवैट क्रेडिट ₹0.48 करोड़) सेवा कर का भुगतान किया था। हालाँकि, इसने आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए ₹1.16 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया। ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गई पूंजीगत/इनपुट वस्तुओं पर भुगतान किए गए ₹1.16 करोड़ के उत्पाद शुल्क की राशि के रूप में ₹1.16 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध था। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि कंपनी ने ₹140.76 करोड़ मूल्य की खरीदी गई सामग्रियों<sup>1</sup> की आपूर्ति भी प्राप्त की, जिस पर सेनवैट क्रेडिट की राशि पर ठेकेदारों द्वारा कर चालान न जमा करने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा हिसाब नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि ठेकेदारों को खरीदे गए सामानों के संबंध में कंपनी के साथ कर चालान को साझा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कीमतें सभी करों और शुल्को सहित सन्निहित होती हैं। सीसीआर 2004 के अनुसार सभी चालानों की आवश्यक विवरणी की अनुपस्थिति में, सेनवैट क्रेडिट के लिए पात्रता का पता लगाना मुश्किल है। आगे यह भी कहा गया है कि एक ठेकेदार (मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान सेनवैट क्रेडिट की पात्रता राशि के संबंध में जांच के अधीन हैं। इसने आगे कहा है कि इसने सेनवैट क्रेडिट की राशि पर मूल्यहास की माँग की थी जो कुछ समय की अवधि में सेनवैट क्रेडिट के गैर-लाभकारीकरण की भरपाई करेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर (मई 2019) दिया कि सोलर पार्क डेवलपर को, जहाँ भी उपलब्ध हो, सेनवैट क्रेडिट सहित किसी भी राजकोषीय लाभ का उपयोग उठाने में मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है।

---

<sup>1</sup> तीसरे स्रोत से ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई सामग्री तथा कंपनी को आपूर्ति की जाती है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकृत नहीं हैं क्योंकि सीसीआर 2004 आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देता है। कम्पनी को सौर पार्को में अवसंरचना सुविधाओं का प्रदाता होने के कारण सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए खरीदे गए सामान के मामले में भी ठेकेदारों से कर चालान के लिए आग्रह करना था। यह कंपनी की ओर से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण नहीं था कि खरीदी गई सामग्रियों पर कर चालान प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित न करें, जिसके कारण उन सामग्रियों के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का अवसर खो दिया। आगे, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 मार्च 2015 कि अधिसूचना अनुसार, निर्माता या आउटपुट सेवा के प्रदाता दस्तावेजों के जारी होने की तारीख के एक साल बाद सेनवैट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार, प्रबंधन का प्रस्तुतीकरण कि यह सेनवैट क्रेडिट की पात्रता संबंधित मामले जांच कर रहा है की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि मैसर्स लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड द्वारा चालान 2016 और 2017 में प्रस्तुत किए गए थे और इसलिए, कंपनी अब सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकती है। हमारी राय में, भले ही कंपनी सभी वर्षों में मुनाफा कमाती है, मूल्यहास का अतिरिक्त लाभ सेनवैट क्रेडिट को प्रतिसंतुलित (ऑफसेट) नहीं करता है क्योंकि सेनवैट क्रेडिट के तहत ₹1.16 करोड़ संचयी राशि के एवज में निवल वर्तमान मूल्य<sup>2</sup> ₹0.15 करोड़ आता है। मूल्यहास शुल्क के कारण होने वाले लाभों का निवल वर्तमान मूल्य ₹0.15 करोड़ होगा। (अनुपयुक्त सेनवैट क्रेडिट का 12.93 प्रतिशत)।

इस प्रकार, मौजूदा नियमों के अनुसार इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाने से, कंपनी को ₹1.01 करोड़ (₹1.16 करोड़ से ₹0.15 करोड़ कम अर्थात् मूल्यहास प्रभार की वजह से निवल वर्तमान मूल्य देय) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और ₹140.76 करोड़ की खरीदी गई सामग्री पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

<sup>2</sup> 6.75 प्रतिशत की दर का उपयोग करके गणना की गई (अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए 1 जुलाई 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के टर्म डिपॉजिट दर)।

### 13.2 भूमि मालिकों की ओर से स्रोत पर काटे गये कर का भुगतान

भूमि मालिकों को भूमि के पट्टे के प्रभार में से टीडीएस नहीं लिया गया था। यह भूमि मालिकों की ओर से कंपनी द्वारा वहन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.25 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड<sup>3</sup> (केएसपीडीसीएल- इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) का गठन (मार्च 2015) कर्नाटक राज्य में सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किया गया था, और यह पावागड़ा तालुक, तुमकुर जिले के पांच गांवों में पहचान की गई लगभग 11000 एकड़ भूमि में 2000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित कर रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना (दिसंबर 2014) ने कहा कि सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह सौर पार्कों के लिए न्यूनतम संभावित कीमत पर भूमि उपलब्ध कराए। कर्नाटक सरकार (जीओके) ने सौर परियोजनाओं के लिए लीज पर ली गई भूमि के संबंध में भूमि मालिकों को देय पट्टा प्रभार तय करने के लिए एक समिति का गठन (अगस्त 2015) किया। समिति ने (28 सितंबर 2015) भूमि पट्टाधारकों को 2 वर्ष में एक बार बेस प्राइस पर 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रति एकड़ ₹21000 की दर से देय प्रभार निर्धारित किया। तदनुसार, कंपनी ने भूमि मालिकों के साथ पट्टे के समझौते किये और सहमति अनुसार कंपनी भूमि पट्टे के प्रभार का भुगतान कर रही थी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए वार्षिक लीज प्रभार पर अधिग्रहित भूमि को सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) को आवंटित किया गया था।

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने नोट किया (13 मई 2016) कि आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी एक्ट, 1961) की धारा 194 आई के अनुपालन में भूमि मालिकों को वार्षिक लीज प्रभार जारी करने से पहले स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती नहीं की गई थी। आईटी एक्ट, 1961 की धारा 201 में यह प्रावधान है कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा टीडीएस ना काटने की स्थिति में, उसे ऐसे कर के संबंध में डिफॉल्ट के रूप में निर्धारित माना जाएगा। नतीजों और कानूनी मुद्दों को देखते हुए बीओडी ने टीडीएस की देयता को वहन

<sup>3</sup> कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड (कर्नाटक राज्य सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (भारत संघ सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम) के बीच 50:50 का संयुक्त उपक्रम।

करने एवं परियोजना लागत के प्रति उसको पूंजीकृत कराने का निर्णय लिया और उसे एसपीडीएस को दिया गया।

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एसपीडीएस से टीडीएस भुगतान के लिए खर्च को वसूलने की संभावना दूरस्थ है जैसा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी परियोजना लागत में इस पहलू को नहीं बताया है और कंपनी की मांग उनके और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार नहीं थी, और इसलिए कोई भी ऐसा भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि भूमि लीज प्रभार निर्धारण समिति ने यह नहीं बताया कि भूमि लीज प्रभार निवल आयकर सहित निर्धारित किए हैं। अतः प्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति होने के कारण आयकर को निर्धारिती द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा आयकर प्राधिकारी से भूमि के मालिकों द्वारा टीडीएस की वापसी का दावा करने की संभावना को इस तथ्य के बावजूद खारिज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे भूमि मालिकों को कंपनी द्वारा अपने स्वयं की निधियों से टीडीएस जमा किया गया था जिससे ऐसे भूमि मालिकों को अन्यायपूर्ण समृद्धि मिली।

भूमि मालिकों की ओर से टीडीएस के अनियमित भुगतान को जारी रखने पर लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर, कंपनी ने (जुलाई 2018) ऊर्जा विभाग, कर्नाटक सरकार को भूमि मालिकों की ओर से टीडीएस के भुगतान की मंजूरी के लिए संपर्क किया। कर्नाटक सरकार ने सितंबर 2018 में कंपनी के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हालांकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद यह उजागर नहीं हुआ कि यह मुद्दा एक ऐसी समिति को भेजा गया था जो भूमि मालिकों को देय भूमि पट्टे के प्रभार को तय/संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थी। कंपनी भूमि मालिकों को दिए गए भूमि के पट्टे के प्रभारों में से कटौती किए बिना टीडीएस का भुगतान जारी रख रही है। दिसंबर 2018 तक, कंपनी ने टीडीएस की देरी से भुगतान पर ₹0.13 करोड़ के ब्याज सहित जनवरी 2016 से नवंबर 2018 की अवधि के लिए ₹5.25 करोड़ की राशि के लिए भूमि लीज प्रभारों पर टीडीएस का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने कहा (जून 2018/जनवरी 2019) कि अनुबंध के अनुसार भूमि मालिक भूमि के संबंध में भूमि कर/राजस्व कर का भुगतान करेंगे और इस प्रकार ₹21,000 “नेट ऑफ़ टैक्स” जमा होगा। टीडीएस का भुगतान कर्नाटक सरकार के आदेशों के अनुसार और भूमि लीज मालिकों के साथ दर्ज लीज अनुबंध के अनुसार किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा क्योंकि एसपीडीएस द्वारा भुगतान किया गया भूमि

पट्टे का प्रभार (जिन पर बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है) कंपनी द्वारा जमा किए गए टीडीएस की राशि को सम्मिलित करेगा। यह भी कहा गया कि भूमि मालिकों को टीडीएस के वापसी/समायोजन से बचने के लिए कोई टीडीएस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2020) कि लेखापरीक्षा पैरा में उठाए गए मामलों में उनकी कोई टिप्पणियां नहीं हैं।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है। ना ही कंपनी और भूमि मालिकों के बीच भूमि पट्टे का समझौता और ना ही समिति द्वारा तय भूमि पट्टे का प्रभार बताता है कि वार्षिक पट्टा प्रभार ₹21,000 “नेट ऑफ इनकम टैक्स” है। आईटी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, टीडीएस स्रोत पर काटा जाने वाला टैक्स होता है जो करदाता द्वारा अपनी कर योग्य आय पर देय आयकर के प्रति संवितरण प्राधिकरण द्वारा काटा जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी भुगतान या भूमि मालिकों की ओर से देय किसी भी भुगतान पर जो एसपीडीएस से वसूल किये जाने योग्य नहीं था, कंपनी पर सीधा वित्तीय बोझ डलेगा। इसके अलावा, अकेले टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं करना भूमि मालिकों द्वारा टीडीएस वापसी/समायोजन का दावा करने की सभी संभावनाओं को दूर नहीं करता है।

इस प्रकार, भूमि के लीज प्रभार के भुगतान और कंपनी द्वारा भूमि मालिकों की ओर से भी उसी भुगतान पर टीडीएस की कटौती करने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹5.25 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ है (नवंबर 2018 तक) जिसकी वसूली भूमि मालिकों से की जानी है। यह अनियमित भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी अपने निर्णय को संशोधित नहीं करती तथा भूमि मालिकों से भूमि लीज प्रभारों के भुगतान से टीडीएस कटौती आरंभ नहीं करती।

## अध्याय XIV: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

#### 14.1 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ठीक से प्रबंधन नहीं किया। इसके फलस्वरूप सात चयनित परियोजनाओं में ₹66.05 करोड़ के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक हुई।

##### 14.1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सितंबर 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) का गठन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत निम्न उद्देश्यों के साथ किया:

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने वाले औद्योगिक समुत्थानों और अन्य अभिकरणों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा आधारित की जाएँ, शेयर पूंजी का उपबंध कर सकेगा।
- वाणिज्यिक उपयोजन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास या आयातित प्रौद्योगिकी के अंगीकार करने में लगी हुई ऐसी अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

टी.डी.बी. के कार्यों का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड में 10 अन्य सदस्य<sup>1</sup> होते हैं तथा टी.डी.बी. के सचिव, सदस्य सचिव होते हैं।

##### 14.1.2 वित्तीय प्रबंधन

टी.डी.बी. मुख्य रूप से डी.एस.टी. द्वारा जारी अनुदानों से वित्तपोषित है। 2008-09 से 2018-19 के दौरान, टी.डी.बी. ने अनुदान के रूप में ₹ 378.05 करोड़ एवं उधार लेने वाली कंपनियों से लोन/ब्याज/रॉयल्टी के पुनर्भुगतान के

<sup>1</sup> जिसमें भारत सरकार के छः सचिव और प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग, बैंकिंग और वित्त, कंपनी, कृषि और ग्रामीण विकास में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से नियुक्त चार सदस्य शामिल हैं।

रूप में ₹478.23 करोड़ प्राप्त किए। इसी अवधि के दौरान टी.डी.बी. ने लोन, अनुदान एवं इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंडों के रूप में ₹1,047.72 करोड़ वितरित किए एवं ₹1,080.71 करोड़<sup>2</sup> की वित्तीय सहायता से 113 परियोजनाएं अनुमोदित की, जिसमें से ₹783.43 करोड़<sup>3</sup> मार्च 2019 तक कंपनियों को जारी किए गए। टी.डी.बी. के वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹309.81 करोड़ एवं ₹730.11 करोड़ की कीमत का औद्योगिक कारोबार से संबंधित ऋण क्रमशः 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2019 तक बकाया था, जिसमें से क्रमशः ₹70.10 करोड़ और ₹225.05 करोड़ की राशि चुकाने के लिए अतिदेय थी।

### 14.1.3 वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड

#### 14.1.3.1 वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तें

टी.डी.बी. मुख्य रूप से प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर सुलभ ऋण प्रदान करता है। वित्तीय सहायता आमतौर पर परियोजना या इक्विटी सदस्यता के स्वीकृत परिव्यय के आधे हिस्से तक ऋण के रूप में होती है, जो परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक हो सकती है। परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन, औद्योगिक सहभागियों का चयन, अनुमोदन, ऋणों का संवितरण और निगरानी टी.डी.बी. की स्थायी आदेशों की नियम-पुस्तिका<sup>4</sup> में दिए गए नियमों के मुताबिक किया जाता है।

#### 14.1.3.2 परियोजना प्रस्तावों की छानबीन एवं अनुमोदन

वित्तीय सहायता के आवेदन की जांच प्रारंभिक छानबीन समिति (आई.एस.सी.) द्वारा की जाती है, जिसमें मुख्यतः डी.एस.टी. के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो आवेदन की परिपूर्णता, परियोजना का उद्देश्य, प्रौद्योगिकी की स्थिति, आवेदक की पिछली उपलब्धियां एवं कुल लागत की जांच करते हैं। आई.एस.सी. की अनुशंसाओं के आधार पर, आवेदन की जांच उसके वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक एवं वित्तीय गुणों के स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ई.सी.) द्वारा की जाती है। निजी कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल और 2008-19 के दौरान

<sup>2</sup> ऋण: ₹1,064.36 करोड़, अनुदान: ₹15.00 करोड़ और इक्विटी: ₹1.35 करोड़।

<sup>3</sup> ऋण: ₹768.13 करोड़, अनुदान: ₹14.20 करोड़ और इक्विटी: ₹1.10 करोड़।

<sup>4</sup> स्थायी आदेशों की नियमावली टी.डी.बी. द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों, टी.डी.बी. नियम, 1996 के प्रावधानों, टी.डी.बी. अधिनियम, 1998 और उसके बाद के संशोधनों, परियोजना के वित्तपोषण के दिशानिर्देशों और कानूनी वकीलों की सलाह को समेकित करता है।

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और राशि की वास्तविक संख्या तालिका संख्या 1 में विस्तृत है।

तालिका संख्या 1: वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए शक्तियाँ

वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए शक्तियाँ						
	अध्यक्ष		बोर्ड द्वारा नियुक्त उप-समिति		बोर्ड	
09 मई 2010 तक	पी.ई.सी. की अनुशंसा पर ₹ एक करोड़ तक		₹ एक करोड़ से अधिक और ₹ पांच करोड़ तक,		₹ पांच करोड़ से अधिक	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि
	1	₹0.75 करोड़	19	₹71.49 करोड़	6	₹66.64 करोड़
10 मई 2010 से	पी.ई.सी. की अनुशंसा पर ₹2.50 करोड़ तक		₹2.50 करोड़ से अधिक और ₹ 10 करोड़ तक		₹10 करोड़ से अधिक	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि
	28	₹52.10 करोड़	48	₹298.11 करोड़	11	₹591.62 करोड़

ऋण सहायता के प्रत्येक मामले के लिए, लाभार्थी को टी.डी.बी. के साथ एक औपचारिक अनुबंध करना होता है। परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के एक साल बाद से ब्याज के साथ ऋण का पुनर्भुगतान शुरू होना चाहिए तथा ब्याज के साथ ऋण का भुगतान परियोजना पूर्ण होने के पांच साल के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा, परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरा ऋण चुकाने तक के समय हेतु 0.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी भी ली जाती है।

### 14.1.3.3 परियोजनाओं की देखरेख

ऋणी कंपनियों के साथ किए गए ऋण अनुबंध के अनुसार, प्रत्येक परियोजना जिसमें ऋण सहायता प्रदान की गई है, को परियोजना निगरानी समिति (पी.एम.सी.) द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, जिसमें बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ऋणियों को छह मासिक विवरण जमा करनी होगी, जिसमें किये गए व्यय का विवरण, प्रौद्योगिक प्रगति, कंपनी की वित्तीय स्थिति, मशीन एवं प्लांट की खरीद/ बीमा आदि की जानकारी विहित प्रारूप के अनुसार देनी होती है और परियोजनाओं के अंत में, एक अंतिम परियोजना रिपोर्ट टी.डी.बी. को सौंपनी होगी।

### 14.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

1999-2005 के समय के दौरान “प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की कार्यप्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की, 2006 की रिपोर्ट संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया था और पांच अनुशंसाएँ की गई थीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को किस हद तक लागू किया था, इसका मूल्यांकन करने के लिए, 2008-09 से 2018-19 तक की अवधि के लिए एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई जिसमें यह आकलन शामिल था कि क्या:

- निजी कंपनियों को वित्तपोषण प्रदान करने से पहले टी.डी.बी. द्वारा सम्यक तत्परता का पालन किया गया था;
- वित्तीय सहायता अनुमोदित शर्तों के मुताबिक की गई है;
- सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा में ऋणों के प्रबंधन का काम शीघ्र एवं कुशल था; एवं
- परियोजनाओं की प्रगति की पर्याप्त निगरानी टी.डी.बी. द्वारा की गई थी।

### 14.1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2008-09 से 2018-19 के दौरान, टी.डी.बी. ने 113 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹783.43 करोड़ स्वीकृत किए। लेखापरीक्षा में इन परियोजनाओं को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया यानी पूर्ण, अपूर्ण, परित्यक्त, जारी परियोजनाएँ। इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी में से उन नमूनों का चयन किया गया जिनमें उच्च एवं निम्न दोनों मौद्रिक कीमतें शामिल थीं। इस तरह, 21 परियोजनाओं का चयन लेखापरीक्षा के लिए

किया गया, जिनमें कुल मिलाकर ₹337.65 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विवरण तालिका संख्या 2 में वर्णित है।

तालिका संख्या 2: कुल एवं चयनित परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	परियोजनाओं की कुल संख्या	प्रस्तावित वित्तीय सहायता	मार्च 2019 तक दी गयी वित्तीय सहायता	चयनित परियोजनाओं की सं.	प्रस्तावित वित्तीय सहायता	मार्च 2019 तक दी गई वित्तीय सहायता
पूर्ण	50	242.84	227.68	10	65.91	64.05
अपूर्ण <sup>5</sup>	16	81.51	57.64	4	26.32	21.65
परित्यक्त	09	43.50	15.98	3	12.55	6.60
जारी	38	712.86	482.13	4	359.41	245.35
<b>कुल</b>	<b>113</b>	<b>1,080.71</b>	<b>783.43</b>	<b>21</b>	<b>464.19</b>	<b>337.65</b>

स्वीकृत लागत और जारी की गई धनराशि के साथ चयनित परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक 14.1 में दी गई है।

#### 14.1.6 पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित अवलोकनों का अनुवर्तन

“प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की कार्यप्रणाली” पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2006 की संख्या 1) में बताये गए बिक्री अनुमान (पैरा 3.7.2), ऋण अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा किए बिना ऋणों का दिया जाना (पैरा 3.7.3), अपर्याप्त देखरेख (पैरा 3.7.4), ऋण के पुनर्भुगतान में चूक (पैरा 3.7.5) आदि मुद्दे को उठाया गया था। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर टी.डी.बी. द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की गई और पाया गया कि डी.एस.टी./टी.डी.बी. द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी चार मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दों की पुनरावृत्ति 2008-19 के दौरान होती रही। लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की गयी सिफारिशों, टी.डी.बी. द्वारा की गई कार्रवाई एवं मार्च 2019 तक की स्थिति अनुलग्नक 14.2 में दी गई है।

आगे के पैराग्राफ में लेखापरीक्षा अवलोकनों का वर्णन किया है।

<sup>5</sup> परियोजना जो परियोजना के प्रस्ताव में अपनी सीमा चिह्न को पूरा नहीं कर पाई है और अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

### 14.1.7 लेखापरीक्षा जांच

#### 14.1.7.1 पात्रता की शर्तों में राहत प्रदान करने के बाद वित्तीय सहायता की स्वीकृति

21 में से चार ऐसी परियोजनाएँ जिनकी स्कूटनी की गई थी, उनमें बोर्ड द्वारा ऋण देने की परिस्थितियों का लोप किया गया था। उक्त मामले आगे वर्णित हैं।

(i) हरित उर्जा उपायों के रूप एल.ई.ली. आधारित प्रकाश व्यवस्था के उत्पादों के विकास एवं व्यवसायीकरण के लिए एम.आई.सी. इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हैदराबाद की परियोजना को टी.डी.बी. के बोर्ड ने स्वीकृत किया (मार्च 2010)। ₹15.00 करोड़ की ऋण राशि इस शर्त के साथ जारी की गई कि प्रवर्तक द्वारा आयोजित ₹ दो अंकित मूल्य वाले कंपनी के 50 लाख शेयर जिनकी कीमत ₹ एक करोड़ है, टी.डी.बी. को गिरवी रखे जाएंगे। जब कंपनी ने मांगे गए शेयर्स को देने में असमर्थता व्यक्त की तो टी.डी.बी.ने इस शर्त में राहत देते हुए, अनुबंध ₹75 लाख के केवल 37.50 लाख शेयर लेकर समझौता हस्ताक्षरित कर लिया। हालांकि, इस छूट का कोई औचित्य टी.डी.बी. के अभिलेखों में नहीं पाया गया और कंपनी को कुल ₹15.00 करोड़ की राशि जारी की गयी।

भले ही परियोजना को पूर्ण घोषित कर दिया गया हो कंपनी बकाया पैसों का भुगतान करने में असमर्थ रही। टी.डी.बी. ने (जनवरी 2014) में ऋण वापिस ले लिया तथा मामले को मध्यस्थ के पास (मार्च 2014) भेज दिया। मध्यस्थ ने (अक्टूबर 2016) टी.डी.बी. के पक्ष में ₹17.63 करोड़ का पुरस्कार पारित किया। हालांकि, कंपनी मार्च 2018 में दिवालिया घोषित हो गई एवं बकाया पैसों के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा सकी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि बिना टी.डी.बी. के हितों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित/लोप करके, अनुबंध की शर्तों में, परिवर्तन की शक्ति अध्यक्ष की स्वीकृति से टी.डी.बी. के सचिव को सौंपी गयी थी।

हालांकि, शर्तों में परिवर्तन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली गई थी, लेकिन समपाश्विक की मात्रा में कमी करके टी.डी.बी. की वित्तीय सुरक्षा का लोप कर दिया गया था एवं बकाया पैसा कंपनी से नहीं लिया जा सका था।

(ii) टी.डी.बी. के बोर्ड ने मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को अपनी परियोजना 'बिड़ला एक्सेल सॉल्वेंट सेल्यूलोसिक फाइबर प्लांट' के लिए ₹250 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की (फरवरी 2017), जो शर्तों के साथ तय की है

कि ऋण सहायता को मौजूदा ऋणदाताओं के साथ पारी-पासू आधार पर अपने खारच संयंत्र में स्थित कंपनी की संपत्ति (चल और अचल) दोनों मौजूदा और भविष्य में पहले प्रभार पर तय किया जाएगा।

कंपनी के साथ ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित करते समय (मार्च 2018), टी.डी.बी. ने अचल संपत्तियों को गिरवी रखने के खंड को शामिल ही नहीं किया। टी.डी.बी. ने कंपनी के खराच प्लान्ट पर कंपनी के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति की जानकारी भी नहीं ली थी। इस तरह, टी.डी.बी. की वित्तीय सुरक्षा को कम किया गया, क्योंकि बोर्ड द्वारा बताए गए नियम के अनुसार अचल संपत्ति को लेकर कोई समपाश्विक नहीं लिया गया था।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि कंपनी ने उसकी वित्तीय स्थिति के चलते नीतिगत निर्णय के कारण अचल संपत्ति को बंधक बनाने के चरण को पूरा नहीं किया। हालांकि, टी.डी.बी. के पास मौजूद चल संपत्तियों की कीमत ₹910.69 करोड़ थी जो कि ऋण मूल्य से 3.96 गुना ज्यादा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने राशि के लिए परियोजना की सिफारिश करते समय यह स्पष्ट किया था कि ऋण को चल व अचल संपत्तियों के जरिए सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिसे बाद में लचीला कर दिया गया था।

(iii) टी.डी.बी. की उप-समिति ने (अक्टूबर 2011) मेसर्स बायोजेनेक्स लाईफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ₹9.99 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया बशर्ते (i) ₹50 लाख कुल कीमत के ₹10 मूल्य प्रत्येक वाले पांच लाख शेयर टी.डी.बी. के पास गिरवी रखे जाएंगे। (ii) ऋण राशि को कंपनी की संपत्ति को बंधक रख कर सुरक्षित किया जाएगा।

हालांकि, कंपनी ने शेयर्स को गिरवी रखने में असमर्थता व्यक्त की। अनुबंध में जाने से पूर्व टी.डी.बी. ने इस शर्त को विलोपित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी के निवेदन पर, बंधक की शर्त को भी आंध्र प्रदेश औद्योगिक इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (ए.पी.आई.आई.सी.) के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) टी.डी.बी. के पक्ष में उक्त भूमि को प्रदान करके शिथिल कर दिया। अनुबंध में, टी.डी.बी. ने 10.00 लाख अमेरिकी डॉलर के आंतरिक मूल्य वाले कंपनी के शेयरों के बजाय, प्रमोटर<sup>6</sup> कंपनी में प्रमोटर के शेयरों की टी.डी.बी. के पक्ष में प्रतिज्ञा हेतु एक अन्य धारा डाल दी। इस तरह, कंपनी ने प्रमोटर के मूल शेयर दस्तावेजों के साथ ए.पी.आई.आई.सी. द्वारा जारी किया गया एन.ओ.सी.,

<sup>6</sup> मेसर्स बायो जिनेक्स लेबोरेटरीज इंक., यू.एस.ए.

टी.डी.बी. को जमा करा दिया था। कोई बंधक विलेख निष्पादित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में सामने आया कि टी.डी.बी. ने उप-समिति की स्वीकृति के बिना अनुबंध के नियमों और शर्तों में परिवर्तन किया। इसके अलावा, प्रमोटर द्वारा दिए गए 10 लाख अमरीकी डॉलर की कीमत को भी शेयर प्रमाण पत्रों से सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र पर उनका अंकित मूल्य वर्णित नहीं था। टी.डी.बी. ने इन शेयर्स की उचित कीमत का सत्यापन नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि प्रमोटर द्वारा किए गए शेयर प्रमाण पत्रों पर यह वर्णित था कि उक्त शेयर्स को ना तो बेचा जा सकता है ना ही विक्रय, गिरवी या दृष्टिबंधक के लिए रखा जा सकता है क्योंकि यह प्रतिभूति अधिनियम 1933<sup>7</sup> के तहत पंजीकृत नहीं था। बंधक पत्र के अभाव में ए.पी.आई.सी.सी. द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई औचित्य नहीं है। बंधक पत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा दिये गए ए.पी.आई.सी.सी. के एन.ओ.सी. का कोई औचित्य नहीं था। आगे, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण, शेयरों की कीमत का भी सत्यापन नहीं किया जा सका। इस तरह ₹9.99 करोड़ के ऋण के लिए टी.डी.बी. द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूतियों की प्रभावशीलता संदिग्ध रहीं।

कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा नहीं किया। इसलिए, टी.डी.बी. ने परियोजना को इसके उद्देश्यों को प्राप्त किये बिना ही बंद (मई 2015) कर दिया। कंपनी ने अपने ऋण का पुनर्भुगतान भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, टी.डी.बी. ने मामला मध्यस्थ को सौंपा (अगस्त 2016) जिसने टी.डी.बी. के पक्ष में ₹12.86 करोड़ का पुरस्कार पारित करने के साथ पुरस्कार की राशि पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से *पेंडेंट लाइट*<sup>8</sup> ब्याज दिया (मार्च 2018)। सितंबर 2019 तक, कंपनी से वसूली हेतु ₹16.59 करोड़ की राशि लंबित थी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि टी.डी.बी. के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात ही टी.डी.बी. द्वारा संशोधित नियम व शर्तें स्वीकार की गई थी।

यद्यपि नियम व शर्तों को बदलने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया था, परंतु बोर्ड द्वारा अनुशंसित ऋण के नियम व शर्तों में बदलाव ने

---

<sup>7</sup> संयुक्त राज्य अमेरिका के 1933 के प्रतिभूति अधिनियम को 27 मई, 1933 को संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था।

<sup>8</sup> लंबित याचिका

टी.डी.बी. के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया तथा ऋण राशि को वसूल किया जाना अभी तक शेष था।

(iv) बोर्ड ने मैसर्स बायलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद को निमोकोकल क्विजुगेट वैक्सीन हेतु निर्माण सुविधाओं को स्थापित करने लिए ऋण की स्वीकृति (अगस्त 2016) इस शर्त पर दी थी कि कंपनी वाणिज्यकरण के शुरु होने की दिनांक से लेकर ऋण, इत्यादि के संपूर्ण भुगतान तक बोर्ड को उत्पाद के बिक्री टर्नओवर पर 0.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी देगी। टी.डी.बी. ने बोर्ड द्वारा स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध रॉयल्टी की दर को 0.2 प्रतिशत तक कम कर दिया। बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बिना ऋण के नियम व शर्तों को बदलना अनियमित था तथा इससे बोर्ड के निगरानी संबंधी कार्यों के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि कंपनी ने रॉयल्टी की दर को 0.5 से 0.2 प्रतिशत तक घटाने हेतु अनुरोध किया था तथा 55वीं बोर्ड की बैठक (5 अगस्त 2016) में इस पर चर्चा भी की गई थी, जिसमें परियोजना को स्वीकीर किया गया था व बोर्ड ने उसे नोट भी किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने टी.डी.बी. के अन्य खण्डों सहित परियोजना को स्वीकार (अगस्त 2016) किया गया था। उसी प्रारूप के आधार पर कंपनी को सितंबर 2016 में आशय पत्र जारी किया गया था जिसमें 0.5 प्रतिशत रॉयल्टी के भुगतान का खण्ड समाविष्ट था। यह इंगित करता है कि रॉयल्टी की दर में कमी पर टी.डी.बी. बोर्ड की अनुमति नहीं थी।

#### 14.1.7.2 गिरवी रखे गए शेयरों के आंतरिक मूल्य का गैर मूल्यांकन

टी.डी.बी. के स्थायी आदेशों की नियमावली के पैरा 4.12 के अनुसार, औद्योगिक संस्था से अपेक्षित है कि वह बैंक गारंटी, कार्पोरेट गारंटी, व्यक्तिगत गारंटी, शेयर का गिरवी रखना, संपत्ति को बंधक रखने इत्यादि के रूप में टी.डी.बी. को ऋण सहायता के रूप में संपार्श्विक उपलब्ध करवाए। उन मामलों में जहाँ शेयरों की गिरवी के विरुद्ध ऋण सहायता दी गई है, वहाँ उधार लेने वाली कंपनी के इक्विटी/प्राथमिकता शेयर को टी.डी.बी. के पक्ष में गिरवी रखा जाना चाहिए।

जाँची गई 21 परियोजनाओं में से, 15 मामलों में संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की गई, जिसमें टी.डी.बी. को उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा शेयरों का गिरवी

रखना सम्मिलित था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13<sup>9</sup> कंपनियों द्वारा गिरवी रखे गए शेयर मार्च 2019 तक भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। इसके अभाव में, इन कंपनियों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का आंतरिक मूल्य<sup>10</sup> ज्ञात नहीं था। फाइल पर कोई भी अभिलेख नहीं थे जो यह दर्शाते हो कि समझौते पर हस्ताक्षर करने और ऋण जारी करने से पहले इन कंपनियों के शेयरों के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन किया गया था। इसने शेयरों की बिक्री के माध्यम से ऋण की वसूली की स्थिति में ऋण सहायता हेतु वित्तीय जोखिम को उजागर किया है।

#### 14.1.7.3 ऋण की पहली किश्त का अधिक किया जाना

टी.डी.बी. के स्थायी आदेशों की नियमावली के पैरा 4.25 के संदर्भ में पहली किश्त के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता को कुल सहायता के 10 से 25 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया जाना था। पहली किश्त की मात्रा को 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की स्थिति में, विशेष कारण दर्ज किये जाने चाहिए तथा अध्यक्ष की अनुमति ली जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच मामलों<sup>11</sup> में, टी.डी.बी. ने ऋण की पहली किश्त को कुल स्वीकृत ऋण सहायता के 30 से 50 प्रतिशत पर वितरित किया। इन सभी मामलों में, टी.डी.बी. द्वारा न तो स्वीकृत पहली किश्त की

---

<sup>9</sup> मैसर्स स्प्रे इंजिनियरिंग डिवाइस लिमिटेड, चंडीगढ़; मैसर्स एस.बी.पी. एक्वाटेक प्रा.लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई.) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधी नगर, गुजरात; मैसर्स रिलायंस सेलुलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स इंटेलिजन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स बायोजेनैक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स सामिक्स रिसर्च मटिरियल प्रा. लिमिटेड, बरेली (उ.प्र.); मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु; मैसर्स एंजल्स हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बेंगलूर; मैसर्स इन्टेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स मोबिलैक्सियन टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड, त्रिवंद्रम

<sup>10</sup> किसी शेयर का आंतरिक मूल्य उसका सही मूल्य है। इसकी गणना मौद्रिक लाभ के आधार पर की जाती है जिसे निवेशक भविष्य में इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह अधिकतम मूल्य है जिस पर निवेशक संपत्ति को बेच सकता है तथा भविष्य में इसे बेचने पर हानि नहीं होती।

<sup>11</sup> कंपनियाँ (ऋण की पहली किश्त की मात्रा); मैसर्स जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद (30.17 प्रतिशत); मैसर्स काविया कार्बनस (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, चेन्नई (41 प्रतिशत); मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बेंगलूर (31.25 प्रतिशत); मैसर्स बायोजेनैक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (50.06 प्रतिशत) तथा मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद (40 प्रतिशत)।

उच्च राशि हेतु कारण दर्शाए थे और न ही अध्यक्ष की अनुमति ली गई थी जैसा कि उसके दिशानिर्देशों में दर्शाया गया है, जो कि गलत है।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि केवल असाधारण मामलों जैसे अल्प आवधिक परियोजनाएँ जिसमें निधियों के शीघ्र निवेश की आवश्यकता हो तथा खरीद गतिविधियों को बल देने हेतु में ही अतिरिक्त पहली किश्त को जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्च दर पर किश्तें विशिष्ट कारण बताए बिना तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना वितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, उक्त उल्लिखित पाँच कंपनियों में से दो अर्थात् मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई तथा मैसर्स बायोजेनेक्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की जैसा कि पैरा 14.1.7.5 में चर्चा की गई है।

#### 14.1.7.4 समझौते की शर्तों को पूरा किये बिना ऋण की किश्त को जारी करना

उधार लेने वाली कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौते निर्धारित करते हैं कि ऋण की प्रत्येक किश्त निर्धारित सीमा चिह्न जैसे शेयरों को गिरवी रखना, हाइपोथिकेशन/ऋण प्रसंविदा के क्रियान्वयन, अचल आस्तियों के हाइपोथिकेशन/ऋण प्रसंविदा के क्रियान्वयन हेतु बैंकर/वित्तीय संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण, कार्यशील पूंजी हेतु व्यवस्था, बैंक प्रत्याभूती के प्रस्तुतीकरण, रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज के साथ प्रभार के पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करने इत्यादि जैसे विनिर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति आदि के पश्चात ही जारी की जाएँगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार परियोजनाओं में, टी.डी.बी. ने उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा विनिर्धारित लक्ष्यों को पूरा किये बिना ही ऋण की विभिन्न किश्तें जारी कर दी थीं। अपेक्षित शर्तों व उपयुक्त बचाव को पूरा किये बिना ही ऋण की किश्त जारी की गई थी, जिसने टी.डी.बी. के वित्तीय हितों को प्रभावित किया, जैसा कि तालिका संख्या 3 में चर्चा की गई है।

**तालिका संख्या 3: समझौते की शर्तों को पूरा किये बिना ऋण की किश्तों को जारी किया गया**

क्रम.सं.	उद्योग भागीदार	ऋण समझौते की शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	मैसर्स ज्योति लिमिटेड, वडोदरा	₹10 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए किये गए ऋण समझौते (अक्टूबर 2008) की शर्तों के अनुसार, ₹2.50 करोड़ की पहली किश्त देने से पहले टी.डी.बी. को कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हेतु स्वयं को संतुष्ट करना था। इस खण्ड को टी.डी.बी. बोर्ड द्वारा बदल दिया गया था व ऋण की पहली किश्त को जारी करने के स्थान पर तीसरी किश्त जारी करने हेतु एक शर्त रखी गई थी।	टी.डी.बी. ने कार्यशील पूंजी हेतु कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए बिना ही ₹ तीन करोड़ की तीसरी किश्त जारी (जनवरी 2013) की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण की तीसरी किश्त के जारी करने के एक वर्ष बाद, कंपनी ने टी.डी.बी. को सूचित (जनवरी 2014) किया कि उसने कार्यशील पूंजी हेतु अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने व विद्यमान उधारों की पुनर्संरचना हेतु अपने बैंक कमियों व कॉर्पोरेट उधार पुनर्संरचना सेल से संपर्क किया था व टी.डी.बी. से वह ₹50.00 लाख की अंतिम चौथी किश्त नहीं ले पाया था। कंपनी को अंततः बिमार कंपनी के रूप में घोषित कर दिया गया था। मार्च 2019 तक ऋण जिसमें ब्याज इत्यादि भी शामिल था, वसूली योग्य नहीं था। डी.एस.टी. ने अपने उत्तर (फरवरी 2019) में कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के बारे में स्वयं को संतुष्ट किये बिना तीसरी किश्त जारी करने हेतु कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।
2.	मैसर्स कार्बन काविया (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	₹6.15 करोड़ की वित्तीय सहायता हेतु कंपनी के साथ किये गए ऋण समझौते के अनुसार, कंपनी की अचल संपत्ति (भूमि) का प्रथम समरूप	टी.डी.बी. ने ₹4.25 करोड़ के ऋण के तीन हिस्सों को बिना यह सुनिश्चित किए वितरित कर दिया कि भूमि का प्रभार उसके पक्ष में किया गया था। तत्पश्चात, कंपनी में संसाधनों की कमी के कारण वह

		प्रभार ऋण की प्रथम किश्त के जारी होने से पहले प्रतिभूति/ आनुषंगिक के रूप में टी.डी.बी. के पक्ष में किया जाना था।	एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. <sup>12</sup> की परिधि के अंतर्गत आ गई। मार्च 2019 तक बकाया ऋण व ब्याज वसूली हेतु लंबित थे। डी.एस.टी. ने स्वीकार (फरवरी 2019) किया कि टी.डी.बी. के पक्ष में अचल संपत्ति पर प्रभार निर्मित नहीं किया जा सकता था।
3.	मैसर्स इनटेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद	समझौते की शर्तों के अनुसार, उधार लेने वालों से अपेक्षित है कि बीमाकृत संपत्तियों को उनके प्रतिस्थापना मूल्य तक रखने के लिए और इस उद्देश्य के लिए देय प्रीमियम व अन्य रकम का विधिवत भुगतान करें। उधार लेने वालों द्वारा ऋण राशि व ब्याज इत्यादि का पूर्ण रूप से भुगतान किये जाने तक बोर्ड को बीमे का लाभार्थी बनाया जाना चाहिए।	टी.डी.बी. के पास कोई भी सूचना नहीं थी कि क्या इन कंपनियों ने अपनी संपत्तियों का बीमा करवाया था। इसके अतिरिक्त सात <sup>13</sup> अन्य परियोजनाओं में, टी.डी.बी. के पास इन परियोजनाओं की नवीनतम बीमा पॉलिसियाँ नहीं थीं यद्यपि टी.डी.बी. को समस्त ऋण व ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। डी.एस.टी. ने स्वीकार किया (फरवरी 2019) कि क्रम संख्या 3 व 4 पर उल्लिखित दो कंपनियों के संदर्भ में टी.डी.बी. के पास बीमा पॉलिसी उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि टी.डी.बी. के पास सितंबर 2019 तक शेष सात कंपनियों की भी बीमा पॉलिसी नहीं थीं। यह दर्शाता है कि टी.डी.बी. ने कंपनियों से बीमा प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।
4.	मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद		

<sup>12</sup> एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002) वित्तीय आस्तियों के संदर्भ में निर्मित सुरक्षा हितों को लागू करने तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण को विनियमित करने हेतु अधिनियमित किया गया था ताकि वह ऐसी आस्तियों की प्राप्ति में सक्षम हो सकें।

<sup>13</sup> मैसर्स बायोजेनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ज्योति लिमिटेड, वडोदरा; मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) लिमिटेड, चेन्नई, मैसर्स एम.आई.सी. इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स रिलायंस सेल्यूलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स साइचेम टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

#### 14.1.7.5 पुनर्भुगतान में चूक

ऋण समझौतों के अनुसार, ऋण इत्यादि के पुनर्भुगतान में चूक और/या ऋण समझौते के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने पर बोर्ड उधार लेने वाले को लिखित में नोटिस देकर ऋण समझौते को समाप्त कर सकता है। टी.डी.बी. के स्थायी आदेशों की नियमावली, कंपनियों द्वारा ऋण के भुगतान में चूक होने की स्थिति में ऋण को वापस लेने हेतु किसी भी समय सीमा को निर्धारित नहीं करती है।

31 मार्च 2019 तक टी.डी.बी. के वित्तीय विवरणों के अनुसार, 107 उधार लेने वाली कंपनियों से ₹730.11 करोड़ का ऋण बकाया था जिसमें से 64 उधार लेने वाली कंपनियों से भुगतान हेतु ₹225.05 करोड़ की राशि आठ दिन से लेकर 19 वर्षों की अवधि तक अतिदेय थी।

लेखापरीक्षा में जाँच की गई 21 परियोजनाओं में टी.डी.बी. ने ₹464.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी तथा मार्च 2019 तक ₹337.65 करोड़ जारी किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- 10 परियोजनाओं<sup>14</sup> में पूर्ण व अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ था, जबकि चार<sup>15</sup> परियोजनाओं में 31 मार्च 2019 तक पुनर्भुगतान अभी तक देय नहीं था।
- शेष सात<sup>16</sup> परियोजनाओं में, उधार लेने वाली कंपनियों ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी तथा पाँच<sup>17</sup> उधार लेने वाली कंपनियों के

<sup>14</sup> मैसर्स स्प्रे इंजिनरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, चंडीगढ़; मैसर्स साईचेम टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स औजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड हैदराबाद; मैसर्स सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधी नगर, गुजरात; मैसर्स इंटेलिजोन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स सामिक्स रिसर्च मटिरियल प्रा. लिमिटेड, बरेली (उ.प्र.); मैसर्स जेन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एंजल हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बेंगलूर तथा मैसर्स एक्सियो बायोसोल्यूशन प्रा. लिमिटेड, अहमदाबाद

<sup>15</sup> मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुम्बई; मैसर्स एबिलिटीज़ इंडिया पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड, दिल्ली तथा मैसर्स मोबाइलज़ियन टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लिमिटेड, त्रिवेंद्रम

<sup>16</sup> मैसर्स इंटेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ज्योति लिमिटेड, वड़ोदरा; मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एम.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स रिलायंस सेल्यूलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स, बायोजैनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद तथा मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु

विरुद्ध मामले मध्यस्थता न्यायालय में दायर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन सात कंपनियों से ₹ 66.05 करोड़ का पुनर्भुगतान ब्याज सहित आठ दिन व छः वर्षों की अवधि तक अतिदेय हो गया।

- इसके अतिरिक्त, सात कंपनियों में से चार कंपनियां (**अनुलग्नक 14.3**) जिन्हें ₹27.00 करोड़ की राशि ऋण के रूप में जारी की गई थी, ने लगातार तीन बार ₹11.87 करोड़ की राशि के ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की थी, फिर भी टी.डी.बी. को कंपनियों से ऋण/ब्याज को वापस लेने में एक वर्ष से अधिक समय लगा। चूक के मामलों में टी.डी.बी. द्वारा शीघ्र कार्रवाई का अभाव टी.डी.बी. द्वारा दिए गए ऋणों के घटिया प्रबंधन को भी दर्शाता है।

डी.एस.टी. ने उपरोक्त मामलों में मध्यस्थता देने के क्रियान्वयन की स्थिति दी (फरवरी 2019) जिसे **अनुलग्नक 14.3** में सम्मिलित किया गया है, हालाँकि, डी.एस.टी. ने पहली अवस्था में ऋण को वापस में विलंब हेतु कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

#### 14.1.7.6 बकाया ऋण/ब्याज की माफी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड नियम 1996 के नियम 19(13) के संदर्भ में, उन परियोजनाओं के मामले में जिन्हें समझौते के प्रावधानों के अनुसार असफल घोषित किया जा रहा है, बोर्ड ब्याज व ऋण राशि की वसूली को माफ करने पर विचार कर सकता है; तथा ऐसी स्थिति में, अनुपयोगी शेष राशि बोर्ड को वापिस कर दी जाएगी और सृजित सम्पत्तियों का निपटान बोर्ड द्वारा तय किये गए तरीके से होगा।

---

<sup>17</sup> मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एम.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स रिलायंस सैल्युलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; मैसर्स बायोजैनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद तथा मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु

2008-19 की अवधि के दौरान, टी.डी.बी. ने 14 कंपनियों<sup>18</sup> जिन्होंने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी, के बकाया ₹5.20 करोड़ के ऋण की मूलधन राशि तथा ₹36.98 करोड़ के ब्याज/रायल्टी को माफ कर दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण समझौतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें परियोजना को असफल घोषित करने की परिस्थितियों को परिभाषित किया गया हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 मामलों में से पाँच<sup>19</sup> मामलों में टी.डी.बी. ने परियोजनाओं को पूर्ण घोषित किया था। टी.डी.बी. द्वारा इन मामलों में ऋण के मूल धन की राशि व ब्याज को माफ करना टी.डी.बी. नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत नहीं था और इसलिए अनियमित था।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि प्रौद्योगिकी की विफलता, विपणन विफलता, व्यवसायिक विफलता, अपर्याप्त बिक्री/राजस्व का उत्पादन, बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन इत्यादि के कारण परियोजना विफल हो सकती है तथा सभी मामले जिसमें मूलधन या ब्याज माफ किया गया था, उन्हें टी.डी.बी. नियमों 1996 के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी.डी.बी. नियम 1996 यह निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड ऋण/ब्याज की बकाया राशि को माफ करने पर विचार कर सकता है जहाँ परियोजना को समझौते के प्रावधानों के अनुसार विफल घोषित किया गया हो। उपरोक्त उल्लिखित कंपनियों के साथ किए गए समझौतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो परियोजना को विफल घोषित करने की शर्तों को परिभाषित करता हो। टी.डी.बी. को अपने ऋण समझौतों में ऐसी शर्तों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

---

<sup>18</sup> नैशनल एरोस्पेस लैबोरेट्रिज़, बेंगलुरु; मैसर्स एस.आई.डी.डी. लाइफ साइन्सेज प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु; मैसर्स श्रीपैट इंडस्ट्रीज़; मैसर्स नवीन एडिटीव लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एल्फा अमीन प्रा. लिमिटेड; मैसर्स हरियाणा बायोटेक प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम; मैसर्स पुष्कर केम लिमिटेड, मुम्बई; मैसर्स मिडास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स वैल्यूपिच ई टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लिमिटेड, मुम्बई; मैसर्स एंजल हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स पोवाई लैब टेक्नोलॉजी, मुम्बई; मैसर्स ए.टी.वी. प्रोजेक्ट्स तथा मैसर्स इंडस्विफ्ट, चंडीगढ़

<sup>19</sup> मैसर्स नवीन एडीटीव लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स हरियाणा बायोटेक प्रा. लिमिटेड, गुरुग्राम; मैसर्स मिडास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद तथा मैसर्स इंडस्विफ्ट, चंडीगढ़

### 14.1.7.7 अपर्याप्त परियोजना निगरानी

उधार लेने वालों के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौतों के अनुसार, परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी हेतु एक परियोजना निगरानी कमेटी (पी.एम.सी.) की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जिसमें बोर्ड के प्रतिनिधि तथा अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। उधार लेने वालों को छः माही प्रतिवेदन में किए गए व्यय, की गई तकनीकी प्रगति, कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्राप्त किए गए/बीमा किए गए संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि का ब्यौरा भी इस हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। परियोजनाओं के अंत में, उधार लेने वालों को टी.डी.बी. को एक अंतिम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा ने टी.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में निम्नलिखित कमियों को दर्शाया:

- (i) यद्यपि समझौतों में पी.एम.सी. द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, फिर भी 21 परियोजनाओं में से किसी के भी समझौते में पी.एम.सी. बैठक आयोजित करने की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, पी.एम.सी. बैठकें केवल ऋण की किश्तों (दूसरी किश्तों से) के जारी करने के समय ही गठित की गई थीं। पी.एम.सी. की नियमित निगरानी द्वारा, परियोजनाओं की प्रगति हेतु विशेषज्ञ तकनीकी निगरानी व निर्देश प्रदान किये जा सकते थे।
- (ii) तीन परियोजनाओं<sup>20</sup> के मामले में, परियोजनाओं की स्वीकृत अवधि के दौरान पी.एम.सी. की कोई बैठक नहीं की गई थी। बैठक न होने से कंपनियों की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ परियोजनाओं की तकनीकी व वित्तीय प्रगति पर सूचना का अभाव रहा। यद्यपि एक परियोजना पूर्ण थी, फिर भी अंतिम उत्पादों के व्यवसायीकरण में उनका समापन नहीं हुआ, अन्य परियोजना को कंपनी द्वारा छोड़ दिया गया तथा तीसरी परियोजना को भी पूर्ण होने से पहले ही बंद कर दिया गया। इन तीन कंपनियों में से दो, अर्थात् मैसर्स इन्टेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने भी ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी।

<sup>20</sup> मैसर्स फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बंगलोर; मैसर्स इन्टेमो सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद

- (iii) छः<sup>21</sup> परियोजनाओं के मामले में, ऋण की पूर्ण/अंतिम किश्त के जारी होने के पश्चात कोई पी.एम.सी. बैठकें आयोजित नहीं की गई थी, इससे परियोजनाओं के उनकी उन्नत चरण में निगरानी का अभाव रहा। अंत में, केवल दो परियोजनाएँ ही पूर्ण थीं, जबकि दो परियोजनाएँ पूर्ण नहीं थीं व शेष दो परियोजनाओं को रोक दिया गया था।
- (iv) किसी भी कंपनी ने परियोजनाओं के लिए निर्धारित छमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

पी.एम.सी. की बैठकें आयोजित न करने से परियोजनाओं की निगरानी का अभाव रहा तथा इसने टी.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं की तकनीकी निगरानी तथा परियोजना की प्रगति व बाधाओं पर टी.डी.बी. के विशेषज्ञों के आवधिक तकनीकी मार्गदर्शन के उद्देश्य को विफल कर दिया। इसके कारण, कंपनियों की वित्तीय स्थिति की निगरानी तथा परियोजनाओं के निष्पादन, परिकल्पित उत्पादों का व्यवसायिक उत्पादन व बकाया ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए उनकी क्षमताओं के आकलन का भी अभाव रहा। परियोजना की अंतिम किश्त के जारी होने के पश्चात पी.एम.सी. बैठकों के अभाव के कारण परियोजनाओं के व्यवसायीकरण की स्थिति पर सूचना का अभाव रहा जैसा कि निम्न पैरा 14.1.7.8 में चर्चा की गई है।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, ऋण की किश्त जारी करने से पहले पी.एम.सी. बैठक आयोजित की गई जैसा कि ऋण समझौते में दर्शाया गया है। डी.एस.टी. ने आगे कहा कि टी.डी.बी. ने परियोजना के पूर्ण घोषित होने के पश्चात नियमित आधार पर निगरानी नहीं की क्योंकि कंपनी टी.डी.बी. समर्थित उत्पाद/प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण से संबंधित अन्य गतिविधियों को पूरा कर रही थी। डी.एस.टी. ने यह भी कहा कि अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के मामले में, कंपनी सामान्यतः अनुमोदित कार्यान्वयन योजना के अनुसार पर्याप्त कार्य हो जाने के पश्चात ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं की निगरानी हेतु निर्धारित आवधिकता के अभाव में उक्त क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित दृष्टांत थे जिसमें परियोजनाओं की स्वीकृत अवधि के दौरान परियोजना निगरानी समिति की कोई भी बैठक नहीं की गई थी, जिसने समझौते के प्रावधानों के अनुरूप

---

<sup>21</sup> मैसर्स एंजल हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुम्बई; मैसर्स बायोजेनेक्स लाइफ साइन्सेज़ प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स इंटेलेजीयन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद; मैसर्स ज्योति लिमिटेड, बड़ोदरा; मैसर्स काविया कार्बन (चेन्नई) लिमिटेड, चेन्नई; मैसर्स सामिक्स रिसर्च मटिरियल प्रा. लिमिटेड, बरेली

परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी के उद्देश्य को क्षति पहुँचायी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि के भीतर व्यवसायीकरण की प्राप्ति व विस्तार को सुनिश्चित करने तथा रॉयल्टी की प्राप्ति व उपचय की निगरानी के लिए परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी निगरानी आवश्यक थी। परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात नियमित निगरानी न होने के कारण कंपनियों द्वारा परिकल्पित उत्पादों के व्यवसायीकरण यदि कोई हो, के बारे में सूचना का अभाव रहा जैसा कि निम्न पैरा 14.1.7.8 में चर्चा की गई है।

#### 14.1.7.8 अनुचित रूप से बढ़ाये हुए बिक्री अनुमान

टी.डी.बी. द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी कंपनियों द्वारा अपने पारियोजना प्रस्तावों में दिए गए उत्पाद, बिक्री और लाभप्रदता अनुमानों पर विचार करने के बाद दी जाती है। किए गए समझौतों के अनुसार, कंपनियों को व्यवसायीकरण के आरंभ होने की दिनांक से संपूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान तक विकसित उत्पादों की बिक्री कारोबार पर 0.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान करना था।

10 पूर्ण परियोजनाओं में से, पाँच<sup>22</sup> परियोजनाओं जिसमें ₹44.75 करोड़ की वित्तीय सहायता सम्मिलित है को संबंधित पी.एम.सी. की अनुशंसा के आधार पर टी.डी.बी. द्वारा पूर्ण घोषित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं को यह सत्यापित करने से पहले ही कि क्या इन कंपनियों ने परियोजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित उत्पादों का व्यवसायीकरण/उत्पादन आरंभ वास्तविक रूप से किया था, पूर्ण घोषित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, टी.डी.बी. को इन कंपनियों द्वारा परिकल्पित उत्पादों के व्यवसायीकरण, यदि कोई हो के बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2019 तक इन पाँच कंपनियों में से किसी से भी कोई रॉयल्टी प्राप्त नहीं हुई थी।

शेष पाँच परियोजनाओं में से यद्यपि कंपनियों द्वारा उत्पादन व्यवसायिक पैमाने पर किया गया था फिर भी वह उनके द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों में दिए गए उत्पादन/बिक्री के अनुमानों से काफी कम था इसके परिणामस्वरूप परियोजना प्रस्ताव में रॉयल्टी की कम प्राप्ति हुई। पाँच

<sup>22</sup> मैसर्स एम.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (₹15.00 करोड़.); मैसर्स ओजीन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (₹13.50 करोड़); मैसर्स एस.बी.पी. एक्वा टेक प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद (₹25.00 लाख); मैसर्स रिलायंस सेल्यूलोस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकंदराबाद (₹4.40 करोड़); मैसर्स जेन टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड, हैदराबाद (₹11.60 करोड़)

परियोजनाओं से ₹3.30 करोड़ की प्राप्तियोग्य रॉयल्टी की राशि में से केवल ₹35.17 लाख की रॉयल्टी प्राप्त हुई थी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2019) कि कुछ मामले में, टी.डी.बी को ऋण समझौते में रॉयल्टी खंड का अभाव, परियोजनाओं को छोड़ दिया जाना या रोक दिया जाना, राजस्व उत्पादन में विफलता, वित्तीय स्थिति का खराब होने इत्यादि के कारण किसी भी रॉयल्टी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। डी.एस.टी. ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी, वित्तीय या नियामक परिदृश्यों में परिवर्तन के कारण व्यवसायीकरण के वास्तविक विस्तार व अनुमानों के बीच अंतर था।

पैरा में उल्लिखित सभी मामलों के ऋण समझौतों में रॉयल्टी के भुगतान के लिए खंड सम्मिलित थे व किसी भी मामले में कंपनी के वित्तीय हितों के लिए उपयुक्त तरीके से इसका सुधार किया गया था। पूर्ण होने के पश्चात निगरानी न होने से टी.डी.बी. उसके द्वारा देय रॉयल्टी की राशि से अनभिज्ञ था। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी, वित्तीय या नियामक परिदृश्यों परिवर्तन का तर्क पांच पूर्व परियोजनाओं में वास्तविक बिक्री की तुलना में अनुमानित बिक्री में 75 से 99 प्रतिशत के विशाल अंतर को उचित नहीं ठहराता है।

#### 14.1.8 निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को व्यापक घरेलू वितरण के लिए स्वदेशी व आयातित प्रौद्योगिकीयों के व्यवसायीकरण हेतु औद्योगिक संस्थाओं व अन्य एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में कमी मुख्य रूप से औद्योगिक साझेदारों के चयन में अपर्याप्त समयक तत्परता के कारण रही क्योंकि लेखा परीक्षा में चयनित नमूनों में से अधिकांश कंपनियाँ ऋण/ब्याज या रॉयल्टी के पुनर्भुगतान में विफल रहीं। उन्हें स्वीकृत किए गए ऋणों में अपूर्ण प्रबंधन था क्योंकि बोर्ड आवधिक निगरानी बैठकें, परियोजना क्रियान्वयन के दौरान तथा समाप्ति पर निगरानी बैठकें आयोजित करने और ऋणों की वापसी में देरी को ठीक करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में चयनित 21 परियोजनाओं में से, केवल 10 परियोजनाएं ही पूर्ण हुई थीं। इन 10 परियोजनाओं में से, पांच परियोजनाओं के व्यवसायीकरण की स्थिति पर टी.डी.बी. के पास कोई सूचना नहीं थी, जबकि शेष पाँच परियोजनाओं में, व्यवसायीकरण का विस्तार अनुमानित आँकड़ों से काफी कम था। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना प्रस्तावों में कंपनियों द्वारा दिए गए अनुमानों की तुलना में रॉयल्टी की राशि कम प्राप्त हुई।

पात्रता शर्तों में छूट देने के पश्चात वित्तीय सहायता की स्वीकृति देना, ऋण की प्रथम किश्त को अधिक देना व समझौते की शर्तों को पूरा किए बिना ऋण देने जैसे दृष्टांतों को पाया गया था जिसने सरकार के वित्तीय हित को प्रभावित किया था। ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे सात कंपनियों से ₹66.05 करोड़ बकाया रहे। 14 चूक करने वाली कंपनियों से ₹42.18 करोड़ की राशि को माफ कर दिया गया था जिससे टी.डी.बी. को हानि हुई।

अक्टूबर 2019 में हुए समापन बैठक में टी.डी.बी. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं अनुशंसाओं को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया की उस पर उपचारी कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

### अनुशंसाएं

- (i) टी.डी.बी. को सभी स्वीकृत ऋणों की समीक्षा करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
- (ii) अपने हितों को सुनिश्चित करने हेतु, टी.डी.बी. को उचित एवं रिकॉर्ड किये गए औचित्य के बिना बोर्ड द्वारा तय की गयी संपार्श्विक सुरक्षा को लचीला नहीं करना चाहिए।
- (iii) टी.डी.बी. सुनिश्चित करे कि ऋण समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर ही ऋण की किश्तें जारी की जाएं।
- (iv) टी.डी.बी. परियोजना निगरानी समिति की बैठकों हेतु एक निर्धारित आवृत्ति अनुबद्ध करने पर विचार कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसी बैठकें विधिवत रूप से आयोजित की जाती हैं। समझौते में निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी से आवधिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें तथा सम्पत्तियों की बीमा पॉलिसियाँ सख्ती से प्राप्त की जा सकती हैं।
- (v) टी.डी.बी. को परियोजना को विफल घोषित कर सकने वाली स्थितियों को, कंपनियों के साथ किये जाने वाले ऋण समझौतों में शामिल करने की आवश्यकता है।

## जैव प्रौद्योगिकी विभाग

### 14.2 कर्मचारियों को भत्तों को प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर द्वारा मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, गैर-अभ्यास भत्ता, परिवहन भत्ता और परियोजना भत्ता के भुगतान पर ₹5.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर (एन.बी.आर.सी.)<sup>23</sup> के अभिलेखों के लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों को भत्ते देने में अतिरिक्त खर्च किया गया। नीचे उल्लिखित अतिरिक्त भुगतान केवल परीक्षण जाँच के परिणाम को दर्शाते हैं एवं एन.बी.आर.सी. को ऐसे सभी भुगतानों की प्रभावी वसूली के लिए व्यापक तौर पर समीक्षा की आवश्यकता है।

#### 14.2.1 मकान किराया भत्ता

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के आदेश दिनांक 09 दिसंबर 1986 (एन.बी.आर.सी. पर लागू) के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्थल गुड़गाँव नगर निगम है (जिसे वर्तमान में गुरुग्राम नगर निगम के रूप में जाना जाता है), वे दिल्ली में लागू दरों पर मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) लेने के हकदार हैं।

एन.बी.आर.सी. ने प्रारंभिक तौर पर अपनी गतिविधियाँ गुरुग्राम, हरियाणा से संचालित की थी, लेकिन उसके बाद मानेसर, हरियाणा में स्थानांतरित हो गया (मार्च 2003), जो कि गुरुग्राम नगर निगम की सीमा से बाहर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि एन.बी.आर.सी. ने अगस्त 2008 तक मानेसर में लागू निम्न दरों के आधार पर एच.आर.ए. का सही भुगतान किया, लेकिन सितंबर 2008 से इसने दिल्ली में लागू उच्च दरों के आधार पर एच.आर.ए. का भुगतान किया। इससे 2008-09 से 2017-18 के दौरान एच.आर.ए. के रूप में ₹3.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि एच.आर.ए. की उच्च दर पर भुगतान को एन.बी.आर.सी. की शासन परिषद (जी.सी.) ने एम.ओ.एफ. के आदेशों दिनांक 27 नवंबर 1965 के संदर्भ में अनुमोदित किया था, जिसके अनुसार

<sup>23</sup> जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय।

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग निर्धारित शर्तों<sup>24</sup> को पूरा करने वाले अपने कर्मचारियों को उच्च दर पर एच.आर.ए. की मंजूरी देने के लिए अधिकृत है। जबकि डी.बी.टी. ने स्वीकार किया कि एन.बी.आर.सी. ने उनकी मंजूरी नहीं ली है, उन्होंने यह भी कहा कि यह इस धारणा के अंतर्गत किया गया था कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति एक निकाय द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव, डी.बी.टी. तथा सदस्य के रूप में जे.एस. एण्ड एफ.ए., डी.बी.टी. सम्मिलित थे।

डी.बी.टी. के सचिव एवं जे.एस. एण्ड एफ.ए., द्वारा एन.बी.आर.सी. की जी.सी. में पदाधिकारियों के रूप में दी गई स्वीकृति का अर्थ प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति नहीं माना जा सकता, क्योंकि मामले की सही प्रशासनिक जाँच, परीक्षण, यथोचित तत्परता तथा स्वीकृति के लिए डी.बी.टी. के आंतरिक नियंत्रण ढांचे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके अलावा, गुरुग्राम और एन.बी.आर.सी., मानेसर की नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी अथवा कर्मचारियों की कार्यक्षेत्र की जगह के पास आवास की कमी के कारण योग्य शहर में रहने की आवश्यकता के संबंध में कोई वैध दस्तावेज अभिलेख में नहीं पाए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.बी.आर.सी. की वित्त समिति की बैठक (अप्रैल 2019) में निर्णय लिया गया कि एन.बी.आर.सी. तथा गुरुग्राम की नगरपालिका सीमा के बीच की दूरी का प्रमाण-पत्र संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त किया जाए। हालांकि, कर्मचारियों के योग्य शहर में निवास की आवश्यकता के मुद्दे का पालन अभी तक नहीं किया गया है जबकि यह प्रतीत होता है कि मानेसर में आवासीय परिसर की कमी नहीं थी।

#### 14.2.2 गैर-अभ्यास भत्ता

एम.ओ.एफ., जी.ओ.आई. के मौजूदा आदेशों (मार्च 1971) के अनुसार, नैदानिक चिकित्सा/सार्वजनिक स्वास्थ्य पदों के पदाधिकारी गैर-अभ्यास भत्ते (एन.पी.ए.) के हकदार हैं। एन.बी.आर.सी. के कर्मचारी एन.पी.ए. के हकदार नहीं हैं। इसके बावजूद, एन.बी.आर.सी. की जी.सी., जिसमें डी.बी.टी. के तीन सदस्यों के साथ

<sup>24</sup> एच.आर.ए. उन कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटी का स्थान एक योग्य शहर की निकटता में है और जो आवश्यकता के अनुसार शहर में रहते हैं, उस शहर में स्वीकार्य दर पर भुगतान किया जा सकता है, इस विवाद के अधीन कि कर्तव्य के स्थान के बीच की दूरी योग्य शहर की नगरपालिका सीमा की परिधि से आठ कि.मी. से अधिक नहीं होती है और संबंधित कर्मचारियों को योग्य शहर में निवास करना पड़ता है अर्थात् अपने कर्तव्य के स्थान के निकट आवास के अभाव में।

अन्य<sup>25</sup> सम्मिलित थे, द्वारा एन.बी.आर.सी. के चिकित्सा/पशु चिकित्सा योग्यता वाले वैज्ञानिकों/अन्य अधिकारियों को एन.पी.ए. का भुगतान स्वीकृत (अगस्त 2009) किया गया। तदनुसार, एन.बी.आर.सी. ने 2009-10 व 2017-18 के बीच छः वैज्ञानिकों/ पशु चिकित्सकों को एन.पी.ए. के रूप में ₹72.06 लाख का भुगतान किया।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि सितंबर 2017 से एन.पी.ए. का भुगतान रोक दिया गया था और संबंधित कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

उत्तर दर्शाता है कि एन.पी.ए. के भुगतान को रोकने के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी वसूली की जानी बाकी थी।

### 14.2.3 परिवहन भत्ता

एम.ओ.एफ. के आदेशानुसार (अगस्त 2008), सरकारी परिवहन सुविधा प्राप्त कर्मचारी परिवहन भत्ता (टी.ए.) लेने के पात्र नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.बी.आर.सी. ने 32 कर्मचारियों को पूर्लिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कारों को किराये पर लिया और लगभग 13 कर्मचारियों को बस<sup>26</sup> द्वारा ले जाया गया। केवल 2014-18 के दौरान, एन.बी.आर.सी. ने कारों<sup>27</sup> को किराये पर लेने पर ₹1.02 करोड़ का व्यय किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन कर्मचारियों को ₹56.36 लाख के परिवहन भत्ते का भुगतान किया गया था।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि एन.बी.आर.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन सुविधा निवास व कार्यालय के बीच की यात्रा हेतु नहीं थी बल्कि शहर के कुछ निर्धारित बिन्दुओं से थी तथा उक्त सुविधा का लाभ कर्मचारियों से मासिक शुल्क की वसूली के पश्चात दिया जा रहा था। हालांकि, डी.बी.टी. ने यह भी कहा कि एन.बी.आर.सी. को जल्दी से जल्दी चरणबद्ध पद्धति से सुविधा वापस लेने के निर्देश दिए गए थे।

<sup>25</sup> एन.बी.आर.सी. सोसायटी; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; आई.वी.आई. बंगलुरु; मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा एन.बी.आर.सी.

<sup>26</sup> नाममात्र ₹ 20 से ₹ 1,000 प्रति माह के भुगतान पर

<sup>27</sup> एन.बी.आर.सी. के 32 कर्मचारियों को कार पूर्लिंग की सुविधा दी गई थीं। बसों को किराये पर लेने का व्यय सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इन बसों का उपयोग छात्रों द्वारा भी किया जाता था।

औचित्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिवहन भत्ता देने के वर्तमान सरकारी आदेश, निवास एवं कार्यालय के बीच संपूर्ण यात्रा अथवा उसके एक भाग के बीच अंतर नहीं दर्शाते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं था कि एक निश्चित बिन्दु तक ही परिवहन को क्यों उपलब्ध करवाया जा रहा था और इससे परे नहीं तथा न ही ऐसी किसी व्यवस्था हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। सरकारी नियमों में शुल्क के आधार पर कर्मचारियों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु भी कोई प्रावधान नहीं है।

#### 14.2.4 परियोजना भत्ता

एम.ओ.एफ. के कार्यालय जापन (जनवरी 1975) के संदर्भ में, बड़े पैमाने की निर्माण परियोजनाओं<sup>28</sup> में कार्यरत कर्मचारियों को परियोजना भत्ता स्वीकार्य होगा। इस तरह का भत्ता केवल उन परियोजनाओं में स्वीकार्य है जो सरकार द्वारा विशेष आदेशों के माध्यम से घोषित किए गए हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता है।

यद्यपि एन.बी.आर.सी. उपरोक्त आदेशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तथा एम.ओ.एफ. की स्वीकृति के बिना, एन.बी.आर.सी. की जी.सी. ने (जुलाई 2004) मानेसर के सुदूरवर्ती स्थान पर होने के आधार पर एन.बी.आर.सी. के कर्मचारियों को अप्रैल 2003<sup>29</sup> से परियोजना भत्ता स्वीकृत किया था। 2007-08 से 2016-17 की अवधि हेतु परियोजना भत्ते का भुगतान ₹78.34 लाख था।

लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद, एन.बी.आर.सी. द्वारा (अप्रैल 2017) परियोजना भत्ता रोक दिया गया तथा जनवरी 2016 से मार्च 2017 की अवधि हेतु ₹14.26 लाख की आंशिक वसूली को प्रभावित किया गया।

डी.बी.टी. ने बताया (जनवरी 2019) कि एन.बी.आर.सी. को परियोजना भत्ते की शेष राशि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए थे।

उत्तर दर्शाता है कि भुगतान को रोकने के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरी वसूली की जानी बाकी थी।

<sup>28</sup> आवास, स्कूलों, बाजारों तथा डिस्पेंसरी जैसी सुविधाओं के अभाव हेतु उन्हें मुआवजा देने के लिए

<sup>29</sup> एन.बी.आर.सी. के मानेसर में अपने नए परिसर में जाने की तिथि

## अध्याय XV : संघ शासित क्षेत्र

### संघ शासित क्षेत्र - अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन

#### 15.1 संग्रहित अग्रिम के प्रदान करने में संहिता प्रावधानों का उल्लंघन

अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य में संग्रहित अग्रिम प्रदान करने में संहिता प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹0.66 करोड़ तक का अनुचित वित्तीय फायदा हुआ।

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से बारातांग तक के वैकल्पिक समुद्री मार्ग के विकास', की एक परियोजना, की स्वीकृति (नवम्बर 2014) दी, जिसको अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। बारातांग में नौवहन चैनल का निकर्षण कार्य के हिस्से में शामिल था। एएलएचडब्ल्यू ने (जनवरी 2015) यह कार्य ₹26.10 करोड़ के लिए नामांकन आधार पर, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) को दिया। निकर्षक के पहुँचने पर संग्रहण प्रभारों के भुगतान हेतु ₹2.00 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान इसमें शामिल था। यद्यपि अनुबंध में संग्रहण अग्रिम के भुगतान हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था, डीसीआई के अनुरोध पर, एएलएचडब्ल्यू ने संग्रहण अग्रिम के प्रति ₹10.00 करोड़ (संविदा मूल्य का 38.31 प्रतिशत) के प्रावधान का अनुबंध में संशोधन (सितम्बर 2015) किया। तदनुसार, एएलएचडब्ल्यू ने डीसीआई को ₹8.00 करोड़ का संग्रहित अग्रिम जारी किया। निकर्षक कार्य जून 2016 में शुरू किया और ₹23.20 करोड़ की कुल लागत पर जुलाई 2016 में पूरा हुआ।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुईं:

सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका जो एएलएचडब्ल्यू पर लागू है, संग्रहित अग्रिम को ठेके की राशि का 10 प्रतिशत तक (इस मामले में ₹2.61 करोड़) सीमित करता है। फलस्वरूप, ₹10 करोड़ का प्राधिकरण अनुमेय सीमा से ₹7.39 करोड़ अधिक हुआ था तथा अंततः डीसीआई को ₹5.39 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता मिली।

सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका यह भी कहती है कि संग्रहित अग्रिम उसके समायोजन तक 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज को आकर्षित करेगा। एएलएचडब्ल्यू के अनुबंध ने इस पर ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया था,

जिसके फलस्वरूप डीसीआई को बिना ब्याज के ₹0.66 करोड़<sup>1</sup> का अतिरिक्त अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।

मामला जून 2018 में पोत परिवहन मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2020)।

## 15.2 संरक्षात्मक समुद्री दीवार का निर्माण

अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग ने निर्माण संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपेक्षित सभी सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जिसे आखिरकार मामले पर फिलप फ्लोप के पश्चात् रोक दिया गया था।

इससे समुद्री दीवार के निर्माण में देरी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में किनारे की सुरक्षा की लागत बढ़ी तथा इसका परिणाम ₹1.18 करोड़ के व्यर्थ व्यय में भी हुआ क्योंकि अपूर्ण निर्माण बह गए। कार्य को ₹30.36 करोड़ की बढ़ी हुई लागत के साथ फिर से संस्वीकृत किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के निवास सुनामी के 15 वर्षों के पश्चात् भी असुरक्षित बने रहे।

2004 के भूकम्प तथा सुनामी का परिणाम भूमि-अपरदन तथा निकोबार के मस एवं अन्य क्षेत्रों में समुद्री स्तर में वृद्धि में हुआ। इसलिए, जनजातीय परिषद ने किनारे की सुरक्षा हेतु एक समुद्री दीवार के निर्माण के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) से संपर्क किया।

प्रशासन ने सर्वेक्षण एवं जांच के परामर्शी कार्य तथा समुद्री दीवार के डिजाइनों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्तुतीकरण हेतु वाप्कोस लिमिटेड (वाप्कोस) को मार्च 2007 में नियुक्त किया, जिसे केवल फरवरी 2010 (सुनामी के पांच वर्षों के पश्चात्), में जाकर ही अंतिम रूप दिया गया था।

इसके पश्चात्, अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग (एपीडब्ल्यूडी) ने किनारे की सुरक्षा हेतु एक संविदा<sup>2</sup> एक निजी ठेकेदार को ₹18.03 करोड़ की लागत पर

1

क्र.सं.	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)	अग्रिम स्वीकृति की तारीख	अग्रिम समायोजन की तारीख	ब्याज की अवधि	ब्याज की दर	ब्याज की राशि (₹ लाख में)
1.	650	21.09.2015	26.08.2016 *	11 माह	10%	59.58
2.	150	30.03.2016	26.08.2016 *	05 माह	10%	6.25
कुल						65.83
* अग्रिम का समायोजन अंतिम बिल में 26.08.2016 को किया गया था।						

2

मस, कार निकोबार (800 मी) चरण-1 में समुद्री दीवार/किनारे की सुरक्षा का निर्माण।

सौंपी (नवम्बर 2011) जिसे अप्रैल 2013 तक समाप्त किया जाना था। कार्य के क्षेत्र में पत्थरों के शिलाखण्डों का उपयोग अपेक्षित था जिसकी ठेकेदार<sup>3</sup> द्वारा व्यवस्था की जानी थी। तथापि, प्रशासन ने निजी उत्खन्न प्रचालन के लिए विस्फोटन अनुमति को पहले ही रोक दिया था (अक्टूबर 2011 अर्थात् नवम्बर 2011 में अनुबंध के निष्पादन से पूर्व) तथा इसलिए उत्खन्न उत्पादन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करने पर ठेकेदार ने एपीडब्ल्यूडी से विनती की गई (मई 2012) कि

- (i) वसूली आधार पर एपीडब्ल्यूडी खदान से अपेक्षित पत्थर के शिलाखण्डों की आपूर्ति करें क्योंकि एपीडब्ल्यूडी अभी भी पत्थर के शिलाखण्ड निकाल रहा था; अथवा
- (ii) उनको एक खदान का आबंटन करने तथा शिलाखण्डों के निष्कर्षण हेतु विस्फोटक जारी करें; अथवा
- (iii) ठेकेदार को महाद्वीप से खदान उत्पादनों को लाने को अनुमत करने तथा अतिरिक्त परिवहन लागत अदा करें।

एपीडब्ल्यूडी ने कार्य के निष्पादन हेतु उपरोक्त किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया था तथा अनुबंध की धारा 3ए के तहत मई 2013 में संविदा को (ठेकेदार के नियंत्रण से परे कारणों से) रोक दिया। ठेकेदार द्वारा प्रारम्भिक चरणों पर सामना की गई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2013 में कार्य हेतु पुनः निविदा की गई थी।

इसी बीच, पहले के ठेकेदार ने यह अनुरोध करते हुए कि नीलामी में एक खदान उनको सौंप दी गई है, रोक को हटाने का अनुरोध किया तथा एपीडब्ल्यूडी ने रोके गए अनुबंध को निरस्त किया (सितंबर 2013) जिसके लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2010 में संविदा की आम शर्तों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं थे। जबकि कार्य फिर से शुरू किया गया तथा एपीडब्ल्यूडी ने किए गए कार्य हेतु ₹1.18 करोड़ का व्यय किया फिर भी ठेकेदार पत्थर के शिलाखण्डों की केवल सीमित मात्रा की ही व्यवस्था कर पाया था। उसने 500-1000 कि.ग्रा. के शिलाखण्ड प्राप्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (जनवरी 2015) तथा फिर से एपीडब्ल्यूडी<sup>4</sup> को आवश्यक विस्फोटक

---

<sup>3</sup> अनुबंध की धारा 21 ने अनुबंध किया कि “पत्थर के शिलाखण्डों, सम्मुख तथा चूर्णित रेत की ठेकेदार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में अनुमोदित खदानों से स्वयं ही व्यवस्था की जाएगी”।

<sup>4</sup> सीई, एपीडब्ल्यूडी ने कार्य को समाप्त करने हेतु खदान चरण के आबंटन का अनुमोदन किया हालांकि उस समय के सीई की सेवानिवृत्ति के कारण औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जा सका था।

एवं खदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके पश्चात्, एपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य के विलम्ब अथवा निलम्बन का हवाला देते हुए कार्य को फिर से जून 2016 में रोक दिया था।

इसी बीच, प्रस्तावित किनारे की सुरक्षा वाले क्षेत्र के संरेखण में समय के बीत जाने के कारण परिवर्तन हो गया था तथा आसपास के क्षेत्र में निष्कर्षण के कारण तल की रूपरेखा बदल जाती है।

एपीडब्ल्यूडी ने मस समुद्री दीवार के कार्य को प्रारम्भ करने की इच्छा तथा राय के संबंध में जून 2017 में अंजमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) को अनुरोध किया था। एएलएचडब्ल्यू ने यह बताते हुए कि एपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत ₹31.84 करोड़ का अनुमान समुद्री दीवार के 800 मीटर तक की लम्बाई के पुनः डिजाईन करने के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे के परामर्श से संशोधन के अधीन है, मस समुद्री दीवार के कार्य को प्रारम्भ करने की अपनी इच्छा सूचित की (अगस्त 2017)। इसके पश्चात्, प्रशासन ने कार्य को अंजमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018)। एएलएचडब्ल्यू ने कार्य हेतु ₹49.19 करोड़ का अनुमान तैयार किया (जनवरी 2018) जिसे पोतपरिवहन मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कर दिया गया है। यह देखा गया कि किया गया सीमित कार्य भी बह गया है।

एपीडब्ल्यूडी ने इससे अवगत होने के बावजूद भी कि प्रशासन ने एएनआई में विस्फोटक खदान प्रचालनों को रोक दिया था प्रारम्भिक अनुबंध निष्पादित किया। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बावजूद भी कि ठेकेदार ने लगातार शिलाखण्डों को प्राप्त करने की अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अन्य विकल्प का प्रस्ताव रखा, एपीडब्ल्यूडी ने आवश्यक शिलाखण्डों की अनुपलब्धता की समस्या को कम करने हेतु प्रभावी उपाय नहीं किये थे। एपीडब्ल्यूडी ने कार्य को भी रोका, नियम का हवाला दिए बिना फिर से शुरू किया तथा दोबारा रोक दिया। ठेकेदार द्वारा अंतरिम में निष्पादित कार्य का सीमित भाग पूरी तरह बह गया तथा उस पर किया गया ₹1.18 करोड़ का कुल व्यय समुद्री दीवार सुरक्षा की अनुमानित लागत को ₹18.83 करोड़ से ₹49.19 करोड़ तक बढ़ाने के साथ व्यर्थ प्रस्तुत हुआ। निवासी भी घटना के 15 वर्ष पश्चात् भी आज तक असुरक्षित रहे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसने बताया कि उन्हें अभी सरकारी सम्पत्ति की हानि को नियमित करने के लिए

किसी भी हानि विवरणी अथवा बड़ा खाता प्रस्ताव तैयार करना है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2020)।

### संघ शासित क्षेत्र - चंडीगढ़ प्रशासन

#### 15.3 मूल्य वर्धित कर का कम उदग्रहण

नामित अधिकारी ने विक्रेता द्वारा अपने दावे के समर्थन में आग के कारण क्षतिग्रस्त हुए सामान के कारण सकल करोबार से दावा किया गया, दस्तावेजों के सत्यापन के बिना, ₹2.25 करोड़ की कटौती की अनुमति दे दी, परिणामस्वरूप बिक्री में कमी दर्शाना तथा ₹11.25 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

विवरणी, वार्षिक लेखे एवं विवरणी की लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु चण्डीगढ़ वैट नियमावली, 2006 के नियम 45, 47 एवं 48 के अनुसार, नामित अधिकारी किसी व्यक्ति को कोई भी विवरणी एवं अन्य कोई अतिरिक्त जानकारी जो भी आवश्यक समझे, की यथार्थता के सत्यापन हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद नामित अधिकारी ऐसे व्यक्ति की कर देयता को निर्धारित करते हुए लिखित रूप में निर्धारण आदेश निकालेगा।

वार्ड 4 यूटी के नामित अधिकारी ने, जब मैसर्स न्यू अशोका टैक्सटाइल्स जो तैयार कपड़े के सामान, चमड़े के सामान तथा कपड़े के व्यवसाय में चंडीगढ़ में है, के मामले का वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण किया (नवम्बर 2017), तो विक्रेता द्वारा आग के कारण क्षतिग्रस्त हुए सामान के कारण सकल करोबार से किये गये दावे का, अपेक्षित नियमानुसार दावे के समर्थन में दस्तावेजों के प्राप्त किये बिना तथा बिना सत्यापन के ₹2.25 करोड़ के कटौती की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने बताया (मई 2018) कि प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप बिक्री में कमी दिखाने के कारण ₹11.25 लाख (अर्थात् ₹2.25 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2018) कि पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 65 (i) के तहत विक्रेता के प्रति संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, जिसका परिणाम व्यावसायिक खाता में दर्शायी गई कुल बिक्री में ₹2.25 करोड़ के क्षतिग्रस्त स्टॉक के मूल्य को जोड़ने के बाद अक्टूबर 2018 के आदेश पत्र में ₹11.25 लाख की राशि के कर की अतिरिक्त मांग की गई। ₹2.81 लाख की

राशि मार्च 2019 में फर्म द्वारा जमा की गई है, जबकि फर्म ने चण्डीगढ़ वैट अधिकरण, यूटी चण्डीगढ़ के समक्ष पुनरीक्षण आदेश के प्रति याचिका दायर की।

मामला जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय को भेजा गया तथा जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

#### 15.4 यूटी चण्डीगढ़ में तृतीयक उपचारित जल का उपयोग

नगर निगम चण्डीगढ़ (एमसीसी) ने सिंचाई के लिए पेय जल, जिसका उपयोग अन्यथा किया जा रहा था, के स्थान पर उपचारित जल आपूर्ति के लिए इसके सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) से सीवरेज का उपचार करने हेतु एक मौजूदा 10 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) के तृतीयक उपचार संयंत्र के अतिरिक्त 10 एमजीडी की क्षमता वाले एक तृतीयक उपचार संयंत्र तथा संबंधित सुविधाओं के डिजाईन एवं निर्माण के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

डिजाईन में गलत तरीके से सीवेज के पानी की पर्याप्त उपलब्धता की कल्पना की गई, एक भूमिगत जलाशय को पम्पों, जिन्हें दोनों संयंत्रों में लगाया गया था, की अपेक्षित बहाव क्षमता से कम वाले पुराने नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया गया था तथा पुराने एसटीपी को तकनीकी रूप से उन्नत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमसीसी ने टीटीपी को आउटपुट में अपेक्षित बीओडी स्तर अर्थात् 5 एमजी/ली. से कम को सुनिश्चित नहीं किया था जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं में उपचारित जल को ग्रहण न करने का कारण बना।

इसके अतिरिक्त, एमसीसी योजनागत परियोजना के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत के 43 प्रतिशत की वसूली नहीं कर सका। उपचारित जल की एमसीसी बागवानी स्कंध द्वारा रख-रखाव किए जा रहे हरित स्थानों को निःशुल्क आपूर्ति की गई थी। एमसीसी ने तृतीयक जल कनेक्शनों के बिल भी नहीं भेजे थे। लेखापरीक्षा में पाया कि परियोजना के समापन के पश्चात 6-7 वर्षों के बाद भी प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके थे तथा लेखापरीक्षा स्वयं परियोजना की व्यवहार्यता से आश्वस्त नहीं था।

### 15.4.1 प्रस्तावना

चण्डीगढ़ शहर में लगभग 110-एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) के पेय जल की सकल मांग<sup>5</sup> थी जिसे भाखड़ा कैनाल से 50 एमजीडी, भाखड़ा मुख्य लाईन से 16 एमजीडी तथा भूमिगत जल स्रोतों से 24 एमजीडी से पूरा किया जाता है तथा 20 एमजीडी की कमी रहती है।

पेय जल, जिसका सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा था, को बदल कर पेय जल की कमी को पूरा करने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन ने प्रारम्भिक रूप से 10 एमजीडी क्षमता के एक तृतीयक उपचार संयंत्र तथा उत्पन्न तृतीयक उपचारित जल की, सेक्टर 1 से 12 तथा सेक्टर 26 में सिंचाई हेतु आपूर्ति करने के लिए परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत, एक वितरण नेटवर्क की स्थापना की (1991)।

नगर निगम, चण्डीगढ़ (एमसीसी) ने वर्ष 2007 में चरण-II के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम के अधीन भारत सरकार (80 प्रतिशत), चण्डीगढ़ प्रशासन (10 प्रतिशत) तथा एमसीसी (10 प्रतिशत) द्वारा प्रदान की गई निधियों के कुल ₹36.72 करोड़ के साथ तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। एमसीसी ने ₹6.18 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ तीसरे चरण के सेक्टरों अर्थात् सेक्टर 48 से सेक्टर 56 में विभिन्न खुले मैदानों की सिंचाई के लिए तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति करने हेतु एक अलग कार्य भी प्रारम्भ किया। इसमें निम्नलिखित शामिल था:

1. चरण XI, दिग्गियन, मोहाली में नव स्थापित 30 एमजीडी एसटीपी पर 10 एमजीडी क्षमता वाला एक नया तृतीयक उपचार संयंत्र,
2. एक बढ़ती मुख्य लाईन, 04 यूजीआर (भूमिगत जलाशय) तथा
3. कुछ सेक्टरों को आवृत्त करते हुए वितरण नेटवर्क डालना।

इस परियोजना का उद्देश्य 20 एमजीडी पेय जल, जिसका वर्तमान में पब्लिक पार्को/ ग्रीन बेल्टों/ लॉन तथा खुले मैदानों की सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है, के संरक्षण के माध्यम से चण्डीगढ़ शहर की जल आपूर्ति प्रणाली के अप्रत्यक्ष संवर्धन को प्राप्त करना था।

कुल 3573 एकड़ के हरित स्थानों को तीन चरणों के अंतर्गत शामिल किया जाना था;

---

<sup>5</sup> चण्डीगढ़ शहर में हरित स्थानों की सिंचाई हेतु तृतीयक उपचारित सीवेज के एकत्रण द्वारा पेय जल संरक्षण पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार

चरण	आवृत्त क्षेत्र
चरण -I (सेक्टर 1-12 तथा 26)	1290 एकड़
चरण-II (सेक्टर 14 से 47 सिवाय सेक्टर 26 के) तथा सेक्टर 48 से 56 तक तृतीयक जल की आपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान	2283 एकड़
चरण-III (सेक्टर 48 से 56 तक के लिए वितरण नेटवर्क)	
<b>आवृत्त कुल क्षेत्र</b>	<b>3573 एकड़</b>

नगर निगम, चण्डीगढ़ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था।

#### 15.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस परियोजना की लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु की गई थी कि:

- परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है
- कार्य का निष्पादन मितव्ययता तथा मापदण्डों एवं प्रतिमानों के अनुपालन के पश्चात तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार है।
- परियोजना का संचालन उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे कि योजनाबद्ध है।

#### 15.4.3 क्षेत्र तथा आवृत्तन

परियोजना के चरण II एवं III पर किए गए पूंजीगत व्यय तथा संवर्धन हेतु प्रारम्भ किए गए अन्य पूंजीगत निर्माण कार्यों को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि अप्रैल 2012 से मार्च 2018 तक थी।

#### 15.4.4 (ए) लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- (i) तृतीयक उपचार संयंत्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना-  
सीवेज पानी की उपलब्धता का अधिक अनुमान

डीपीआर (चरण-II) के अनुसार 67 मिलियन गैलन सीवेज, यूटी चण्डीगढ़ में प्रति दिन उत्पन्न किया जा रहा था जिसे टीटीपी हेतु आधार के रूप में लिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि दिग्गियन, मोहाली में 15 एमजीडी<sup>6</sup> तथा 3 बीआरडी, चण्डीगढ़ में 05 एमजीडी की क्षमताओं वाले कुछ पुराने एसटीपी को बंद कर दिया गया था तथा मलोया में एक 2 एमजीडी एसटीपी निर्माणाधीन था इसलिए 31 मार्च 2015 को उपलब्ध उपचार क्षमता केवल 50 एमजीडी (अक्टूबर 2017 से प्रभावी 45 एमजीडी) थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अवधि (अप्रैल 2015 से मार्च 2018) के दौरान, 50 एमजीडी (अक्टूबर 2017 से प्रभावी 45 एमजीडी) की उपलब्ध उपचार क्षमता के प्रति शहर में वास्तविक सीवेज उत्पत्ति 23.57 से 32.80 एमजीडी के बीच थी, जिसका मतलब है कि डीपीआर में परियोजना हेतु इनलेट पानी के लिए योजना प्रतिमानों (अर्थात् 67 एमजीडी) को बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप तृतीयक उपचारित जल का कम उत्पादन हुआ। एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि दिसम्बर 2018 की समाप्ति तक, 116 एमजीडी पेय जल शहर में उपलब्ध कराया जाएगा तथा सीपीएचइओ के प्रतिमानों के अनुसार, 80 प्रतिशत जल आपूर्ति अर्थात् 92.8 एमजीडी को शहर की सीवेज क्षमता के रूप में माना जाएगा।

इस पर विचार करने के पश्चात कि 20 एमजीडी पेय जल का सिंचाई के उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा था, एमसीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। केवल शेष 70 एमजीडी पेय जल का उपयोग सीवेज उत्पादन के अनुमान हेतु किया जाना चाहिए जैसा कि डिजाईन भी किया गया था। यह सत्य भी है कि शहर में वास्तविक न्यूनतम तथा अधिकतम सीवेज उत्पादन (अप्रैल 2015 से मार्च 2018) 23.57 से 32.80 एमजीडी के बीच था।

## ii) त्रुटिपूर्ण योजना

3 बीआरडी में 10 एमजीडी (लगभग) की क्षमता वाले एक सीवेज उपचार संयंत्र का, 5.00 एमजी/एल से कम बीओडी (जैवरसायन ऑक्सीजन मांग) वाले अंतिम प्रवाह के साथ, नगर निगम चण्डीगढ़ द्वारा रखरखाव (नवम्बर 2013 से) किया जा रहा है तथा इस पानी को आवृत्त करने के लिए ₹2.62 करोड़ का व्यय करके एक पाईप लाईन, पम्पिंग मशीनरी तथा अन्य आकस्मिक निर्माण कार्यों को अगस्त 2015 में पूरा किया गया था।

---

<sup>6</sup> दिग्गियन, मोहाली में 15 एमजीडी पुराने एसटीपी के बंद होने से पुराना तथा नया तृतीयक उपचार संयंत्र चरण XI, दिग्गियन, मोहाली में लगे 30 एमजीडी क्षमता के नए एसटीपी से अपने इनपुट ले रहे हैं।

जन स्वास्थ्य मंडल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि इस एसटीपी में उत्पादन किए जा रहे कुल 6-7 एमजीडी उपचारित प्रवाह में से उपचारित प्रवाह केवल 0.6-0.7<sup>7</sup> एमजीडी को ही पुराने वितरण नेटवर्क के राईजिंग मैन को आपूर्ति की जा सकी थी तथा शेष उपचारित जल को उपचारित जल के निर्गम केन्द्र पर भूमिगत जलाशय की गैर-योजना के कारण आस-पास के नालों में छोड़ा जाना था। इस प्रकार, 5 एमजी/एल से कम बीओडी वाले प्रवाह के राईजिंग मैन में उपयोग किए जाने/आपूर्ति करने के उद्देश्य को, पर्याप्त क्षमता की असफल योजना के कारण, ₹2.62 करोड़ के व्यय के बावजूद भी पूरा नहीं किया जा सका था।

एमसीसी ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2018) कि इस पैरा की अभ्युक्तियों को कार्य स्थल पर पुरानी परित्यक्त संरचना का उपयोग करके तृतीयक उपचार संयंत्र के परिवेश में यूजीआर की डिजाईनिंग हेतु नोट कर लिया गया है।

#### 15.4.4 (बी) परियोजना डिजाईन के मापदण्ड

##### i) उद्देश्य की तुलना में परियोजना के परिणाम

डीपीआर के अनुसार, चण्डीगढ़ में कुल 3573 एकड़ हरित स्थानों को आवृत्त करने के लिए 20 एमजीडी पानी की आवश्यकता थी जिसमें से 10 एमजीडी को पहले ही आवृत्त कर लिया गया था जो वास्तव में 3-4.5 एमजीडी का उत्पादन कर रहा था।


लेखापरीक्षा ने पाया कि पम्पों को एक दिन में दो शिफ्टों में चलाया जाता था तथा दोनों संयंत्रों में पम्पों की प्रवाह क्षमता को ध्यान में रखते हुए केवल 14.90 एमजीडी तृतीयक जल ही एक दिन में 16 घण्टों में शहर को प्रदान किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि डिजाईन किए गए सभी संघटक तथा प्रणाली में शहर को 20 एमजीडी तृतीयक जल प्रदान करने की क्षमता नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्ण रूप से 20 एमजीडी की नियोजित आपूर्ति के प्रति केवल 6-9 एमजीडी की वास्तव में आपूर्ति की जा रही थी जिसमें चरण-11 से लगभग 3-4.5 एमजीडी शामिल है।

<sup>7</sup> एक एमजीडी = 4546 क्यूबिक मीटर, प्रत्येक पम्प का अधिकतम चालू समय 3.30 घण्टे, दो पम्पों का बहाव-920 क्यूबिक मीटर/घण्टा, कुल प्रवाह -3220 क्यूबिक मीटर/प्रति दिन, आपूर्ति किया गया उपचारित जल  $3220/4546=0.71$  एमजीडी

सिंचाई प्रयोजन हेतु पानी की कमी को पूरा करने के लिए बगीचों/पार्कों/ग्रीन बेल्टों में तृतीयक जल परियोजना से पूर्व लगाए गए 25 सिंचाई ट्यूबवेल अभी भी चालू थे।


एसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि “तृतीयक उपचारित जल के उपयोग हेतु कनेक्शनों को निष्क्रिय किया जा रहा है जिनका विस्तार किया जाएगा तथा इनमें समय लगेगा, इस प्रकार से लेखापरीक्षा निष्कर्ष को परोक्ष रूप से स्वीकार करता है।”



ii) तृतीयक जल वितरण नेटवर्क की पूर्ण क्षमता में बाधा डालने वाले भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का स्थान परिवर्तन


डीपीआर के अनुसार, नए वितरण नेटवर्क में उपचारित जल प्रवाह तथा आपूर्ति के संतुलन हेतु चार भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का सेक्टर 47सी, 29सी, 29बी तथा 28बी में निर्माण किए जाने का प्रस्ताव था।

## प्रस्तावित योजना



लेखापरीक्षा ने पाया कि चार यूजीआर में से तीन यूजीआर अर्थात् सेक्टर 48ए (प्रारम्भ में सेक्टर 47सी में प्रस्तावित यूजीआर), 29बी तथा 29सी के यूजीआर का निर्माण नए वितरण नेटवर्क में किया गया था परंतु सेक्टर 28बी में यूजीआर का पुराने वितरण नेटवर्क में स्थान परिवर्तन कर दिया गया था जिसका पहले से ही परियोजना के चरण 1 के अंतर्गत सिंचाई जल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा रहा था। इन बदलावों के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी का कोई औचित्य/अनुमोदन अभिलेख में नहीं था।

## निष्पादित योजना



लेखापरीक्षा का तर्क है कि सेक्टर 28बी में यूजीआर के नए वितरण नेटवर्क से पुराने वितरण नेटवर्क में स्थान परिवर्तन करने से पूर्ण परियोजना के महत्व को बदल दिया:

1. अतिरिक्त यूजीआर के बावजूद, पहले की भांति केवल 3-4 एमजीडी तृतीयक जल की पुराने नेटवर्क में आपूर्ति की गई थी तथा इस प्रकार चरण-1 के सेक्टरों में तृतीयक जल की आपूर्ति में कोई बड़ा सार्थक बदलाव नहीं है।

2. नये वितरण नेटवर्क में पम्पिंग की अधिकतम क्षमता को 10 घण्टों में 10 एमजीडी, मूल डिजाईन के अनुसार से तृतीयक जल 7.08 एमजीडी तक कम कर दिया गया था तथा केवल 3-4.5 एमजीडी तृतीयक जल की अप्रैल 2015 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई थी जो डिजाईन की क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि सेक्टर 31 के यूजीआर 3 बीआरडी में 11 एमजीडी के एसटीपी के निकट उचित नहीं है। फिर यह प्रस्ताव किया गया था कि तृतीयक उपचारित जल की इस एसटीपी संयंत्र से सीधे पूर्ति क्षेत्र को आपूर्ति की जाएगी।

एमसीसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेक्टर-31 के क्षेत्र (3 बीआरडी में 11 एमजीडी क्षमता के एसटीपी के निकट) की सीधे राईजिंग मैन के माध्यम से पूर्ति की जा रही है न कि एसटीपी से, जैसा एमसीसी द्वारा बताया गया। इसके अतिरिक्त, यदि सेक्टर 28बी में यूजीआर का पुराने नेटवर्क में स्थान परिवर्तन वांछनीय था तो सभी यूजीआर में लगाए जाने वाले पम्पों की वांछित विशिष्टताओं/डिजाईन पर संबंधित नेटवर्कों में आपूर्ति किए जाने वाले तृतीयक जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुनः कार्य किया जाना चाहिए था जिससे कि तृतीयक जल की इष्टतम आपूर्ति को अंतिम उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराया जा सकता था।

### iii) तृतीयक उपचारित जल कनेक्शन का बिल नहीं दिया गया

डीपीआर (परियोजना की व्यवहार्यता) के अनुसार, 43 प्रतिशत की सीमा तक परियोजना की संचालन तथा अनुरक्षण लागत को टीटी जल की बिक्री से वसूला जाएगा तथा शेष व्यय को संचित पेय जल की बिक्री से सृजित राजस्व से पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तृतीयक उपचारित परियोजना के अंतर्गत कुल 5,734 तृतीयक जल कनेक्शनों में से केवल 1,327 तृतीयक जल कनेक्शनों के बिल प्रस्तुत किए गए थे जिसका परिणामस्वरूप 4,407 तृतीयक उपचारित जल कनेक्शन बिना बिल के रह गए।

एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि लोक स्वास्थ्य प्रभाग में अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार तृतीयक उपचारित जल के बिलों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपर्युक्त दर्शाए गए आंकड़े एमसीसी द्वारा प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीसी द्वारा ग्रीन बैल्टों/बगीचों/पार्कों आदि को तृतीयक जल की निःशुल्क आपूर्ति किया जा रहा है जिनका एमसीसी के बागवानी स्कंध द्वारा रखरखाव किया जा रहा था तथा जिनके राजस्व को डीपीआर के अनुमोदन के समय हटाया नहीं गया था।

#### **iv) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में वांछित परिक्रामी निधि का अनुरक्षण न किया जाना**

2007 में अनुमोदित (डीपीआर) के अनुसार, जारी निधियों के कम से कम 25 प्रतिशत की वसूली की जाएगी तथा मिशन के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन के व्ययों को पूरा करने के लिए शहरी स्तर पर परिक्रामी निधि में क्रेडिट किया जाएगा, तथा जिसकी कुल राशि ₹372.58 लाख प्रति वर्ष होगी।

इसमें से 43 प्रतिशत व्यय को तृतीयक जल की बिक्री से सृजित राजस्व से पूरा किया जाना था तथा शेष को सिंचाई प्रयोजनों हेतु तृतीयक जल का उपयोग करके संचित पेय जल की बिक्री से सृजित राजस्व से पूरा किया जाना था।

एमसीसी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कोई ऐसी परिक्रामी निधि नहीं बनाई गई थी तथा एमसीसी द्वारा तृतीयक जल की आपूर्ति से एकत्रित राजस्व के किसी अलग लेखे का अनुरक्षण नहीं किया गया था। एमसीसी ने बताया (नवम्बर 2018) कि तृतीयक जल प्रभारों के रूप में सृजित राजस्व का तृतीयक जल नेटवर्क के रखरखाव हेतु उपयोग किया जा रहा है, परंतु इसके पुष्टि में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

#### **v) पुराने तृतीयक उपचार संयंत्र के सुधार पर परिहार्य व्यय**

एमसीसी ने ₹3.13 करोड़ में पुराने टीटीपी पर 10 एमजीडी क्षमता (सितम्बर 2015) के पुनःस्थापना का कार्य पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह कार्य प्रारम्भ करते समय अंतिम प्रवाह के बीओडी (जैव-रसायन ऑक्सीजन मांग) स्तर से संबंधित विशिष्टता को 5 एमजी/एल से कम के स्तर तक उन्नत नहीं किया गया था जिसे चरण-1। हेतु डीपीआर में अनुमोदित किया गया था जिससे यह तृतीयक जल आपूर्ति हेतु अनुपयुक्त है।

लेखापरीक्षा के तर्क में बीओडी<sup>8</sup> का उच्चतर स्तर उपभोक्ताओं में तृतीयक जल को स्वीकार न करने का संभावित कारण है। इस प्रकार, संयंत्र की पुनः स्थापना में किया गया पूर्ण व्यय निष्फल हुआ था।

एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में माना कि केवल गौण उपचार 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक बीओडी को हटाता है तथा तृतीयक उपचार संयंत्र बीओडी को सीमित करने में एक अहम भूमिका अदा नहीं करता है।

एमसीसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना है कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तृतीयक जल 5एमजी/एल से कम बीओडी स्तर का होना चाहिए जिसे पूरा नहीं किया गया था।

#### vi) सीवेज जल के अनुचित अनुमान के कारण पम्प हाउस का कम उपयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुराने तथा नए तृतीयक संयंत्र में लगाए गए पम्पों का प्रवाह प्रत्येक पम्प के लिए क्रमशः 983<sup>9</sup> क्यूबिक मीटर प्रति घंटा तथा 1,135<sup>10</sup> क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है। परिणामस्वरूप, 4,236 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा के अधिक्य में गौण उपचार के पश्चात सीवेज को इष्टतम पम्पिंग दक्षता पर भी आस-पास के नालों में बहाया जाना बाध्य था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दूसरी ओर रात के समय उपचार सुविधा में सीवेज का प्रवाह काफी कम अर्थात् 1800 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है जिससे तृतीयक संयंत्र हेतु प्रवाह कम होता है। परिणामस्वरूप, तृतीयक संयंत्र को, तृतीयक संयंत्रों में लगाए जाने वाले पम्पों की क्षमता का डिजाइन करते समय किए गए

---

<sup>8</sup> बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा, जो बैक्टीरिया को जल/व्यर्थ जल में मौजूद जैविक संघटकों को कम करने हेतु अपेक्षित है, का एक माप है। जैव-रसायन आक्सीजन मांग एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता प्रतिमान है क्योंकि यह पर्यावरण में व्यर्थ जल आने के प्रभाव को निर्धारित करने हेतु एक इंडेक्स प्रदान करता है। जितना अधिक बीओडी मात्रा होगी उतनी ही अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले बैक्टीरिया के लिए जैविक पदार्थ अथवा “खाद्य” की मात्रा होगी। 1-2 पीपीएम के बीओडी स्तर को बहुत अच्छा माना जाता है। 3-5 पीपीएम के बीओडी स्तर वाली जल आपूर्ति को साधारणतः स्वच्छ माना जाता है। 6-9 पीपीएम के बीओडी स्तर वाले जल में, जल को कुछ हद तक प्रदूषित माना जाता है क्योंकि उसमें आमतौर पर जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं तथा बैक्टीरिया इस अपशिष्ट को विघटित करते हैं।

<sup>9</sup> पुराने तृतीयक पम्प की बहाव विशिष्टता

<sup>10</sup> नए तृतीयक पम्प की बहाव विशिष्टता

अनुमानों के विपरीत, रात में इनकी पूर्ण क्षमता पर नहीं चलाया जा सकता। रात को शहर में सिंचाई की कोई मांग भी नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिजाईन मापदण्डों के लिए पूर्ण परिकलन इस तथ्य कि व्यस्ततम घंटों के दौरान सीवेज का प्रवाह तृतीयक संयंत्रों में लगाए गए पम्पों के प्रवाह से काफी अधिक था तथा रात के समय वह संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करने की अपेक्षा से काफी कम था, को पूर्णतः अनदेखा करते हुए शहर को सिंचाई के लिए तृतीयक जल की 20 एमजीडी की आपूर्ति की आवश्यकता पर आधारित था।

एमसीसी ने अपने उत्तर में बताया कि पम्पिंग क्षमता को अधिकतम पीक लोड के लिए डिजाईन किया गया था एवं पम्पिंग तृतीयक उपचारित जल की आवश्यकता के अनुसार की गई है तथा अन्तिम उपभोक्ताओं को आगे वितरण हेतु टीटी संयंत्र अथवा गौण स्थानों में भूमिगत जलाशय का निर्माण करके टीटी जल का भण्डारण किया गया।

एमसीसी का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान कम पम्पिंग क्षमता (अर्थात् 4236 क्यूबिक मीटर/घंटा) के कारण गौण उपचारित जल को आस-पास के नालों में छोड़ा जा रहा था तथा कम प्रवाह घंटों के दौरान पम्पों को क्षमता से कम पर चलाया गया था।

#### 15.4.4 (सी) निष्पादन

##### i) कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं

एमसीसी चण्डीगढ़ ने दिग्गियन में ड्यूअल मीडिया फिल्टर्स तथा अन्य सहायक इकाईयों को लगाकर जैविक उपचारिता सीवेज का उपचार करने हेतु 10 एमजीडी क्षमता के टीटीपी के निर्माण के लिए मैसर्स एचएल हाण्डा एण्ड कम्पनी के साथ ₹7.78 करोड़ (₹7.29 करोड़ पूंजीगत कार्य के लिए तथा ₹0.49 करोड़ संचालन एवं अनुरक्षण के लिए) की संविदा पूरी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

1. उपरोक्त कथित कार्य के लिए ₹4.73 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन के प्रति ₹7.29 करोड़ (54 प्रतिशत अधिक) की राशि का व्यय किया गया था। स्थापित किए जाने वाले तृतीयक संयंत्र की क्षमता/प्रौद्योगिकी में बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के इस सीमा तक परियोजना की लागत में वृद्धि का औचित्य, अभिलेख में नहीं पाया गया था।

2. उपरोक्त कथित संयंत्र से 10 एमजीडी तृतीयक उपचारित जल की क्षमता के प्रति औसतन केवल 3-4 एमजीडी तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति की जा रही थी।

3. बीओडी स्तर के मापदण्ड, जैसे अभिकरण तथा एमसी चंडीगढ़ के बीच सहमति की गई थी, 20एमजी/एल से कम था जो कि डीपीआर में अनुमोदित स्तर अर्थात् पांच एमजी/एल से काफी अधिक था।

चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बीओडी तथा रसायन ऑक्सीजन मांग (सीओडी) के मापदण्ड भी डीपीआर में अनुमोदित मापदण्डों की तुलना में काफी अधिक थे जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि हरित मैदानों/घरों को सिंचाई हेतु प्रदान किए जा रहे तृतीयक जल की गुणवत्ता अवमानक थी।

एमसीसी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रशासनिक रूप से संस्वीकृति पूर्ण परियोजना के लिए थी तथा किसी भी चरण में आधिक्य को अनियमितता नहीं कहा जा सकता।

- (i) दो भिन्न माध्यमों से आपूर्ति को समेकित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी नामपद्धति अलग है।
- (ii) पुराने तथा नए तृतीयक संयंत्र को पांच एमजी/एल से अधिक के बीओडी स्तर के लिए डिजाइन किया गया था।

एमसीसी का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि कार्य लागत को तृतीयक संयंत्र की क्षमता/प्रोद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना 54 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था तथा पांच एमजी/एल बीओडी<sup>11</sup> से कम के लिए मंत्रालय के मानक का अनुपालन न किए जाने के कोई कारण नहीं दिए गए थे।

---

<sup>11</sup> बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा, जो बैक्टीरिया को जल/व्यर्थ जल में मौजूद जैविक संघटकों को कम करने हेतु अपेक्षित है, का एक माप है। जैव-रसायन आक्सीजन मांग एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता प्रतिमान है क्योंकि यह पर्यावरण में व्यर्थ जल आने के प्रभाव को निर्धारित करने हेतु एक इंडेक्स प्रदान करता है। जितना अधिक बीओडी मात्रा होगी उतनी ही अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले बैक्टीरिया के लिए जैविक पदार्थ अथवा “खाद्य” की मात्रा होगी। 1-2 पीपीएम के बीओडी स्तर को बहुत अच्छा माना जाता है। 3-5 पीपीएम के बीओडी स्तर वाली जल आपूर्ति को साधारणतः स्वच्छ माना जाता है। 6-9 पीपीएम के बीओडी स्तर वाले जल में, जल को कुछ हद तक प्रदूषित माना जाता है क्योंकि उसमें आमतौर पर जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं तथा बैक्टीरिया इस अपशिष्ट को विघटित करते हैं।

### 15.4.5 निष्कर्ष

तृतीयक उपचारित जल के डिजाईन तथा कार्यान्वयन दोनों की विफलता के कारण 20 एमजीडी, जिसकी आपूर्ति करने की योजना की गई है, के बजाए कुल 6-9 एमजीडी तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति की जा रही है, जबकि परियोजना की व्यवहार्यता बिलिंग आदि नहीं किये जाने के कारण प्रभावित है।

### 15.4.6 रिपोर्टिंग

मामला जुलाई 2018 एवं अगस्त 2019 में नगर निगम चण्डीगढ़ तथा अगस्त 2018 में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचित किया गया है, उनके उत्तर दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित है।

### 15.5 पट्टा किरायों का निर्धारण

पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय चण्डीगढ़ के परिसर में कार्य कर रहे बैंकों के लिए किराए की निर्धारित दरों को अपनाने में विफलता के फलस्वरूप बैंकों से ₹1.15 करोड़ के किराए की कम वसूली हुई।

वित्त मंत्रालय के 04 अक्टूबर 2016 के कार्यालय ज्ञापन ने सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 के प्रावधानों का लागू किया जिसमें शामिल है कि i) सभी स्वायत्त निकाय, नई अथवा पहले से अस्तित्व में हैं उनके आंतरिक संसाधनों के उत्पादन को अधिकतम करने तथा अंततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ii) क्या उपभोक्ता प्रभारों, जहां उत्पादन अथवा सेवाओं का अन्य द्वारा उपयोग किया गया है, उनका उद्ग्रहण उपयुक्त दरों पर किया गया है तथा iii) संगठन में आंतरिक संसाधनों के उत्पादन के विस्तार को अधिकतम किया जाए जिससे कि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है।

संपदा निदेशालय (डीओई), शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बैंकों/डाक घरों जैसे सेवा विभागों/उपक्रमों, जो सामान्य पूल कार्यालय आवास से कार्य करते हैं, से वसूल किए जाने वाले लाईसेंस शुल्क की अलग दरों को पहली बार अधिसूचित (1 जनवरी 2004) किया। डीओई द्वारा निर्धारित दरें मार्च 1999 से लागू थीं तथा समय समय पर उनको संशोधित किया गया। डीओई, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार (एमओयूडी) चण्डीगढ़ शहर में जीओआई के संपदा आवासीय/कार्यालय स्थानों के प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी है।

पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय, (पीइसी) चण्डीगढ़, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ का एक पूर्ण रूप से वित्तपोषित संस्थान है जिसने अपनी इमारत को दो

राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) तथा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ₹1,876 प्रति माह तथा ₹10,800 प्रति माह के एकमुश्त किराए पर क्रमशः 315 वर्ग मीटर तथा 104 वर्ग मीटर के स्थान आबंटन सहित अक्टूबर 1992 तथा मार्च 2005 से पट्टे पर दिया जिसे क्रमशः ₹18,772 प्रति माह (04/2013) तथा ₹29,738 प्रति माह (10/2014) तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीईसी ने अपने परिसर के भीतर बैंकिंग सेवाओं हेतु अपने किराए अनुबंध में डीओई की नवीनतम निर्धारित दरों अर्थात् ₹455 प्रति वर्ग मीटर की दर (अप्रैल 2011) तथा ₹585 प्रति वर्ग मीटर की दर (अप्रैल 2014) को नहीं अपनाया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों बैंकों के संबंध में अप्रैल 2013 से मार्च/नवम्बर 2018 तक की अवधि के लिए कुल ₹1.15 करोड़ के लाईसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

पीईसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि किराया प्रारम्भ में चण्डीगढ़ प्रशासन की स्वीकृति से पीडब्ल्यूडी विभाग चण्डीगढ़ द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार निर्धारित किया गया था। पीईसी ने यह भी दावा किया कि वे गैर-वाणिज्यिक संगठन हैं तथा इसलिए किराए के संबंध में डीओई के अनुदेश लागू नहीं हैं। यह स्पष्ट किए जाने पर कि जबकि पीईसी एक शैक्षणिक संस्थान है और बैंक जिन्होंने उनके परिसर को किराए पर लिया है, वाणिज्यिक उपक्रम हैं तथा वह मापदण्डों के अनुसार अदा करने के उत्तरदायी हैं। इसके पश्चात्, पीईसी ने कैम्पस में बैंक परिसरों के लिए किराए का पुनर्निर्धारण करने हेतु यूटी के इंजीनियरिंग विभाग के साथ मामले को आगे बढ़ाया परंतु पूरी अवधि को आधार विलेख में सुनिश्चित करने में विफल रहा।

सितंबर 2019 को हुई एक बैठक में, पीईसी ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि दोनों बैंकों के संबंध में किरायों का संशोधन कर दिया गया है। एसबीआई ने भी संशोधित पट्टा विलेख के अनुसार 01 अप्रैल 2018 से लागू किराया जमा कर दिया है जबकि पीएनबी के किराए को 01.10.2019 से संशोधित किया जा रहा है तथा पट्टा विलेख प्रतीक्षित है। बैंकों को अभी भी पहले की अवधियों के बकाया अदा करने हैं।

इस प्रकार, समय पर बैंकों के लाईसेंस शुल्कों की निर्धारित दरों को लागू करने में पीईसी की विफलता के परिणाम में बैंकों से कुल ₹1.15 करोड़ के किराए की कम वसूली हुई।

मामला जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

## 15.6 सेवा कर का अनियमित भुगतान

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चण्डीगढ़ ने सेवा-कर का सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन समिति चण्डीगढ़ को ₹64.83 लाख का अनियमित भुगतान किया जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् वसूला गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), चण्डीगढ़ प्रशासन ने संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के निवासियों के बेहतरी के लिए ई-सम्पर्क नामक एक आईटी परियोजना तैयार (2001) की तथा दो विक्रेताओं अर्थात् एसक्यूएल स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड (सितंबर 2004) तथा मैसर्स डाटामेशन (दिसंबर 2006) को, शहरी ई-सम्पर्क केन्द्रों तथा ग्रामीण सम्पर्क केन्द्रों के प्रचालन हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क प्रभारों तथा उद्ग्रहित/लागू करों सहित क्रमशः ₹8.89/- प्रति लेन देन तथा ₹3.90/- प्रति लेन देन की दर पर नियुक्त किया जबकि दोनों अभिकरणों के साथ संविदा दिसंबर 2010 को समाप्त हो गई थीं।

डीआईटी ने (जनवरी 2011) इन ई-सम्पर्क केन्द्रों को चलाने का कार्य उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों, जिन्हें पहले के सेवा प्रदाताओं (मैसर्स एसक्यूएल स्टार इंटरनेशनल तथा मैसर्स डाटामेशन) द्वारा सहमत किया गया था, पर अस्थायी रूप से प्रारम्भ में छः महीनों की अवधि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन समिति, चण्डीगढ़ (एसपीआईसी) को सौंपा। छः माह के आधार पर सेवा अवधि का विस्तार जून 2015 तक जारी रहा तथा तत्पश्चात् 01 जुलाई 2015 से परियोजना को स्थाई आधार पर एसपीआईसी को सौंप दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2017) कि डीआईटी, यूटी चण्डीगढ़ ने उन सहमत निबंधनों एवं शर्तों जिनके तहत एसपीआईसी सेवा कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था, के उल्लंघन में सितंबर 2011 से मार्च 2017 की अवधि के लिए सेवा कर के रूप में ₹2.08 करोड़ अदा किए जैसा एसपीआईसी द्वारा दावा किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय डीआईटी ने एसपीआईसी से सितंबर 2011 से जून 2015 तक की अवधि के लिए ₹64.83 लाख की वसूली की थी जहां लेन-देन की दरों में सेवा कर शामिल था। डीआईटी ने आगे बताया कि उन्होंने बाद में जुलाई 2015 को लेन-देन की दरों को संशोधित किया था जिसके पश्चात् सेवा कर प्रतिपूर्ति योग्य हैं।

मामला मई 2019 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

15.7 संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सचिवालय कैंटीन, चंडीगढ़ और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली का संचालन और प्रबंधन

सीआईटीसीओ ने संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सचिवालय कैंटीन और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली को बिना किसी समझौते या परिचालन व्यवस्था के संचालित किया और क्रमशः ₹8.27 करोड़ और ₹1.52 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा।

चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईटीसीओ), क्रमशः 1983 और 1990 से संघ शासित क्षेत्र (यूटी), चंडीगढ़ की ओर से चंडीगढ़ में एक सचिवालय कैंटीन और नई दिल्ली में एक गेस्ट हाउस का प्रबंधन और संचालन करता है।

सीआईटीसीओ के निदेशक मंडल ने इसे यूटी प्रशासन चंडीगढ़ से इकमुश्त सौदा मानते हुए कैंटीन के संचालन की व्यवस्था को मंजूरी दी थी जिसमें होटलों और कैफेटेरिया का स्थानान्तरण भी शामिल था। अधिकारियों के नई दिल्ली में आने पर आवास सुविधाओं की कमी पर विचार करते हुए नई दिल्ली में गेस्ट हाउस के संचालन और प्रबंधन को यूटी प्रशासन के अनुरोध पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, सीआईटीसीओ ने कोई समझौता नहीं किया, यहां तक कि दोनों प्रतिष्ठानों में इस तरह के कार्य करने के लिए नियमों और शर्तों को भी निर्धारित नहीं किया गया। दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस के लिए एक मसौदा समझौते को मई 2016 में सीआईटीसीओ द्वारा यूटी चंडीगढ़ प्रशासन को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया था, जिसे औपचारिक रूप दिया जाना बाकी है (जुलाई 2019)। सीआईटीसीओ ने चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन के संबंध में कोई समझौता नहीं किया। सीआईटीसीओ ने यूटी प्रशासन चंडीगढ़ की ओर से चंडीगढ़ में एक ऐसा ही गेस्ट हाउस संचालित किया, जहाँ खर्चों को उड़ाने के लिए एक समझौता उपलब्ध था।

सीआईटीसीओ ने ₹8.27 करोड़<sup>12</sup> का निवल व्यय 2004-05 से 2017-18<sup>13</sup> के दौरान चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन चलाने के लिए किया और 2009-10 से 2017-18<sup>13</sup> के दौरान, दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस चलाने के लिए ₹1.52 करोड़ का खर्च किया था। सीआईटीसीओ द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं और घटती लाभप्रदता के मद्देनजर, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ व्यय

<sup>12</sup> व्यय (₹11.71 करोड़) घटना बिक्री से राजस्व (₹3.44 करोड़)

<sup>13</sup> पूर्व अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं।

की प्रतिपूर्ति के लिए फरवरी 2014 में मामला उठाया, लेकिन किसी समझौते और समझ के अभाव में कोई फायदा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने (फरवरी 1995) कैंटीन में परोसे जाने वाली खाने योग्य चीजों के मूल्यों पर रियायत देने के लिए सीआईटीसीओ को प्रति माह ₹50,000 का अनुदान देने को मान लिया था। हालाँकि, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने न तो सीआईटीसीओ को प्रति माह ₹50,000 की अनुवृत्ति जारी की और न ही सीआईटीसीओ ने इसके लिए औपचारिक दावा किया, जिसकी राशि मार्च 2018 तक ₹1.38 करोड़ थी।

यूटी प्रशासन के साथ किसी भी समझौते के अभाव में, सीआईटीसीओ द्वारा इन दोनों प्रतिष्ठानों पर मार्च 2018 तक ₹9.79 करोड़ का व्यय, अनियमित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि इन गतिविधियों को 'गैर-वाणिज्यिक आधार पर एक सामाजिक कार्य' के रूप में संचालित किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के साथ खर्चों की प्रतिपूर्ति के मुद्दे का भी समय-समय पर अनुकरण किया गया है। यूटी प्रशासन चंडीगढ़ ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन चलाने में खर्च की प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 जुलाई 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया कि सीआईटीसीओ और आतिथ्य विभाग, वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो सीआईटीसीओ से अभी तक प्रतीक्षित है।

प्रबंधन का यह तर्क कि गतिविधियों को एक सामाजिक प्रकार्य के रूप में गैर-वाणिज्यिक आधार पर संचालित किया गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीआईटीसीओ को एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था और यूटी प्रशासन के कर्मचारियों को रियायती दरों पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या इसके द्वारा वहां किये गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के बिना दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस चलाना, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खंड के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ ने बताया कि चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन को संचालित करने के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए सीआईटीसीओ से अनुदान के लिए एक प्रस्ताव मांगा गया है, हालाँकि दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस संचालित करने के लिए होने वाली खर्चों की प्रतिपूर्ति के बारे में उत्तर मौन था।

संघ शासित क्षेत्र - दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन

15.8 विवरणी फाईल करने में विलम्ब

वैट विभाग दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) तथा दमन एवं दीव (डीडी) ने विक्रेताओं की विवरणी का समय पर फाईल किए जाने की निगरानी नहीं की थी जिसका परिणाम विक्रेताओं द्वारा विवरणी को समय पर फाईल न किए जाने हेतु ₹1.14 करोड़ के दण्ड का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

डीएनएच तथा डीडी वैट नियमावली 2005 के नियम 26 के अनुसार, एक विक्रेता, जिसका कारोबार पिछले वर्ष में ₹पांच करोड़ से अधिक होता है तो वह मासिक विवरणी फाईल करेगा। इसके अतिरिक्त, डीएनएच तथा डीडी वैट विनियमों की धारा 86(8) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और वे निर्धारित तिथि तक कोई भी विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति, दण्ड के माध्यम से प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, उसके लिए एक सौ रुपये अथवा दस हजार रुपये, जो भी कम है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई-अगस्त 2018) कि वैट विभाग डीएनएच तथा डीडी के 139 विक्रेता (2015-16) तथा 179 विक्रेता (2016-17) जिनका कुल कारोबार (टीटीओ) ₹5.02 करोड़ से ₹464.31 करोड़ के बीच था, इन्होंने मासिक के बजाय तिमाही विवरणी फाईल की थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने विवरणी फाईल करने में विलम्ब हेतु दण्ड का उद्ग्रहण नहीं किया था जिसका परिणाम ₹1.14 करोड़ की सीमा तक राजस्व की हानि में हुआ।

वैट विभाग, डीएनएच तथा डीडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि चूककर्ताओं को देर से रिटर्न भरने के लिए दंड की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किये गये हैं तथा लेखापरीक्षा को दण्ड की वसूली की सूचना दी जाएगी (अक्टूबर 2019)।

वैट डीडी ने सात विक्रेताओं से ₹2.06 लाख की वसूली की है तथा आश्वासन दिया है कि शेष विक्रेताओं से जुर्माने की वसूली मार्च 2020 के अंत तक अंतिम मूल्यांकन में समायोजित की जाएगी (अक्टूबर 2019)।

## 15.9 ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट के गैर/कम वापसी के कारण अधिक वापसी

वैट विभाग दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) ने मैसर्स टाईम टेक्नो प्लास्ट लि. के मामले में 2013-14 की कर अवधि हेतु ₹23 लाख के ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर (बीएसटी) पर टैक्स क्रेडिट का वापसी नहीं दिया था तथा मैसर्स केईआई इंडस्ट्रीज लि. के मामले में 2012-13 से 2015-16 तक की कर अवधियों के लिए ₹13 लाख के बीएसटी पर कम क्रेडिट का वापसी किया जिसका परिणाम ₹36 लाख के अधिक टैक्स क्रेडिट वापसी में हुआ।

डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 9(6) के अनुसार, जहाँ एक विक्रेता ने माल (पूँजीगत माल के अलावा) खरीदा है जिसके लिए टैक्स क्रेडिट उठाता है तथा खरीदा गया माल अथवा खरीदे गए ऐसे माल से उत्पादित सामान को दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) से निर्यात करता है, यह स्थानांतरण (i) प्रेषित माल एजेंट जो डीएनएच में नहीं रहता है तथा ऐसा अंतरण डीएनएच में बिक्री के माध्यम से संबंधित नहीं है; अथवा (ii) विक्रेता की शाखा जब ऐसी शाखा डीएनएच के बाहर स्थित है तथा ऐसा अंतरण डीएनएच में बिक्री से संबंधित नहीं है, तो टैक्स क्रेडिट की राशि को ऐसी प्रतिशतता तक कम किया जाएगा जैसा निर्धारित हो।

डीएनएच वैट के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (जुलाई 2018), नीचे चर्चा किए गए दो विक्रेताओं के मामले में टैक्स क्रेडिट की वापसी/कम वापसी नहीं बनती थी:-

### मामला-1

#### ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं किया जाना

डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 32(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने अपूर्ण अथवा गलत विवरणी प्रस्तुत की है; तो आयुक्त लिखित में दर्ज कारणों से किसी भी कर अवधि अथवा कर अवधियों हेतु देय शुद्ध कर की राशि को अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारित अथवा पुनः निर्धारित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2018) कि विक्रेता<sup>14</sup> ने 2013-14 के दौरान स्थानीय खरीदों में से ₹22.15 करोड़ का अंतर्राज्य ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर (बीएसटी) किया था, जिसके लिए विक्रेता ने विवरणी फाईल करते समय

<sup>14</sup> मैसर्स टाईम टेक्नो प्लास्ट लिमिटेड

₹23.00 लाख के टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं की थी जैसा नीचे तालिका सं. 1 में वर्णित है:-

तालिका सं. 1: टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर अवधि	अंतर्राज्य ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर	सकल कारोबार (जीटीओ) बिक्री	प्राप्त किया गया कुल क्रेडिट	वापसी किया जाने वाला क्रेडिट
2013-14	22.15	175.71	1.82	0.23 <sup>15</sup>

इस प्रकार, विक्रेता द्वारा टैक्स क्रेडिट वापसी की असफलता का परिणाम 2013-14 की अवधि के लिए ₹23 लाख के वैट के कम उद्ग्रहण में हुआ जो डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 42 (2) के अंतर्गत 15 प्रतिशत की दर के अनुसार ₹14 लाख<sup>16</sup> के ब्याज के उद्ग्रहण को भी आकर्षित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2018 में अभ्युक्ति की गई थी परंतु दिसम्बर 2018 में 2013-14 की अवधि का निर्धारण करते समय वैट विभाग, डीएनएच ने टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं की थी।

वैट विभाग को डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 32(1) के तहत पुनः निर्धारण करना चाहिए तथा वापसी नहीं किये गये कर को उपार्जित ब्याज सहित वसूलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

**मामला- II**

**ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट की कम वापसी**

वैट आयुक्त, डीएनएच के अधीन मैसर्स केडआई इंडस्ट्रीज लिमि. ने फार्म-एफ के माध्यम से डीएनएच के बाहर अपने शाखा डिपो को माल स्थानांतरण किया तथा अपने सकल बिक्री कारोबार (जीटीओ) में डिपो की बिक्री को दर्शाया। इस प्रकार, अपने जीटीओ में डिपो की बिक्री के गलत समावेश के कारण डीएनएच वैट ने 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधियों के लिए ₹13 लाख के टैक्स क्रेडिट की कम वापसी की जैसा नीचे तालिका सं. 2 में दिया गया है:

<sup>15</sup> (₹ 22.15 करोड़/₹175.71 करोड़) x ₹ 1.82 करोड़

<sup>16</sup> 2013-14 से मार्च 2018 तक चार वर्षों की अवधि हेतु ₹0.14 करोड़

## तालिका सं.: 2 टैक्स क्रेडिट की कम वापसी का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर अवधि	अंतर्राज्य स्टॉक ट्रांसफर	डिपो की बिक्री सहित सकल बिक्री करोबार (जीटीओ)	डिपो की बिक्री	टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया	वापसी किए जाने वाला टैक्स क्रेडिट	वास्तव में वापसी किया गया कर	अंतर
2012-13	38.23	597.78	23.97	1.94	0.13 <sup>17</sup>	0.07	0.06
2013-14	66.42	635.64	44.74	1.80	0.20	0.19	0.01
2014-15	119.43	752.75	73.67	1.83	0.32	0.29	0.03
2015-16	198.57	820.54	50.27	1.82	0.47	0.44	0.03
<b>कुल</b>					<b>1.12</b>	<b>0.99</b>	<b>0.13</b>

इस प्रकार, जीटीओ में डिपो की बिक्री के अनियमित समावेश का परिणाम ₹13 लाख के टैक्स क्रेडिट की अधिक वापसी में हुआ जो विनियम 2005 की धारा 42(2) के तहत मार्च 2018 तक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ₹7 लाख<sup>18</sup> के ब्याज को आकर्षित करती है।

वैट विभाग, डीएनएच ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 32 के तहत गलत निर्धारण को नोटिस जारी किया (मई 2019)।

## 15.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी

वैट विभाग दमन एवं दीव (डीडी) ने दो विक्रेताओं को निर्माण गतिविधि हेतु ₹30.13 लाख का अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमत किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, वैट विभाग ने ₹6.78 लाख के ब्याज सहित अस्वीकार्य आईटीसी की वसूली की।

दमन एवं दीव मूल्य वृद्धि कर (डीडीवैट) विनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार, एक विक्रेता कर अवधि के दौरान की गई खरीद के कारोबार के संबंध में टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा। तथापि एक व्यक्ति द्वारा सामान की खरीद हेतु कोई टैक्स क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा, जिसका उस व्यक्ति द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित एक बिल्डिंग की संरचना के लिए उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(2) के नीचे स्पष्टीकरण

<sup>17</sup> (₹38.23 करोड़/₹573.81 करोड़) x ₹1.94 करोड़.

<sup>18</sup> 2012-13 हेतु ₹4.5 लाख, 2013-14 हेतु ₹0.6 लाख, 2014-15 हेतु ₹1.35 लाख तथा 2015-16 हेतु ₹0.9 लाख

अनुबंध करता है कि टैक्स क्रेडिट उन सामान तथा बिल्डिंग सामग्री के संबंध में अनुमत होगा जिसे एक व्यक्ति द्वारा बिना परिवर्तन के पुनः बेचने अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित एक बिल्डिंग के संबंध में एक निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन हेतु खरीदा गया है। इस प्रकार, फैक्टरी द्वारा स्वामित्व वाली फैक्टरी बिल्डिंग अथवा शैड के निर्माण पर टैक्स क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2018) कि वैट विभाग, दमन ने दो विक्रेताओं के मामले में निर्माण गतिविधि के लिए ₹30.13 लाख के आईटीसी की वापसी की (सितम्बर 2016) जैसा नीचे तालिका सं. 3 में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका सं. 3: अस्वीकार्य आईटीसी तथा वापसी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विक्रेता का नाम एवं टिन सं.	टैक्स क्रेडिट की अवधि	अस्वीकार्य आईटीसी तथा वापसी	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स फ्लेयर राईटिंग इंस्ट्रूमेंट 25000007033	2014-15	26.64	स्टार बिल्डकॉन, दमन द्वारा कचीगम में दो फैक्टरी बिल्डिंग का निर्माण
2.	मैसर्स हर्टज कैमिक्लस प्राइवेट लिमि. 25000003675	2015-16	3.49	एम.बी. डेवलपर्स दमन द्वारा फैक्टरी बिल्डिंग हेतु विभिन्न निर्माण कार्य
कुल			30.13	

इसका परिणाम ₹30.13 लाख की सीमा तक अधिक टैक्स क्रेडिट प्रदान करने में हुआ।

वैट विभाग, दमन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा ब्याज सहित ₹36.91 के अस्वीकार्य आईटीसी की वसूली की (अप्रैल-जून 2018)।

#### संघ शासित क्षेत्र - लक्षद्वीप प्रशासन

##### 15.11 सरकारी धन को बचत बैंक खाते में रखना

बंदरगाह, नौ परिवहन एवं विमानन निदेशालय, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) ने प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹29.18 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में प्रेषित किए बिना इसको अपने एसबी खाते में रखा था जिससे इष्टतम निराशाजनक नकद प्रबंधन हुआ।

आर एण्ड पी नियमावली का नियम 100 (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि भुगतान करने हेतु बिलों का आहरण तभी किया जाना

चाहिए जब वह अपेक्षित हो तथा पुर्वानुमान में किसी भी धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा सरकारी खाते के बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई), एक लोक क्षेत्र उपक्रम ने संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएल) से अपने जलयानों को चलाने, मैनिंग कार्मिक आवश्यकता तथा अनुरक्षण हेतु 2009-10 में ₹72.24 करोड़ का अग्रिम प्राप्त किया था। इसी प्रकार, यूटीएल प्रशासन के भूमि अधिग्रहण समाहरणालय (एलएसी) ने अगाती द्वीप के मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए मई 2009 में ₹5.75 करोड़ तथा मार्च 2014 में ₹14 करोड़ का अग्रिम प्राप्त किया था। यह धनराशियां उनके पास अप्रयुक्त पड़ी थीं जिसे सीएजी द्वारा 2016 के अपने अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 में सूचित किया गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) को उपचारी कार्रवाई टिप्पणी प्रेषित करते समय गृह मंत्रालय (मार्च 2017) ने भूमि अधिग्रहण के मामले में पीएसी को आश्वासन दिया कि राशि को वापस प्राप्त करने तथा इसे सरकारी खाते में प्रेषित करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि अधिग्रहण समाहरणालय, अगाती ने हालांकि विभाग के बचत बैंक खाते में ₹19.75 करोड़ की राशि वापस की थी (जुलाई 2017) जिसे अग्रिम धन जमा (इएमडी) प्राप्त करने के उद्देश्य से खोला गया था। इसी प्रकार, एससीआई ने भी विभाग के बचत बैंक खाते में केवल ₹9.43<sup>19</sup> करोड़ की राशि लौटाई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि एससीआई द्वारा वापिस की गई ₹9.43 करोड़ की शेष राशि को अगस्त 2019 में सरकारी खाते में प्रेषित कर दिया गया था। आगे यह बताया गया कि चूंकि अगाती हवाई अड्डे के विस्तार के मामले को जोरों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने इस तर्क पर कि भूमि अधिग्रहण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया जाएगा तथा निधियों का जल्द ही उपयोग किया जाएगा, सरकारी खाते में इस निधि को जमा नहीं करने का निर्णय लिया था।

यद्यपि, विभाग द्वारा ₹9.43 करोड़ (एससीआई द्वारा वापिस किया गया) की राशि को केवल अगस्त 2019 में सरकारी खाते में प्रेषित किया गया था, फिर भी ₹19.75 करोड़ (एलएसी द्वारा वापिस किया गया) की शेष राशि को अभी भी सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना है।

<sup>19</sup> 17.03.2016 को ₹दो करोड़, 10.05.2016 को ₹दो करोड़, 07.07.2016 को ₹दो करोड़, 02.08.2016 को ₹दो करोड़ तथा 09.06.2017 को ₹1.43 करोड़

इस प्रकार, ₹29.18 करोड़ की राशि को आरण्डपी के प्रावधानों के उल्लंघन तथा पीएसी को मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के उल्लंघन में दो वर्षों से अधिक समय के लिए अनियमित रूप से सरकारी खाते के बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, धन का अनावश्यक अवधारण, सरकार के उधार लेने की लागत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जिसे 2016-17 से अगस्त 2019 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार की उच्चतम उधार दर पर रखे गए सरकारी धन पर ब्याज के कारण ₹5.43 करोड़ पर परिकलित किया गया है।

मामला अगस्त 2018 में गृह मंत्रालय को सूचित किया था; इसका उत्तर मई 2020 तक प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली  
दिनांक: 16 जुलाई 2020



(सुनील दाढे)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 23 जुलाई 2020



(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

**अनुलग्नक**



**अनुलग्नक-1.1**  
(पैराग्राफ सं. 1.5 का संदर्भ लें)

2015-16 से 2017-18 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया सकल व्यय  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1.	कृषि	22778.34	48997.61	55971.04
2.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी	1112.14	1292.60	2034.72
3.	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण	162384.89	147333.84	160517.15
4.	संस्कृति	2011.83	2302.55	2530.51
5.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	2036.68	2543.61	2568.36
6.	परमाणु ऊर्जा विभाग	16380.70	18238.40	20067.60
7.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	4733.26	--	--
8.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1554.30	1895.50	2231.40
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3658.50	4325.60	4635.20
10.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	4028.60	4051.70	4618.80
11.	अंतरिक्ष विभाग	6920.00	8040.00	9130.60
12.	पेयजल तथा स्वच्छता	13481.18	26475.66	27338.77
13.	पृथ्वी विज्ञान	1328.30	1464.20	1553.30
14.	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन	2024.70	3360.30	4277.70
15.	विदेश	14472.95	12772.62	13749.73
16.	वित्त (व्यय विभाग)	166.79	285.00	224.47
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	504.44	716.97	685.83
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35390.48	40407.08	84704.43
19.	गृह (बिना विधानमंडल वाले यूटी सहित)	70006.68	81310.12	103666.29
20.	मानव संसाधन विकास	86657.36	91673.04	112615.16
21.	सूचना एवं प्रसारण	14681.30	3978.30	3487.62

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
22.	श्रम तथा रोजगार	4832.02	5313.31	6528.57
23.	विधि तथा न्याय	3127.96	3851.01	4567.13
24.	अल्पसंख्यक मामले	3654.85	3049.15	4139.31
25.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	4244.80	7754.10	7456.20
26.	विदेशी भारतीय मामले	68.34	--	--
27.	पंचायती राज	208.67	673.98	700.29
28.	संसदीय कार्य	15.09	17.09	17.11
29.	कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन	1127.29	1279.12	1563.59
30.	योजना	1781.03	225.69	258.95
31.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय तथा चुनाव आयोग	1189.81	1368.20	1250.34
32.	ग्रामीण विकास	121366.19	157952.27	180407.77
33.	कौशल विकास तथा उद्यमिता	1007.47	1553.09	2198.01
34.	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	6309.64	7305.78	7682.83
35.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	4178.40	4270.84	4302.07
36.	जनजातीय मामले	4495.18	4822.29	5317.79
37.	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण	7906.90	6427.30	6054.90
38.	महिला तथा बाल विकास	17260.28	17097.61	20520.45
39.	युवा मामले तथा खेल	1460.90	1576.20	1722.71
<b>कुल</b>		<b>944264.84</b>	<b>738280.02</b>	<b>871296.68</b>

स्रोत: संघ सरकार-विनियोजन लेखे (सिविल) 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18

## अनुलग्नक-2.1

(पैराग्राफ सं 2.2.1 एवं 2.2.4.1 (ए) का संदर्भ ले)

## 2012-18 के दौरान पूर्ण हुई अनुसंधान परियोजनाओं का विषय-वार विवरण

क्र. सं.	विषय का शीर्षक	2012-18 के दौरान पूर्ण हुई परियोजनाओं की संख्या
1.	एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, निगरानी तथा मरुस्थलीकरण	15
2.	जैव-विविधता संरक्षण, एक वर्षी तथा बहुवर्षी पौधों का सुधार	32
3.	एकीकृत शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान प्रणाली	30
4.	एकीकृत भूमि तथा जल संसाधन प्रबंधन	22
5.	पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन	8
6.	पौधा उत्पाद तथा मूल्य वर्धन	5
7.	एकीकृत कीट प्रबंधन	5
8.	गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कृषि भूमि मशीनरी तथा विद्युत	9
9.	सामाजिक-आर्थिक अन्वेषण तथा मूल्यांकन	4
10.	प्रौद्योगिकी निर्धारण, परिष्करण तथा प्रशिक्षण	7
	<b>कुल</b>	<b>137</b>

## अनुलग्नक-2.2

(पैराग्राफ सं. 2.2.3.1 का संदर्भ लें)

## 2012-18 के दौरान बजट आबंटन तथा व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय			बचत/ वापसी
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	
2012-13	3.45	54.03	57.48	3.44	54.02	57.46	0.02
2013-14	2.75	60.37	63.12	2.75	60.35	63.10	0.02
2014-15	2.63	69.02	71.65	2.61	68.74	71.35	0.30
2015-16	2.80	70.40	73.20	2.80	70.38	73.18	0.02
2016-17	3.98	78.94	82.92	2.87	78.81	81.68	1.24
2017-18	112.17		112.17	112.00		112.00	0.17
<b>कुल</b>			<b>460.54</b>			<b>458.77</b>	<b>1.77</b>

## अनुलग्नक-2.3

(पैराग्राफ सं. 2.2.4.1 (ई) का संदर्भ लें)

संस्थान के प्रारंभ से सीएजेडआरआई (काजरी) द्वारा विकसित 21 वाणिज्यीकरण योग्य तकनीकों का विवरण

क्र.सं.	विकसित तकनीक का नाम	आईपी संरक्षित/गैर-आईपी संरक्षित तकनीक <sup>1</sup>	वाणिज्यीकरण स्थिति	पेटेंट की स्थिति
1.	थ्री-इन-वन सौर यंत्र	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यीकरण	उपलब्ध नहीं
2.	सौर पीवी डस्टर	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यीकरण	उपलब्ध नहीं
3.	उन्नत पशु चारा सौर कुकर	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यीकरण	उपलब्ध नहीं
4.	प्रवृत्त सौर ड्रायर	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यीकरण	उपलब्ध नहीं
5.	उन्नत कस्सी	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यीकरण	उपलब्ध नहीं
6.	पीवी विन्नोवर-सह-ड्रायर	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यीकरण	उपलब्ध नहीं
7.	सौर ड्रायर	गैर-आईपी संरक्षित	वाणिज्यकृत	उपलब्ध नहीं
8.	तूष के फल से जैसलमेरी प्रिजर्व तथा कैन्डी (सिट्रल्लस कोलोसाईथिस)	आई पी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदित
9.	एलो प्रजातियों से एलो कैन्डी को तैयार करना तथा प्रसंस्करण विधि	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदित
10.	एलो वेरा के पीले अर्क से निष्कर्षण द्वारा एलोइन पृथक्करण हेतु नवीन विधि	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदित
11.	नेनो-प्रेरित बैक्टीरियल पॉली सेक्काराईड उत्पादन	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदित
12.	बहु पोषक जैविक खाद संश्लेषण हेतु एक प्रक्रिया	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदित
13.	जैविक कीटनाशक दवाओं का जैविक-निरूपण तथा उसे तैयार करने की प्रक्रिया	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदित

<sup>1</sup> आईपी संरक्षित तकनीक वे हैं जो 'आविष्कार' की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत उनका पेटेंट कराया जा सकता है। अन्य सभी गैर-आईपी संरक्षित तकनीकी हैं।

क्र.सं.	विकसित तकनीक का नाम	आईपी संरक्षित/गैर-आईपी संरक्षित तकनीक <sup>1</sup>	वाणिज्यीकरण स्थिति	पेटेंट की स्थिति
14.	कवक से मेन्टल नैनोपार्टिकल का जैव संश्लेषण	आईपी संरक्षित	वाणिज्यकृत	अनुमोदन हेतु क्रमबद्ध (यू/एस43)
15.	एस्परजिलस फ्लेवस टीएफआर 12 से प्लेटिनम नैनोपार्टिकल्स का त्वरित संश्लेषण	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	अनुमोदन हेतु क्रमबद्ध (यू/एस43)
16.	जैविक कीटनाशक दवाओं तथा जैविक निरूपण दोनों सहित सह-व्यवस्था	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	संशोधित स्थिति में आवेदन
17.	एस्परजिलस फ्लेवस सीजेडआर-2 का उपयोग करते हुए नैनो-प्रेरित बायोलॉजिकल फॉस्फोरस उर्वरक (एनबी-पीएचओएस) का विकास	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	संशोधित स्थिति में आवेदन
18.	कॉम्पैक्टेट कंपोस्ट-जिप्सम ब्लॉक	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	संशोधित स्थिति में आवेदन
19.	तूष से पेटप्यारा चूर्ण (सिट्रल्लस कोलोसिथिस)	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	आवेदन अस्वीकृत यू/एस 15
20.	एक नवीन उत्पाद “एलो जैली” तथा उसके प्रसंस्करण की विधि	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	आवेदन अस्वीकृत यू/एस 15
21.	एलो अचार तथा उसके प्रसंस्करण की विधि	आईपी संरक्षित	प्रक्रिया के अधीन	आवेदन अस्वीकृत यू/एस 15

## अनुलग्नक-2.4

(पैराग्राफ सं 2.2.5.3 का संदर्भ लें)

केवीके सीएजेडआरआई (काजरी), कुकमा भुज द्वारा ऑन कैम्पस तथा ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट का विवरण

ऑन कैम्पस प्रशिक्षण:

वर्ष	ग्रामीण युवा (प्रशिक्षणों की संख्या)			विस्तार कार्यकर्ता/कार्मिक (प्रशिक्षणों की संख्या)		
	लक्ष्य	प्राप्ति	गिरावट	लक्ष्य	प्राप्ति	गिरावट
2012-13	0	0	0	0	0	0
2013-14	2	0	2	5	2	3
2014-15	1	0	1	3	2	1
2015-16	2	0	2	6	4	2
2016-17	0	0	0	4	2	2
2017-18	0	0	0	2	2	0
<b>कुल</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5*</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8**</b>

\* ग्रामीण युवा के प्रशिक्षणों में प्रतिशत गिरावट 100 प्रतिशत थी।

\*\* विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणों में प्रतिशत गिरावट 40 प्रतिशत थी।

ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण:

वर्ष	ग्रामीण युवा (प्रशिक्षणों की संख्या)		
	लक्ष्य	प्राप्ति	गिरावट
2012-13	0	0	0
2013-14	6	1	5
2014-15	0	0	0
2015-16	17	4	13
2016-17	0	3	(-) 3
2017-18	0	1	(-) 1
<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>14*</b>

\* ग्रामीण युवा के प्रशिक्षणों में प्रतिशत गिरावट 60.86 प्रतिशत थी।

अनुलग्नक-2.5

(पैराग्राफ सं 2.2.6.1 का संदर्भ लें)

2012-18 के दौरान वैज्ञानिक स्टाफ के रिक्त पदों की स्थिति के ब्यौरे दर्शाता विवरण

पद	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
	एस	एम	वी															
निदेशक	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
प्रधान वैज्ञानिक	16	12	04	16	13	03	16	12	04	16	12	04	16	09	07	16	9	7
वरिष्ठ वैज्ञानिक	38	20	18	38	25	13	38	23	15	38	24	14	38	23	15	38	22	16
वैज्ञानिक	86	50	36	86	50	36	86	53	33	86	60	26	86	63	23	86	64	22
<b>कुल</b>	<b>141</b>	<b>83</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>89</b>	<b>52</b>	<b>141</b>	<b>89</b>	<b>52</b>	<b>141</b>	<b>97</b>	<b>44</b>	<b>141</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>141</b>	<b>96</b>	<b>45</b>
गिरावट प्रतिशतता	41.13			36.88			36.88			31.21			31.91			31.91		

एस: स्वीकृत

एम : तैनाती

वी: रिक्त

## अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ सं. 3.1.1 का संदर्भ लें)

दिये गए पैकेजों तथा उनके व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एलओआई सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	उप-ठेकेदार का नाम	वास्तविक लागत
1.	1762	07.10.2011	आईएम का मरम्मत, नवीकरण तथा उन्नयन हेतु परामर्श सेवा	मै. चैपमैन टेलर	36.08*
2.	1022	06.01.2012	एफपीएस भवन	मै. सिंह टैकनो इंफ्रा प्रा.लि.	45.48
3.	07	25.01.2012	आईएम भवन (बाह्य) की मरम्मत तथा पुनरुद्धार	मै. द मिलेनियम कंस्ट्रक्शन क.	740.30
4.	06	04.04.2012	आईएम का स्थिति सर्वेक्षण	जाधवपुर विश्वविद्यालय	4.98
5.	519	18.07.2013	आईएम में भूतल गलियारों, प्रवेश प्रतीक्षा कक्ष इत्यादि का पुनरुद्धार	मै. द मिलेनियम कंस्ट्रक्शन क.	1008.04
6.	890	16.08.2013	आईएम में पुरातत्व, पालिओ और सांस्कृतिक नृविज्ञान इत्यादि गैलरियों का उन्नयन व निर्माण	मै. उर्मिला आरसीपी प्रोजैक्ट्स प्रा. लि.	1780.40
7.	1017	26.08.2013	आईएम में शौचालय का निर्माण और लिफ्ट का बदलाव	मै. गणपति प्रोजैक्ट्स प्रा. लि.	132.65
8.	381	06.12.2013	आईएम में बाह्य विद्युत संस्थापन	मै. ट्रांसलेक सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि.	488.75
9.	1218ए	10.01.2014	आईएम के प्रदर्श-मंजूला में स्टील लेबल इत्यादि को उपलब्ध कराना तथा लगाना	मै. आधुनिक 76	9.35
10.	शून्य	11.01.2014	कम्प्यूटरों की आपूर्ति	मै. कम्प्यूटर एक्सचेंज प्रा. लि.	3.97
11.	1230	15.01.2014	एबीसी हॉल के विविध कार्य	मै. द मिलेनियम कंस्ट्रक्शन क.	24.97
12.	1224	15.01.2014	आईएम की सिक्को की गैलरी में सुरक्षा आवेक्षण प्रणाली उपलब्ध कराना	मै. राही सिस्टम्स प्रा. लि.	21.35
13.	1239ए	21.01.2014	आईएम के प्रदर्शन तथा दिशासूचक संकेतक को उपलब्ध कराना तथा लगाना	मै. आधुनिक 76	18.45
14.	1238ए	21.01.2014	आईएम में फाईबर ग्लास चद्वर वाला अस्थायी शैड तथा अन्य विविध कार्य	मै. स्ट्रक्टन	2.74
15.	1471ए	08.03.2014	आईएम में विविध तथा परिष्कृति कार्य	मै. उर्मिला आरसीपी प्रोजैक्ट्स प्रा. लि.	24.98
16.	338	21.03.2014	आईएम की गैलरियों का नवीनीकरण तथा उन्नयन	मै. उर्मिला आरसीपी प्रोजैक्ट्स प्रा.लि.	5405.04
17.	390	25.06.2014	आईएम में आंगन रोशनी की आपूर्ति तथा संस्थापन	मै. ट्रांसलेक सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि.	23.93

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

18.	515ए	25.07.2014	आईएम के परिसर में भवन की एज बिल्ट ड्राइंग्स को तैयार करना	मै. बिथी बासक	1.09
19.	748ए	10.10.2014	आईएम में प्रदर्शनी हेतु बहुमूल्य तस्वीरों की फोटो फ्रेमिंग	मै. आधुनिक 76	37.02
20.	972	17.12.2014	आईएम की गैलरियों को प्रदर्शन प्रणाली हेतु परामर्श सेवाएं	मै. एसीएमई कंसलटेंट प्रा.लि.	6.70*
21.	1033	05.01.2015	आईएम में गोदरेज फर्नीचर की आपूर्ति	मै. गोदरेज बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.	58.10
22.	1133	03.02.2015	आईएम के प्रदर्शन-मंजूला में स्टील लेबल तथा विनाईल लेबलों इत्यादि को उपलब्ध कराना तथा लगाना	मै. आधुनिक 76	3.59
23.	401ए	22.06.2016	आईएम की मास्क गैलरी में लेबल उपलब्ध कराना और लगाना	मै. कलर मैजिक	3.19
<b>उप-ठेकेदार कुल</b>					<b>9881.15</b>
<b>एनबीसीसी को भुगतान किया गया एजेंसी कमीशन (₹98.38 करोड़ का 7% (₹98.81 करोड़ घटा (₹36.08 लाख जोड़ ₹6.70 लाख)*)</b>					<b>688.66</b>
<b>कुल व्यय</b>					<b>10569.81</b>

\* क्र.सं. 1 तथा 20 दोनों ही भुगतानों पर एजेंसी कमीशन अदा नहीं किया गया, क्योंकि व्यय एनबीसीसी की परियोजना निगरानी परामर्श के बिना किया गया।

## अनुलग्नक-4.1

(पैराग्राफ सं. 4.4 का संदर्भ लें)

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम द्वारा निष्पादित ठेकों में लागत वृद्धि

क्र.सं.	सिविल कार्य का नाम	अनुबंध की तारीख	कार्य आदेश मूल्य (₹ में)	अनुबंध में पूर्ण करने की अनुबंध अवधि (महीनों में)	सीपीडब्ल्यूडी प्रावधान के अनुसार वह अवधि जिसके बाद लागत वृद्धि लागू (महीनों में)	लागत वृद्धि में भुगतान की गई राशि (₹ में)
1.	कम्प्यूटर उप भवन का निर्माण	जून 2013	2,16,68,635	15	18	9,55,053
2.	पल्लावरम चैन्नई में डीएई फैसिलिटी में एमआरपीयू हेतु भंडार भवन तथा कार्यालय भवन का निर्माण	मार्च 2011	1,63,41,745	12	18	11,24,784
3.	एफबीटीआर कॉम्प्लेक्स में आईएफएसबी के बगल में ओ एवं एम स्टोर भवन का निर्माण	दिसम्बर 2011	92,35,565	8	18	2,02,124
4.	एचटीईआर भवन का निर्माण	मई 2013	4,37,90,900	12	18	17,23,988
5.	एफआरएफसीएफ में संयंत्र निर्माण स्थान हेतु परिधीय सड़क निर्माण	जुलाई 2014	2,78,38,100	8	12	4,36,976
6.	कलपक्कम में एफआरएफसीएफ निर्माण स्थान हेतु चैन लिंक तथा कंक्रीट सहित घेराबंदी उपलब्ध कराना	जुलाई 2014	2,65,77,130	8	12	7,53,568
7.	एसआरआई, ईईआरबी, आईजी-सीएआर में प्रायोगिक हॉल सुविधा भवन का निर्माण	अगस्त 2014	1,70,68,150	12	12	5,53,076
8.	मलजल उपचार संयंत्र चरण-II का संवर्धन	नवम्बर 2014	1,80,75,500	12	12	12,46,485
9.	हेलीपैड से पीडीसी -5 तक एस्फल्टिक कंक्रीट सड़क, नाला तथा आरआर प्रांगण दीवार निर्माण	अप्रैल 2015	3,73,69,767	12	12	39,84,177
	<b>कुल</b>		<b>21,79,65,492</b>			<b>1,09,80,231</b>

टिप्पणी: उपरोक्त सभी मामलों में, लागत वृद्धि का भुगतान लागत वृद्धि हेतु 6 महीनों की योग्य अवधि पर विचार कर लिया गया है।

**अनुलग्नक-8.1**  
(पैराग्राफ सं. 8.2 का संदर्भ लें)

वर्ष	अस्वीकार किए गए मामलों की संख्या	जुर्माना मामलों की संख्या	अस्वीकार शुल्क में अल्प वसूली (एनजेड\$)	जुर्माने में अल्प वसूली (एनजेड\$)
2012 (जनवरी-दिसम्बर)	582	शून्य	59262	शून्य
2013 (जनवरी-दिसम्बर)	1796	742	183192	185119
2014 (जनवरी-दिसम्बर)	1953	434	199006	105410
2015 (जनवरी-दिसम्बर)	2085	370	212670	87690
2016 (जनवरी-दिसम्बर)	2988	287	304776	69953
2017 (जनवरी-दिसम्बर)	939+3001 (3940)	66+336 (402)	95778+306502 (402280)	15762+83472 (99234)
2018 (जनवरी-अप्रैल)	1193	93	141476	22866
<b>कुल</b>	<b>14537</b>	<b>2328</b>	<b>1502662</b>	<b>570272</b>

अस्वीकार शुल्क के 14537 मामलों में अल्प वसूली ₹3,22,17,073.30 (1502662 एनजेड\$) रही अर्थात् 2012-18 की अवधि के लिए ₹3.22 करोड़।

जुर्माने के 2328 मामलों में अल्प वसूली ₹1,22,26,631.70 (570272 एनजेड\$) रही अर्थात् 2012-18 की अवधि के लिए ₹1.22 करोड़।

**अनुलग्नक-8.2**  
(पैराग्राफ सं. 8.3 का संदर्भ लें)

मासिक स्पीड पोस्ट व्यवसाय	01.01.2011 से 30.09.2012 तक प्रस्तुत छूट दर	01.10.2012 से 31.12.2016 तक प्रस्तुत छूट दर	01.01.2017 से प्रभावी छूट दर
₹ 50,000 से ₹ 1,00,000	5%	6.25%	10%
₹ 1,00,000 से ₹ 2,50,000	7.5%	9.38%	
₹ 2,50,001 से ₹ 5,00,000	10%	12.50%	
₹ 5,00,001 से ₹ 7,50,000	12.5%	15.63%	15%
₹ 7,50,001 से ₹ 10,00,000	15%	18.75%	
₹ 10,00,001 से ₹ 15,00,000	17%	21.25%	
₹ 15,00,001 से ₹ 20,00,000	18%	22.50%	
₹ 20,00,001 से ₹ 25,00,000	19%	23.75%	
₹ 25,00,001 से अधिक 1,00,00,000 तक	20%	25%	20%
₹ 1,00,00,001 से 5,00,00,000			25%
₹ 5,00,00,001 से अधिक			30%

## अनुलग्नक-8.3

(पैराग्राफ सं. 8.3 का संदर्भ लें)

इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप (सॉफ्ट प्रति) में विवरण/डेटा को प्रस्तुत न होना

क्र.सं.	आरपीओ का नाम	निरीक्षण की अवधि	₹ लाख में
1.	अहमदाबाद	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	52.66
2.	बरेली	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	5.43
3.	भोपाल	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	12.20
4.	दिल्ली	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	6.06
5.	देहरादून	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	3.99
6.	गाजियाबाद	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	9.48
7.	गुवाहाटी	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	6.38
8.	हैदराबाद	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	7.13
9.	जयपुर	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	33.52
10.	कोलकाता	अप्रैल 2015 से मार्च 2017	55.50
11.	कोजीकोड	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	18.48
12.	पटना	अप्रैल 2015 से मार्च 2018	11.93
13.	त्रिची	अप्रैल 2015 से जनवरी 2018	15.82
कुल			238.59
14.	लखनऊ	2015-16 से 2017-18	172.14
कुल योग			410.73

**अनुलग्नक-10.1**  
(पैराग्राफ सं 10.1 का संदर्भ लें)

(₹ करोड़ में)

राज्य	पीएस की संख्या	केन्द्र द्वारा जारी निधि	पूर्ण पीएस	समापन लागत	< ₹2 करोड़ से कम लागत वाले पीएस	केन्द्रीय हिस्से* की योग्य राशि	अप्रयुक्त निधियां			वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	अपेक्षित वसूली
							केन्द्र	राज्य	ब्याज			
आन्ध्र प्रदेश	16	25.60	16	27.88	16	22.30	3.30	0.00	0.00	3.30	1.79	1.51
झारखण्ड	75	116.90	75	138.58	70	110.86	6.04	0.00	0.54	6.58	5.73	0.85
ओडिसा	70	112.00	70	134.83	70	107.86	4.14	0.00	15.17	19.31	15.17	4.14
तेलंगाना	24	38.40	24	42.25	24	33.80	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60
पश्चिम बंगाल	18	28.70	18	35.51	1	28.41	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
मध्य प्रदेश	12	19.20	12	19.69	12	15.75	3.45	0.00	0.34	3.79	0.00	3.79
महाराष्ट्र	10	16.00	10	28.07	2	16.00	0.26	0.00	1.26	1.52	0.00	1.52
उत्तर प्रदेश	15	23.89	15	31.96	9	23.68	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
बिहार	85	124.80	82	165	0	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़**	75	118.40	61	106.33	16	85.06	16.36	0.00	0.00	16.36	0.00	16.36
			14	21.23	12	16.98						
<b>कुल</b>	<b>400</b>	<b>623.89</b>	<b>397</b>	<b>751.33</b>	<b>232</b>	<b>592.70</b>	<b>38.66</b>	<b>0.00</b>	<b>17.31</b>	<b>55.97</b>	<b>22.69</b>	<b>33.28</b>

पीएस: \*प्रत्येक पुलिस स्टेशन की केन्द्रीय हिस्से की उपयुक्त राशि प्रति पुलिस स्टेशन की ₹ 1.60 करोड़ की सीमा के अधीन एक पुलिस स्टेशन की वास्तविक लागत का 80% थी।

\* छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि 75 पुलिस स्टेशनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका था। 75 पुलिस स्टेशनों में से 61 पुलिस स्टेशनों के अंतिम बिलों का भुगतान किया जा चुका था तथा 14 पुलिस स्टेशनों के अंतिम बिलों का भुगतान किया जाना है।

## अनुलग्नक-11.1

(पैराग्राफ सं. 11.2 का संदर्भ लें)

## शिक्षा संस्थानों द्वारा सेवा कर के भुगतान दर्शाता विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	राशि	अवधि
1.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश	15086047	जुलाई 2012-मार्च 2017
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	1871367	मार्च 2013-फरवरी 2014
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	4533641	फरवरी 2013- सितम्बर 2014
4.	डा.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर, पंजाब	1493819	जुलाई 2012-सितम्बर 2013
5.	सिद्ध राष्ट्रीय संस्थान, चैन्नई, तमिलनाडु	5260798	जुलाई 2012-मार्च 2017
6.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर, तमिलनाडु	1243172	दिसम्बर 2012-मार्च 2017
7.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	6564899	जुलाई 2012-मार्च 2017
8.	भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, मैसूर, कर्नाटक	3108206	अप्रैल 2014-मार्च 2017
9.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु	10573499	अप्रैल 2016-मार्च 2017
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरथकल	3669523	जुलाई 2012-दिसम्बर 2014
<b>कुल</b>		<b>53404971</b>	

अनुलग्नक-11.2  
(पैराग्राफ सं. 11.3 का संदर्भ लें)  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

क्र.सं.	आईआर का वर्ष	पैरा सं.
1.	1999-2000	पैरा II/IIए/98-2000
2.	2006-07	पैरा III/IIबी/2006-07
3.	2009-10	पैरा II/IIबी/98-2000
4.	2011-12	पैरा I/IIबी/2009-10
5.	2013-14	पैरा सी,डी,ई तथा एफ
6.	2014-15	खण्ड ए पैरा I
7.	2016-17	खण्ड ए

## अनुलग्नक-14.1

(पैरा सं. 14.1.5 का संदर्भ लें)

2008-09 से 2018-19 के दौरान टीडीबी द्वारा वित्तपोषित 21 नमूनाकृत  
परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का वर्ष	कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण सहायता	31 मार्च 2019 तक कुल जारी	31 मार्च 2019 तक परियोजना की स्थिति
1.	2008-09	मै. स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, चंडीगढ़	स्वदेशी विकसित "लम्बवत सतत निर्वात पैन" का विकास तथा वाणिज्यकरण	1,281.00	430.00 (एल)	430.00 (एल)	पूर्ण
2.	2008-09	मै. सिकैम टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, चैन्नई	ऊषमा कुंचनीयनलिका, प्रोफाईल तथा शीट, ईबी क्रॉस लिंकड पॉलीमैरिक तार तथा केबल का उत्पादन हेतु इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण तकनीक का विकास तथा वाणिज्यीकरण	1,993.87	400.00 (एल)	400.00 (एल)	पूर्ण
3.	2008-09	मै. एसबीपी एक्वा टेक प्रा.लि. लिमिटेड, हैदराबाद	नैनो सिल्वर लेपित सिरेमिक वाटर फिल्टर कैंडिल्स का वाणिज्यीकरण	152.17	75.00 (एल)	25.00 (एल)	पूर्ण
4.	2008-09	मै. ज्योति लिमिटेड, वड़ोदरा	850 केडब्ल्यू पवन ऊर्जा परिवर्तक प्रणाली का डिजाइन, विकास, विनिर्माण तथा विपणन और पवन फार्म का विकास तथा इसका विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु वाणिज्यीकरण	2,702.00	1,000.00 (एल)	950.00 (एल)	पूर्ण नहीं
5.	2009-10	मै. एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	हरित ऊर्जा साधनों जैसे कि एलईडी आधारित प्रकाश उत्पादों का विकास तथा वाणिज्यीकरण	6,000.00	1,500.00 (एल)	1,500.00 (एल)	पूर्ण

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

क्र. सं.	अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का वर्ष	कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण सहायता	31 मार्च 2019 तक कुल जारी	31 मार्च 2019 तक परियोजना की स्थिति
6.	2009-10	मै. ओजीन सिस्टम्स (आई) प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) अर्थात् सिट्रीजीन डिहाइड्रोक्लोराइड, डी-नैप्रौकसीन, सुमेट्रिप्टन, सुशीनेट, रेसीकेडोटिल तथा एमलोडीपीन बेसीलेट का विकास तथा विनिर्माण	2,985.25	1,350.00 (एल)	1,350.00 (एल)	पूर्ण
7.	2009-10	मै. सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गांधी नगर, गुजरात	फाईबर लेसर कटिंग प्रणाली का वाणिज्यीकरण	2,314.04	1,040.00 (एल)	1,040.00 (एल)	पूर्ण
8.	2011-12	मै. रिलाइंस सैलुलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद	कॉलाइडल माइक्रोक्रीस्टालीन सैल्यूलोस का विकास तथा वाणिज्यीकरण	985.00	490.00 (एल)	440.00 (एल)	पूर्ण
9.	2011-12	मै. इंटेलीजोन एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	सौर तथा वृहद वोल्टेज ग्रिड आधारित ग्रामीण आवास ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली	240.30	100.00 (एल)	30.00 (एल)	पूर्ण
10.	2011-12	मै. बायोजेनेक्स लाईफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	अत्याधिक विशिष्ट एवं संवेदनशील आणविक निदान प्रणाली का विकास तथा वाणिज्यीकरण	2,468.80	998.80 (एल)	975.00 (एल)	पूर्ण नहीं
11.	2012-13	मै. सेमिक्स रिसर्च मैटेरियलस प्रा. लिमिटेड, बरेली (यू.पी)	ईंधन सैल, थर्मल बैरियर कोटिंग्स के रूप में अनुप्रयोग तथा अनुसंधान हेतु अति उच्च शुद्धता ग्रेड में उन्नत सिरेमिक ऑक्साइड का स्केल-अप विनिर्माण	116.90	46.35 (एल)	30.00 (एल)	पूर्ण

क्र. सं.	अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का वर्ष	कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण सहायता	31 मार्च 2019 तक कुल जारी	31 मार्च 2019 तक परियोजना की स्थिति
12.	2012-13	मै. काविआ कार्बनस (चेन्नई) प्रा. लिमिटेड, तमिलनाडु	ऑटो कनस्तर कार्बन का विकास तथा वाणिज्यीकरण	1,976.00	615.00 (एल)	425.00 (एल)	प्रतिबंधित/ अपसर्जित
13.	2013-14	मै. जेन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, हैदराबाद	मानव रहित हवाई वाहन सिम्युलेटर का विकास तथा वाणिज्यीकरण	2,374.83	1,160.00 (एल)	1,160.00 (एल)	पूर्ण
14.	2013-14	मै. एंजेलस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, नवी मुंबई	मेडिएंजेलस-विश्वभर में ऑनलाइन आधारित स्वास्थ्य देखभाल साधन प्रदान करने वाला विश्व का सर्वप्रथम ऑनलाइन अस्पताल	1,150.00	400.00 (एल)	160.00 (एल)	प्रतिबंधित/ अपसर्जित
15.	2013-14	मै. फोरस हेल्थ प्रा. लिमिटेड, बेंगलोर	3 नेत्र-एक प्रज्ञ/प्री-स्क्रीनिंग नेत्र विज्ञान उपकरण का विकास तथा वाणिज्यीकरण	835.00	240.00 (एल)	75.00 (एल)	प्रतिबंधित/ अपसर्जित
16.	2013-14	मै. इंटेमो सिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद	अवसंरचना सुविधाओं का विस्तार	1,406.65	500.00 (एल)	200.00 (एल)	पूर्ण नहीं
17.	2013-14	मै. एक्सआईओ बायो-सोल्युशन्स प्रा. लिमिटेड, अहमदाबाद	दर्दनाक रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग का वाणिज्यीकरण	331.41	133.00 (एल)	40.00 (एल)	पूर्ण नहीं
18.	2016-17	मै. बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद	न्यूमोकोकल कंज्यूट वैक्सीन हेतु विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना	32,039.00	10,000.00 (एल)	8,000.00 (एल)	जारी
19.	2017-18	मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई	बिरला एक्सेल सॉल्वेन्ट स्पन सैलूलोसिक फाईबर प्लांट	68,900.00	25,000.00 (एल)	16,250.00 (एल)	जारी

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

क्र. सं.	अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का वर्ष	कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण सहायता	31 मार्च 2019 तक कुल जारी	31 मार्च 2019 तक परियोजना की स्थिति
20.	2017-18	मै. एबिलिटीज इंडिया पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड, दिल्ली	बीएस VI गुणवत्ता मानक पिस्टन तकनीक अनुकूलन तथा विनिर्माण	1,682.72	841.36 (एल)	210.36 (एल)	जारी
21.	2017-18	मै. मोबिलेक्सीऑन टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम	उबीमैडिक एक्यूट केयर सिस्टम का विकास तथा वाणिज्यीकरण	259.54	85.00 (एल) 15.00 (जी)	60.00 (एल) 15.00 (जी)	जारी
			<b>कुल (ए)</b>		<b>46,404.51 (एल)</b> <b>15.00 (जी)</b>	<b>33,750.36 (एल)</b> <b>15.00 (जी)</b>	

## अनुलग्नक-14.2

(पैराग्राफ सं. 14.1.6 का संदर्भ लें)

## टीडीबी से संबंधित पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति

2006 के प्रतिवेदन सं. 1 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें	की गई कार्रवाई टिप्पणी में टीडीबी का बयान	अनुवर्ती पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
उत्पादन तथा बिक्री प्रक्षेपण में सदा वृद्धि अनुमानित थी। 15 पूर्ण की गई परियोजनाओं में, प्रक्षेपित लक्ष्यों के प्रति उत्पादन तथा बिक्री की उपलब्धि शून्य तथा 62 प्रतिशत के बीच थी।  [पैराग्राफ 3.7.2]	लक्ष्यों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच ऐसी वृहद भिन्नताओं से बचने के लिए स्वीकृति से पहले कम्पनी के उत्पादन तथा बिक्री प्रक्षेपणों की तकनीकी तथा वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा गंभीरता से जांच की जाए।	टीडीबी ने आश्वासित किया है (मार्च 2016) कि स्वीकार करने से पूर्व, लक्ष्यों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता से बचने के लिए कम्पनी के उत्पाद तथा बिक्री प्रक्षेपणों की जांच करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।	टीडीबी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद लक्ष्यों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता बनी रही। मामलों पर विस्तार में चर्चा इस प्रतिवेदन के पैरा 14.1.7.8 में की गई है।
12 परियोजनाओं में टीडीबी द्वारा ऋण अनुलग्नक में आवश्यक निर्धारित माइलस्टोन में कुछ के पूरा किए बिना ही ऋण की विभिन्न किस्तों को जारी किया गया था।  [पैराग्राफ 3.7.3]	टीडीबी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि ऋण अनुलग्नक में निर्धारित माइलस्टोन को पूरा करने पर ही ऋण की किस्तों को जारी किया जाए। पर्याप्त सतर्कता के लिए, प्रत्येक किस्त जारी करने से पूर्व कम्पनी के दावों को स्वतंत्र स्रोतों जैसे कंपनी रजिस्ट्रार से सत्यापित कराया जाए।	टीडीबी ने बताया (मार्च 2016) कि तथापि परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की बैठकों के दौरान माइलस्टोन की समीक्षा हुई थी तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से माइलस्टोन पूरा होने पर ऋण किस्तें जारी करने का सतर्क निर्णय लिया गया था।	टीडीबी ने ऋण की किस्तें जारी करने से पूर्व माइलस्टोन पूरा करने को सुनिश्चित नहीं किया। मामलों पर विस्तार से चर्चा इस प्रतिवेदन के पैरा 14.1.7.4 में की गई है।
17 परियोजनाओं में नियमित निगरानी नहीं की गई। पांच परियोजनाओं में पीएमसी की सिफारिशों को उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किया गया। 17 परियोजनाओं में परियोजना समापन रिपोर्ट सहित निर्धारित विवरणियों की प्राप्ति में विलंब था, जिसमें कुछ परियोजनाओं	पीएमसी की बैठकें अधिक निरंतरता से आयोजित की जानी चाहिए तथा पीएमसी को अनुबंध के अंतर्गत सूचित मानदण्डों को प्रति परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को जांचना चाहिए। पीएमसी की सिफारिशों का नियमित रूप से अनुसरण किया जाना	टीडीबी ने आश्वासित किया (मार्च 2016) कि अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित समय के अंदर इसने कार्यान्वयन के अंतर्गत मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई, आवधिक विवरणियां, लेखापरीक्षित वार्षिक	टीडीबी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद पीएमसी की बैठकों की आवधिकता को निर्धारित नहीं किया गया, पीएमसी की बैठकें नियमित रूप से संचालित नहीं की गईं तथा कंपनियों से

2006 के प्रतिवेदन सं. 1 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें	की गई कार्रवाई टिप्पणी में टीडीबी का बयान	अनुवर्ती पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
<p>में कुछ भी प्राप्त नहीं हुए। 14 परियोजनाओं से लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, कंपनियों ने 11 परियोजनाओं में टीडीबी को एकमात्र लाभार्थी बनाते हुए परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों का बीमा नहीं कराया था।</p> <p>[पैराग्राफ 3.7.4]</p>	<p>चाहिए। कम्पनियों से अनुबंध में निर्धारित समय-अनुसूची के दौरान आवधिक विवरणियाँ, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखे तथा परिसंपत्तियों की बीमा पॉलिसी सख्ती से प्राप्त की जानी चाहिए। टीडीबी को इन दस्तावेजों की उचित ढंग से जांच करनी चाहिए जिससे परियोजना के अंतर्गत विकास पर निकटता से ध्यान दिया जा सके।</p>	<p>लेखे तथा परिसंपत्तियों की बीमा पॉलिसी प्राप्त करने हेतु पीएमसी की बैठक आयोजित करने के अनुदेश दिए थे।</p>	<p>आवधिक विवरणियां/ परिसम्पत्तियों की बीमा पालिसियाँ प्राप्त नहीं की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विस्तार से पैरा 14.1.7.7 में चर्चा की गई है।</p>
<p>केवल दो परियोजनाओं में पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ था जबकि अन्य चार मामलों में पुनर्भुगतान देय नहीं था। एक अन्य परियोजना में, ऋण को अधिमान्य शेरों में बदला गया तथा ब्याज की वसूली स्थगित की गई थी। शेष 19 परियोजनाओं में, कंपनी ने पुनर्भुगतान पर चूक की थी। चूक के 19 मामलों में से 13 मामलों में टीडीबी ने पुनर्भुगतान समय-अनुसूची को संशोधित करते हुए कभी-कभी एक से ज्यादा बार, कम्पनी को समायोजित करने का प्रयास किया। इनमें से, नौ मामलों में, कम्पनी ने संशोधित समय-अनुसूची के पुनर्भुगतान में फिर से चूक की।</p> <p>[पैराग्राफ 3.7.5]</p>	<p>टीडीबी चूककर्ताओं पर तात्कालिक कार्रवाई कर सकता है। संशोधित समय-सूची का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्भुगतान की अनुसूची को संशोधित करते समय उधारकर्ताओं से अतिरिक्त आनुशांगिक प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है।</p>	<p>टीडीबी ने बताया (मार्च 2016) कि चूककर्ता के प्रति तात्कालिक कार्रवाई करने तथा संशोधित समय-अनुसूची के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता से अतिरिक्त आनुशांगिक प्राप्त करने के अनुदेश जारी किए गए थे।</p>	<p>टीडीबी द्वारा चूककर्ताओं पर तात्कालिक कार्रवाई शुरू करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले पर विस्तार से चर्चा इस रिपोर्ट के पैरा सं. 14.1.7.5 में की गई है।</p>

## अनुलग्नक-14.3

(पैराग्राफ सं. 14.1.7.5 का संदर्भ लें)

## टीडीबी द्वारा अवधि वर्धित ऋण के पुनर्भुगतान में चूक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी	जारी ऋण की राशि	लौटाई राशि	टीडीबी द्वारा ऋण मांगने तक चूक की अवधि	टीडीबी द्वारा ऋण के वापस मांगने तक देय पुनर्भुगतान	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	मै. बायोजेनेक्स लाइफ साइंसेज प्रा.लि. हैदराबाद	9.75	शून्य	अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2015	3.98	टीडीबी ने ऋण वापस मांगने हेतु सूचना जारी की (मार्च 2016) परंतु कम्पनी से कोई जबाव नहीं मिला। परिणामस्वरूप, टीडीबी ने बकाया देय के निपटान के लिए मामले को मध्यस्थ को भेजा (जुलाई 2016)। ₹12.86 करोड़ के अधिनिर्णय की राशि टीडीबी के पक्ष में पारित की गई (मार्च 2018) जिसको वसूला नहीं गया। मई 2019 तक, टीडीबी निष्पादन याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में था।
2.	मै. इन्टेमों सिस्टम्स लि. हैदराबाद	2.00	शून्य	जनवरी 2016 से जनवरी 2017	1.95	टीडीबी ने मई 2017 में ऋण को वापस मांगने की सूचना जारी की। कंपनी से कोई उत्तर न मिलने पर, टीडीबी ने मध्यस्थ खंड को लागू करने के लिए सूचना जारी की (अगस्त 2017)। हालांकि मार्च 2019 तक, टीडीबी किसी मध्यस्थ को नियुक्त नहीं कर सका। डीएसटी ने बताया (फरवरी 2019) कि टीडीबी अपने पैनल में नये मध्यस्थों के संयोजन तथा मनोनयन की प्रक्रिया में था जिसमें काफी समय लगा जैसा

क्र.सं.	कम्पनी	जारी ऋण की राशि	लौटाई राशि	टीडीबी द्वारा ऋण मांगने तक चूक की अवधि	टीडीबी द्वारा ऋण के वापस मांगने तक देय पुनर्भुगतान	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
						कि मध्यस्थ की सहमति जून 2018 के अंत तक प्राप्त हुई। हालांकि, डीएसटी द्वारा इससे आगे की स्थिति सूचित नहीं की गई।
3.	मै. एसबीपी एक्वा टेक प्रा. लि. हैदाराबाद	0.25	0.09	मई 2010 से मई 2011	0.20	जैसा कि कंपनी द्वारा परियोजना के कार्य क्षेत्र को बदला गया, टीडीबी ने परियोजना को बंद कर दिया और इसे ब्याज सहित लौटाने का आग्रह किया (अक्टूबर 2010)। कम्पनी ने ₹ नौ लाख की राशि को चुकाया जिसके कारण टीडीबी ने ऋण को वापस मांगा (जुलाई 2011) तथा मामले को मध्यस्थ को भेजा (सितम्बर 2013)। मध्यस्थ ने टीडीबी के पक्ष में ₹20.01 लाख के अधिनिर्णय को पारित किया (जून 2014) जिसके लिए इसने कम्पनी के विरुद्ध निष्पादन याचिका दाखिल की थी (जनवरी 2016)। वसूली मार्च 2019 तक प्रभावी नहीं हुई थी।
4.	मै. एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लि. हैदाराबाद	15.00	शून्य	जनवरी 2013 से जनवरी 2014	5.74	टीडीबी ने ऋण वापस मांगने की सूचना जारी की (जनवरी 2014) परंतु कंपनी से उत्तर प्राप्त होने की विफलता पर, टीडीबी ने मामले को मध्यस्थ को भेजा (मार्च 2014)। मध्यस्थ ने टीडीबी के पक्ष में ₹17.63 करोड़ के अधिनिर्णय को पारित किया (अक्टूबर

क्र.सं.	कम्पनी	जारी ऋण की राशि	लौटाई राशि	टीडीबी द्वारा ऋण मांगने तक चूक की अवधि	टीडीबी द्वारा ऋण के वापस मांगने तक देय पुनर्भुगतान	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
						2016)। डीएसटी ने बताया (फरवरी 2019) कि टीडीबी ने अधिनिर्णय के निष्पादन की कार्यवाही को अक्टूबर 2017 में आरंभ किया परंतु मार्च 2018 में कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया जिसके कारण कोई सिविल या वसूली कार्यवाही को कंपनी के विरुद्ध आरंभ नहीं किया जा सका।
	<b>कुल</b>	<b>27.00</b>			<b>11.87</b>	

**परिशिष्ट**



## परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ 1.7 का संदर्भ लें)

2017-18 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदान (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14, 19 (2) तथा 20 (1) के तहत)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान
	<b>परमाणु ऊर्जा</b>	
1.	हरिश् चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	30.32
2.	गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई	57.04
3.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	83.50
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	553.05
5.	टाटा स्मारक केन्द्र, मुंबई	515.90
6.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	500.77
7.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	35.96
8.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	141.65
9.	साह नाभकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	120.31
	<b>आयुष</b>	
10.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	37.40
11.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	3.52
12.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय औषधि परिषद	2.86
13.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ	8.60
14.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	112.50
15.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	133.94
16.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	216.14
17.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	11.74
18.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	29.45
	<b>जैव-प्रौद्योगिकी</b>	
19.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुडगांव	42.21
20.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे	54.40
21.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	71.75

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान
22.	राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	75.12
23.	डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र, हैदराबाद	40.20
24.	जैव-संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, इम्फाल	25.00
25.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	58.58
26.	ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	29.48
27.	राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	31.00
28.	स्टेम सैल अनुसंधान एवं पुनर्योजी औषधी संस्थान, बैंगलूरु	82.50
29.	राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	25.50
30.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	75.50
31.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	38.00
32.	नवाचार एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसस्करण केन्द्र, मोहाली	14.46
33.	क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद	22.48
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण</b>		
34.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण	5.81
35.	भारतीय मानक ब्यूरो	2.00
<b>संस्कृति</b>		
36.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	58.59
37.	ललित कला अकादमी	27.93
38.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	21.14
39.	साहित्य अकादमी	34.10
40.	संगीत नाटक अकादमी	63.00
41.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	35.60
42.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	154.56
43.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ	2.55
44.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय	25.94
45.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	3.54
46.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति	15.05
47.	तिब्बत हाउस	1.20
<b>पृथ्वी विज्ञान</b>		
48.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	182.77
49.	भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	311.41
50.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवाएं केन्द्र, हैदराबाद	82.70

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान
51.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा	260.47
52.	राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम	24.19
<b>दिव्यांगजन सशक्तिकरण</b>		
53.	आईएसएलआरटीसी	4.50
<b>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन</b>		
54.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	6.07
55.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	13.24
56.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	20.40
57.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	13.73
58.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	39.42
<b>विदेश</b>		
59.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	233.14
60.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद	11.06
61.	प्रवासी भारतीयों की भारत विकास फाउंडेशन	1.00
62.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय <sup>#</sup>	287.55(2017) 143.89(2018)
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>		
63.	भारतीय नर्सिंग परिषद	0.21
64.	भारतीय दन्त परिषद	0.25
65.	भारतीय भेषजी परिषद	0.20
66.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्	1.00
67.	एआईआईएमएस (एम्स)	3184.06
68.	राष्ट्रीय अरोग्य निधि	30.00
69.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	1413.60
70.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	56.97
71.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	183.44
<b>गृह</b>		
72.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	41.60
73.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	100.00
<b>सूचना एवं प्रसारण</b>		
74.	प्रसार भारती	2737.86

<sup>#</sup> लेखे जनवरी से दिसम्बर की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं।

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान
75.	भारतीय प्रेस परिषद	6.06
	<b>विधि एवं न्याय</b>	
76.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	100.00
77.	सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान	1.51
	<b>अल्पसंख्यक कार्य</b>	
78.	केन्द्रीय वक्फ परिषद	13.67
	<b>नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा</b>	
79.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान), चेन्नई	23.00
80.	राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	1.00
	<b>ग्रामीण विकास</b>	
81.	लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद	8.19
	<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>	
82.	भारतीय पुनर्वास परिषद	5.71
83.	राष्ट्रीय न्यास	13.14
84.	पं. दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान	32.08
	<b>वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान</b>	
85.	परामर्श विकास केन्द्र, नई दिल्ली	1.00
86.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	4,735.04
	<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b>	
87.	आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान, नैनीताल	17.23
88.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	36.49
89.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, गुडगांव	4.78
90.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद, नई दिल्ली	16.00
91.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	16.07
92.	वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून	33.52
93.	अघरकर अनुसंधान संस्थान, पूणे	23.50
94.	भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, मुंबई	40.20
95.	धातु विज्ञान पाउडर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	55.77
96.	भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलूरु	60.47
97.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलूरु	12.21
98.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलूरु	78.92
99.	बोस संस्थान, कोलकाता	86.03

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान
100.	इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता	102.74
101.	एसएनबोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केन्द्र, कोलकाता	42.20
102.	द इंस्टिट्यूट ऑफ, एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहटी	31.37
103.	राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, इलाहाबाद	19.51
104.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	22.50
105.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	16.31
106.	रमन अनुसंधान संस्थान, बैंगलूर	49.35
107.	नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र, बैंगलूर	12.74
108.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता	10.75
109.	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, इलाहाबाद	19.51
110.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	824.52
111.	श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	205.03
112.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	206.25
<b>अंतरिक्ष</b>		
113.	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलांग	32.40
114.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	97.00
115.	राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुपति	24.70
116.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	190.00
117.	सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चण्डीगढ़	329.00
<b>कौशल विकास और उद्यमिता</b>		
118.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण	20.00
<b>जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण</b>		
119.	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की	23.75
120.	वेतवा नदी बोर्ड, झांसी	31.04
121.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	202.62
122.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	45.75
123.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली	4,625.80
124.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	100.26
<b>महिला एवं बाल विकास</b>		
125.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण	8.77
126.	राष्ट्रीय महिला आयोग	24.29

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2017-18 के दौरान जारी किए गए अनुदान
127.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	16.01
	<b>युवा कार्यक्रम एवं खेल</b>	
128.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2.00
129.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी	5.30
130.	भारतीय खेल प्राधिकरण	913.43*
131.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	9.90
132.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	303.68
	<b>कुल</b>	<b>27106.64</b>

\*विशेष उद्देश्य अनुदान के ₹448.47 करोड़ सहित

## परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 1.8 का संदर्भ लें)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि (मार्च 2017 तक)	मार्च 2017 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र बकाया हैं, जो 31 मार्च 2018 तक देय थे	राशि (₹ लाख में)
			संख्या	राशि
1.	<b>कृषि एवं किसान कल्याण</b>			
	कृषि सहकारिता	मार्च 2011 तक	32	5698.50
		2011-2016	370	51045.20
		2016-17	343	91728.99
		<b>कुल</b>	<b>745</b>	<b>148472.69</b>
	पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन	मार्च 2011 तक	2	792.26
		2011-2016	117	14600.78
		2016-17	59	11987.92
		<b>कुल</b>	<b>178</b>	<b>27380.96</b>
2.	<b>संस्कृति</b>			
		मार्च 2011 तक	2416	18790.88
		2011-2016	1624	27246.65
		2016-17	1030	38330.47
		<b>कुल</b>	<b>5070</b>	<b>84368.00</b>
3.	<b>महिला एवं बाल विकास</b>			
		मार्च 2011 तक	4384	27874.59
		2011-2016	459	16050.39
		2016-17	98	13954.55
		<b>कुल</b>	<b>4941</b>	<b>57879.53</b>
4.	<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>			
	विकलांग जन (दिव्यांगजन) का सशक्तिकरण	मार्च 2011 तक	2	233.81
		2011-2016	19	1835.56
		2016-17	16	7807.93
		<b>कुल</b>	<b>37</b>	<b>9877.30</b>

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि (मार्च 2017 तक)	मार्च 2017 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र बकाया हैं, जो 31 मार्च 2018 तक देय थे	राशि (₹ लाख में)
	विकलांग जनों को उपकरण की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता (एडीआईपी)	मार्च 2011 तक	0	0.00
		2011-2016	4	62.80
		2016-17	10	165.32
		<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>228.12</b>
5.	<b>उपभोक्ता मामलें मंत्रालय</b>			
	उपभोक्ता मामलें	मार्च 2011 तक	37	85.32
		2011-2016	19	897.52
		2016-17	20	389.90
		<b>कुल</b>	<b>76</b>	<b>1372.74</b>
6.	<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>			
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	मार्च 2011 तक	1271	14616.57
		2011-2016	604	22109.66
		2016-17	241	25143.84
		<b>कुल</b>	<b>2116</b>	<b>61870.07</b>
7.	<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>			
	एमजीएनआरईजीए	मार्च 2011 तक	1	99.00
		2011-2016	0	0.00
		2016-17	0	0.00
		<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>99.00</b>
	प्रशिक्षण प्रभाग	मार्च 2011 तक	16	290.68
		2011-2016	18	464.81
		2016-17	56	1999.46
		<b>कुल</b>	<b>90</b>	<b>2754.95</b>
	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआडीए) प्रशासन अनुभाग	मार्च 2011 तक	0	0.00
		2011-2016	2	49.20
		2016-17	27	498.83
		<b>कुल</b>	<b>29</b>	<b>548.03</b>
8.	<b>पेय जल एवं स्वच्छता</b>			
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	मार्च 2011 तक	9	4441.84
		2011-2016	21	23125.83
		2016-17	2	3873.20
		<b>कुल</b>	<b>32</b>	<b>31440.87</b>
	स्वच्छ भारत मिशन	मार्च 2011 तक	0	0.00
		2011-2016	1	42.48
		2016-17	1	105.02
		<b>कुल</b>	<b>2</b>	<b>147.50</b>

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि (मार्च 2017 तक)	मार्च 2017 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र बकाया हैं, जो 31 मार्च 2018 तक देय थे	राशि (₹ लाख में)
9.	<b>गृह</b>			
	पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग	मार्च 2011 तक	17	32.31
		2011-2016	63	289.30
		2016-17	29	478.83
		<b>कुल</b>	<b>109</b>	<b>800.44</b>
	सीमा प्रबंधन	मार्च 2011 तक	2	128.91
		2011-2016	15	5805.24
		2016-17	13	22297.11
		<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>28231.26</b>
	एनई प्रभाग, त्रिपुरा	मार्च 2011 तक	0	0.00
		2011-2016	0	0.00
		2016-17	1	2.18
		<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>2.18</b>
	मिजोरम	मार्च 2011 तक	0	0.00
		2011-2016	2	728.38
		2016-17	1	750.00
		<b>कुल</b>	<b>3</b>	<b>1478.38</b>
	एलडब्ल्यूई प्रभाग	मार्च 2011 तक	0	0.00
		2011-2016	6	1264.00
		2016-17	0	0.00
		<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>1264.00</b>
	विशेष अवसंरचना योजना	मार्च 2011 तक	6	381.00
		2011-2016	10	1920.00
		2016-17	0	0.00
		<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>2301.00</b>
<b>वैज्ञानिक विभाग</b>				
10.	<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>			
	परमाणु ऊर्जा	मार्च 2011 तक	155	852.00
		2011-2016	1504	16961.00
		2016-17	475	4744.00
		<b>कुल</b>	<b>2134</b>	<b>22557.00</b>
11.	<b>अंतरिक्ष विभाग</b>			
	अंतरिक्ष विभाग	मार्च 2011 तक	133	584.00
		2011-2016	82	280.00
		2016-17	136	719.00
		<b>कुल</b>	<b>351</b>	<b>1583.00</b>

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि (मार्च 2017 तक)	मार्च 2017 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र बकाया हैं, जो 31 मार्च 2018 तक देय थे	राशि (₹ लाख में)
12.	<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b>			
	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	मार्च 2011 तक	3006	92533.00
		2011-2016	18037	466432.00
		2016-17	5093	122576.00
		<b>कुल</b>	<b>26136</b>	<b>681541.00</b>
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	मार्च 2011 तक	<b>14204</b>	<b>284667.00</b>
		2011-2016	19125	372265.60
		2016-17	6080	141213.00
		<b>कुल</b>	<b>39409</b>	<b>798145.60</b>
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	मार्च 2011 तक	131	39515.00
		2011-2016	738	97812.00
		2016-17	295	228783.00
		<b>कुल</b>	<b>1164</b>	<b>366110.00</b>
13.	<b>पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>			
	पृथ्वी विज्ञान	मार्च 2011 तक	440	3345.00
		2011-2016	137	2569.00
		2016-17	87	1267.00
		<b>कुल</b>	<b>664</b>	<b>7181.00</b>
14.	<b>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन</b>			
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	मार्च 2011 तक	3600	12657.00
		2011-2016	378	18926.00
		2016-17	222	21325.00
		<b>कुल</b>	<b>4200</b>	<b>52908.00</b>
15.	<b>नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>			
	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	मार्च 2011 तक	59	1796.00
		2011-2016	507	147973.00
		2016-17	632	124131.00
		<b>कुल</b>	<b>1198</b>	<b>273900.00</b>
16.	<b>जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय</b>			
	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	मार्च 2011 तक	160	1221.00
		2011-2016	57	33162.00
		2016-17	135	18749.00
		<b>कुल</b>	<b>352</b>	<b>53132.00</b>
<b>कुल योग</b>			<b>89104</b>	<b>2717574.62</b>

## परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.9 (ए) का संदर्भ लें)

उन निकायों की सूची जिन्होंने तीन माह से अधिक के विलम्ब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	08.11.2017	4
2.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लद्दाख	30.10.2017	3
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	28.12.2017	5
4.	मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता	13.12.2017	5
5.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली	24.11.2017	4
6.	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	06.11.2017	4
7.	रामपुर राजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर (यू.पी.)	04.10.2017	3
8.	विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता	20.12.2017	5
9.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	23.11.2017	4
10.	भारतीय हज समिति, मुंबई	29.11.2017	4
11.	पेंशन निधि विनयामक एवं विकास प्राधिकरण	26.10.2017	3
12.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि	06.10.2017	3
13.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर, सोनवर	17.10.2017	3
14.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	30.10.2017	3
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	26.10.2017	3
16.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	13.10.2017	3
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा	06.11.2017	4
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	28.11.2017	4
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आइजोल, मिजोरम	18.10.2017	3
20.	जवाहर नवोदय विद्यालय, दक्षिण त्रिपुरा	08.11.2017	4
21.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	03.10.2017	3
22.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	31.10.2017	3
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम	04.12.2017	5
24.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम	27.10.2017	3
25.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर	01.12.2017	5
26.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम	12.10.2017	3
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति	12.12.2017	5

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
28.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	26.12.2017	5
29.	लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, नई दिल्ली	18.10.2017	3
30.	राष्ट्रीय हड्डीरोग दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता	09.10.2017	3
31.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	05.12.2017	5
32.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	22.11.2017	4
33.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली (अक्तूबर 2012 में प्राप्त सुपूर्दगी)	16.10.2017	3
34.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	03.11.2017	4
35.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंम्बदुर	11.12.2017	5
36.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	02.02.2018	7
37.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	26.2.2018	7
38.	पूर्वोत्तर जन औषधि संस्थान (एईआईएफएम), ईटानगर	03.04.2018	9
39.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	15.6.2018	11
40.	नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर, ए एण्ड एन द्वीपसमूह (2007-08 से आगे) (2013 में प्राप्त सुपूर्दगी)	06.02.2018	7
41.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	05.01.2018	6
42.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोज़ीकोड	13.06.2018	11
43.	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	18.09.2018	14
44.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	15.01.2018	6
45.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा	26.03.2018	8
46.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी	11.07.2018	12
47.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर	12.02.2018	7
48.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	27.02.2018	7
49.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	02.03.2018	8

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
50.	चण्डीगढ़ भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	05.01.2018	6
51.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	15.02.2018	7
52.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली	15.02.2018	7
53.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	02.04.2019	9
54.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली	17.10.2019	3.5

## परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ 1.9 (बी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लेखापरीक्षित लेखाओं को 31 दिसम्बर 2017 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
<b>वर्ष 2012-13 के लिए</b>	
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	
1.	तिब्बत हाउस
<b>आयुष मंत्रालय</b>	
2.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
<b>वर्ष 2013-14 के लिए</b>	
<b>आयुष मंत्रालय</b>	
1.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	
2.	तिब्बत हाउस
<b>वर्ष 2014-15 के लिए</b>	
<b>आयुष मंत्रालय</b>	
1.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	
2.	तिब्बत हाउस
3.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भवन
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
<b>वर्ष 2015-16 के लिए</b>	
<b>कृषि मंत्रालय</b>	
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
<b>आयुष मंत्रालय</b>	
2.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	
3.	तिब्बत हाउस
4.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, दिल्ली
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	
5.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	
6.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नोएडा
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>	
7.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
<b>वर्ष 2016-17 के लिए</b>	
<b>कृषि मंत्रालय</b>	
1.	तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
<b>आयुष मंत्रालय</b>	
3.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
<b>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</b>	
4.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	
5.	मौलान अबुल कलाम आज़ाद उच्चतर शिक्षा संस्थान
6.	नव नालंदा महावीर, नालंदा
<b>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>	
7.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई
<b>उच्चतर शिक्षा मंत्रालय</b>	
8.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
12.	राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नोयडा
<b>विधि एवं न्याय मंत्रालय</b>	
13.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
<b>युवा मामलें एवं खेल मंत्रालय</b>	
14.	भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	
15.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
16.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
17.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली*
18.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम
19.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
20.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर
21.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई

- लेखे 27.12.2017 को लोक सभा में तथा 02.01.2018 को राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए थे।

## परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.9 (बी) का संदर्भ लें)

संसद में स्वायत्त निकायों द्वारा 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखाओं का वर्ष	विलम्ब माह में
	<b>रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय</b>		
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2016-17	2
	<b>संस्कृति मंत्रालय</b>		
2.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद	2016-17	3
3.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	2016-17	7
4.	खुदा बक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	2016-17	7
5.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	2016-17	7
6.	सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	2016-17	7
	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>	2016-17	
7.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	2016-17	2
8.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलूरु	2016-17	3
9.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2016-17	3
10.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2016-17	3
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली	2016-17	3
12.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2016-17	3
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	2016-17	3
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2016-17	3
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़	2016-17	3
16.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2016-17	3
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर	2016-17	3
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल	2016-17	3
19.	राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग	2016-17	3
20.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर	2016-17	7
21.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2016-17	7
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	2016-17	7
23.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	2016-17	7

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

24.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2016-17	7
25.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	2016-17	7
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	2016-17	7
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड, चूमूकेडिमा	2016-17	7
28.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	2016-17	7
29.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, दिल्ली	2016-17	12
30.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	2016-17	12
31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	2016-17	13
<b>विधि एवं न्याय मंत्रालय</b>			
32.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली	2016-17	13
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>			
33.	भारतीय पुर्नवास परिषद, नई दिल्ली	2016-17	1
34.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद	2016-17	3
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>			
35.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली (एल.एस.- 04.04.2018 आर.एस.-02.04.2018)	2016-17	3
36.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम (02.01.2018 को राज्य सभा में प्रस्तुत)	2016-17	2 दिन
37.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई (लोक सभा तथा राज्य सभा में क्रमशः 16.03.2018 तथा 12.03.2018 को प्रस्तुत)	2016-17	2.5
38.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2016-17	प्रस्तुत किया जाना बाकी है।
39.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी (27.07.2018 एवं 28.07.2018 को क्रमशः एल.एस. एवं आर.एस. के समक्ष प्रस्तुत)	2016-17	7
40.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर (04.01.2018 एवं 05.01.2018 को क्रमशः एलएस एवं आरएस के समक्ष प्रस्तुत)	2016-17	4 से 5 दिन

## परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.10 का संदर्भ लें)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ

### 1. हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़

**ऋण एवं अग्रिम - ₹265.01 करोड़**

उपरोक्त में ₹177.99 करोड़ की राशि शामिल है जिसके लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है तथा परिसम्पत्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग हेतु रखा गया है परंतु अग्रिम की राशि को वार्षिक लेखाओं में पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसका परिणाम ऋण, अग्रिम तथा जमाओं को ₹177.79 करोड़ तक अधिक बताए जाने, मूर्त परिसम्पत्तियों को ₹174.00 करोड़ तक कम बताए जाने तथा मूल्यहास को ₹3.79 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

### 2. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल

**पूंजीगत कार्य में प्रगति - ₹16.77 करोड़**

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंकित ₹16.77 करोड़ की संपूर्ण राशि एक सेवा प्रदाता को वाई-फाई की स्थापना हेतु पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रदान की गई थी। इसका परिणाम पूंजीगत कार्य में प्रगति को अधिक बताए जाने तथा ऋण एवं अग्रिमों के ₹16.77 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

### 3. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर

**अनुदानें/अनुवृत्तियां: ₹150.15 करोड़**

एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप में शामिल अनुदेशों के विचलन में वर्ष 2017-18 में किए गए ₹122.91 करोड़ के राजस्व व्यय की समान राशि के बजाए ₹150.15 करोड़ की राजस्व अनुदान को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹27.24 करोड़ तक प्रत्येक अनुदान/अनुवृत्तियों के अधिक बताए जाने तथा चालू-देयताओं के कम बताए जाने तथा इसी राशि तक आय से अधिक व्यय के परिणामस्वरूप अधिक बताए जाने में हुआ।

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

चालू देयताएं तथा प्रावधान (मुख्य)- ₹225.69 करोड़

उपरोक्त में विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त ₹20.81 करोड़ की राशि शामिल है जिसे चिन्हित निधि के अंतर्गत दर्शाया जाना था। इसका परिणाम चालू देयताओं को अधिक बताए जाने के साथ-साथ चिन्हित निधि को ₹20.81 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली

सुरक्षित ऋण एवं उधार - ₹48.29 करोड़

संस्थान दूरस्थ शिक्षण के अधीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा था जिसके लिए नामांकित छात्रों से शुल्क की वसूली की जा रही थी। तथापि, इन पाठ्यक्रमों की आय एवं व्यय को संस्थान के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाए जाने के स्थान पर परियोजना लेखे में दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम शुल्क के आधिक्य में से किए गए सावधि जमा सहित आधिक्य को परियोजना लेखे की देयताओं सहित तुलन पत्र की सारणी 4 में, देयता के रूप में दर्शाया गया था। चूंकि इन पाठ्यक्रमों में कोई देयता बकाया नहीं थी इसलिए संस्थान की कुल देयताओं को ₹1.55 करोड़ तक अधिक बताया गया था तथा संस्थान की आय को वर्षों से उसी राशि तक कम बताया गया था।

6. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली

चालू देयताएं एवं प्रावधान: ₹34.10 करोड़

₹18.19 करोड़ की राशि 2012-13 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान उत्पाद अनुमोदन योजना के अंतर्गत शुल्क के रूप में एकत्रित की गई थी जिसे अप्रतिदेय बताया गया था। तथापि, उत्पाद अनुमोदन योजना को 19 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उस समय 1876 आवेदन प्राधिकरण के पास लंबित थे। उनका शुल्क आवेदकों को नहीं लौटाया गया था तथा उसे पिछले वर्ष के लेखे में प्राप्ति के रूप में लिया गया था। चूंकि इन आवेदनों पर या तो आवेदन की अस्वीकृति या फिर अनुमोदन का निर्णय लंबित था इसलिए इन आवेदनों पर प्राप्त शुल्क को लेखाओं में देयताओं के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्राधिकरण की चालू देयताओं को ₹4.69 करोड़ तक कम बताया गया था तथा कायिक निधि को उसी राशि तक अधिक बताया गया था। मामले के तथ्य को लेखाओं की टिप्पणी में भी उजागर किया जाना चाहिए।

## 7. केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद

### अचल परिसम्पत्तियां

एच एण्ड एफडब्ल्यू मंत्रालय ने संस्थान हेतु ईमारत के निर्माण के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स एचएससीसी लि. (परामर्शदाता) के साथ एक अनुबंध किया (अप्रैल 2008)। संस्थान ने इस ईमारत का मई 2015 से उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। 31.03.2018 को मंत्रालय/संस्थान ने परामर्शदाता को ₹140.38 करोड़ की राशि अदा की। जिसमें से परामर्शदाता ने ईमारत के निर्माण तथा फर्नीचर एवं उपकरण के प्रापण के लिए पहले ही ₹120.02 करोड़ का व्यय किया था। संस्थान जो अपने लेखे में उपरोक्त परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया था। इसका परिणाम अचल परिसम्पत्ति/प्रगति कार्य में तथा चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिमों के क्रमशः ₹120.02 तथा ₹20.36 करोड़ तक कम बताए जाने तथा ₹140.38 करोड़ तक कायिक/पूँजीगत निधि को भी कम बताए जाने में हुआ।

## 8. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता

### अंकित/अक्षय निधि: ₹35.53 करोड़

उपरोक्त शीर्ष को सामान्य भविष्य निधि तथा कर्मचारी द्वारा अपनाई गई अंशदान भविष्य निधि के निधि शेष को संस्थान के लेखाओं में शामिल किए जाने के कारण ₹6.37 करोड़ तक अधिक बताया गया था। तदनुसार, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों को ₹6.37 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

## 9. पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, सॉल्ट लेक, कोलकाता

### स्थापना व्यय: ₹3.95 करोड़

यद्यपि ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु बीमांकिक प्रावधान के प्रति ₹1.80 करोड़ में से ₹1.45 करोड़ की राशि को वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे में पहले ही शामिल कर लिया गया था, फिर भी संस्थान ने वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे में ₹35.77 लाख के बजाए ₹1.80 करोड़ की पूर्ण राशि प्रभारित की। इसका परिणाम स्थापना व्यय तथा चालू देयताओं एवं प्रावधानों को ₹1.44 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा इसी राशि का आय से व्यय के आधिक्य फलस्वरूप अधिक बताए जाने में हुआ।

**10. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश**

**एमएचआरडी से अनुदान : ₹30.00 करोड़**

संस्थान ने ₹17.21 करोड़ का राजस्व व्यय किया परंतु उसने एमएचआरडी द्वारा जारी लेखाओं को तैयार करने हेतु अनुदेशों के उल्लंघन में आय एवं व्यय लेखे में पूर्ण अनुदान को आय के रूप में दर्ज किया। इसका परिणाम ₹12.79 करोड़ तक आय को अधिक तथा चालू देयताओं को कम बताए जाने में हुआ।

**11. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर**

**पूंजीगत कार्य में प्रगति: ₹213.05 करोड़**

उपरोक्त शीर्ष को मार्च 2014 तथा अप्रैल 2017 के बीच पूर्ण तथा उपयोग में लाए गए निर्माण कार्यों को शामिल किए जाने के कारण ₹73.44 करोड़ तक अधिक बताया गया था। ₹73.44 करोड़ की कीमत की ईमारतों के गैर-पूंजीकरण के कारण 2 प्रतिशत मूल्यहास की दर पर मूल्यहास का प्रभाव ₹2.17 करोड़ था। इसका परिणाम पूंजीगत में प्रगति कार्य को ₹73.44 करोड़ तक अधिक बताए जाने, ₹71.27 करोड़ तक ईमारतों को कम बताए जाने तथा ₹2.17 करोड़ तक व्यय को कम बताए जाने में हुआ।

**12. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़**

**प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय:-₹46.55 करोड़**

उपरोक्त में अचल परिसम्पत्तियों (पुस्तकें- ₹11.03 लाख, उपकरण- ₹3.64 लाख, फर्नीचर एवं फिक्सचर- ₹70.87 लाख तथा उपकरण सामान- ₹35.90 लाख) की खरीद से संबंधित ₹1.21 करोड़ की राशि शामिल है जिसे अचल परिसम्पत्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम प्रत्येक हेतु ₹1.21 करोड़ तक प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय के अधिक बताए जाने तथा अचल परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

**13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की**

**अमूर्त-परिसम्पत्तियां- ₹12.37 करोड़**

संस्थान ने ₹13.74 करोड़ के ई-जर्नल की खरीद की तथा एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखे के प्रारूप में प्रदत्त 40 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास प्रभारित किया। परिणामस्वरूप मूल्यहास को ₹4.12 करोड़ तक कम प्रभारित किया गया था। इसका परिणाम अचल परिसम्पत्ति तथा पूंजीगत निधि के ₹4.12 करोड़ तक अधिक बताए जाने में भी हुआ।

#### 14. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

##### सामान्य

संस्थान ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है।

#### 15. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिरुचिरापल्ली

##### अचल परिसम्पत्तियां - अमूर्त परिसम्पत्तियां - ₹247.47 करोड़.

उपरोक्त में सिमेन्स द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केन्द्र पर संस्थापित ₹50.35 करोड़ के निवल मूल्य की परिसम्पत्तियां शामिल हैं तथा अनुबंध के अनुसार परिसम्पत्तियों को 3 वर्षों के पश्चात संस्थान को सुपुर्द किया जाएगा। इस प्रकार पूंजीगत निधि तथा अचल परिसम्पत्तियों को ₹50.35 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

#### 16. भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची

##### प्रगति में पूंजीगत कार्य ₹313.58 करोड़

आईआईएम, त्रिची ने नवम्बर 2017 के दौरान अपने नए परिसर में इमारतें अधिकृत की। तथापि, इमारतों की कीमत को अचल परिसम्पत्ति के बजाए पूंजीगत कार्य में प्रगति के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसका परिणाम ₹154.22 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत कार्य में प्रगति के अधिक बताए जाने तथा अचल परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ। इसका परिणाम ₹3.08 करोड़ तक मूल्यहास के कम बताए जाने में भी हुआ।

#### 17. भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम

##### कायिक/पूंजीगत निधि: ₹792.91 करोड़

इसमें अप्रयुक्त अनुदान होने से ₹84.34 करोड़ की राशि शामिल है जिसे तुलन पत्र में चालू देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹84.34 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने के अनुरूप इसी राशि तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों के कम बताए जाने में हुआ है।

#### 18. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोजिकोड

##### चालू देयताएं एवं प्रावधान - ₹25.62 करोड़

इसे 2017-18 से संबंधित राजस्व व्यय के 32 मामलों, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व इनवॉइस/बिल प्राप्त हुए थे, के गैर-प्रावधान के कारण ₹1.41 करोड़ तक

कम बताया गया है। इसका परिणाम आय एवं व्यय लेखे में व्यय के अनुकूल कम बताए जाने में हुआ है।

**19. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़**

**चालू देयताएं एवं प्रावधान**

इसे 2017-18 के दौरान व्यय की गई दोनों राजस्व एवं पूंजीगत प्रवृत्ति की विभिन्न व्यय मदों को पूरा करने के लिए प्रावधानों का सृजन न करने के कारण ₹1.28 करोड़ तक कम बताया गया तथा जिसे वास्तव में अप्रैल/मई 2018 में अदा किया गया। इसका परिणाम ₹22.89 लाख तक व्यय तथा ₹1.05 करोड़ तक अचल परिसम्पत्ति के कम बताए जाने में भी हुआ।

**20. विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर**

**ऋण, अग्रिम एवं जमा- ₹73.51 करोड़**

उपरोक्त शीर्ष को अनुदान प्राप्तयोग्य के रूप में प्राप्त अनुदान से अधिक अतिरिक्त व्यय, जिसके लिए सरकार से कोई संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, को दर्शाने के कारण ₹57.96 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसका परिणाम इसी राशि तक संस्थान की कॉर्पस निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

**21. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर**

**शैक्षणिक व्यय: ₹19.62 करोड़**

वर्ष के लिए कुल ₹2.93 करोड़ के ई-जर्नल (ई-कन्टेंट के रूप में प्रापण किया गया) के प्रापण पर किए गए व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किए जाने के स्थान पर राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹2.93 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा ₹2.93 करोड़ तक शैक्षणिक व्यय के अधिक बताए जाने में हुआ।

**22. पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर**

**चालू देयताएं एवं प्रावधान: ₹59.74 करोड़**

इसमें आंतरिक कॉर्पस से ऋण (सहायता अनुदान की कमी को पूरा करने हेतु) ₹18.40 करोड़ शामिल है। चूंकि अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को आंतरिक सृजन से पूरा करना है इसलिए चालू देयता के रूप में अनुदान की कमी को दर्शाना गलत है। इसका परिणाम ₹18.40 करोड़ तक चालू देयताओं के अधिक बताए जाने तथा समान राशि तक कायिक/पूंजीगत निधि के कम बताए जाने में हुआ।

**23. अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर**

**अचल परिसम्पत्ति- पूंजीगत कार्य में प्रगति- ₹93.22 करोड़**

इसमें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 2017-18 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को दिए गए जमा (अग्रिम) से किया गया व्यय होने से ₹9.40 करोड़ शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹9.40 करोड़ तक प्रगति में पूंजीगत कार्य के कम बताए जाने तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधिक बताए जाने में हुआ।

**24. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर**

**चालू देयताएं एवं प्रावधान- ₹13.64 करोड़**

इसमें सहायता अनुदान (जीआईए) का अव्ययित शेष होने से ₹251.84 करोड़ शामिल नहीं है। सहायता अनुदान संस्वीकृति पत्र के अनुसार अप्रयुक्त अनुदानों तथा जीआईए पर अर्जित ब्याज (जीएफआर-2017 के नियम 230 (8) के अनुसार) को भारत सरकार को लौटाना अपेक्षित था। इसका परिणाम ₹251.84 करोड़ तक चालू देयताओं के कम बताए जाने तथा ₹251.84 करोड़ तक कायिक/पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

**25. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल**

**अर्जित ब्याज से आय-₹11.81 करोड़**

इसमें अप्रयुक्त सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज होने से ₹11.81 करोड़ शामिल है। इसे चालू देयता के बजाए संस्थान की आय के रूप में दर्शाया गया है। इसका परिणाम ₹11.81 करोड़ तक आय के अधिक बताए जाने तथा समान राशि तक चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ।

**26. संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल**

**चालू देयताएं एवं प्रावधान:₹53.01 करोड़**

उपरोक्त में 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते के बकाया हेतु ₹8.47 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है यद्यपि संस्वीकृति दिसंबर 2017 में प्राप्त कर ली गई थी। इसका परिणाम चालू देयताएं एवं प्रावधान के साथ-साथ स्टाफ भुगतान एवं लाभ प्रत्येक के ₹8.47 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

**27. अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद**

**चालू देयताएं एवं प्रावधान: ₹218.61 करोड़**

इसमें ₹2.22 करोड़ शामिल है जो विश्वविद्यालय द्वारा सृजित आंतरिक आय की प्रवृत्ति के थे परंतु इसे गलत प्रकार से प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। इसका परिणाम ₹2.22 करोड़ तक चालू देयताओं के अधिक बताए जाने तथा आय के कम बताए जाने में हुआ था। परिणामस्वरूप घाटे को भी ₹2.22 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

**28. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय**

**चालू देयताएं एवं प्रावधान**

इसमें 7वें सीपीसी बकाया के प्रति ₹2.30 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 12/30 जनवरी 2018 के माध्यम से अनुमोदित)। बकाया 4 मई 2018 को अदा किया गया था। वेतन आयोग के बकाये का प्रावधान न करने का परिणाम चालू देयताओं तथा प्रावधानों एवं व्यय को ₹2.30 करोड़ कम बताए जाने में हुआ।

**29. राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलूरु**

**सामान्य**

संस्थान ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति/पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान नहीं किया था।

**30. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद**

**सामान्य**

सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 7 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान कर्मचारियों के क्रेडिट को प्राप्त वास्तविक छुट्टी के आधार पर किया गया है तथा ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान एमएचआरडी से प्राप्त निधि की उपलब्धता के अनुसार यथार्थीकरण के पश्चात किया गया है। संस्थान द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 तथा एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के फार्मेट के उल्लंघन में था जिसने प्रावधान किया कि सेवानिवृत्ति लाभ को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

**31. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी**

**अचल परिसम्पत्तियां ₹184.05 करोड़**

संस्थान ने इमारत के निर्माण हेतु रनिंग बिल के बदले में सीपीडब्ल्यूडी को दिए गए ₹29.86 करोड़ को पूंजीकृत किया। तथापि, निर्माण कार्य को 31.03.2018 तक पूर्ण नहीं किया गया था इसलिए इसे पूंजीकृत किए जाने के स्थान पर प्रगति में कार्य के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹29.86 करोड़ तक प्रगति में पूंजीगत कार्य के कम बताए जाने तथा ₹29.26 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियों (अमूर्त) के अधिक बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप ₹60.00 लाख का अधिक मूल्यहास लगाया गया था।

## परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.10 (ए) का संदर्भ लें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
3.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
4.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
7.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
8.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
11.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
15.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
16.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
19.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
22.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
24.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
26.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
27.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
29.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
30.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली
31.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
32.	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
33.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
34.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
35.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
36.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली
37.	तिब्बत हाउस, नई दिल्ली
38.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
39.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
40.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
41.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
42.	दिल्ली विश्वविद्यालय
43.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
44.	राष्ट्रीय कोल्ड-चैन विकास केन्द्र, नई दिल्ली
45.	एशियाई समिति
46.	पोर्ट ब्लैयर नगर पालिका परिषद
47.	तेजपुर विश्वविद्यालय
48.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
49.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
50.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी
52.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
54.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
55.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
57.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद
58.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
59.	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
60.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
61.	मणिपुर विश्वविद्यालय
62.	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
63.	तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई
64.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, पुदुचेरी
65.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
66.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
67.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
68.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
69.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
70.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर
71.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, कालीकट
72.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
73.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
74.	लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कावारती
75.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
76.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
77.	भारतीय हज समिति, मुंबई
78.	दत्तोपंत थेगंडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर (पहले सी.बी.डब्ल्यू.ई. नागपुर)
79.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
80.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
81.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
82.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलांग
83.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
85.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजूली, अरुणाचल प्रदेश

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
86.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश
87.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
88.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
89.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
90.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा
91.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
92.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद
93.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
94.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएचआईटी), भोपाल
95.	भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
96.	भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
97.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
98.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
99.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी
100.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
102.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
103.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
104.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय
105.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
106.	चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
107.	तिब्बती निर्माण कार्य एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
108.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह-लद्दाख
109.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़
110.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
111.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
112.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
113.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
114.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
115.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
116.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
117.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
118.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय. विजयवाड़ा

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
119.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर
120.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
121.	भारतीय ग्रामीण विकास, एवं, पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
122.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
123.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर
124.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
125.	मिजोरम विश्वविद्यालय
126.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
127.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
128.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी
129.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलुरु
130.	मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु में आयुर्वेद उन्नत केन्द्र, बैंगलुरु
131.	अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर
132.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
133.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
134.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
135.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
136.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय
137.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण-प्राधिकरण, नई दिल्ली
138.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
139.	नर्मदा नियंत्रण बोर्ड, इंदौर
140.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड
141.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद
142.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
143.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली

## परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.10(बी) का संदर्भ लें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2017-18 के दौरान अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
2.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
5.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
6.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
7.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
8.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
9.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
11.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली
14.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
15.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
17.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
18.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
19.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
20.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
21.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
22.	भातीय प्रवासी भारतीय विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
23.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
25.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
26.	राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
27.	राष्ट्रीय कोल्ड-चैन विकास केन्द्र, नई दिल्ली
28.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्धमहासंघ, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
31.	भारतीय संग्रहालय
32.	एशियाई समिति
33.	विक्टोरिया स्मारक हॉल
34.	पोर्ट ब्लैयर नगर निगम
35.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
36.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
37.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हावड़ा
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता
39.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
40.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
43.	विश्व भारती
44.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
45.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
46.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
47.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
48.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
49.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
50.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
51.	मणिपुर विश्वविद्यालय
52.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
53.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
54.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
55.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
56.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड
57.	लक्ष्यद्वीप राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कवारती
58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
59.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल, कासरगोड
60.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
61.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई
62.	महात्मागांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, नागपुर
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
64.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई
66.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलांग
67.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
69.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, अरुणाचल प्रदेश
70.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश
71.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
72.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर
73.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
74.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा
75.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
76.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची
77.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद
78.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
79.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
80.	फाउंड्री एवं फोर्ज राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हटिया, रांची
81.	अटल बिहारी बाजपयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
82.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर
83.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भिलाई

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
85.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
86.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
87.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
88.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
89.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
90.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
91.	भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, मण्डी
92.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू
93.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
95.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
96.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
97.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
98.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह-लद्दाख
99.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
100.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
101.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
102.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
103.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
104.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
105.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
106.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
107.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
108.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
109.	मिजोरम विश्वविद्यालय
110.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
111.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु
112.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी
113.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलुरु
114.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
115.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
116.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
117.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैंड

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
118.	नागालैंड विश्वविद्यालय
119.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
120.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
121.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
122.	क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद
123.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली

## परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.10 (सी) का संदर्भ लें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2017-18 दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
2.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
4.	भारतीय प्रेस परिषद. नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
7.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
8.	केन्द्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
9.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
10.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
11.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
12.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ,नई दिल्ली
13.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
14.	योजना एवं वास्तुकला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
15.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय विधिक सेवा आभिकरण, नई दिल्ली
19.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
20.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
21.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
22.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ,नई दिल्ली
23.	प्रवासी भारतीयों की भारत विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
24.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
25.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
27.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली
29.	भारतीय संग्रहालय
30.	एशियाई समिति
31.	विक्टोरिया स्मारक हाल
32.	गनी खान चौधरी अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
33.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हावडा
34.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता
35.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
37.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
38.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
39.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
40.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
41.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
42.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
44.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
45.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
46.	मणिपुर विश्वविद्यालय
47.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद
48.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, चेन्नई
49.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
50.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
51.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबुदूर
52.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
53.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडिगुल
54.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
55.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजीकोड
56.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
57.	लक्ष्यद्वीप राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कवारती
58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे
60.	महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, नागपुर
61.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलांग
62.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
63.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
64.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नीरजुली, अरुणाचल प्रदेश
65.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश
66.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
68.	भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
69.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
71.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची
72.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
75.	फाउंड्री एवं फोर्ज राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हटिया, रांची
76.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
77.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर
78.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण (आईआईआईटीडीएम)
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भिलाई
80.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
81.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
82.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
83.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
85.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
86.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी
87.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू
88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
90.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
91.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
92.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
93.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
94.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह लद्दाख
95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
96.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
97.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्ध्व विश्वविद्यालय, हैदराबाद
98.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
99.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
100.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
101.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
102.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
103.	अखिल विज्ञान आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
104.	मिजोरम विश्वविद्यालय
105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
106.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलूरु
107.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु
108.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु
109.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
110.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
111.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
112.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
113.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय
114.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
115.	भारतीय वनजीव संस्थान, देहरादून
116.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
117.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
118.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (हैदराबाद, चेन्नई)
119.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद

## परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.10 (डी) का संदर्भ लें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जो अनुदानों को प्राप्ति/नकद आधार पर लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
3.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
4.	भंडारागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
5.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
7.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
8.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
9.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय समिति, नई दिल्ली
11.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
12.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
17.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
18.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
19.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर
20.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
21.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
24.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
25.	राष्ट्रीय नेत्रहीन विकलांग (दिव्यांगजन) संस्थान, देहरादून
26.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
27.	वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)
28.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
29.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
30.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल, कोट्टायम
31.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, (एलबीडीबी) कावारत्ती
32.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
33.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स) रायपुर, छत्तीसगढ़
34.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल
35.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
37.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
38.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
39.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह-लद्दाख
40.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
43.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
44.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
45.	वेतवा नदी बोर्ड, झांसी
46.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी
47.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली
48.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
49.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (चेन्नई, बंगलुरु तथा हैदराबाद)
50.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
51.	क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद

## परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.10 (ई) का संदर्भ लें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया है

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
2.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
3.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
4.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
9.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
10.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
11.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
13.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
14.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
15.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय समिति, नई दिल्ली
17.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
18.	भंडारागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
19.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
20.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
24.	श्री लाल बाहदुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
25.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
26.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
27.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
28.	भारतीय विश्व मामलें परिषद्, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
30.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
31.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
33.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
34.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
35.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
36.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
37.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
38.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
39.	राष्ट्रीय ऊर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
40.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
41.	भारतीय संग्रहालय
42.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान
43.	एशियाई समिति
44.	विक्टोरिया स्मारक हॉल
45.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
46.	पोर्ट ब्लैयर नगर परिषद
47.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
48.	गनी खान चौधरी आभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
49.	भारतीय आभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हावड़ा
50.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
51.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
52.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर
54.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
55.	तेजपुर विश्वविद्यालय
56.	विश्व-भारती
57.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणासी
58.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बीएचयू), वाराणासी
60.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
61.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
62.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
63.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
64.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
65.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
66.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद
67.	वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)
68.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
69.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
70.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज
71.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
72.	जवाहलाल स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
73.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
74.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
75.	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
77.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास, संस्थान, श्रीपेरंबदुर
78.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
79.	भारतीय हज समिति, बाम्बे
80.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
81.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण अपंगता (दिव्यांगजन) संस्थान, मुंबई

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
82.	दत्तोपन्त ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
83.	राष्ट्रीय औद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई
84.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
85.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
86.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, नागपुर
87.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
88.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
89.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान
90.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
92.	सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (एसवीएनआईटी), सूरत
93.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
94.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
95.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
96.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
97.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
99.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
100.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, हटिया, रांची
101.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
102.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
103.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, भोपाल
104.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
105.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
107.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, (एनआईटीटीटीआर), भोपाल
108.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
109.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
110.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
111.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
112.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
113.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
114.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
115.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
116.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
117.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
118.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी
119.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
120.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
121.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
122.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
123.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
124.	जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
125.	चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
126.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह-लद्दाख
127.	तिब्बती निर्माण कार्य एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
128.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
129.	राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
130.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
131.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
132.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
133.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
134.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मेनेज), हैदराबाद
135.	सालार जंग संग्रहालय
136.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
137.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
138.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
139.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर
140.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
141.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
142.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
143.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी
144.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु
145.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
146.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
147.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय
148.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
149.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
150.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
151.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
152.	नर्मदा नियंत्रण बोर्ड, इंदौर
153.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
154.	राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
155.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
156.	श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम
157.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली
158.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली

**परिशिष्ट - XII**

(पैराग्राफ 1.10 (एफ) का संदर्भ लें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची, जिसने अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया था

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता
5.	विश्व-भारती
6.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
7.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
8.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
9.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारांगल

## परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ 1.10 (जी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने अपने लेखों को लेखापरीक्षा  
के परिणाम के पश्चात में संशोधित किया

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
3.	तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई
4.	कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, चेन्नई
5.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
6.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
7.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
8.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
9.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
10.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
11.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कराईकल
13.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
14.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
15.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई
16.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
17.	सिक्किम विश्वविद्यालय
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
19.	यूनानी चिकित्सा राष्ट्रीय संस्थान, बेंगलुरु
20.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
21.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु
22.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी

23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल
24.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम
25.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
26.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

परिशिष्ट - XIV

(पैराग्राफ 1.11 का संदर्भ लें)

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित/पत्राचाराधीन की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) की दिसम्बर 2019 को विस्तृत स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	कृषि	2016	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2017	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2017	-	-	-	2	-	2	2	-	2
4.	संस्कृति	2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2017	-	-	-	2	1	1	2	1	1
5.	पेयजल तथा स्वच्छता	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2017	2	1	1	-	-	-	2	1	1
6.	पृथ्वी विज्ञान	2017	-	-	-	1	-	1	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
7.	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन	2012	1		1				1		1
		2013	1		1				1		1
		2014				1		1	1		1
		2015	1	-	1				1		1
8.	विदेश	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9.	वित्त	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2017	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014	2	-	2	1	-	1	3	-	3
11.	मानव संसाधन विकास	2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	1	-	1	1	-	1	2	-	2
		2017	-	-	-	5	-	5	5	-	5
12.	श्रम तथा रोजगार	2017	-	-	-	1	-	1	1	-	1
13.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2017	2	-	2	-	-	-	2	-	2
14.	नीति आयोग	2018	1	1	-	-	-	-	1	1	-

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक भी प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
15.	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2017	1	1	-	-	-	-	1	1	-
16.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2017	1	1	-	-	-	-	1	1	-
17.	युवा मामले तथा खेल	2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2016	-	-	-	1	-	1	1	-	1
<b>कुल</b>			<b>23</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>43</b>

### परिशिष्ट-XV

(पैराग्राफ 1.11 का संदर्भ लें)

वर्षवार लम्बित एटीएन  
दिसम्बर 2019 तक बकाया की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ  
(विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र)

क्र. सं.	यूटी का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	देय	अभी तक प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2017	1	-	1
2.	लक्षद्वीप	2014	1	-	1
3.		2016	1	-	1
4.		2017	1	-	1
कुल			4	-	4

## परिशिष्ट -XVI

(पैराग्राफ 1.13 (तालिका-7) का संदर्भ लें)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अधिक भुगतान/अमान्य भुगतान से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं	यूनिट का नाम	मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/अस्वीकार्य भुगतान	लेखा परीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/भुगतान के तहत/वसूली के तहत/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूल की गई राशी	लेखा परीक्षा का अवलोकन और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	1.93	1.93	वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की लेवी चावल की फसल की कम डिलीवरी के फलस्वरूप निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब से बकाया वसूली नहीं होने के कारण अनुचित लाभ। ऑडिट के अवलोकन फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
2.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.01	0.01	अवमानक चावल का वितरण और उसके बाद प्रतिस्थापन के कारण फरीदकोट में राज्य एजेंसियों/मिलरों से तौल शुल्क और स्टैकिंग शुल्क की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन/प्रेक्षण के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।

3.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	7.40	5.29	मिल मालिको द्वारा लेवी चावल का कम वितरण और निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब द्वारा ज़ब्त की गयी राशि की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन/प्रेक्षण के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
4.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	8.60	16.37	केएमएसएस 2014-15 के दौरान धान की खरीद में बी श्रेणी के गनी बैग के उपयोग के कारण राज्य एजेंसियों को गनी बैग के मूल्यहास के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्य का भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
5.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.07	0.25	पंजाब राज्य भंडारण निगम/निजी उद्यमियों के गारंटी गोदाम के संबंध में आर्थिक लागत पर कम भंडारण लाभ की वसूली नहीं करना। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
6.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.05	0.05	पंजाब में राज्य एजेंसियों/मिल मालिको द्वारा अवमानक चावल के प्रतिस्थापन में देरी के कारण बियॉन्ड रिजेक्शन लिमिट (बीआरएल) के रिप्लेसमेंट पर स्टोरेज स्टैकिंग प्रभार और तौल प्रभार की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
7.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और	अधिक भुगतान	0.03	0.03	गेहूं केएमएसएस 2009-10 पर विशिष्टीकरण में छूट पर मूल्य कटौती की वसूली नहीं होने के कारण चंडीगढ़ में राज्य एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन

		सार्वजनिक वितरण				ने वसूली की है।
8.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	5.29	5.29	चंडीगढ़, पंजाब में राज्य सरकार की एजेंसियों को गारंटी शुल्क का अनुचित भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
9.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	2.76	2.39	चंडीगढ़, पंजाब में राज्य सरकार की एजेंसियों को निगरानी और रखरखाव शुल्क का अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
10.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.05	0.05	खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2008-09 में कस्टम मिल्ड चावल पर विशिष्टीकरण में छूट पर मूल्य कटौती की वसूली नहीं होने के कारण पंजाब में राज्य एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
11.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	6.60	5.14	बठिंडा, पंजाब में राज्य सरकार की एजेंसियों को निगरानी और रखरखाव शुल्क का अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।

12.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.19	0.19	बठिंडा, पंजाब में सीएमआर जो केएमएस 2005-06 और 2006-07 की राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा नरम विनिर्देशों के तहत वितरण पर राज्य सरकार एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
13.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.40	0.40	बठिंडा, पंजाब में निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत किराए के गोदामों में लकड़ी के बक्सों की कम आपूर्ति के लिए वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
14.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.68	0.68	फरीदकोट, पंजाब में निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत किराए के गोदामों में लकड़ी के बक्सों की कम आपूर्ति के लिए वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
15.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	4.62	1.65	पंजाब एजेंसियों द्वारा एफसीआई आरओ पंजाब में कच्चा प्लिन्थ में संग्रहीत गेहूं की वितरण नहीं लेने के कारण अग्रनयन प्रभार का भुगतान नहीं लिया गया। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

16.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	1.91	0.12	सड़क परिवहन निगम, जम्मू द्वारा ट्रकों को उपलब्ध नहीं कराने के लिए जुर्माने की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
17.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.39	0.15	राज्य सरकार द्वारा पुलवामा में एफसीआई गोदाम के निर्माण के लिए जमा की गई राशि की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
18.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.75	0.78	केंद्रीय पूल के तहत खरीदे गए गेहूं पर भंडारण लाभ के लिए राज्य सरकार एजेंसियों, करनाल को अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
19.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.01	0.01	हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों, को गोदामों की रेटेड क्षमता के बजाय उच्च क्षमता पर किराये पर लेने के कारण गोदामों के किराए पर अतिरिक्त व्यय। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
20.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.37	0.37	पंजाब, राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा आरएमएस 2013-14 के दौरान गेहूं की खरीद में पूर्व में एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले गनी बैग के इस्तेमाल की वसूली न करने के कारण अतिरिक्त भुगतान।

21.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.18	0.54	खरीफ विपथन सत्र 2006-07 और 2008-09 के दौरान कस्टम मिल्ड चावल पर विशिष्टकरण में छूट पर मूल्य कटौती की वसूली नहीं होने के कारण पंजाब, राज्य सरकार की एजेंसियों, को अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
22.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.14	0.14	खरीफ मार्केटिंग सत्र 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान पंजाब की राज्य सरकार की एजेंसियों से कस्टम मिल्ड चावल की खरीद पर मंडी श्रम प्रभार के तहत उतराई और स्टैकिंग शुल्क की अनियमित भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
23.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	2.38	2.50	पंजाब की राज्य सरकार एजेंसियों को निगरानी और रखरखाव शुल्क का अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
24.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.79	0.79	धान प्राप्ति में पुराने गनी बैग के उपयोग के कारण गनी के मुल्यहास की वजह से पंजाब की राज्य सरकार की एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान हुआ। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

25.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.38	0.38	मैसर्स अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड से वचनपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा डिबगिंग शुल्क पर वहन किया गया परिहार्य प्रभार। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
26.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.12	0.12	कुरुक्षेत्र में राज्य भंडारण निगम/केंद्रीय भंडारण निगम/निजी उद्यमियों गारंटी गोदान के संबंध में आर्थिक लागत पर असामान्य भंडारण हानि की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
27.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.42	0.30	डीपीएस श्रमिकों द्वारा हड़ताल में भाग लेने के कारण हड़ताली डीपीएस श्रमिकों से बरामद किए गए डैमरेज और री-बुकिंग शुल्क। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
28.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.05	0.05	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को दिए गए किराए पर अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं की गई। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
29.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	3.50	2.24	उड़ीसा की राज्य सरकार एजेंसियों से मंडी शुल्क पर ब्याज शुल्क की प्रतिपूर्ति। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।

30.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.07	0.06	उड़ीसा की राज्य सरकार एजेंसियों को मंडी शुल्क पर ब्याज का अनियमित भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
31.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.01	0.01	क्षेत्रीय कार्यालय इंफाल द्वारा ठेकेदार से निपटने के लिए अनुचित भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
32.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	8.17	2.01	पश्चिम बंगाल क्षेत्र में निजी पार्टी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान की खरीद। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
33.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.04	0.04	हैंडलिंग और परिवहन शुल्क के अनियमित भुगतान के कारण रांची के राज्य भंडारण निगम का अनुचित पक्ष। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
34.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	2.96	1.48	बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम/ठेकेदार/केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगम से पुनः बुकिंग प्रभार वसूलने के लिए प्रबंधन की निष्क्रियता और अनुचित गतिविधि योजना के

		सार्वजनिक वितरण				कारण पुनः बुकिंग शुल्क पर परिहार्य व्यय। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
35.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.26	0.17	गाड़ियों से खाद्यान्न के सीधे प्रेषण पर श्रम और ठेकेदार को उच्च दर पर भुगतान जारी होने के कारण अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
36.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य/अमान्य भुगतान	0.81	0.81	केंद्रीय भंडारण निगम से जोखिम और लागत दावों का वसूल ना होना/समायोजन न होना। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
37.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.59	0.59	एफसीआई जिला कार्यालय पोर्ट ब्लेयर द्वारा राहत कार्यों के तहत विभिन्न प्रमुख वितरण केंद्रों (पीडीसी) से लिए गए भंडार के जारी करने हेतु जलयान भाड़ा के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।
38.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	3.13	3.13	कस्टम मिल्ड राइस में गनी और गनी मूल्यहास की लागत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान। ऑडिट के अवलोकन के फलस्वरूप प्रबंधन ने वसूली की है।

39.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) पुणे	मानव संसाधन विकास	ऊर्जा प्रभारों का अधिक भुगतान	4.94	4.94	<p>आईआईएसईआर के पास परिसर के लिए उपभोक्ता सं. 170019077550 वाला एक एक बिजली कनेक्शन था जिसे शैक्षिक बिल्डिंग के लिए एचटी- IX-ए अर्थात् लोक सेवा सरकारी के स्थान पर एचटी- IX-बी अर्थात् लोक सेवा-अन्य के टेरिफ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम जून 2015 के फरवरी 2018 तक की अवधि के लिए उच्चतर दरों पर ऊर्जा प्रभारों के भुगतान में हुआ।</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2017) आईआईएसईआर ने मामले को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ उठाया तथा टेरिफ को मार्च 2018 से पुनर्वर्गीकृत किया गया था आईआईएसईआर ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019) में आगे बताया कि ₹4.94 करोड़ की पूर्ण राशि का एमएसईडीएल से समायोजन/वसूली की गई है।</p>
40.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहंस) बेंगलौर	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संतान शिक्षा भत्ता का अधिक भुगतान	67.25	67.25	<p>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्राल, डीओपीटी ने का.जा. दिनांक 28 अप्रैल 2014[1] के माध्यम से संतान शिक्षा भत्ता (सीईए) की प्रतिपूर्ति हेतु ₹18000 प्रति संतान तथा छात्रावास आर्थिक सहायता हेतु ₹54000 पर वार्षिक सीमा को निर्धारित किया। सीमाओं के का.अ. दिनांक 16 अगस्त 2017[2] के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से सीईए हेतु ₹27000 तथा छात्रावास आर्थिक सहायता हेतु ₹81000 तक संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहंस) बेंगलौर की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि लेखापरीक्षिती संस्थान ने शैक्षिक वर्ष 2016-17 के लिए</p>

2020 की प्रतिवेदन सं. 6

						1 जुलाई 2017 से लागू उच्चतर दरों पर 579 कर्मचारियों को सीईए/छात्रावास आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति (जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के दौरान) की थी।
41.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकता	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	बिल्डिंग योजना संस्वीकृति शुल्क का अधिक भुगतान	2.30	1.87	बिल्डिंग योजना संस्वीकृति शुल्क के प्रति मांग नोटिस की यथार्थता की जांच करने में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की विफलता का परिणाम कमरथी नगर निगम को संस्वीकृति शुल्क के प्रति ₹2.30 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के परिणामस्वरूप नगर निगम ने अपनी ओर से चूक को स्वीकार किया तथा ₹2.30 करोड़ के लिए प्रस्तुत कथन के प्रति ₹1.87 करोड़ की राशि वापिस की (अगस्त 2019)। ₹0.44 करोड़ की शेष राशि के संबंध में बताया (अगस्त 2019) कि वे जल्द ही मांग का निर्धारण करेंगे तथा नगर निगम को प्रस्तुत करेंगे।
<b>कुल</b>				<b>140.60</b>	<b>130.57</b>	



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)